मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून-जुलाई, 2014 सत्र

बुधवार, दिनाँक 9 जुलाई, 2014

(18 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 8]

मध्यप्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनाँक 9 जुलाई, 2014

(18 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर.

नया भूमि अधिग्रहण कानून

1. (*क्र. 1923) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नया भूमि अधिग्रहण कानून किस दिनांक से लागू किया गया है? तथा उसमें क्या-क्या मुख्य प्रावधान हैं? (ख) उक्त कानून लागू होने की दिनांक से पूर्व भूमि अधिग्रहण हेतु अवार्ड पारित हो गया परंतु किसानों को राशि का भुगतान नहीं हुआ ऐसे मामलों में विभाग की क्या नीति है? (ग) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में भू-अर्जन के लंबित प्रकरण जिनमें भूमि अधिग्रहण के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हुआ, उनको कब तक किस कानून के अनुसार भुगतान किया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) केन्द्रीय अधिनियम ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन तथा उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 दिनांक 1 जनवरी, 2014 से लागू किया गया है. जिसमें सम्पूर्ण प्रावधान वर्णित है. (ख) ऐसे मामलों में जिसमें पुराने अधिनियम के तहत् 50 प्रतिशत से अधिक किसानों ने भुगतान नहीं लिया है, तो उन्हें नए भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार मुआवजा का भुगतान किया जाएगा. (ग) जानकारी उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' अनुसार.

श्री गोविन्द सिंह पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि 4 जून 2014 को रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के ग्राम सनाइडार में डूब प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लाठी चार्ज एवं आँसू गैस के गोले छोड़े गए थे तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग को दिए गए ज्ञापन में क्या कुछ मांगें रखी थीं.

अध्यक्ष महोदय-- यह इससे उद्भूत कहाँ हो रहा है.

श्री गोविन्द सिंह पटेल-- अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि उक्त मांगों पर शासन ने क्या क्या कार्यवाही की.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य, आपने जो पूछा है वह इस प्रश्न से उद्भूत कहाँ हो रहा है, आपने भूमि अधिग्रहण का पूछा है.

श्री गोविन्द सिंह पटेल-- अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो उस घटना की जानकारी के मामले में पूछना चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- उसका इसमें कुछ हवाला नहीं है.

श्री गोविन्द सिंह पटेल-- अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न भी बाद में आएगा. पहले उस घटना के बारे में जानकारी पूछना चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, कृपा करके सीधे प्रश्न पर आ जाएँ.

श्री गोविन्द सिंह पटेल-- अध्यक्ष महोदय, पहले इसका जवाब मिल जाए फिर वह प्रश्न भी पूछ लूंगा.

श्री रामपाल सिंह-- माननीय विधायक जी, आयुक्त, भोपाल संभाग तो जाँच कर ही रहे हैं लेकिन आप भी लिखकर देंगे तो जाँच कराएँगे.

श्री गोविन्द सिंह पटेल-- अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या भूमि अधिग्रहण का जो नया नियम बना है, प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजे की राशि, यदि वे पात्रता रखते हैं तो क्या वह उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और कराई जाएगी तो समय सीमा बताएँ, कब तक कराई जाएगी.

श्री रामपाल सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन तथा उचित प्रतिकर और पारदर्शिता पर अधिकार अधिनियम मध्यप्रदेश में लागू हो गया है और माननीय विधायक जी अगर इस तरह की कोई बात बताते हैं या उनको कोई चिन्ता है तो अब तो आदेश नियम से ही चलेगा और नये अधिनियम के हिसाब से मध्यप्रदेश में काम चलेगा.

श्री गोविंद सिंह पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है. मैं यह पूछना चाहता हूँ कि नये भूमि अधिग्रहण नियम के तहत क्या उन्हें अतिरिक्त मुआवजा राशि वितरित की जायेगी.

श्री रामपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रुप से जो नये भूमि अधिग्रहण नियम हैं उसके आधार पर ही हम मध्यप्रदेश में राशि वितरित करेंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है.

श्री गोविंद सिंह पटेल—धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि जिनकी जमीन पहले ले ली गई थी और उन्होंने मुआवजा नहीं लिया है उनके लिये क्या प्रावधान रहेगा ?

श्री रामपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, अवार्ड पारित हो गया है और यदि 50 प्रतिशत से कम राशि उन्हें मिली है तो फिर नया अधिनियम जब से लागू होगा, तब से उन्हें बढ़ाकर हम राशि देंगे.

नल-जल योजना की स्वीकृति

2. (*क्र. 1400) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कितनी नल-जल योजना स्वीकृत हैं और स्वीकृत हैं तो कहां-कहां, किस-किस गांव में स्वीकृत की गई हैं? स्वीकृत नल-जल योजना में से कितनी कि नल-जल योजनाओं का कार्य पूर्ण होकर पंचायतों को सौंपी गई हैं? (ख) कितनी नल-जल योजना अपूर्ण हैं? यदि पूर्ण नहीं हुई तो क्या कारण है? कब तक पूर्ण हो जावेंगी? (ग) ग्राम पंचायतों को सौंपी गई नल-जल योजना में से कितनी संचालित (चालू) हैं? तथा कितनी बंद पड़ी हैं? बंद का क्या कारण हैं? बंद योजनाओं को कब तक प्रारंभ कराया जावेगा? समय-सीमा बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 34 नल-जल योजनाएं. जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार. 29 नल-जल योजनाएं. (ख) 5 नल-जल योजनाएं अपूर्ण हैं. शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार. (ग) 26 योजनाएं चालू व 3 योजनाएं बंद हैं. शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार.

श्री भारत सिंह कुशवाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर यह आया है कि 34 नल-जल योजनायें स्वीकृत हैं. यह उत्तर पूर्णत: असत्य व भ्रामक है, ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में 34 नहीं बल्कि 52 नल-जल योजनायें स्वीकृत हैं. दूसरा, मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब आया है कि 5 नल-जल योजनायें अपूर्ण हैं जबकि 52 में से 32 नल-जल योजनायें अपूर्ण हैं. तीसरा, मेरे प्रश्न का उत्तर आया है कि 26 नल-जल योजनायें चालू हैं जो कि पूर्णत: असत्य है जबकि 26 में से केवल 15 नल-जल योजनायें चालू हैं.

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा कि यदि मेरी बात गलत है तो इसकी जांच कराई जाये.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर सही है लेकिन यदि विधायक जी कहते हैं कि 52 नल-जल योजनायें हैं तो मैं जांच करवा लूंगी और अतिशीघ्र सभी नल-जल योजनाओं को पूरा करुंगी.

श्री कमलेश्वर पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मेरा पूरक प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय—इससे उद्‌भूत होना चाहिये.

श्री कमलेश्वर पटेल—जी. हमारे यहां भी इसी तरह से सीधी-सिंगरोली जिले में, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भी जो नल-जल योजनायें संचालित हैं और जो जानकारी दी गई है वह गलत दी गई है. आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां भी जांच करा लें.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, आपके यहां का उल्लेख इसमें नहीं है.

प्रश्न संख्या—3 (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या—4 (अनुपस्थित)

श्री मुकेश नायक—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा चौथे नंबर का प्रश्न था.

अध्यक्ष महोदय—अब यह अगले राउंड में आयेगा. अब मैंने देवेन्द्र वर्मा जी को पुकार लिया है.

श्री बाबूलाल गौर—आपको समय पर आना चाहिये था.

अविवादित नामान्तरण/बंटवारा प्रकरणों का निराकरण

5. (*क्र. 2441) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109-110 में अविवादित नामान्तरण करने के अधिकार पटवारी/राजस्व निरीक्षक में निहित हैं? (ख) यदि हां, तो क्या इन प्रकरणों का त्वरित निराकरण पटवारी/राजस्व निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो खण्डवा जिले की तहसील खण्डवा के कार्यालय में इनके कितने अविवादित नामान्तरण प्रकरण कब से लम्बित हैं और क्यों? (ग) क्या यह सही है कि भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178, 178(क) में अविवादित बंटवारा प्रकरणों का निराकरण करने के अधिकार पटवारी/राजस्व निरीक्षक में निहित है? (घ) यदि हां, तो क्या इन प्रकरणों का त्वरित निराकरण पटवारी/राजस्व निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो खण्डवा जिले की तहसील खण्डवा के कार्यालयों में एक वर्ष से अधिक समय के कितने बंटवारा प्रकरण लम्बित हैं और क्यों? (ङ) क्या इन प्रकरणों का निराकरण तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा किये जाने से ग्रामीण किसान, महीनों तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर हैं? यदि हां, तो क्या ये अधिकार पुनः पटवांरी/राजस्व निरीक्षकों को दिये जाएंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह)—(क) जी नहीं. (ख) खंडवा में अविवादित प्रकरणों की जानकारी निरंक है. (ग) जी नहीं. (घ) खंडवा में अविवादित प्रकरणों की जानकारी निरंक है. (ड.) खंडवा जिले की सभी तहसीलों में तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा अविवादित नामांतरण / बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है. शेष प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता.

श्री देवेन्द्र वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न प्रदेश के सभी किसानों से जुड़ा हुआ है. ग्रामीण हल्कों में पटवारियों की कमी है और पूर्व में फोती नामान्तरण, अविवादित नामान्तरण और बंटवारे के अधिकार आर आई और पटवारियों को थे लेकिन उनका केन्द्रीयकरण कर दिया गया है जिसके कारण तहसील में लंबे समय तक कई प्रकरण लंबित हैं. क्या मंत्रीजी इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे कि फोती नामान्तरण, अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरण कुछ समय सीमा में जैसे एक माह या 15 दिन में निपटा दिये जायेंगे. दूसरा मेरा प्रश्न है कि एमपीएलआरसी की धारा 24 के तहत आर आई को जो अधिकार थे वे अधिकार उनसे ले लिये गये हैं जिसके कारण इस प्रकार के प्रकरणों में देरी हो रही है. क्या मंत्रीजी इस प्रकार का निर्णय लेंगे कि यह अधिकार आर आई और पटवारी को पुन: दिया जाये.

श्री रामपाल सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार तहसीलदार ,नायब तहसीदार को दिये हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि यह अधिकार आर आई और पटवारी को दें, इस पर विचार करेंगे। दूसरा समय सीमा की बात है तो अविवादित नामांतरण के विषय में भी समय निश्चित है, और जो विवादित है उनके विषय में भी हमने कहा है कि नामांतरण सिटीजन चार्टर के अनुसार हमने समय दिया हुआ है, 30 दिवस के अन्दर हमने अविवादित नामांतरण का समय दिया है उससे सारे काम हो रहे है। फिर भी मेरा माननीय विधायक जी से आग्रह है कि कहीं लेट लतीफी हो रही है तो आप लिखकर दे दीजिये हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री देवेन्द्र वर्मा:- अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

सागर संभाग अंतर्गत उपसंचालक कृषि के पदनाम खातों में जमा राशि बावत्

6. (*क्र. 2336) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग अंतर्गत उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अपने पदनाम से बैंकों में खुले खातों में केन्द्र शासन/राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की कितनी राशि रखे हैं? जिला, वर्ष, बैंक, राशि सहित बतायें? (ख) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ-1/2009/नियम भोपाल दिनांक 20-2-2009 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि 28 फरवरी, 2009 तक समस्त बैंक खातों को बंद कर राशि शासकीय कोष में जमा करावें? (ग) जब राशि का वास्तविक व्यय/भुगतान नहीं होना था तब कोषालय से राशि आहरण बैंक खाते में पैसा क्यों जमा किया गया? प्रश्नांकित ''ख'' परिपत्र अनुसार खाते में जमा राशि के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड कितना किससे वसूला गया है? वित्त विभाग के नियम नहीं मानने वाले दोषियों से कब तक अर्थदण्ड वसूलकर, क्या कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) सागर संभाग अंतर्गत उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अपने पदनाम से आफ बजट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बैंकों में खुले खाते में केन्द्र/राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की जमा राशि का विवरण †संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-1/2009/नियम/चार, दिनांक 10 फरवरी, 2009 द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित प्रावधान किया गया है. यह प्रावधान वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये खातों पर लागू किया गया है. जिलों में आफ बजट योजनाओं के संचालन हेतु शासन के निर्देश क्रमांक बी-8/17/07/14-2, दिनांक 21 नवंबर, 2007 के परिपेक्ष्य में खोले गये हैं. (ग) कोषालय से आहरित राशि के बैंक में जमा होने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं :—

1. शासन के आदेश क्रमांक डी-17-9/2010/14-3, दिनांक 5-7-2010 अनुसार विभाग के अधीन क्रियान्वित योजनाओं में किसानों को देय अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाना है. कृषकों को अनुदान भुगतान हेतु राशि कोषालय से आहरित की जाकर उनके बैंक एकाउन्ट में जमा की गई, किन्तु कुछ कृषकों को बैंक खाता नंबर नहीं होने या सही नहीं होने से राशि का वास्तविक व्यय/भुगतान नहीं किया जा सका.

2. प्रशिक्षण, भ्रमण आदि घटकों की राशि के अग्रिम आहरण पर शासन से छूट है. अत: शेष राशि बैंक में जमा रहती है जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है.

3. यदाकदा आहरित राशि अनुदान इकाई के मापदण्ड को पूर्ण नहीं करने के कारण भी अव्यीत शेष रह जाती है.

उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री हर्ष यादव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया है उसमें इन्होंने आफ बजट का उल्लेख किया गया है, जबकि मेरा प्रश्न यह नहीं था। तब भी सागर संभाग में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं में 2011- 12 से लेकर वर्ष 2013-14 तक कुल राशि 92 लाख, बैंक खाते में जमा है। जबकि वित्त विभाग ने 10.9.2002 को अपने परिपत्र के द्वारा राशि को कोषालय के पीडी एकाऊंट में जमा करने का निर्देश दिया था,फिर भी राशि जमा नहीं की गयी। तथा उसमें दो प्रतिशत अर्थदंड का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 11-1/2009 नियम चार में में इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि कोषालय से राशि का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक व्यय की वास्तविक

आवश्यकता न हो। सभी विभाग दिनांक 28 फरवरी, 2009 समस्त बैंक खातों को बंद कर राशि कोषालय में जमा करावें।

मेरा प्रश्न यह हैं चूंकि बुंदेलखंड का मामला है पूरे संभाग का मामला है। एक करोड़ की राशि कोषालय से निकालकर चारों पांचों उप संचालकों ने उसका दुरूपयोग किया है उन पर आप क्या कार्यवाही निश्चित करेंगे मैं यह चाहता हूं।

श्री गौरीशंकर बिसेन:- अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल गर्वनेंस ऑफ बीज ग्राम तथा आर के वाय योजना में 2010 तक इन योजनाओं में आपदा बजट राशि का आहरण होता था। यह राशि प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से डीडीए के खाते में जाती थी। इसके बाद में शासन ने नया सर्कयुलर दिया जिसके तहत आपदा बजट वाला पैसा तो चूंकि पहले से वहां आहरित है उन खातों में है। इसलिये पैसे का कहीं पर भी दुरूपयोग नहीं हुआ है। रहा सवाल राज्य की योजनाओं के पैसे जो राज्य के माध्यम से जाते हैं, उसमें दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ में एक भी राशि शेष नहीं बची है, सागर में जरूर कुछ राशि अधिक है, जिसमें कि 72 लाख रूपया राज्य के अंश का पैसा हितग्राहियों को और जो संस्थाओं को जाना था, वह नहीं जा सका है। उसके संदर्भ में हमने इसको संज्ञान में लिया है। मैं सदन के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक पन्ना का सवाल है , पन्ना में राज्य का सिर्फ 34 हजार रूपये का भुगतान बाकी था जिसमें से 30 हजार रूपये का भुगतान कर दिया गया है, और 4 हजार रूपये का भुगतान इसलिये नहीं हुआ है कि एक नलकूप की एक टेस्ट स्कील्ड की रिपार्ट नहीं आयी थी, जब रिपोर्ट आ जायेगी इसका भुगतान कर दिया जायेगा। सागर का सवाल है तो सागर के संदर्भ में निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि 72 लाख रूपये खाते में डीडीए को नहीं रखना चाहिये और इस संदर्भ में पूर्व के डीडीए के ऊपर हमने कार्यवाही भी की थी, इसके लिये मैं सदन के माध्यम से मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दो वरिष्ठ अधिकारियों की हम जांच टीम बनाकर के इसकी वास्तविकता की जानकारी ले लेंगे और यदि किसानों के खातों में, संस्थाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करना होगा तो कर देंगे और यदि करने योग्य नहीं होगा तो राज्य के खजाने में पैसा वापस कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय:- आपका पूरा उत्तर आ गया है।

श्री हर्ष यादव :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तरी में जो जानकारी दी है, पूरे संभाग की जानकारी दी है और मंत्री जी ने मात्र सागर जिले को केन्द्रित किया है। यह पूरे संभाग का मामला है।

अध्यक्ष महोदय:- मंत्री जी ने अभी बताया है कि सागर में राशि बची है, यह बताया है।

श्री हर्ष यादव:- अध्यक्ष महोदय, सातों जिलों में राशि शेष है और इसके लिये वहां पर चार साल से जो जेडीए पदस्थ है, उन्होंने क्या कार्यवाही करी, यह जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय:- मंत्री जी जांच कराने का बोल तो रहे हैं।

श्री हर्ष यादव :- अध्यक्ष महोदय, जांच कराने से क्या होगा, वहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जिन किसानों ने पैसा दिया है उसको 2011-12 से अभी तक क्यों रोका गया है। यह पूरे संभाग का मामला है, बुंदेलखंड का मामला है। मेरा यह प्रश्न है कि पूरे संभाग के डीडीओ और जेडीए के ऊपर क्या कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

श्री गौरीशंकर बिसेन – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराया कि दमोह,छतरपुर,टीकमगढ़ में राज्यांश का एक भी पैसा शेष नहीं है और रहा सवाल पन्ना का का तो पन्ना का मात्र 34 हजार का भुगतान था उसमें से 30 हजार का भुगतान कर दिया गया और 4 हजार यदि भुगतान योग्य नहीं होगा तो वापस खजाने में आ जायेगा. रहा सवाल सागर का तो मैंने स्वयं कहा कि राज्यांश का 72 हजार रुपया हम अभी स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है कि किसानों को कितना पैसा देना है और कितना पैसा राज्य के खजाने में वापस आएगा. मैं इसकी जांच के लिये आज उच्च स्तरीय समिति की जांच की घोषणा करता हूं और माननीय सदस्य को मैं अवगत भी कराऊंगा और सदस्य चाहें तो उस जांच में स्वयं सम्मिलित रहें. मैं इनको उस जांच में सम्मिलित करने की आज सदन के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं.

अध्यक्ष महोदय – धन्यवाद.

प्रश्न क्र.7(अनुपस्थित)

प्रश्न क्र.8(अनुपस्थित)

श्री रामनिवास रावत - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है.

अध्यक्ष महोदय – पूरा विषय आ गया.

श्री रामनिवास रावत - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजनाओं की राशि को कहीं और खर्च कर देते हैं.

श्री गौरीशंकर बिसेन – माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं हेराफेरी नहीं है. पैसा बैंक के अकाउंट में है. अकाउंट में नहीं होता तो हेराफेरी मानते. एक नये पैसे की हेराफेरी नहीं है.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न क्र.9, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया.

प्रश्न क्र.9(अनुपस्थित)

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न क्र. 10, श्री कैलाश चावला

प्रश्न क्र.10 (अनुपस्थित)

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न क्र.11, श्री कमलेश्वर पटेल

श्री गौरीशंकर बिसेन – माननीय अध्यक्ष महोदय, बैंक अकाउंट में पैसा है. प्रतिभावान मंत्री के रहते हुए.

(..व्यवधान..)

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपस में मंत्री और विधायक को चर्चा नहीं करनी चाहिये. अध्यक्ष को संबोधित करके करना चाहिये.

(..व्यवधान.)

अध्यक्ष महोदय – दूसरे सदस्यों के प्रश्न आने दें. कृपया बैठें . बात हो गई है जांच करवा रहे हैं.

नर्सरियों में कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान

11. (*क्र. 2753) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सीधी/सिंगरौली जिलों में विभिन्न नर्सरियों में वर्ष 2013-14 एवं 2014 में कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हां, तो कब तक किया जायेगा? नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांक ''क'' जिले में कितने प्रकार की नर्सरियां हैं, औषधीय वन, पौधे, फल-फूल सहित प्रजातिवार स्थापित ग्राम एवं वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक रोपित एवं बिक्रित पौधों सहित विवरण दें? (ग) प्रश्नांक ''ख'' कार्य में क्रय राशि, शासन से प्राप्त राशि एवं सघन वृक्षारोपण के अंतर्गत रोपे गये पौधों, ग्रामवार वर्तमान स्थिति में जीवित एवं मृत पौधें सहित मजदूरी भुगतान की जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) सीधी/सिंगरौली जिलों में विभिन्न स्थापित नर्सरियों में वर्ष 2013-14 एवं 2014 में कराये गये कार्यों की मजदूरी के भुगतान हेतु देयक जिला कोषालय में प्रस्तुत किये गये हैं. कोषालय से राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जावेगा. (ख) सीधी जिले में 5 नर्सरियां स्थापित हैं :—

1. शासकीय उद्यान रोपणी, रौहाल, वि. ख. कुसमी (वर्ष 1992-93)
2. शासकीय उद्यान रोपणी, सीधी, वि. ख. सीधी (वर्ष 1992-93)
3. शासकीय संजय निकुंज, बरदैला, वि. ख. रामपुर नैकिन (वर्ष 1979-80)
4. शासकीय संजय निकुंज, चन्दोहीडोल, वि. ख., मझौली (वर्ष 1979-80)
5. शासकीय संजय निकुंज, कसौली, वि. ख. सिंहावल (वर्ष 1979-80).

सिंगरौली जिले में 2 नर्सरियां स्थापित हैं :—

1. शासकीय संजय निकुंज, जियावन, वि. ख. देवसर (वर्ष 1979-80)
2. शासकीय उद्यान रोपणी, कुड़ैनिया, वि. ख. चितरंगी (वर्ष 1992-93)

विभाग द्वारा ग्रामस्तर पर प्रजातिवार नर्सरियों की स्थापना नहीं की जाती है. अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में यह नर्सरियां पूर्व से स्थापित हैं. विभाग द्वारा सघन वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जाता है. अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. विभागीय रोपणियों में जो फल पौध उत्पादन किया जाता है उन्हें विभागीय योजनाओं में आदान सामग्री के अंतर्गत कृषकों को उपलब्ध कराया जाकर राशि के अनुदान में समायोजन किया जाता है.

श्री कमलेश्वर पटेल - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे इसमें जो भुगतान की जानकारी दी गई है तो बाकी जानकारी से तो हम संतुष्ट हैं परंतु कोषालय से राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा तो कोषालय से राशि कब प्राप्त होगी और मजदूरों को भुगतान कब तक होगा इसकी कोई तिथि माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करके बताएंगी ?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि आहरित हो गई है बैंक में जमा कर दी गई है जैसे ही बैंक से राशि मिलेगी भुगतान कर दिया जाएगा.

श्री कमलेश्वर पटेल - माननीय अध्यक्ष महोदय, मजदूरों का मामला है. काफी समय से पेंडिंग है. उनके लिये बहुत बड़ी बात है और इस तरह से कोषालय से राशि पता नहीं कब आएगी. कितने वर्षों में आएगी. यह वर्षों पुराना मामला है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, हर चीज के नियम-कानून होते हैं. नियम-कानून के अंतर्गत ही काम होते हैं. जैसे ही राशि आहरित होगी दे दी जायेगी.

श्री कमलेश्वर पटेल - माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम, कायदे होते हैं परंतु इतने संवेदनशील मामले पर क्या शासन पहल नहीं करेगा. मंत्री महोदया इसकी कोई समय-सीमा सुनिश्चित कर दें कि 10 दिन, 15 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा ?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा बैंक से पूछकर बता दूंगी.

श्री कमलेश्वर पटेल - माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे जिरह नहीं करना चाहते. आप व्यवस्था दे दें.

अध्यक्ष महोदय – अतिशीघ्र करवा दें. मजदूरों का प्रकरण है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान जानकारी के अनुसार पैसा भुगतान हो चुका है.

श्री कमलेश्वर पटेल - माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं हुआ है.

अध्यक्ष महोदय – अभी तत्काल जानकारी आई है.

श्री कमलेश्वर पटेल - माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने का अधिकारियों द्वारा काम किया जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय – उन्होंने सदन में उत्तर दिया है कि भुगतान किया जा चुका है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने वाला आरोप सही नहीं है. जो जानकारी अभी-अभी मुझे मिली है वह मैंने बताई. बैंक में पैसा चला गया है और बैंक से भी मजदूरों को भुगतान हो गया है.

श्री कमलेश्वर पटेल - माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक नहीं हुआ था.

अध्यक्ष महोदय – आप अपनी जानकारी अपटुडेट करिये.

श्री कमलेश्वर पटेल - माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा हो जाए 1-2 दिन में तो हम आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं.

मुख्यमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता

12. (*क्र. 2484) श्री तुकोजी राव पवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास जिले के देवास विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने-अपने पंचायत में जो आवेदन आए थे अथवा शासकीय तौर पर जिन हितग्राहियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ होना है, उसके प्रस्ताव सचिव पंचायत एवं पटवारियों के माध्यम से तहसील कार्यालय में भेजे गए? (ख) यदि हां, तो जब से, जिस दिनांक से योजना पूर्ण म. प्र. में लागू हुई, तब से केवल देवास विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों से आज दिनांक तक कितने प्रस्ताव आए? उनमें से कितनों को इस योजना का लाभ मिला और शेष कितने रह गए? जो रह गए, उनका क्या कारण था? वर्षवार एवं पंचायतवार नाम सहित बतावें? (ग) क्या इस योजना को प्राप्त करने के लिए कोई नियम या आवश्यक दस्तावेज देने पर ही योजना का लाभ मिलता है? वह नियम एवं दस्तावेज क्या हैं, स्पष्ट करें? (घ) क्या अभी तक जिन हितग्राहियों को उपरोक्त योजना का लाभ मिला है, उन सभी ने बताए जा रहे नियमों का पालन किया है? इस प्रक्रिया में यदि कोई गलती पाई जाती है, तो क्या संबंधित अधिकारी के ऊपर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) - माननीय अध्यक्ष महोदय,

(क) जी हां।

(ख) कुल 978, मे से कुल 712 हितग्राहियों को, लाभ मिला। शेष रह गये हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2014–15 में लाभान्वित किया जा सकेगा। विस्तृत जानकारी का परिशिष्ट "अ" पुस्तकालय में रखा गया है।

(ग) नियम तथा शासन निर्देशों की जानकारी का परिशिष्ट "ब"पुस्तकालय मे रखा गया है।

(घ) जी हां।

श्री तुकोजीराव पवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के ख में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अभी भी कई हितग्राही लाभ मिलने से वंचित हैं और वर्ष 2014-15 में लाभान्वित किया जाएगा और मैंने इसके नियम के उल्लेख का भी पूछा है जो आपके द्वारा जानकारी दी गई है उसमें आप यदि

बिन्दु 4 से 6 तक देखें तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि तहसीलदार को कितने दिनों के अंदर इन प्रकरणों को पूरा करके बैंकों को भेजना ? तो अभी तक भी पूरे एक वर्ष से ऊपर तक इन हितग्राहियों को यह लाभ तहसीलदार क्यों नहीं दे पाये और यह जो आंकड़े इसमें दिये जा रहे हैं कुल 978 क्या यह भी आंकड़े अपने आप में गलत हैं, इसलिये कि मेरे पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं हर पंचायत के लेकर आया हूं मैं इसको नहीं चाहता कि इसको पटल पर रखूं आपकी आज्ञा हो तो पंचायत की सारी फाइले पटल पर रखने के लिये तैयार हूं.

अध्यक्ष महोदय—नहीं.

श्री तुकोजीराव पवार—अध्यक्ष महोदय, हजारों की संख्या में तहसीलदार के पास में पंचायतों के प्रस्ताव आज भी विचाराधीन हैं जिसमें वह मानने को तैयार नहीं हैं और तीसरी बात उन्होंने कही है कि कोई भी बिना गलत नियम के उन्होंने अभी तक एक भी हितग्राहियों को नहीं दिया है तो मेरा तहसीलदार देवास के ऊपर आरोप है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट रूप से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या तहसीलदार को निलंबित करके इसकी पूरी जांच करवाएंगे ?

श्री रामपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसील का काम भू-अधिकार पत्र देने का है बाकी जनपद का बैंक में भेजना है, यह प्रक्रिया जनपद की रहती है इसमें 978 कुल आवेदन थे 712 हितग्राहियों को इसका लाभ मिल गया है, 266 शेष रह गये हैं, लेकिन पवार जी हमारे पूर्व मंत्री एवं हमारे साथी भी हैं अगर उनके पास इस तरह की अन्य शिकायतें लापरवाही एवं अनियमितताओं की हैं तो निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही करेंगे. 30 दिवस में जारी करने के अधिकार तहसीलदारों को हैं इसमें उन्होंने लापरवाही की है तो उन पर हम सख्त कार्यवाही करेंगे.

श्री तुकोजीराव पवार—अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्ट कर दें कि क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं जिस पर मैं उन पर कार्यवाही कर सकूं पवार साहब लिखकर के देंगे कि यहां यहां पर अनियमितता हुई है तो तुरंत उस पर कार्यवाही करेंगे.

श्री तुकोजीराव पवार—अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण की जांच करा लेंगे क्या ?

श्री रामपाल सिंह—जांच करवा देंगे.

प्रश्न क्रमांक 13

प्रशिक्षण का लाभ कृषकों को देने बाबत्

13. (*क्र. 1669) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले में आत्मा योजनान्तर्गत प्रशिक्षण एवं भ्रमण के लक्ष्य दिये गये थे? जनवरी 12 से प्रश्नांश दिनांक तक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश ''क'' के पालन में प्रशिक्षण एवं भ्रमण आयोजित किए गए प्रशिक्षण एवं भ्रमण दिनांक, स्थल, उपस्थित व्यय, प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण एवं उपस्थित कृषकों के संबंध में समाचार पत्रों के विज्ञापन की कटिंग की जानकारी दें? (ग) आत्मा प्रशिक्षण एवं भ्रमण के लिए विगत पांच वर्ष में कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ है और कितना व्यय किया गया है कितना बजट शासन को वापस भेजा गया, जानकारी दें? (घ) आत्मा प्रशिक्षण के लिए बजट 2013 व 2014 में प्रशिक्षण और भ्रमण में कृषकों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई, जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हां. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है. (घ) वर्ष 2013-14 में कृषकों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण का लाभ प्राप्त हुआ है. शेष का प्रश्न नहीं उठता.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है तथा शासन की मंशा है कि कृषि को लाभकारी धंधा कैसे बनाया जाये कृषकों को बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्नत किस्म की पैदावार की जाय तथा किसानों को बेहतर सुविधा दी जाय, किन्तु अधिकारियों के कारण आत्मा योजना को निष्क्रिय बना दिया गया है. वर्ष 2012-13 में आणन्द कृषि विश्वविद्यालय गुजरात के प्रशिक्षण में 12 कृषक गये हुए थे इसी प्रकार ग्वालियर, भिंड, उज्जैन, सीहोर, शिवपुरी, ओरछा आदि स्थानों से कृषि प्रशिक्षण के लिये गये हुए थे इसका किसी भी पेपर में प्रचार-प्रसार क्यों नहीं किया गया अगर प्रचार-प्रसार ठीक ढंग से नहीं होगा, किसानों को मालूम नहीं पड़ेगा तो कृषि लाभ का धन्धा कैसे हो सकता है, इसमें मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री गौरीशंकर बिसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो इनसे भाभी जी ने करवाया है, क्योंकि जितने किसान भ्रमण पर गये थे भाभी जी ने उनको हरी झंडी दिखाकर प्रशिक्षण में भिजवाया इनकी श्रीमती थीं जिला पंचायत भिंड की अध्यक्ष हैं और हमने जितने भी कृषकों को भेजा सारे कृषक भाभी जी से आशीर्वाद लेकर के गये हैं. (हंसी)

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया—जैसे भाभी जी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं.(हंसी)

श्री गौरीशंकर बिसेन—अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत की अध्यक्ष थीं. (हंसी)

माननीय सदस्य की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आत्मा की विकास खंड स्तरीय समिति है जिसमें कृषकों का चयन होता है और उसके लिये जी.व्ही.कमेटी कलेक्टर की अध्यक्षता में कृषकों के चयन को अंतिम रूप देती है. मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पेपरों में विज्ञापन नहीं आये हैं यह पूरे पेपरों के विज्ञापन हैं मैं माननीय सदस्य को इनकी कापी भी दे दूंगा. अगली बार माननीय सदस्य और कहीं हमारे कृषकों को जहां कहीं पर भी भेजना चाहेंगे इनसे भी सलाह-मशविरा करके माननीय सदन के सारे माननीय सदस्य जो भी किसानों के लिये अनुशंसा करेंगे जिले के भ्रमण के लिये, राज्य के भ्रमण के लिये और राज्य के बाहर के भ्रमण के लिये सिफारिश देंगे उन पर हम ध्यान देंगे और किसानों तक अच्छी तकनीकी पहुंचाने के लिये प्रदेश की कृषि को और उच्चतम उंचाई तक पहुंचाने के लिये यह सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और हम कृषि में उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे, सदन का मैं सहयोग चाहूंगा.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषक परीक्षण में 2009-10, 10-2011 और 2011-12 में राज्य के बाहर की राशि क्यों समर्पित की गई ? कृषक परीक्षण में राज्य के अंदर 2009-10, 2011-12 राज्य के बाहर की राशि समर्पित की गई, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषक भ्रमण राज्य के अंदर 2011 में 2012 में राज्य की बाहर की राशि समर्पित की गई है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मन्शा के अनुसार...

अध्यक्ष महोदय--ठीक है, आपका प्रश्न हो गया कि राशि लैप्स क्यों हो गई ?

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह--अभी नहीं हुआ है, लैप्स राशि, समर्पित राशि के लिये उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री गौरीशंकर बिसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण और भ्रमण में राशि लैप्स नहीं होती है, माननीय सदस्य को और इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं यह राशि कैरीफारवर्ड होत है अगले वर्ष में जमा रहती है.

अध्यक्ष महोदय--अगले वर्ष के लिये आ जाती है.

श्री गौरीशंकर बिसेन--अगले वर्ष में जमा रहती है और इसीलिये यह सही नहीं कि हमारे अधिकारियों से कोई गल्ती हुई, चूंकि किसान धीरे-धीरे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और अब तो हम विदेश भेजने जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैं एक बात कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से माननीय सभी सदस्यों को कि आप लोग इसमें हमें सुझाव दें, हम आपके सुझाव का सम्मान करेंगे, मध्यप्रदेश के किसानों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण मिले, इसकी हम चिन्ता करेंगे.

प्रश्न संख्या (14)---

किसानों को कीटनाशक दवा के नाम पर विभाग की मनमानी

14. (*क्र. 1499) श्रीमती ललिता यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा पैस्टी साईड (कीटनाशक दवा) के लिये छतरपुर जिले को वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कितना-कितना अनुदान दिया गया था? (ख) प्रश्नांश ''क'' के प्रकाश में कीटनाशक दवा किस-किस संस्था द्वारा दी गई? दवाई का नाम, संस्था का नाम, भुगतान की राशि वर्षवार बतावें? (ग) सप्लाई की गई कीटनाशक दवा किस प्रकार संस्था द्वारा विभाग को भेजी गई, बतायें? (घ) उक्त अवधि में सप्लाई की गई कीटनाशक दवा की टैस्टिंग किसके द्वारा की गई, बतावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विवरण †संलग्न प्रपत्र ''अ'' पर है. (ख) विवरण †संलग्न प्रपत्र ''अ'' पर है. (ग) विभिन्न संचालित योजनाओं में प्रावधान एवं लक्ष्यों के अनुसार कीटनाशक औषधि की मांग एमपी एग्रो से की गई. तदनुसार संस्था द्वारा विभाग को भेजी गई. (घ) विवरण †संलग्न प्रपत्र ''ब'' पर है.

श्रीमती ललिता यादव--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो कीटनाशक दवा विभाग द्वारा खरीदी गई थी, वह सभी दवायें एक ही वेट की थीं या अलग-अलग वेट की थीं और परीक्षण सभी वेट का कराया गया या एक ही वेट का कराया गया जैसे..

अध्यक्ष महोदय--हां, ठीक है आपका प्रश्न आ गया, उदाहरण मत दीजिये.

श्रीमती ललिता यादव--जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न घ के उत्तर में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि एक कीटनाशक दवा की जांच ट्राईजोफास की केन्द्रीय प्रयोगशाला फरीदाबाद....

अध्यक्ष महोदय--पहले एक उत्तर ले लें आप.

श्रीमती ललिता यादव-जी.

श्री गौरीशंकर बिसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ट्राईजोफास और क्लोरोफाइसिनफास इनकी जांचें हमने केन्द्रीय स्तर के संस्थानों से कराई हैं और यह जांच के बाद जो फरीदाबाद हरियाणा से जांच आआई , आधारताल जबलपुर से जांच आई और दूसरी फरीदाबाद से सभी जांचें मानक स्तर की पाई गईं और एक भी दवा अमानक स्तर की नहीं पाई गई और जब भी सैंपल होते हैं, तो उसकी जांच होती है चाहे वह कीटनाशक हो, चाहे अन्य हमारे सीड क्यों ना हों यदि हमारे अमानक होते हैं तो उस पर हम कार्यवाही करते हैं, यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी.

श्रीमती ललिता यादव--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वेट की बात भी कही है मननीय मंत्री जी से कि जैसे 1 के.जी. या 2 के.जी. या 500 मिलीग्राम, तो क्या एक ही वेट की जांच कराई गई या अलग-अलग वेट की माननीय मंत्री जी मैं यह जानना चाहती हूं.

श्री गौरीशंकर बिसेन--देखिये, हम तो सप्लाई के लिये एग्रो को अथवा मार्फेड को लिखते हैं और मार्फेड के माध्यम से हमारा किसान दवायें उठाता है. अब तो हमने किसानों को कह दिया है कि जो हमारी मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं, उनसे सीधे भी ले सकते हैं अनुदान देने की स्थिति में अब इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: यह परंपरा है कि जो भी माल सप्लाई होता है, उसके सैंपल लिये जाते हैं और उसकी जांच लैबोरेट्री में कराई जाती है.

अध्यक्ष महोदय--अब आप बैठें, आपका प्रश्न रोज आता है अब आप कृपा करके दूसरे सदस्यों को पूछने दें.

श्रीमती ललिता यादव--मेरा बस एक ही प्रश्न है माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रयोगशाला, फरीदाबाद से जांच हुई है और दूसरी क्लोरोपायरीफास की जांच फरीदाबाद से नहीं हुई है, जबलपुर से हुई है माननीय मंत्री जी और विभाग ने एक दवाई और खरीदी है.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, प्रश्न क्या है आपका ? टेस्टिंग कहां से होती है वह बता चुके हैं.

श्रीमती ललिता यादव--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि केन्द्रीय उससे जांच हुई और ईमीडाक्लोपिड इसकी कोई जांच नहीं कराई गई है मंत्री जी, बिना जांच के दवाई सप्लाई हुई है, तो मंत्री जी इसमें बतायें.

श्री गौरीशंकर बिसेन--सामान्यत: सभी के सैंपल लिये जाते हैं और यह परंपरा है कि बिना जांच के हम किसानों तक वह माल नहीं पहुंचाते, अब इसमें क्लाज अलग-अलग होते हैं जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, उसकी जांच का मैंने आपको विवरण दिया है और किसी क्लाज के बारे में संदर्भ में माननीय सदस्य मुझसे जानकारी चाहेंगे, तो मैं पृथक से जानकारी देकर उनको अवगत करा दूंगा.

श्रीमती ललिता यादव--धन्यवाद, माननीय मंत्री जी.

प्रश्न संख्या (15)--.....

छिन्दवाड़ा में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में

15. (*क्र. 2301) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के तहसीदार/नायब तहसीलदार के न्यायालयों में दिनांक 31-5-2014 की स्थिति में दर्ज निराकृत शेष राजस्व प्रकरणों की जानकारी से न्यायालयवार अवगत करावें? (ख) तहसीलदार चांद, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा के साथ जानकारी दें? (ग) क्या यह सही है कि तहसीलदार चांद, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा प्रकरणों का समय-सीमा में तत्परता से निराकरण नहीं किया जा रहा है? (घ) क्या शासन तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा में व्याप्त अनियमितता की जांच कराने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) उपरोक्त प्रश्न भाग के संबंध में छिन्दवाड़ा जिले की राजस्व न्यायालयों में तहसीलदार/नायब तहसीलदार के न्यायालयों में दिनांक 31-5-2014 की स्थिति में कुल 71402 प्रकरण दर्ज होना पाये गये, जिसमें आलोच्य अवधि में 64369 प्रकरण का निराकरण किया गया है, शेष 7033 प्रकरण लंबित हैं. जानकारी ††संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) राजस्व प्रकरणों में निराकरण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के सिटीजन चार्टर में निर्धारित की गई समय-सीमा के अनुसार निराकरण किया जा रहा है. (ग) उपरोक्त प्रश्न भाग के संबंध में तहसीलदार, चांद द्वारा उपरोक्त के संबंध में पत्र क्र. 226, दिनांक 20-6-2014 के अन्तर्गत अवगत कराया जा रहा है. कुछ प्रकरणों में निरंतर निर्वाचन कार्य विधान सभा, लोकसभा, स्थानीय निकायों तथा अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण विलम्ब हुआ है. (घ) उपरोक्त प्रश्न भाग के संबंध में तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा में व्याप्त अनियमितता के संबंध में कोई भी शिकायतें जिला प्रशासन के ध्यान में नहीं लाई गई हैं.

पं. रमेश दुबे--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न क के उत्तर में यह बताया गया है कि चांद तहसील न्यायालय में एक वर्ष की कम अवधि के 282 और एक वर्ष से अधिक अवधि के 4 लंबित मामले बताये गये हैं. 4 लंबित मामले बताये गये हैं. मेरा कहना है कि यह जो उत्तर दिया गया है, यह सदन में गलत जानकारी दी गयी है. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी किसी वरिष्ठ अधिकारी से मेरी उपस्थिति में जांच कराई जायेगी. मेरे प्रश्नांश ख के उत्तर में बताया गया है कि समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाता है. मेरा यह कहना है कि तहसील चांद में जो प्रकरण पंजीकृत किये जाते हैं, उन्हीं किसानों के प्रकरण निराकृत किये जाते हैं. लेकिन बहुत सारे अपंजीकृत प्रकरण वहां लंबित पड़े हैं, लोग

घूम रहे हैं, लेकिन उनके प्रकरण पंजीकृत नहीं किये जा रहे हैं. यह स्थिति चांद तहसील में है. इस विषय में क्या मेरी उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाई जायेगी.

श्री रामपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, सिटीजन चार्टर के हिसाब से एक माह में अविवादित नामांतरण को निपटाने का का निर्देश है. बंटवारे का भी एक माह का है. विवादित नामांतरण का भी 120 दिवस है. ऐसे निर्देश हैं. इसके बाद भी अगर कोई प्रकरण वहां पर लंबित हैं, तो उनकी हम विधायक जी कह रहे हैं, तो जांच करा सकते हैं. दूसरा जो लंबित प्रकरणों की संख्या आपने बताई है. एक साल से कम अवधि के प्रकरण आपके 4 हैं. यह थोड़ा चार प्रकरण गंभीर हैं, इतना लेट क्यों है. इसका परीक्षण करायेंगे. इसकी आपने जो मांग की है, उसके हिसाब से विधायक जी कह रहे हैं, तो इसकी जांच करा लेंगे.

मुआवजा राशि में गंभीर अनियमितता

16. (*क्र. 1349) कुंवर विक्रम सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिले के राजनगर तथा लवकुशनगर तहसीलों में फसलों के नुकसान के संबंध में वर्ष 2014 को कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ? तथा किस आधार पर मुआवजा दिया गया? (ख) राजनगर तथा लवकुशनगर क्षेत्र के किसानों से गंभीर अनियमितताओं की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं (ग) शासन के दिशा-निर्देशों के विपरीत चना की फसल का मुआवजा किसानों को दिया गया? क्या इस संबंध में पुन: सर्वे कराने हेतु कोई कमेटी अधिकारियों की गठित की गई? यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों? (घ) दोषी/कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) राजनगर तहसील हेतु रुपये 11,97,15,230/- का आवंटन एवं तहसील लवकुशनगर को रुपये 3,74,52,254/- का आवंटन प्राप्त हुआ. प्रभावितों को आर. बी. सी. 6-4 के मापदण्डों के तहत राशि प्रदान की गई. (ख) राजनगर क्षेत्र से 6 एवं लवकुशनगर क्षेत्र से 96 कुल 104 शिकायतें प्राप्त हुईं. (ग) राहत राशि आर. बी. सी. 6-4 के प्रावधानों के अनुसार किसानों को दिया गया. राजनगर तहसील के अंतर्गत कुछ खातेदारों के नाम त्रुटिवश छूट जाने के कारण पुन: सर्वेदल गठित कर सर्वे कार्य कराया गया. तहसील लवकुशनगर के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करायी गयी. चना फसल में आंशिक क्षति 15-20 प्रतिशत होने से निर्धारित मापदण्ड में न आने के कारण सहायता राशि प्रदान नहीं की गयी. (घ) प्रश्नांश ''ग'' की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

<u>संशोधित उत्तर</u> (ख) राजनगर क्षेत्र से 06 एवं लवकुशनगर क्षेत्र से 96 कुल 102 शिकायतें प्राप्त हुईं.

कुंवर विक्रम सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मेरे दो प्रश्न हैं. मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह शिकायतों की संख्या जो 104 है, 104 शिकायतों की संख्या में कितने कुल लोग छूट गये हैं, जिनको मुआवजा राशि नहीं मिली है. दूसरा प्रश्न यह है कि जिन कर्मचारियों ने यह जांचें की हैं, उन्होंने डेलिब्रेटली यानी द्वेषभावना पूर्ण लोगों को छोड़ा है. क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और यह जो 104 लोग छूटे हुए हैं, 104 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनका भगतान किया जायेगा कि नहीं किया जायेगा.

श्री रामपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, जो आपने पत्र लिखा था, उसमें 27 लोगों की सूची थी, उसकी जांच हो गयी. पत्र मेरे पास है.

कुंवर विक्रम सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में 104 लोगों के बारे में है.

अध्यक्ष महोदय -- आप बैठ जायें. आप उत्तर सुन लें.

श्री रामपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, 104 वह अलग थे, आपके पत्र में 27 का उल्लेख था. 104 की जो सूची का उल्लेख विधायक जी कर रहे हैं, उसकी जांच हो गई, एक परीक्षण हो गया, फिर भी आपको इसमें कोई आपत्ति है, आप लिखकर दें, मैं जांच करवाऊंगा.

कुंवर विक्रम सिंह -- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

भितरवार विधान सभा क्षेत्र में ओला वृष्टि के मुआवजे में की गई अनियमितताओं के संबंध में

17. (*क्र. 2506) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के भितरवार एवं घाटीगांव विकासखण्ड में रवी की फसल पर माह फरवरी-मार्च 2014 में ओलावृष्टि हुई थी? यदि हां तो पीड़ित किसानों को मुआवजा प्रदाय कराया गया है? (ख) तहसील घाटीगांव के ग्राम पंचायतवार एवं तहसील चीनौर के ग्राम पंचायत बनवार में कितने कृषक के खेतों में ओलावृष्टि हुई थी तथा प्रभावित कृषकों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है? (ग) ग्राम पंचायत बनवार एवं ग्राम पंचायत पार में ओलावृष्टि से हुये नुकसान के सर्वे में बहुत अनियमितता की गई है? यदि हां तो क्या पुनः जांच कराकर वंचित (प्रभावित) रह गये कृषकों को पुनः मुआवजा दिलाया जावेगा, यदि नहीं तो क्या ओलावृष्टि से वास्तविक प्रभावित कृषकों के साथ कोई और न्याय किया जावेगा, क्या अन्याय, भेदभाव एवं भ्रष्टाचार करने वाले राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित किया जावेगा? यदि हां, तो क्या और कब तक यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां. प्रभावित कृषकों को राहत राशि वितरित की गई है. (ख) तहसील घाटी गांव के ग्राम पंचायत पार में 162 कृषकों को 16,77,577/- रुपये एवं चिनौर के ग्राम पंचायक बनवार में 1333 कृषकों को 1,07,67,500/- रुपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है. (ग) जी नहीं. शेष प्रश्नांश उद्‌भूत नहीं होता.

श्री लाखन सिंह यादव -- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में जो जानकारी मैं चाह रहा था, प्रश्न को संशोधित करके प्रश्नोत्तरी में छापा गया है. यह मेरे खुद के गांव से जुड़ा हुआ प्रश्न है. ओलावृष्टि के बाद कलेक्टर ग्वालियर तत्काल इन गांवों में पहुंचे. जिन गांवों में ओलावृष्टि के बाद उन खेतों में पूरी तरह क्रॉप डेमेज हो गयी. कलेक्टर ग्वालियर के फुटेज भी वहां के हैं. कलेक्टर ग्वालियर ने उसी स्पॉट पर

जाकर यह कहा था कि यहां सौ फीसदी नुकसान हुआ है. इसमें उन्हीं व्यक्तियों के नाम मुआवजा राशि के लिये नहीं हैं. दो गांव ऐसे हैं, जहां पटवारी और आरआई ने पैसे लेकर कुछ लोगों के नाम जोड़े और कुछ लोगों के नाम नहीं जोड़े. मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन दो गांव ग्राम पंचायत बनवार और ग्राम पंचायत पार इसमें जो किसान छूट गये हैं, ओलावृष्टि के मुआवजे से, उनको आप मुआवजा दिलायेंगे कि नहीं दिलायेंगे.

श्री रामपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, विधायक जी को जानकारी तो उपलब्ध हो गयी है और हमारे पास जो जानकारी है, उसमें नाम आ गये हैं फिर भी मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कोई किसान यदि छूट गया है और जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मुआवजा वितरण में गड़बड़ी हुई है, अध्यक्ष जी, मध्यप्रदेश में जो काम हो रहे हैं आज तक नहीं हुये, आजादी के बाद पहली बार इतनी राशि किसानों को बटी है , किसानों को सस्ता खाद्यान्न भी हम बांट रहे हैं, इसके बाद हम तो समझ रहे थे कि आप धन्यवाद देंगे सीधे खाते में हम पैसा भेज रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी है तो माननीय सदस्य अगर लिखकर के देंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे.

श्री लाखन सिंह यादव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो गांव का दोबारा सर्वे करवाने में आपको क्या परेशानी है. मैं यह जानना चाहता हूं कि एक कृषक के चारो तरफ ओलावृष्टि हो गई, बीच का एक खेत कैसे बच सकता है. उसी खेत के मालिक का नाम नहीं है, चारों तरफ के लोगों के नाम हैं उनको पैसा मिल गया है, बीच के खेत के मालिक को नहीं मिला है यह कैसे संभव है कि जहां चारो तरफ ओलावृष्टि हुई है वहां बीच मे एक खेत में ओलावृष्टि नहीं हुई है. क्या चिह्नित करके ओलावृष्टि हुई ? उनको आप मुआवजा दिलायेंगे या नहीं ?

श्री रामपाल सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सारी जानकारी माननीय सदस्य को हमने दे दी है. दोनों गांव का भी सर्वे कराया है . इसमें भी अगर कोई अनियमितता हुई है तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच करायेंगे.

श्री दिनेश राय "मुनमुन"-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहेंगे. हमारे भी अतिवृष्टि पर प्रश्न लगे थे. लेकिन विधानसभा में नहीं आये हैं हमारे सिवनी जिले को भी मुआजवा नहीं दिया गया है, छोड़ दिया गया है.

अध्यक्ष महोदय-- वे आपके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पायेंगे. जहां का प्रश्न आया है उसी का उत्तर रहता है.

श्री निशंक कुमार जैन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, ओले से संबंधित माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि विदिशा जिले में मुआवजा वितरण ऐसा हुआ है कि इस तरफ वाले को मुआवजा मिल गया, उस तरफ वाले भाई को भी मुआवजा मिल गया बीच के भाई को मुआवजे का वितरण नहीं किया गया है. एक ही खेत में तीन तरह का मुआवजा दिया है. आपका संरक्षण चाहेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके बैठ जायें. जिनके प्रश्न हैं उन्हीं के नाम आयेंगे.

श्री दिनेश राय "मुनमुन"-- अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले को पूरा उड़ा दिया गया है. मुआवजा वितरण नहीं किया गया है. ढाईसो गांव को अतिवृष्टि का पैसा नहीं दिया गया है. निवेदन है कि मंत्री जी उसमें जांच करवायें.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठें. प्रश्न क्रमांक 18.

राजपुर वि. स. क्षेत्र में नलकूप बोरिंग सामान का क्रय

18. (*क्र. 2586) श्री बाला बच्चन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वि. स. क्षेत्र राजपुर में विगत 3 वर्षों में विभाग द्वारा कितने बोरिंग नलकूप खनन कहां-कहां किये गये हैं जगह, नाम, ग्राम सहित वर्षवार बतायें? (ख) जिन निजी जगहों पर विभाग द्वारा बोरिंग नलकूप खनन किए गए हैं, उनकी नाम, जगह, ग्राम सहित वर्षवार बतायें? (ग) उपरोक्त "ख" विषय में नियम बताएं? निजी भूमि में किस आधार पर किए गए? (घ) उपरोक्त अनैतिक कृत्य करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 953 नलकूप खनित किये गये. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) नियमानुसार शासकीय भूमि पर ही नलकूप खनन किये जाते हैं. परिस्थिति विशेष में शासकीय भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत एवं निजी भूमि स्वामी की सहमति तथा भूमि स्वामी से भूमि का दानपत्र प्राप्त कर नलकूप खनन किया जाता है. निजी भूमि पर कोई नलकूप खनन कार्य नहीं किया गया. (घ) उत्तरांश "ख" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री बाला बच्चन -- माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र राजपुर में विगत तीन वर्षों में कितने बोरिंग नलकूप खनन हुये हैं और वह कहां कहां हुये हैं. शासकीय जमीन पर हुये हैं या अशासकीय जमीन पर हुये हैं. मेरे प्रश्न लगाने का तात्पर्य यह था कि शासकीय जमीन के बजाए अशासकीय जमीन पर बोर शासन के द्वारा किये जा रहे हैं. मंत्री महोदय ने जबाव दिया है कि निजी जमीन के ऊपर बोरिंग नलकूप खनन नहीं किया गया है. अध्यक्ष महोदय, मैं नाम लेकर के आया हूं. सरकार कितनी होश में है. 953 बोर करने का आपने जो जबाव दिया है उसकी पूरी मैं लिस्ट लाया हूं. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि मगन पिता घटु यह देढ़ वर्ष पहले घुसगांव ग्राम पंचायत छिवाण्यापुरा में हुआ है यह मगन की निजी जमीन में हुआ है. दूसरा दिनेश पिता शंकर यह भी घुसगांव का है छिवाण्यापुरा है यह भी देढ़ साल पहले निजी जमीन पर हुआ है.

अध्यक्ष महोदय-- आप पूरा नहीं पढें आप सिर्फ संख्या बता दें कि इतने लोगों का निजी भूमि पर खनन हुआ है.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, मैं दो चार नाम बता रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- आप नाम नहीं बतायें, संख्या बता दें.बाकी सदस्यों के भी प्रश्न लगे हैं.

श्री बाला बच्चन-- मालू पिता गमरिया इसके खेत में भी हुआ है. रूगना के खेत में भी हुआ है. अध्यक्ष जी यह पूरी लिस्ट मेरे पास में है. जगदीश के खेत में हुआ है पवन अग्रवाल के घर के पीछे हुआ है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट मुझे दिलवा दें.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी भी लिस्ट को मांग रही हैं. आप कृपा करके इस विषय पर पाईटेड प्रश्न पूछ लें.

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की जानकारी में लाना अत्यन्त आवश्यक था कि सरकार क्या कर रही है, 953 बोर करने का आपने उल्लेख किया है इस लिस्ट को आप चेक करवा लें.

अध्यक्ष महोदय-- आप उत्तर लेंगे क्या. यह भाषण का समय नहीं है. प्रश्नकाल है. आप प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं.

श्री बाला बच्चन-- मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि अशासकीय जमीन में बोर करने की क्या आवश्यकता सरकार को पड़ गई थी जिनके खेतों में बोर किये हैं वह लोगों को पानी नहीं पिलाते ,तो क्यों बोर किये गये. क्या भविष्य में सरकार इस तरह की पुनरावृत्ति को रोक पायेगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियो ने ऐसा किया जो इसमे शामिल हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगी और किस समय सीमा में करेंगी, बताने का कष्ट करें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, जब कभी सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होती है तो निजी जमीन पर भी जिसका मालिकाना हक होता है उसकी अनुमति से,सरपंच की अनुमति से बोर किये जाते हैं.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, वह नियम मुझे बता दें. मेरे पास लिस्ट है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- मुझे बोलने तो दीजिए. उसमें शर्त यह होती है कि वह नलकूल सार्वजनिक रुप से काम करेंगे. उस पर निजी मालिकाना हक नहीं होगा. फिर यदि माननीय सदस्य का यह आरोप है कि निजी जमीन में नलकूप हुए हैं और उसका निजी उपयोग हो रहा है तो मैं जांच करवा लूंगी.

अध्यक्ष महोदय-- दान पत्र लिखवाया जाता है. उत्तर में भी दिया है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, दान पत्र लिखवाया जाता है और सार्वजनिक रुप से उसका पानी प्रदाय कराया जाता है.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, बड़ी संख्या में बोर हुए हैं इसलिए मैंने प्रश्न लगाया है.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्रीजी कह रही हैं आप सूची उपलब्ध करा दें.

श्री बाला बच्चन-- मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा लेकिन यह किस नियम के तहत किये.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, यह नितान्त असत्य आरोप है. अगर निजी भूमि पर बोर किये जाते हैं तो नियम-प्रक्रिया के अंतर्गत दान पत्र लिखवा कर ही किये जाते हैं अन्यथा नहीं किये जाते.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन नामों का उल्लेख किया है उनके दान पत्र पटल पर उपलब्ध करायें. दूसरा, जो नियम-प्रक्रिया आपने बतायी है. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें क्योंकि जिनके लिए आप बोर करते हैं, नलकूप खनन होते हैं उनको पानी नहीं मिल पाता है. मैंने इसलिए नामों का उल्लेख किया है. अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था तो मंत्रीजी ने नियम-प्रक्रिया को

पटल पर रखने की तैयारी क्यों नहीं की है? भविष्य में किस तरह से आप इस पर रोक लगायेंगे. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आप उत्तर तो सुन लें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- नियम-प्रक्रिया का यहां सवाल ही क्या है. यहां नियम प्रक्रिया का कोई सवाल ही नहीं है. अध्यक्ष महोदय, यदि किसी निजी जमीन पर बोर कराये गये हैं और दान पत्र नहीं है तो माननीय सदस्य हमें लिखित में दे दें हम उसकी जांच करा लेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्रीजी ने कहा है कि आप सूची उपलब्ध करा दें, उसको वह दिखवा लेंगी.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रही हैं नियम-प्रक्रिया का कोई सवाल ही नहीं उठता. निजी जमीनों पर बड़ी संख्या में बोर हुए हैं. इसको आप कैसे रोक पायेंगी.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य दान पत्र लिया जाता है. (व्यवधान)

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा कोई प्रकरण है तो वह हमें लिखित में दें हम उसकी जांच करा देंगे. (व्यवधान)

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- जहां पानी निकलेगा वहीं बोर होगा ना. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्रीजी बैठ जायें.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)-- अध्यक्ष महोदय, बड़ी विस्तार से चर्चा हो गई लेकिन सार की बात यह है कि यदि ये बोर निजी जमीन में करवाये गये तो किस नियम के तहत करवाये गये वह सदन के पटल पर रख दें और यदि लोगों से दान पत्र लिये हैं तो दान पत्र भी सदन के पटल पर रख दें और अगर बगैर नियम के करवाये गये हैं तो फिर इनको निरस्त करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात को मैं मानती हूं. मैं निवेदन कर रही हूं कि मान लीजिए यदि बाला बच्चन की नजर में कोई ऐसा प्रकरण है तो मुझे लिखित में दे दें मैं उसकी जांच करवा लूंगी. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, यह किस नियम के तहत आपने करवाये हैं यह पटल पर रख दें.

अध्यक्ष महोदय-- जांच करवाये बिना कैसे करेंगी.

श्री सत्यदेव कटारे-- जांच तो तब करायें जब हम मांग करें. जांच की मांग तो हम कर ही नहीं रहे हैं. हम तो यह कह रहे हैं कि प्रायवेट खेत में आपने बोर कराया वह किस नियम, नीति के अनुसार किया वह पटल पर रख दें जो माननीय सदस्य पूछना चाह रहे हैं. और दान पत्र लिये हैं तो वह पटल पर रखवा दें.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्रीजी स्वयं कह रही हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, इसमें पटल पर रखने की क्या बात है. दान पत्र लिखवाया जाता है. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, अब ऐसे मंत्री को तो जल्दी से आप पुरस्कार दे दें

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, कितना गैर जिम्मेदाराना जवाब है. मंत्रीजी कह रही हैं कि पटल पर रखने की क्या आवश्यकता है. अध्यक्ष महोदय, निजी जमीनों पर जो इस तरह से बोर हो रहे हैं उसको सरकार किस तरह से रोक पायेगी. बड़वानी और निमाड़ जिले में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया. लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है. (व्यवधान) मैं आपके जवाब की निन्दा करता हूं. मुझे नहीं लगता है कि आप इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोक पायेंगी. आप लोगों के निजी खेतों में बोर करा रहे हैं. 956 में से 50 प्रतिशत बोर इस प्रकार से हुए हैं. (व्यवधान)

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, यह असत्य आरोप है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य बैठ जायें. आपके प्रश्न पर बहुत चर्चा हो गई है.

श्री बाला बच्चन-- मैं असत्य कथन नहीं कर रहा हूं. मेरे पास सबके नाम हैं. (व्यवधान)

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- यह कोई तरीका है. प्रश्न पूछ रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- अब किसी सदस्य का नहीं लिखा जायेगा. (व्यवधान)

वंशानुगत मछुओं के सर्वांगीण विकास की योजना

19. (*क्र. 448) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मा. मुख्यमंत्री जी के किन्हीं निर्देशों और विभाग की किसी नीति अंतर्गत किन्हीं जिलों में किन्हीं संख्या में मछुआ क्रेडिट कार्य बनाये गये हैं? (ख) राज्य में जिला वंशानुगत मछुआ जाति के लोगों की अनुमानित जनसंख्या कितनी है और उनमें से किसानों को किस प्रकार से संगठित किया गया है और क्या मछुआ क्रेडिट कार्ड किसी जाति व वर्गों के किसी रूप में संगठित मछुओं के लिये बनाये गये हैं? विवरण देवें? (ग) राज्य की नदियों-नालों, शासकीय व निजी तालाब-जलाशयों में मत्स्य पालन-आखेटन और मत्स्य विक्रय करने वाली और विभिन्न नामों की वंशानुगत मछुआ जाति के लोगों की जनसंख्या कितनी है और उनमें से कितनों के मछुआ क्रेडिट कार्ड बनवाये गये हैं? (घ) प्रश्नांश ''घ'' के बिना क्या प्रश्नांश ''क'' से ''ग'' लोगों से मा. मुख्यमंत्री जी की मछुआ जाति के सर्वांगीण कल्याण की परिकल्पना को मूर्तरूप दिया जा सकेगा? (ङ) क्या नदियों-तालाबों में मत्स्याखेटक, मत्स्यपालक, मत्स्यविक्रेता के साथ रेत-कछार एवं सिंघाड़ा कृषि का वंशानुगत पेशा करने वाले वंशानुगत मछुआ जाति के लोगों के सर्वांगीण विकास की योजना बनायी जावेगी और मछुआ क्रेडिट कार्ड प्रदान कराये जावेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हां. प्रदेश में कुल 20172 मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये गये. (ख) प्रदेश में वंशानुगत मछुआ जाति की अनुमानित जनसंख्या 1140252 है. इनमें से मछुआ समूह एवं मछुआ सहकारी समितियों के माध्यम से 65227 व्यक्तियों को संगठित किया गया. संगठित मछुओं में से 12069 सदस्यों के क्रेडिट कार्ड बनाये गये हैं. जानकारी †संलग्न परिशिष्ट पर. (ग) राज्य की नदियाँ-नालों, शासकीय व निजी तालाब-जलाशयों में मत्स्य पालन-आखेटन और मत्स्य विक्रय करने वाली विभिन्न नामों की वंशुगत मछुआ जाति के लोगों की जनसंख्या 3,43,596 है. इनमें से प्रश्नांश ''ख'' में उल्लेख अनुसार. 12,069 क्रेडिट कार्ड बनाये गये हैं. (घ) जी हां. (ङ) जी हां. नदियों तालाबों में मत्स्याखेट, मत्स्य पालन, मत्स्य विक्रेता जो वंशानुगत मछुआ जाति के हैं उनके सर्वांगीण विकास हेतु मछुआ कल्याण बोर्ड गठित है अनुशंसाएं प्राप्त होने पर विचारोपरांत निर्णय लिया जायेगा.

श्री मोती कश्यप – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पहला प्रश्न किया था कि राज्य में जिलेवार मछुआरों की संख्या क्या है. तो उसका उत्तर संभाग में दिया गया है. मैंने यह पूछा कि मछली मारने नाव चलाने और रेत कछार करने वालों की संख्या कितनी है. उसका उत्तर तो दिया है लेकिन जो मैंने जिलेवार संख्या मांगी थी वह संभागवार दी है और संभागवार जो संख्या दी है वह बड़ी विचित्र सी है उज्जैन संभाग में 22700 दी है और ग्वालियर संभाग में 28652 दी ही जिस प्रकार से यह जनसंख्या दी है यह बहुत ही संतोषजनक नहीं है. मध्यप्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर नदी और तालाब न हों जितने बड़े तालाब होंगे जितनी बड़ी नदी होगी उतनी बड़ी आबादी उनकी होती है. यह जो आंकड़े मुझे जनसंख्या के दिये हैं यह नि:संदेह संदेहास्पद हैं यह कम से कम दुगनी होती तो मन को संतोष हो जाता. मैंने यह पूछा था कि राज्य में कितने मछुआ क्रेडिट कार्ड बनवाये गये हैं. किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं उसमें संगठित और असंगठित

का कोई प्रश्न नहीं है और मछुआरों में केवल संगठित लोगों के ही कार्ड बनाये गये हैं. वह जो नदी में मछली मारते हैं उनके कार्ड नहीं बनाये गये हैं. मेरा यह कहना है कि यह अधूरा उत्तर है. एक प्रश्न मैंने पूछा था और उसका भी बड़ा अजीब सा उत्तर दिया गया है. यह जो कहा प्रश्न घ में पूछा था कि प्रश्नांश क और घ के बिना मतलब मछुआ क्रेडिट कार्ड के बिना माननीय मुख्यमंत्री जी की मछुआरे के कल्याण की जो परिकल्पना है. क्या उसको मूर्तरूप दिया जा सकताहै. मैंने पूछा था कि के बिना , तो उत्तर मिला है कि जी हां. मेरा प्रश्न है कि मध्यप्रदेश के जितने मछुआ हैं चाहे वह संगठित हों या असंगठित हों जिनकी संख्या केवल 12 हजार के आसपास जो इन्होंने बतायी है वह बहुत संतोषप्रद नहीं है. क्या उनके मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये जायेंगे.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रेडिट कार्ड अवश्य बनाये जायेंगे और अतिशीघ्र बनाये जायेंगे.

श्री मोती कश्यप—दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि मछुआ कल्याण बोर्ड बना है आपने यह उल्लेख कियाहै. लेकिन वह 10 माह से भंग पड़ा है. कब उसकी अनुशंसा आयेगी कब उस पर विचार होगा. मेरा कहना है कि मछुआ कल्याण बोर्ड को एक माह की अवधि में पुनर्गठित कर देंगे. ताकि उसका कार्य प्रारम्भ हो सके.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले – माननीय अध्यक्ष महोदय, मछुआ कल्याण बोर्ड भंग नहीं है अभी आचार संहिता लगी थी इस कारण अध्यक्ष नहीं है अध्यक्ष की जगह मंत्री काम कर रहे हैं और मछुआ कल्याण बोर्ड अपना काम कर रहा है.

श्री मोती कश्यप – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह जो आंकड़े दिये गये हैं यह जिलेवार नहीं दिये गये हैं. क्या माननीय मंत्री जी उसके वास्तविक आंकड़े मतलब सर्वे कराकर आंकड़े देंगे जिससे उनके विकास के संबंध में कोई चर्चा कर सकें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले – माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में क्या रखा है. माननीय सदस्य जो मांग करेंगे उसको मैं पूरी करूंगी. मछुआ कल्याण के लिए जो जरूरी होगा वह करेंगे. आप आदेश दें, आप सलाह दें हम मानेंगे.

श्री मोती कश्यप – धन्यवाद्.

प्रश्न क्रमांक – 20 (अनुपस्थित)

प्रश्न क्रमांक –21 (अनुपस्थित)

जौरा तहसील के राजस्व हल्का-1 में ग्राम बर्रेड़ में अपात्र लोगों को मुआवजा देने बावत्

22. (*क्र. 1960) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 में मुरैना जिले की जौरा तहसील के हल्का नम्बर 1 राजस्व ग्राम बर्रेड़ के मजरा डबोखरी के मंगलिया पुत्र देवचन्द्र, फेरन पुत्र फूलसिंह को 24400 रुपये एवं 6150 रुपये का ओलावृष्टि हानि मुआवजा दिया गया है? क्या उक्त मजरा ओलावृष्टि के चिन्हित क्षेत्र में था? (ख) क्या यह भी सही है कि ओलावृष्टि की हानि का सर्वे तीन पटवारियों के साथ आर. आई., नायब तहसीलदार की टीम द्वारा किया गया था? एवं मजरा डबोखरी (बर्रेड़) के रकबे, (राजस्व क्षेत्र) को हानि से अलग रखा गया था तो मुआवजा स्वीकृत नोटशीट पर किस-किस ने अभिमत दिया था? कर्मचारी, अधिकारियों के नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ग) क्या यह सही है कि आहरण अधिकारी द्वारा संपूर्ण प्रकरण की जानकारी के साथ ही राशि स्वीकृत किसानों के खाते में डाली गई थी? तो अपात्र लोगों को मुआवजा देने का दोषी अकेला पटवारी कैसे होगा? इस अनियमितता के लिये सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी? कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां. जी नहीं.

(ख) ओलावृष्टि की हानि का सर्वे तीन पटवारियों के साथ रा.नि.आर.ए.ई.ओ (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) सरपंच एवं सचिव की टीम द्वारा कराया गया था । नायब तहसीलदार सर्वे में नहीं था । राजस्व सर्वे ओलावृष्टि के सर्वे का इकाई पटवारी हल्का जो ग्राम पंचायत कोटरमीनस है, होता है । मजरा इकाई नहीं होता। मजरा डबोखरी एवं आसलपुर ग्राम वर्रेड के दो मजरे है । सर्वे आदेश वर्रेड, आलसपुर का है । सर्वे की इकाई ग्राम है न कि मजरा ग्राम वर्रेड के दो मजरा डबोखरी, आसलपुर है । कर्मचारी/अधिकारी जो ओलावृष्टि के सर्वे दल में संलग्न थे जो निम्नानुसार है :-

1. श्री भू-देवसिंह महोबिया रा.नि. (2) मनोज नरवरिया पटवारी (3) श्री अमर सिंह त्यागी पटवारी (4) विजन्द्र सिंह धाकड़ पटवारी (5) श्री एम.के.शुक्ला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के दल स्थल की जाचं की गई थी । मुआवजा के आदेश पर (रेवेन्यू आर्डर शीट) पर नायब तहसीलदार द्वारा अग्रेषित व तहसीलदार द्वारा स्वीकृत है । नायब तहसीलदार श्री चन्द्रमोहन शर्मा एवं तहसीलदार श्रीमती मनीषा कौल ।

(ग) जी हां.

पटवारी द्वारा अपने परिवार के सदस्य को आर. बी. सी. 6-4 के अंतर्गत आर्थिक सहायता का प्रस्ताव बनाकर राशि स्वीकृत कर वितरण की कार्यवाही कराई गई है. जांच में प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने से पटवारी को निलंबित किया गया है. सर्वे दल के शेष कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं. पूरे मामले की जाँच की जा रही है. दोष सिद्ध होने पर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जावेगी.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार - अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किये हैं, उनके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं. मैंने प्रश्न भाग (क) में पूछा है कि क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 में मुरैना जिले की जौरा तहसील के हल्का नम्बर 1 राजस्व ग्राम बर्रेड़ के मजरा डबोखरी के मंगलिया पुत्र देवचन्द्र, फेरन पुत्र फूलसिंह को 24400 रुपये एवं 6150 रुपये का ओलावृष्टि हानि मुआवजा दिया गया है, उसमें मुझे उत्तर मिला है कि जी हां. दूसरा, जो मैंने प्रश्न किया है कि क्या उक्त मजरा ओलावृष्टि के चिह्नित क्षेत्र में था? माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें लिखा है कि जी नहीं. मतलब यह माना है कि यह गलत मुआवजा राशि बांटी गई है. प्रश्न भाग (ख) के जवाब से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, इसमें मैंने प्रश्न किया है कि क्या यह भी सही है कि ओलावृष्टि की हानि का सर्वे तीन पटवारियों के साथ आर.आई., नायब तहसीलदार की टीम द्वारा किया गया था, उसमें जी हां, उत्तर दिया गया है. लेकिन इसमें मात्र एक पटवारी को ही सस्पेंड किया गया है. जबकि पूरे दल ने इसमें टीप लगाई थी. इसी में दूसरा प्रश्न है कि कर्मचारी, अधिकारियों के नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर मुझे दिया गया है उसमें लिखा गया है कि कर्मचारी, अधिकारियों के नाम सहित पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है. एक ट्रक भरकर सवालों का जवाब होता तो ठीक था, आधे पन्ने का जवाब है उसी में जानकारी एकत्रित हो रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इतने छोटे से सवाल का यह उत्तर दिया गया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, किन-किन लोगों ने टीप लगाई थी, कौन-कौन लोग दोषी थे, उनकी जानकारी मुझे मिलना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, इस सदन के ज्यादातर लोगों ने अपने वेतन का पैसा दिया है, उसके बाद ऐसी अनियमितता हो रही है. माननीय मंत्री जी ने माना है कि इसमें अनियमितता हुई है?

श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का उत्तर दिया गया है. एक पटवारी जिसने राशि गलत निकाल ली थी, उसकी शिकायत माननीय विधायक जी ने दी थी उसको निलंबित कर दिया गया है. 2-3 लोग और हैं, जिनके नाम आपको नहीं मिल पाये हैं. उनकी जानकारी आप तक पहुंच नहीं पाई होगी. हमने जानकारी तो भेजी है. उसमें भू-देवसिंह महोबिया आर.आई, मनोज नरवरिया पटवारी, अमर सिंह त्यागी पटवारी, विजेन्द्र सिंह धाकड़ पटवारी, एम.के. शुक्ला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी सम्मिलित थे. यह जानकारी आपको मिल गई होगी. हमने कल ही भेजी है. लेकिन जिसने गलत राशि

निकाली, उसमें सब सत्यापन होता है, पटवारी भी सत्यापन करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में पटवारी को तो निलंबित किया है. लेकिन हमको सख्ती करना पड़ेगी क्योंकि इसमें लापरवाही से गलत काम होता है. जिन-जिन ने प्रमाणित किया है और गड़बड़ी की है, उनको हम निलंबित भी करेंगे और सख्त कार्यवाही करेंगे.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार - अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उसमें आरआई, 3 पटवारी और ग्राम सेवक का नाम लिया. आहरण अधिकारी उसमें तहसीलदार होते हैं और पूरे दल ने निरीक्षण किया है. आप एक व्यक्ति को कैसे दोषी मान सकते हो? मेरा यह प्रश्न है कि जब नायब तहसीलदार, तहसीलदार, आहरण अधिकारी, 3 पटवारी और एक ग्राम सेवक, ये सब उस दल में थे. उन्होंने टीप लगाई है तो इन सब लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय इसमें जल्दी कार्यवाही करेंगे?

श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जो बता रहे थे उसके पहले ही मैंने निवेदन कर दिया है कि इस तरह के और तथ्य उनके पास में हों तो निश्चित रूप से वहां का जो जवाबदार अधिकारी होता है, उसकी भी जवाबदारी होती है कि वह अपने अधिकारियों पर नियंत्रण रखे और ऐसी अगर कोई अनियमितता हुई है तो हम वहां के जो जवाबदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार - अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों पर जल्दी से जल्दी कब तक कार्यवाही हो जाएगी?

अध्यक्ष महोदय - वे कार्यवाही कर रहे हैं. उन्होंने दो-दो बार बता दिया है. वे कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार -अध्यक्ष महोदय, एक पटवारी के खिलाफ कार्यवाही की है, हमारी तनख्वाह के पैसे ही खा गये. आप यह तो देखें. अध्यक्ष महोदय, सबने अपना वेतन दिया है. उसमें जो लोग दोषी हैं, उन सबको उसमें निलंबित होना चाहिए.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा- अध्यक्ष महोदय, जिला योजना समिति की बैठक में मेरे द्वारा पटवारी की शिकायत की गई, जहां चिन्हित क्षेत्र था वहां से तीन किलो मीटर दूर जाकर अपने रिश्तेदार, अपने चाचा

को उन्होंने गलत तरीके से मुआवजा दिया है. मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि निलंबन कोई सजा नहीं है. इसके खिलाफ एफ.आई.आर. हो और जिन लोगों को छोड़ा है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय.

गुणवत्ताहीन दवाइयों के संबंध में

23. (*क्र. 2144) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा निःशुल्क वितरण की जाने वाली दवाइयों को क्रय करने की क्या प्रक्रिया है? (ख) धार जिला पशु चिकित्सालय को वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014 और वर्ष 2014-2015 में कितनी राशि निःशुल्क दवा वितरण हेतु आवंटित की गयी, वर्षवार जानकारी दें? (ग) क्या यह सही है कि निःशुल्क वितरण के लिये उपयोग में लायी जाने वाली दवाइयां प्रभावहीन हैं? यदि हां, तो शासन दवाइयों से सम्बन्धित विसंगति को दूर करने के लिये क्या प्रयास करेगा? (घ) प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में सस्ते दामों के नाम पर प्रभावहीन जेनरिक दवाइयां क्रय करना कहां तक प्रासंगिक है और क्या यह शासन की राशि का दुरुपयोग नहीं है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विभाग द्वारा विभागीय औषधि क्रय नीति के अनुसार राज्य स्तरीय संस्थाओं के लिये ई-टेण्डर के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जिसमें न्यूनतम के आधार पर दरों का अनुमोदन किया जाता है. उपरोक्त दर सूची के आधार पर औषधि क्रय करने हेतु जिला कार्यालय बाध्य नहीं है. जिला स्तर पर समस्त आवश्यक क्रय प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा, किन्तु राज्य स्तरीय संस्थाओं के लिये अनुमोदित दरों की सूची एक मार्गदर्शन के रूप में ली जा सकती है. यह नीति वित्त विभाग के निर्देशों, भण्डार क्रय नियम एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों को अधिकार देने संबंधी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी प्रभावी निर्देशों के अन्तर्गत रहेगी. (ख) जिला पशु चिकित्सालय धार हेतु पृथक् से बजट आवंटन नहीं किया जाता है. बजट का आवंटन सम्पूर्ण जिले के पशु चिकित्सालयों हेतु किया जाता है. (ग) जी नहीं. प्रभावहीन दवा होने की शिकायत अथवा मानीटरिंग के दौरान लिए गए सैम्पल विशेषीकरण के अनुरूप न होने पर संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है. (घ) औषधि क्रय नीति में जेनरिक दवाइयां क्रय किए जाने का प्रावधान इसी उद्देश्य के साथ किया गया है कि कम लागत में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली दवाइयां पशुपालकों को उपलब्ध हो. ऐसे में शासन की राशि का दुरुपयोग नहीं होता है.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैने पशु पालन विभाग का प्रश्न किया था. इसमें पशुओं के लिए जो निःशुल्क दवाई दी जाती है उसमें मेरे तीन बिन्दु थे. एक तो क्रय प्रक्रिया को लेकर, दूसरा गुणवत्ता को लेकर और तीसरा प्रभावहीन दवाओं को लेकर . अध्यक्ष महोदय, कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में माडर्न काम कंपनी नाम की दवाएं अस्पताल में दी जा रही हैं. आये दिन उसकी शिकायतें आती रहती हैं कि वे दवाएं प्रभावहीन हैं. अगर प्रभावहीन हैं तो उनकी गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगता है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे, अगर ये दवाएं प्रभावहीन हैं तो क्या वे एक कमेटी बना कर उन दवाओं की जांच करवायेंगे ताकि लोगों को बाहर जाकर मार्केट से दवाईयां न खरीदनी पड़ें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय़ अध्यक्ष जी, वैसे तो ये गुणवत्तापूर्ण दवाई है. और आपने जेनरिक दवाइयों का पूछा है तो ये दवाई भी तो हमारे प्रदेश के लोग ही बनाते हैं और जब हम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं तो जेनरिक दवाइयों के कैसे इन्कार कैसे कर सकते हैं. जब हमें अपने निजी उद्योग धन्धों को प्रमोट करना है और उनको बढ़ावा देना है तो जिनरिक दवाइयों में कोई दोष नहीं है. फिर भी यदि माननीय

सदस्य की कोई शिकायत है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगी. गुणवत्ता विहीन दवाई है तो उसको शामिल नहीं करेंगे.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल—ठीक है मैडम, आप उसकी जांच करवा लीजिये.

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य यदि कोई शिकायत हो तो आप उनको बतला दें. वे जांच करवा लेंगी.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को यह भी कहना चाहता हूं कि अगर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उनमें ऐसा न हो कि वे प्रभावहीन हों तो भी उनको लायसेन्स मिल जाय.

ग्रामीण नल-जल योजना का क्रियान्वयन

24. (*क्र. 349) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन की ग्रामीण नल-जल योजना सिंगरौली जिले में लागू की गई है? इसके क्या नियम हैं और विधान सभा क्षेत्र सिंगरौली के अर्न्तत ग्रामीण नल-जल योजना के किन-किन गांवों का प्रस्ताव लंबित है? अभी तक स्वीकृति नहीं मिलने का कारण बतायें? (ख) प्रश्नांश ''क'' के संबंध में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी आपूर्ति करने हेतु कब तक में क्या योजनायें बनाई जा रही हैं? स्पष्ट करें और इन्हें कब तक लागू किया जायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ. नल-जल योजना क्रियान्वयन की शासन की नवीन नीति †संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. विधान सभा क्षेत्र सिंगरौली के अंतर्गत क्रमशः ग्राम मझौली, चाचर, मकरोहर, सिद्धिकला, शासन, सोंलग, पडरी, टूसाखाड़ आदि ग्रामों में नल-जल योजना क्रियान्वयन के प्रस्ताव हैं. शासन के नीतिगत प्रावधानों के अनुसार ग्रामों की ग्राम पंचायतों/तदर्थ ग्राम स्वास्थ्य समिति/ पेयजल उपभोक्ता समिति से जनभागीदारी की राशि प्राप्त न होने के कारण इन योजनाओं को स्वीकृत नहीं किया जा सका है. (ख) शासन की नवीन नीति अनुसार घनी आबादी वाले ग्रामों की ग्राम पंचायतों/तदर्थ ग्राम स्वास्थ्य समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति की सहमति एवं वित्तीय प्रावधान होने पर संबंधित ग्रामों की नल-जल प्रदाय योजनाएं बनाई जा सकेंगी एवं स्वीकृति उपरांत इनका क्रियान्वयन किया जावेगा. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

श्री राम लल्लू वैश्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में, शासन द्वारा नल जल योजना में 21 अगस्त 2012 को नवीन नीति जारी की है. इस नीति के तहत यह है कि 3 प्रतिशत सामान्य वर्ग की आबादी वाले क्षेत्र में और एक प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जाति वाली आबादी में. ग्राम पंचायतें तदर्थ स्वास्थ समिति/ पेयजल उपभोक्ता समिति की सहमति से, यदि पैसा जमा होगा तभी उस गांव में नलजल योजना योजना लागु की जाएगी. मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि इससे पहले भी ग्रामीण नलजल योजना लागू थी और उस समय इसप्रकार 3 प्रतिशत या 1-प्रतिशत, उपभोक्ताओं से लेने का कोई प्रावधान नहीं था और यह नियम लागू होने के बाद एक भी प्रकरण, ग्राम पंचायतें जमा नहीं करने से

लंबित नहीं है और पेय जल का संकट गभीर है इसलिए मैं चाहता हूं कि शासन इसे वापस ले और पूर्व की भांति नलजल योजना स्वीकृत करे. तभी गांव में नलजल योजना चल पायेगी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट नहीं है.

अध्यक्ष महोदय—उनका प्रश्न यह है कि जन भागीदारी से जो पैसा लेते हैं उसको जमा नहीं कर रहे हैं इसलिए योजनाएं प्रारंभ नहीं हो रही हैं. क्या उसमें कोई छूट देंगी? यही प्रश्न है ना आपका?

श्री राल लल्लू वैश्य—जी, यही प्रश्न है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—अध्यक्ष महोदय, इस बात पर विचार किया जा रहा है कि माननीय विधायकगण की जो राशि होती है,विधायक निधि से, यदि उसमें से थोड़ा दे दिया जाय तो वे नलजल योजनाएं चल सकती हैं. लेकिन अभी कार्यरूप में वह परिणित नहीं हुआ है, उस पर विचार चल रहा है. यदि ऐसा होगा तो आपको अनुमति दी जाएगी कि आप विधायक निधि से राशि देंगे तो नलजल योजना चालु हो जाएगी.

रतलाम जिला अंतर्गत विभागीय बजट एवं योजनाओं का क्रियान्वयन

25. (*क्र. 2093) श्री राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य पोषित/सरंक्षित विभिन्न कार्यों/योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) यदि हां, तो रतलाम जिले को उक्त कार्यों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितना-कितना उक्त वर्षों में बजट प्राप्त हुआ? (ग) साथ ही क्या उक्त वर्षों में प्राप्त बजट से संपूर्ण जिले में कार्यों/योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया? (घ) यदि हां, तो रतलाम जिला अंतर्गत कार्यों की पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति की जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हां. (ख) जानकारी ††संलग्न प्रपत्र ''एक'' के अनुसार है. (ग) जी हां. (घ) जानकारी ††संलग्न प्रपत्र ''दो'' के अनुसार है.

श्री राजेन्द्र पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न (ख) के उत्तर में कहा गया है कि जानकारी संलग्न प्रपत्र एक के अनुसार और (घ) में कहा गया है कि जानकारी संलग्न प्रपत्र दो के अनुसार. मैं उसी के अनुसार जानकारी माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वहां फ्लोराइड और लाल पानी की बड़ी समस्या है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया संक्षेप में पूछ लें समय हो गया है.

श्री राजेन्द्र पांडेय—अध्यक्ष महोदय,यह योजनाएं समय पर पूर्ण होंगी या नहीं होंगी? लगातार 8 वर्षों से जल आवर्धन योजनाएं, मुख्यमंत्री पेयजल योजनाएं अपूर्ण पड़ी हैं, वह कब तक पूर्ण हो जाएंगी?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—अध्यक्ष महोदय, यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष जी बधाई तो ले लें. पूरे 25 प्रश्न आज हो गए हैं. शताब्दी की तरह आज आप चले हैं.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष जी बधाई तो पूरे सदन की तरफ से होनी चाहिए, हमारी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, पूरे सदन की ओर से आप बधाई दो, अकेले अकेले बधाई देने चले जाते हैं.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्नकाल समाप्त

प्रश्नकाल समाप्त

श्री जितू पटवारी—अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया है. इंदौर में पिछले 12 दिन से हाईकोर्ट और जिला न्यायालय बंद हैं, उसका कारण है कि एक टी.आई. का, एक

बिल्डर का पक्ष लेते हुए कोई विवाद वकीलों से हुआ है. उस पर पुलिस ने कार्यवाही की थी, उसके विरोध में भूख हड़ताल पर वकील चले गए और काम बंद कर दिया है. गृह मंत्री और कानून मंत्री जी से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं. जब कोर्ट बंद हैं तो अगर कानून मंत्री उसे सुधारने की कोशिश नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर मैंने स्थगन दिया है, काम रोककर चर्चा होनी चाहिए और न्यायालय के काम कैसे चालू हों, इस पर आपका संरक्षण भी चाहिए और सरकार का स्पष्टीकरण भी चाहिए. जो वकीलों की मांग है वह जायज है, नाजायज है, मुझे पता नहीं, परंतु जनता परेशान हो रही है, इसका धर्म हम सबका बनता है कि जनता का ख्याल हम भी भी रखें , सत्तापक्ष भी रखे और आप भी रखें. मेरा गृहमंत्री जी से अनुरोध है कि क्या मामला है, उसकी पूरी जानकारी लेकर टी.आई. को निलंबित करना है, लाईन अटैच करना है या और बड़ा ओहदा देना है, इसका सवाल नहीं है. सवाल यह है कि काम कैसे चालू होगा. एक लाख केस इंदौर हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में रोज लगते हैं. उसका क्या होगा. किस तरीके से हम उस काम को सुचारू रूप से चालू करेंगे. इस पर सरकार अपना स्पष्टीकरण दे.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है, पूरे हाईकोर्ट के वकील भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

श्री मनोज पटेल—अध्यक्ष महोदय, टी.आई. के कारण यह मामला इंदौर में हुआ है और पूरा इंदौर प्रभावित हो रहा है, इसमें चर्चा नहीं भी कराएं, माननीय मंत्री जी बस इतना ही कह दें कि टी.आई. को हटाकर कहीं ओर स्थानांतरित करे देंगे तो व्यवस्था बन जाएगी. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जाएं.

श्री आरिफ अकील—अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री के पास कोई अधिकार हैं कोई घोषणा करने के लिए कि या पूछकर आओगे.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि 12 दिन से कोर्ट बंद हैं.

श्री रामनिवास रावत—12 दिन से कोर्ट बंद हैं, वकील भूख हड़ताल पर बैठे हैं. कुछ लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया है, अस्पताल में एडमिट हैं. तुकोगंज थाने के टी.आई.द्वारा खुद फरियादी बनकर वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया है और वकीलों की हालत खराब है. अभी इंदौर हाईकोर्ट बंद है. पूरे प्रदेश में वकील हड़ताल करने जा रहे हैं. वकीलों के साथ पुलिस ऐसा व्यवहार करेगी? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—अब आपकी बात आ गई है. कृपया कार्यवाही आगे बढ़ने दें. विधिवत बात आ गई है.

श्री जितू पटवारी—अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर बात है, इस पर स्थगन लगा हुआ है. आपके आदेशों का मैं हमेशा पालन करता हूं. यह विषय मेरा व्यक्तिगत नहीं है, पार्टी का भी नहीं है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्यों की बात आ गई है और आपका अनुरोध भी आ गया है. अब कृपया कार्यवाही आगे बढ़ने दें.

श्री जितू पटवारी—छोट से काम के लिए कोर्ट बंद रहे और सरकार सोती रहे. (व्यवधान)

समय--11.34 बजे **नियम 267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय—निम्न माननीय सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी.

1. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया,
2. श्री दुर्गालाल विजय
3. डॉ.रामकिशोर दोगने
4. श्री हरदीप सिंह डंग
5. डॉ.गोविन्द सिंह
6. इंजी. प्रदीप लारिया
7. श्री केदारनाथ शुक्ल
8. श्री दिव्यराज सिंह
9. श्री जितू पटवारी

11.35 बजे **गर्भगृह में प्रवेश**

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आये)

पत्रों का पटल पर रखा जाना

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इंदौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013(अकादमिक वर्ष 30 जून 2013 को समाप्त)

उच्च शिक्षा मंत्री(श्री उमाशंकर गुप्ता)—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973(क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013(अकादमिक वर्ष 30 जून,2013 को समाप्त) पटल पर रखता हूँ. (...व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय—आपकी बात सदन में आ गई. आपकी पूरी बात आ गई.

श्री आरिफ अकील—गृह मंत्री जी मालिक से पूछे वगैर कोई घोषणा नहीं कर सकते. इनके पास टीआई को भी हटाने की क्षमता नहीं है और खुद वकील हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं. आप एक मिनट सुन लें. आपका स्थगन आज प्राप्त हुआ है.कॉल अटेंशन पहले प्राप्त हुआ था. स्थगन की आज जानकारी मंगायी गयी है.आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही आगे चलने दें. आपकी बात शून्यकाल में आ गई है. (व्यवधान)

श्री मुकेश नायक-अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला.(व्यवधान)

श्री आरिफ अकील—गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से लिखवा के मंगवा लो क्या बोलना है.खुद तो नहीं बोल पाओगे.(व्यवधान)

अघ्यक्ष महोदय—जो वेल में से बोला जा रहा है वह कार्यवाही में नहीं आएगा.

1137 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) इंदौर शहर में साइबर क्राईम में बढ़ोतरी होने से उत्पन्न स्थिति

श्री सुदर्शन गुप्ता(इन्दौर-1)—अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

इंदौर शहर में साइबर क्राइम तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है लगभग सभी मामलों में आरोपी नई पीढ़ी के हैं परन्तु पुलिस के पास मामलों से निपटने के लिए न तो आधुनिक संसाधन है और न ही इन मामलो को हल करने के लिए योग्य विशेषज्ञ उपलब्ध है। साइबर सेल स्वीकृत हो गया, भवन और संसाधन भी जुटा लिए गए, लेकिन साधनों के अभाव में कार्य तेजी के साथ नहीं हो पा रहा है। सोशल नेटवर्किंग पर हो रहे साइबर क्राइम अब पुलिस के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। हर साल शोसल नेटवर्किंग से संबंधित कई शिकायतें आ रही हैं, परन्तु कुछ ही मामले ऐसे है जिनकी जांच हो पाती है यहां तक इंदौर पुलिस ने लोगों की समस्या ऑनलाइन दूर करने के लिए जो ऑप्शन शुरू किए थे वहां पर भी अब लोगो को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। देश के 35 बड़े शहरों के अपराधों का विश्लेषण करने वाले नेशनल क्राइम रिकाडर्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के सर्वे में जो खुलासा किया, वह इंदौर के लिए भी चिंताजनक है। आईटी एक्ट के मामलों में हुई गिरफ्तारियों में 18 से 30 आयु वर्ग के आरोपियों में 2009 के सर्वे में इंदौर देश में तीसरे स्थान पर था, जबकि 2010 के सर्वे में आठवें स्थान पर है। हर साल के सर्वे में चिन्ताजनक नतीजे आ रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक हर साल सौ से ज्यादा शिकायतें आती है। गिने-चुने मामलों में ही आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हो पाते है। साइबर सेल का मुख्यालय भोपाल में है जबकि इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में जोनल ऑफिस खोलने की स्वीकृति हुई थी । जुलाई 2011 माह में इंदौर में साइबर सेल का ऑफिस नवनिर्मित ऑफिस में शुरू करने के प्रस्ताव पर मंजूरी हुई थी, लेकिन स्टॉफ व साधनों का अभाव है। जिससे जनता में गहरा रोष व्याप्त है।

गर्भगृह से वापसी

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह से वापस अपनी आसंदी पर गए)

गृह मंत्री(श्री बाबूलाल गौर) -- अध्यक्ष महोदय,

यह सही नहीं है कि मध्यप्रदेश में, देश के तुलना में सायबर अपराधों में वृध्दि हुई है, गत कई वर्षों में मध्यप्रदेश पुलिस के प्रयासों से राज्य में सायबर अपराधों पर नियंत्रण पाया गया है । वर्ष 2012–13 से नियमित रूप से सायबर सेल को सुदृढ़ करने हेतु एक प्रभावी योजनान्तर्गत एक पर्याप्त बजट आवंटित किया जा रहा है । वर्ष 2012–13 में प्रदाय किये गये बजट के अंतर्गत भोपाल में सायबर सेल भवन का निर्माण, अत्याधुनिक उपकरण खरीदे गये है । इसी तरह वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में आवंटित बजट से क्रमशः ग्वालियर जोन एवं इन्दौर जोन में सायबर थानों के भवनों का निर्माण एवं अत्याआधुनिक उपकरण खरीदे गये है ।

वर्तमान में सायबर सेल मुख्यालय द्वारा भोपाल के अतिरिक्त इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में थाने संचालित किये जा रहे है । इसके अतिरिक्त इस सेल में पदस्थ विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी अन्य जिलों में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक तकनिकी सहयोग प्रदान करते है ।

आज की स्थिति में सायबर सेल के पास सायबर अपराधों की रोकथाम एवं विवेचना हेतु इन्टरनेट, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल फोन से साक्ष्य को एकत्रित करने एवं उन पर अनुसंधान करने की क्षमताएं है ।

अपराधों की रोकथाम हो सके इस हेतु सायबर मुख्यालय में एक अत्या आधुनिक कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना की गई है जिसमें उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु साफ्टवेयर लगाये गये है । इस प्रयोगशाला में गत वर्ष सीआईडी, एसटीएफ, विशेष शाखा एवं जिला पुलिस बल के 60 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है । वर्तमान में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 4 पुलिस कर्मियों को भारत की विशिष्ट संस्थान सी–डैक त्रिवेन्द्रम भेजा गया है जहां पर वे उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है ।

आमजन सायबर अपराधों के शिकार न हो इस बाबत् स्कूली एवं कॉलेज के छात्र/छात्राओं को विशेष रूप से तैयार की गई 10 फिल्मों के माध्यम से स्कूल एवं कॉलेजों में व्यक्तिगत रूप से जाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इसके अंतर्गत गत वर्षों में प्रदेश के सभी मुख्य जिलों के 22 स्कूलों/कालेजों में जाकर छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया ।

सायबर सेल में स्वीकृत पदों के विरूद्ध नव नियुक्तियां की जा चुकी है, कर्मचारी प्रशिक्षणरत है जो कि अति शीघ्र विवेचना एवं अन्वेषण हेतु पूर्णकालिक समय के लिये उपलब्ध हो जायेंगे ।

मध्यप्रदेश पुलिस सायबर सेल पुलिस द्वारा अपराधों के रोकथाम हेतु प्रतिबद्ध है एवं इनकी रोकथाम हेतु हर तरह से प्रभावी कदम उठा रही है इसे और प्रभावी बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन कटीबद्ध है ।

श्री जितू पटवारी--- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इतने बड़े संवेदनशील मामले में जवाब देना भी उचित नहीं समझते तो फिर यह कौनसा लोकतंत्र है और आपकी क्या व्यवस्था है इसमें?

अध्यक्ष महोदय--- शून्यकाल में जवाब नहीं दिया जाता.

श्री निशंक कुमार जैन—शून्यकाल में मैंने रायसेन के दंगे की सूचना दी है रायसेन के दंगे को लेकर शून्यकाल में मामला उठाया है. ..(व्यवधान)....

श्री मुकेश नायक--- अध्यक्ष महोदय, अगर मध्यप्रदेश की इस विधानसभा में जनहित के इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मंत्री मौन रहेंगे, जवाब नहीं देंगे तो इस सदन का क्या अर्थ रह जाएगा.

श्री सुंदरलाल तिवारी--- अध्यक्ष महोदय, यह मामला शून्यकाल में ही उठाया गया है और जरूरी नहीं कि शून्यकाल की सूचना लिखित ही दी जाए और जो भी बात कही गई है वह आपकी अनुमति से कही गई है.

श्री मुकेश नायक--- इसमें मंत्री जी को कम से कम रिएक्ट तो करना चाहिए. 25-25 एमएलए जिस विषय़ को सदन में उठा रहे हैं उस विषय को मध्यप्रदेश के गृहमंत्री इतने हल्के से ले रहे हैं तो विधानसभा का क्या अर्थ रह जाएगा...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी को निर्देश दीजिये इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वह क्या कर रहे हैं. सदन को अवगत करायें.

श्री सुंदरलाल तिवारी--- अध्यक्ष महोदय, हमारा अनुरोध सुन लिया जाये.

अध्यक्ष महोदय--- आपकी बात आ गई है जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिये हैं उसकी जानकारी मंगाई गई है . माननीय सदस्य श्री जितू पटवारी जी ने जो प्रस्ताव दिये हैं उसकी जानकारी मंगाई गई है . अब कृपया कार्यवाही आगे बढ़ने दे.

श्री रामनिवास रावत-- ध्यानाकर्षण के रूप में इसको ग्राह्य कर लें.

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)--- अध्यक्ष महोदय, इस पर आसंदी से क्या व्यवस्था होनी चाहिए...(व्यवधान)... आसंदी इसमें क्या निर्देश दे रही है यह हम जानना चाहते हैं. सदस्यों ने जो बात कही उस पर आसंदी की क्या व्यवस्था है यह हम जानना चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय--- कोई व्यवस्था नहीं है. जानकारी मंगाने के बाद आगे व्यवस्था होगी.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, चार-चार, पांच-पांच दिन पहले सदस्यों ने ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव विधानसभा को दिये हुए हैं.

अध्यक्ष महोदय--- इसको हम किसी न किसी रूप में ले लेंगे ,सदन में चर्चा करा लेंगे.

श्री सुदंरलाल तिवारी--- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जानकारी है. मंत्री जी ने कार्यवाही की है....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय--- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और सचेतक जी दोनों से बात हो गई है. कृपया सुदर्शन गुप्ता जी को उनका प्रश्न पूछने दें.

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव)-- अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा क्या हो सकता है आपने व्यवस्था दे दी औऱ आपने कहा किसी न किसी रूप में ले लेंगे तो अब बात मान लेना चाहिए. आसंदी से व्यवस्था आ गई है इसलिए आप लोग बैठ जाएं.

श्री मुकेश नायक--- 12 दिन हो गये हैं, हाईकोर्ट बंद है.

अध्यक्ष महोदय--- आपने उसके लिए अनुरोध किया है कि इसको ध्यानाकर्षण में ले लो. आपने अनुरोध किया है तो हम इसको किसी न किसी रूप में ले लेंगे यह आपको आश्वस्त करते हैं. ...(व्यवधान)... श्री सुदर्शन गुप्ता अपना प्रश्न करें औऱ यह जो भी सीधी बात हो रही है यह कार्यवाही में नहीं आएगी.

श्री मुकेश नायक--- (xxx)

श्री रामनिवास रावत-- (xxx)

श्री जितू पटवारी-- (xxx)

(xxx)—आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री सुदर्शन गुप्ता-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सेल के लिए एक्सपर्ट होना अति आवश्यक है क्या मंत्री जी इसके एक्सपर्ट उपलब्ध कराएंगे तथा इसका अलग से कैडर बनाया जाना चाहिए क्या मंत्री जी इसके लिए कैडर बनाएंगे.... (व्यवधान)...

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने और माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाया है शासन ने उसे गंभीरता से लिया है. आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर बैठक ली है और अभी भोपाल से तत्काल एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी है, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज ही उसका कोई संतोषजनक समाधान निकल आएगा. (मेजों की थपथपाहट)... (व्यवधान)..

श्री मनोज पटेल-- उस टीआई को लाइन अटेच कर दिया है इसलिए वहाँ वकीलों को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य कृपया अब आप...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, यह विषय हमने आप से अनुरोध किया था..(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएँ.

श्री मुकेश नायक-- (xxx) ...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप क्या कह रहे हैं...(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक-- (xxx) ...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- यह मुकेश नायक जी की बात नहीं लिखी जाएगी...(व्यवधान)...आप कृपा करके यह तरीका नहीं बताएँ...(व्यवधान)..माननीय सदस्य, यह उचित बात नहीं है. आप वरिष्ठ सदस्य हैं... (व्यवधान).. कृपा करके यहाँ तरीके का विश्लेषण न करें. यह बिल्कुल अनुचित है...(व्यवधान)..कृपा करके बैठ जाएं. आपकी बात आ गई...(व्यवधान)..

श्री जितु पटवारी-- अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि एक मिनट का समय मिलना चाहिए... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अब ध्यानाकर्षण प्रारंभ हो गए. संसदीय कार्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके आपकी बात पर आ गए...(व्यवधान)..

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री जितु पटवारी-- पर बात इसकी है कि अगर कल तक इसका समाधान नहीं निकला तो... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आज शाम तक बोल रहे हैं....(व्यवधान)..

श्री जितु पटवारी-- फिर मुद्दा खड़ा रहेगा. मेरा अनुरोध है कि कल फिर सदन नहीं चलेगा... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अब कृपा करके सदन की कार्यवाही चलने दें..(व्यवधान)..कृपा करके बैठ जाइये.

श्री निशंक कुमार जैन-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- जी नहीं, अब कार्यवाही वापस नहीं जाती. बिल्कुल नहीं. यह कार्यवाही में नहीं आएगा.

श्री निशंक कुमार जैन-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- श्री सुदर्शन गुप्ता जो बोलेंगे वही आएगा.

श्री निशंक कुमार जैन-- (xxx) ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मेरा अनुरोध है आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप बैठ तो जाएँ नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं.

श्री निशंक कुमार जैन-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- श्री सुदर्शन गुप्ता अपनी बात कहें...(व्यवधान)..नहीं यह बात ठीक नहीं. कार्यवाही पीछे ले जाएँगे क्या...(व्यवधान)..कुछ नहीं लिखा जाएगा श्री सुदर्शन गुप्ता का लिखा जाएगा. आप कृपा करके बैठ जाएँ.

श्री निशंक कुमार जैन-- (xxx)

श्री सुदर्शन गुप्ता-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से सायबर सेल के संबंध में पूछना चाहता हूँ कि जो एक्सपर्ट होना चाहिए वह अति आवश्यक हैं क्या उनकी नियुक्ति कराएँगे और उसका केडर अलग से बनाया जाना चाहिए. क्या मंत्री जी इसके संबंध में यह आश्वासन देंगे कि केडर बनाया जाएगा... (व्यवधान)..

श्री निशंक कुमार जैन-- (xxx)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय गृह मंत्री जी आप प्रश्न सुन पा रहे हैं.

श्री बाबूलाल गौर-- जी हाँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं और भारत सरकार के द्वारा जो ट्रेनिंग सेल बनाया गया है उसमें कार्यवाही की जाएगी.

श्री सुदर्शन गुप्ता-- अध्यक्ष महोदय, मैंने एक और बात कही थी कि इसका केडर अलग से बनाया जाना चाहिए तो क्या मंत्री जी इसका केडर अलग से बनाएँगे.

श्री बाबूलाल गौर-- अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार किया जाएगा.

श्री सदुर्शन गुप्ता-- ठीक है. धन्यवाद.

(2) आगर जिले के सुसनेर क्षेत्र में अवैधानिक गतिविधियाँ होने से उत्पन्न स्थिति.

श्री मुरलीधर पाटीदार(सुसनेर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख और 30 जून को सुसनेर जैसे शांतिप्रिय शहर में एक हल्की सी बात को लेकर एक विवाद हो गया जिसमें एक फरियादी हिस्ट्रीशीटर गुंडे के द्वारा एक ग्रामीण क्षेत्र के युवक को...

अध्यक्ष महोदय-- पहले आप ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़िए.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से..

अध्यक्ष महोदय-- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं कार्यवाही वापस कैसे जाएगी. ध्यानाकर्षण प्रारंभ हो गया आप शून्यकाल की बात कैसे कर सकेंगे. माननीय, आप कृपा करके सदन चलाने में सहयोग प्रदान करें.

श्री सत्यदेव कटारे-- जो बात कहना हो कितनी देर में, कितने बजे कह दें आप बता दें.

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके अभी आप ध्यानाकर्षण होने दें.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस महत्वपूर्ण घटना को यहाँ रखने का मौका दिया.

...4

आगर जिले के सुसनेर विधान सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश-राजस्थान की सीमा से सटकर है। सीमा क्षेत्र होने के कारण अवैधानिक गतिविधियां ज्यादा होती है। सीमावर्ती क्षेत्र से अपराधी राजस्थान में अपराध कर मध्य प्रदेश सीमा में आ जाते हैं तथा मध्य प्रदेश के राजस्थान में भाग जाते हैं। दिनांक 22.6.14 तथा दिनांक 30.6.14 को नगर सुसनेर में छोटी सी बात को लेकर झगड़े ने साम्प्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। अपराधिक प्रवृत्ति के दोनों समुदाय के लोग सीमा क्षेत्र से आये और दुकानों में आग लगा दी, निर्दोष लोगों को मारा गया। पुलिस तमाशाबीन देखती रही। जिले में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की लापरवाही एवं नगर में पुलिस बल की भारी कमी के चलते साम्प्रदायिक झगड़े को ठीक से सही समय पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। पुलिस बल पर्याप्त होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो भाग गये व निर्दोष लोगों को पुलिस अभिरक्षा में जबरन बंद कर उनके साथ मारपीट की जा रही है। इस स्थिति से जनता में रोष व्याप्त है।

और उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है. निर्दोष लोग जेल में बंद हैं और जो दोषी हैं वे बाहर घूम रहे हैं .

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय,

सुसनेर विधान सभा क्षेत्र नवगठित जिला आगर मालवा के अंतर्गत है, जिसकी सीमा राजस्थान राज्य से लगी है । अंतर्राज्यीय गतिविधियां होने की संभावना बनी रहती है । दोनों राज्यों के लोगों का हाट बाजार, कारोबारिक (व्यवसायिक गतिविधियों) एवं सामाजिक कारणों से एक दूसरे राज्यों में आवागमन रहता है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु समय–समय पर सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है ।

दिनांक 22.06.14 को साप्ताहिक हाट बाजार में निकलने की बात से नारायण सिंह निवासी ग्राम डिगोन, थाना सुसनेर का इमरान लाला उर्फ अन्ना पिता बहराम लाला निवासी सुसनेर से विवाद होने पर इमरान लाला ने नारायण सिंह को चाकू मार दिया जिसपर लोगों ने आरोपी का पीछा करते हुए

दुकानों पर पत्थरबाजी करने लगे जिससे बाजार बंद हो गये । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रिर्जव बल के साथ सुसनेर पहुंचे और स्थिति को तत्काल नियंत्रित किया । घटना में नारायण सिंह डिगोन के अतिरिक्त कुल 14 अन्य व्यक्तियों को साधारण चोटें आई थीं । घटना के बाद शहर के वरिष्ठ नागरिकों को बुला कर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया । शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया । उपरोक्त घटना के संदर्भ में थाना सुसनेर पर अपराध क्रमांक 133/14 धारा 307,326 भादवि, अपराध क्रमांक 134/14 धारा 294,323,506,336,147,148 भादवि एवं अपराध क्रमांक 136/14 धारा 307,34 भादवि पंजीबद्व किये गये।

दिनांक 30.06.14 को दोपहर 12.00 से 13.00 बजे के बीच ग्राम देहरिया में एकत्रित भीड़ अचानक कस्बा सुसनेर की ओर रवाना हो गई । सूचना पर एस0डी0एम0/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आगर तत्काल पुलिस बल लेकर सुसनेर पहुंचे । ग्राम देहरिया मार्ग को शहर से काफी दूर अवरुद्ध कराने के कारण, आने वाली भीड़ शहर के बाहर ही रूक गई किन्तु छोटे–छोटे समूह खेतों के रास्ते से पैदल–पैदल शहर में प्रवेश कर गये और दुकानों को निशाना बनाते हुये उनमें

तोड़–फोड़ कर पथराव करने लगे। उपलब्ध बल एवं अधिकारियों द्वारा विवेक पूर्ण व त्वरित निर्णय लेते हुये भीड़ को खदेड़ कर स्थिति को नियंत्रित किया और 11 उपद्रवियों को मौके पर ही पकड़ा । कुछ उपद्रवियो ंने भागते हुये दुकानों को पीछे से आग लगा दी और तेज हवा के चलते आग तेजी से फैल गई जिससे 22 दुकानें जल गई । आगजनी पर आगर, उज्जैन व आस–पास के क्षेत्रों से फायरब्रिगेड़ को बुला कर नियंत्रण किया गया । उपरोक्त घटना के संदर्भ में थाना सुसनेर में अपराध क्रमांक 142/14 धारा 436, 295, 285, 427,147,148,149 भादवि, अपराध क्रमांक 143/14 धारा 353, 332, 506–बी, 147,148,149 भादवि, अपराध क्रमांक 144/14 धारा 323,147,148, भादवि एंव अपराध क्रमांक 146/14 धारा 336, 294, 506, 427,147,149 भादवि का पंजीबद्ध किया गया।

दिनांक 30.06.14 की घटना के दौरान 11 आरोपियों को मौके से पकड़ा गया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद 16 आरोपियों को विवेचना में साक्ष्य उपलब्ध होने पर तद्नुरूप गिरफ्तार किया गया । किसी भी निर्दोष व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में जबरन बंद कर उसके साथ मारपीट नहीं की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सूझ–बूझ एवं विवेक पूर्ण निर्णय लेकर त्वरित कार्यवाही की जिसके परिणामस्वरूपघटना को बड़ा स्वरुप लेने के पूर्व ही नियंत्रित कर लिया गया जिससे लोगों को आमने–सामने की भिड़ंत से रोका गया फलतः कोई जनहानि नहीं हुई और किसी भी रहवासी इलाके में आगजनी की घटना घटित नहीं हुई । यह कहना सही नहीं है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा लापरवाही बरती गई । यद्यपि समय पर समुचित कार्यवाही की गई ।

यह सही है कि नवगठित जिला आगर में बल की कमी है किन्तु यह कहना सही नहीं है कि पुलिस बल की भारी कमी के चलते झगड़े को ठीक ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सका, बल्कि उपलब्ध बल के साथ प्रभावी कार्यवाही कर घटना को तत्काल नियंत्रित किया गया जिससे किसी प्रकार की कोई जन हानि नहीं हुई । घटना के ततकल पश्चात जिले में 02 डी0एस0पी0 , 01 कंपनी वि0स0बल, एवं 76 नव आरक्षक, 32वी वाहिनी वि0स0बल का मुख्यालय स्टाफ –10 , पुलिस लाईन आगर से 20 आरक्षक सहित कुल 174 का अतिरिक्त बल तैनात किया गया हैं । यह कहना सही नहीं हैं कि पुलिस तमाशबीन बनी रही , अपितु पुलिस द्वारा समय

पर प्रभावी कार्यवाही की गई है । यह कहना भी सही नहीं है कि पुलिस बल की कमी से जनता में किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त है । पुलिस की प्रभावी कार्यवाही से पुलिस के प्रति जनता का विश्वास कायम है ।

श्री मुरलीधर पाटीदार:-अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वही कहा जो पुलिस ने वहां जानकारी दी । मेरा निवेदन है कि पूरी घटना कूटरचित है। 22 तारीख की इस घटना में गुंडा एक राहगीर को चाकू मार देता है और भीड़ जब आक्रोशित होती है और चाकू मारने वाले के घर की तरफ जाती है, फिर जिसने चाकू मारा उसके घर से फायरिंग होती है। छर्रे लगने से सारे के सारे लोग वापस भाग जाते हैं। आधे पौन घंटे के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचते हैं, वह गुंडे के घर तक जाने बजाए, उस पर कार्यवाही करने के बजाए बाजार को बंद कराने लग गए। उन्होंने कई गणमान्य नागरिकों के साथ झूमाझटकी की और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया कि बाजार बंद करने की कोई आवश्यकता है, गरीब लोगों ने किसी ने फल बेचने का, किसी ने सब्जी बेचने के ठेले लगाए हैं। लेकिन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कहते हैं आप जो कहेंगे वह नहीं होगा, जो मैं कहूंगा वह होगा। वहां सारे लोगों को बेइज्जत किया और इस बारे में दो तीन दिन तक चर्चा की गयी और शांति स्थापित हुई,लेकिन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कहीं न कहीं इस घटना से व्यथित हैं और बदला लेना चाहते थे। वहां के तहसील इंस्पेक्टर हैं उन्होंने दो तीन पत्र भी पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एस पी साहब को भेजा लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते हुए वहां पर सोंधिया समाज की जो सामाजिक बैठक वहां पर चल रही थी, जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में किया है, उसमें सोंधिया समाज के लोग थे। उस बैठक का इस घटना से कोई वास्ता नहीं था इसमें जो आरोपी हैं उनमें से 27 बंद है और 100 बिना नामदज बंद हैं और 46 के खिलाफ नामजदगी रिपोर्ट है। उसमें पुलिस घटना के बाद रात को 2 बजे के बाद पुलिस उनको उठा लाती है , जिनकी झड़पे 22 तारीख को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से हुई थी। वह उनको खुद मारते हैं और कहते हैं कि हम पुलिस हैं और देखा पुलिस से ऊंची आवाज में बात करने का अंजाम ।

मेरा विनम्र निवेदन है कि मैंने पहले भी वहां के पुलिस अधीक्षक से बात की थी और निवेदन किया था कि गांजा, अफीम अवैध शराब यहां पर चल रही है। अध्यक्ष महोदय, वह गुंडा हिट्रीशीटर है, वह नंबर दो का काम करता है। कलेक्टर साहब के पास 22, 26 मई को उसका प्रतिवेदन पेंडिग था अगर वह रासुका की कार्यवाही पहले हो जाती तो निश्चित रूप से यह घटना नहीं घटती ।

मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग बेकसूर हैं और जेल में बंद हैं, उनको जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। लोगों में जो आक्रोश है उस आक्रोश को शांत करने के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को शीघ्र

हटाया जाये और उनको संस्पेंड किया जाए, नहीं तो सामाजिक और पूरे विधान सभा क्षेत्र के लामबंद होंगे और फिर कोई न कोई घटना घटेगी। आपका सीआईडी सिस्टम पूरा फेल हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय:- आप प्रश्न करिये ।

श्री मुरलीधर पाटीदार:-अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो निर्दोष लोग जेल में बंद हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को तत्काल हटाया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए।

श्री नारायण सिंह पवार – माननीय अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय – आपका नाम नहीं है.

श्री नारायण सिंह पवार – माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दे दें. मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां सोंधिया समाज की बैठक हो रही थी. मैं उस समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूं. यह मेरी जानकारी में था. यह पुलिस ने गलत जानकारी भेजी है.

अध्यक्ष महोदय – आप उत्तर आ जाने दें आपको आधा मिनट देंगे.

श्री बाबूलाल गौर - माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के द्वारा तुरंत कार्यवाही की गई. एक-एक मिनिट की कार्यवाही काफी लंबी है. अगर आप चाहेंगे तो मैं वह माननीय सदस्य को दे दूंगा. पुलिस ने पूरी जिम्मेदारी से कार्य किया है इसीलिये हटाने का प्रश्न नहीं है.

श्री नारायण सिंह पवार – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और जो विद्वेषपूर्ण कार्यवाही हुई है. जिस बात का झगड़ पुलिस दिखा रही है वास्तव में वह झगड़ा नहीं है. असामाजिक तत्व वहां सक्रिय हैं. मादक पदार्थों का वहां अड्डा बना हुआ है और पूरे समाज को उसमें लपेट दिया गया है. सौ से अधिक गणमान्य नागरिक इसमें जोड़ दिये गये हैं जो कि पुलिस की कार्यवाही में प्रभावित हुए हैं. मेरा आग्रह है कि जांच करके निर्दोष लोगों को उसमें से हटाया जाए.

श्री बहादुर सिंह चौहान - माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रकरण के अंदर एक जाति विशेष के खिलाफ प्रकरण बनाया गया है. पूरा राजनैतिक षड़यंत्र के तहत बनाया गया है. मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं और माननीय नारायण जी और मैं स्वयं, सोंधिया-राजपूत समाज पूरे मालवा क्षेत्र में रहता है. 80 लोगों को पर ग गलत प्रकरण ब ण बनाए गए हैं . हम जाकर वहां बंद करेंगे यह हम

आपको आज बता रहे हैं. इसकी निष्पक्ष जांच एक कमेटी बनाकर की जाए और जो दोषी नहीं हैं उनको उस केस से बाहर निकाला जाए.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा – माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शाजापुर से नया जिला बना है और उस जिले में उन लोगों के साथ अत्यधिक ज्यादती हो रही है. उनका जो यह कथन है बिल्कुल प्रामाणिक है और इ इसमें जांच होना चाहिये .

श्री शांतिलाल बिलवाल – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र भी लगा हुआ है. तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सोंधिया समाज के लोग रहते हैं

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – पाटीदार जी आप बैठ जाईये. आपको अवसर देंगे.

श्री बहादुर सिंह चौहान – माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल असत्य प्रकरण है.

अध्यक्ष महोदय – आपको इसीलिये तो बोलने का अवसर दिया.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – एक माननीय सदस्य बोले. कृपा करके बैठ जाएं.

श्री बहादुर सिंह चौहान – 29 विधान सभा क्षेत्रों में हमारा समाज निवास करता है. उस समाज के विरुद्ध गलत धाराएं लगाई गईं हैं.

(..व्यवधान.)

अध्यक्ष महोदय – आप बैठ तो जाएं.आप एक मिनट सुन लीजिये. आप एक प्रश्न पूछ लीजिये.

श्री मुरलीधर पाटीदार - माननीय अध्यक्ष महोदय, एडीशनल एस.पी. के कारनामे जब वे पहले आगर में थे उस समय भी उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की थी.

(..व्यवधान..)

एक माननीय सदस्य - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे पुलिस अधीक्षक को क्यों बचा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय – कृपया बैठ जाएं.

श्री जितेन्द्र गेहलोत - माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समाज के विरुद्ध वह काम किये जा रहा है. आपका संरक्षण चाहिये.

श्री अरुण भीमावद – सामाजिक द्वेष फैलाने वाले अधिकारी को तत्काल क्यों नहीं हटाया जा रहा है. सामाजिक झगड़े करवाने वाले ऐसे अधिकारी को, सामाजिक द्वेष और अशांति फैलाने वाले ऐसे अधिकारी को तत्काल क्यों नहीं हटाया जा रहा है उसे हटा देना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय – आप स्पेसिफिक प्रश्न कीजिये. उसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया.

श्री मुरलीधर पाटीदार - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि यह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पहले वहां पर एस.डी.ओ.पी. रहे हैं . पहले भी उनके कारनामे अच्छे नहीं रहे हैं. एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूरे क्षेत्र में अशांति फैलाता है और उस पर कार्यवाही नहीं होती.

अध्यक्ष महोदय – आप स्पेसिफिक बात करिये.

श्री मुरलीधर पाटीदार - माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि एडीशनल एस.पी. को तुरंत हटाया जाए.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – कृपया बैठ जाएं.

(श्री मुरलीधर पाटीदार,श्री जितेन्द्र गहलोत, श्री वेलसिंह भूरिया, श्री अरुण भीमावद, सहित कई माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े हुए.)

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय—कृपया करके आप लोग बैठ जायं. (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह चौहान—अध्यक्ष महोदय, एडशिनल एसपी को क्यों बचाया जा रहा है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप बात का निराकरण करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह चौहान—अध्यक्ष महोदय, इसमें निर्दोष लोगों को फंसाया गया है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप मेरी बात सुन तो लें. (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप इनको बिठा तो दें. आप कृपया करके बैठकर बात को सुन तो लें. (व्यवधान) आप लोग प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन उसका उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं. आप लोग बात का निराकरण करना चाहते हैं कि नहीं.

श्री आरिफ अकील—प्रश्न लंबा चौड़ा करवा दिया और उत्तर तो सही उसका आ नहीं रहा है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप लोगों ने जो बातें कहीं हैं उसका समाधान तो होने दें. (व्यवधान) आप लोग वह भी सुनना नहीं चाहते हैं. आप लोग बैठ जायं आरिफ जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं. यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उसमें माननीय गृहमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग बैठ तो जाएं उनको उनकी बात कहने दें.

श्री आरिफ अकील—मैं होता तो इस्तीफा देकर के घर पर बैठ जाता.

श्री बाबूलाल गौर—अध्यक्ष महोदय, मैं क्यों दूं इस्तीफा.

श्री आरिफ अकील—आपकी पार्टी के लोग ही हल्ला कर रहे हैं.

श्री बहादुर सिंह चौहान—यह पार्टी का मामला नहीं है गलत मुकदमे का मामला है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आरिफ अकील जी जो कुछ बोल रहे हैं उनका नहीं लिखा जायेगा.

श्री आरिफ अकील (xxx)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

(व्यवधान)—

श्री सोहनलाल वाल्मीक—गृह विभाग पुलिस को बचाने का काम कर रहा है.

अध्यक्ष महोदय—उनकी बात को आने दीजिये आप लोग बैठ जाएं. कृपया करके बात का समाधान होने दें.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का जो आग्रह है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय सदस्यों के आरोपों को पीएचक्यू के वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जांच करा ली जायेगी.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—इसमें जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं. आप लोग कृपया सहयोग करें माननीय सदस्यगण.

श्री बाला बच्चन—उनको तत्काल निलंबित किया जाय (व्यवधान)

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय—आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी.

5. वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)—

(1)	मांग संख्या-17	सहकारिता
	मांग संख्या-30	ग्रामीण विकास
	मांग संख्या-34	सामाजिक न्याय
	मांग संख्या-59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	मांग संख्या-62	पंचायत
	मांग संख्या-74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

अनुदानों की मांग के बारे में प्रस्ताव

श्री गोपाल भार्गव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को

अनुदान संख्या - 17	सहकारिता के लिए सात सौ बारह करोड़, चालीस लाख, पच्चीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 30	ग्रामीण विकास के लिए दो हजार एक सौ अड़सठ करोड़, सतासी लाख, पाँच हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 34	सामाजिक न्याय के लिए दो सौ तेईस करोड़, सतानवे लाख, छिहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए इकत्तीस करोड़, नब्बे लाख, रुपये,
अनुदान संख्या - 62	पंचायत के लिए एक सौ इकहत्तर करोड़, तेरह लाख, तिरसठ हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए बारह हजार छः सौ इकतालीस करोड़, बासठ लाख, पैंतीस हजार रुपये,
	तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय – अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या – 17	सहकारिता क्रमांक
श्री हर्ष यादव	2
श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	3
श्री बाला बच्चन	4
श्री रामनिवास रावत	5
श्री उमंग सिंघार	6
श्री आरिफ अकील	7
श्री सचिन यादव	8
डॉ. गोविन्द सिंह	9
मांग संख्या – 30	**ग्रामीण विकास**
श्री कमलेश्वर पटेल	1
श्रीमती शीला त्यागी	2
श्री रजनीश हरवंश सिंह	3
श्री निशंक कुमार जैन	4
श्री हर्ष यादव	6
श्री बाला बच्चन	7
कुंवर विक्रम सिंह	8
श्री आरिफ अकील	9
मांग संख्या – 34	**सामाजिक न्याय**
श्री उमंग सिंघार	1
श्री आरिफ अकील	2
श्री रजनीश हरवंश सिंह	3
श्रीमती ऊषा चौधरी	4
श्री बाला बच्चन	6
श्री हर्ष यादव	7

मांग संख्या – 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रमांक
श्री बाला बच्चन	2
श्री आरिफ अकील	4

मांग संख्या – 62	पंचायत
श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर	1
श्री बाला बच्चन	3
श्री रामनिवास रावत	4
श्री कमलेश्वर पटेल	5
श्री आरिफ अकील	6
श्री सचिन यादव	7

मांग संख्या – 74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
श्री हर्ष यादव	1
श्री बाला बच्चन	2
श्री आरिफ अकील	3

अध्यक्ष महोदय--उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

अध्यक्ष महोदय--सहकारिता मंत्री के अनुदान मांग संख्या 17, 30, 34, 59, 62 एवं 74 पर चर्चा हेतु कार्यमंत्रणा समिति ने 2 घंटे का समय निर्धारित किया है, तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आबंटित है.

भारतीय जनता पार्टी- 1 घंटा, 25 मिनट, इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी-27 मिनट, बहुजन समाज पार्टी- 6 मिनट, निर्दलीय 2 मिनट. सभी वक्तागण समय का ध्यान रखें.

डॉ. गोविन्द सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत मांगों का विरोध और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने

के बाद जो मध्यप्रदेश में सहकारी आंदोलन था, पूरी तरह बरबादी के कगार पर पहुंच चुका है, जो संस्थायें काम कर रही थीं, धीरे-धीरे एक-एक संस्था मृतप्राय की ओर पहुंच चुकी है. "नारा था, बिन सहकार नहीं उद्धार" लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बिन खाये नहीं उद्धार. बिना लूट-खसोट के उद्धार होने के सिद्धांत पर यह सरकार चल रही है.

(12.13 बजे, (सभापति महोदय, श्री मान्वेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए)

डॉ. गोविन्द सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी संघ, आवास संघ और मध्यप्रदेश कृषि ग्रामीण विकास बैंक, कुक्कुट संघ, महासंघ यह सब संस्थायें धीरे-धीरे समाप्ति की ओर पहुंच चुकी हैं राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ यह सब संस्थायें अब मृतप्राय हैं, बस नाम भर के लिये इन संस्थाओं का काम चल रहा है, अन्यथा यह संस्थायें डूबने पर हैं. आवास संघ का काम था हाउसिंग सोसायटियों को मजबूत करके लोगों को मकान या कालोनियां बना कर दिलवायें, परंतु आवास संघ का काम समाप्त करके अब ठेकेदारी करने लगा है. ठेकेदारी में खाओ कमीशन, तभी उद्धार होगा सहकारिता का. जो काम जिस संस्था का था, जिस उद्देश्य के लिये बनाई गई थी, उस उद्देश्य के विपरीत काम कर रही है. मध्यप्रदेश ग्रामीण कृषि विकास बैंक तो पूरे मृतप्राय हैं, लगातार पिछले 5-6 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी को, सहकारिता मंत्री जी को हमने पत्र लिखे, लगातार व वसूलियां बंद हैं और नाबार्ड से जो ऋण लिया था , उस ऋण की जो गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, ऋण की किश्तें नहीं चुकाईं, नाबार्ड ने लोन बंद कर दिया और वह संस्थायें लगातार बंद हो गई हैं. अभी कई बैंकों में, जिला बैंकों में तो एक-एक वर्ष से कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है. जब आपमें क्षमता चलाने की नहीं है, कई बार आप मंत्रिमंडल से निर्णय ले चुके कि हम इन संस्थाओं को बंद करके मर्ज कर रहे हैं. केन्द्रीय सहकारी बैंकों में तमाम पद खाली पड़े हैं, जितने आपके ग्रामीण कृषि विकास बैंक में अतिरिक्त पद हैं, उनको विलय कर दें, तो कम से कम वह संस्था भी बच जायेगी और जो संस्था डूब चुकी है, लगातार ब्याज नाबार्ड का चल रहा है और कर्जा बढ़ रहा है, उसको समाप्त ना करते हुए उसको अब तक जिंदा रखे हुए हैं, इसलिये हमारी राय है और आपने जो तय किया है, उस निर्णय का पालन करें.

क्यों आपने चारागाह बनाकर कुछ लोगों को अध्यक्ष के रुप में नियुक्त करके बैठा दिया है. एमडी बनाकर बैठा दिया है. आप खर्चा चला रहे हो और संस्थाओं को डुबोने का काम कर रहे हो. मत्स्य महासंघ का गठन इसलिये किया गया था कि जो छोटे तालाब हैं जिलों में, ग्रामीण में उनको भी सहकारी संस्था के माध्यम से चलाया जाय और इससे गरीब कमजोर वर्ग के तबकों को लाभ दिया जाय, परन्तु जो बड़े तालाब हैं, जो डेम हैं, उनको केवल मत्स्य महासंघ के अंडर में कर दिया गया है, बाकी के नीचे स्तर के जो छोटे तालाब हैं, उनको अंडर में न लेकर जो उद्देश्य है, वह संस्था का समाप्त कर दिया गया है. अब केवल मार्कफेड और अपेक्स बैंक संस्थाएं बची है. दो संस्थाओं से आपका विभाग चल रहा है. मार्केटिंग फेडरेशन में अभी फर्टीलाजर खरीद का घोटाला सामने आया है. जो सुपर फासपेट कम्पनियां बनाती नहीं है, वह कम्पनियां सप्लाई कर रही हैं. पिछले वर्ष भी मार्कफेड ने सुपर फासफेड प्राइवेट कम्पनियों से खरीदा और महंगे दर पर खरीदा और उसमें जो सेम्पल भरे थे, 80 से 90 प्रतिशत सेम्पल में अमानक खाद पाया गया. फिर क्या कारण है कि महंगे दर पर प्राइवेट कम्पनियां जो बनाती नहीं हैं, उनसे खाद खरीद कर किसानों को धोखा देने एवं लूटने का काम किया जा रहा है. हमारा अनुरोध है कि इस घोटाले में जो खरीदी हुई है, इस बार मार्कफेड ने डबल सीधा भेज दिया और दोगुना परिवहन की राशि भी वसूल की है. उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये, जांच होनी चाहिये. आपने वैद्यनाथन कमेटी के तहत एमओयू साइन किया था. भारत सरकार ने रुपया दिया था. मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी सदन और जनता के बीच गलत बयानी करते हैं कि भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपया जो मिलना चाहिये था, वह नहीं दिया है, परन्तु जो आपने अनुबंध किया था, उस अनुबंध का पालन आपने नहीं किया है. आज तक आपने सोसायटी में जो थ्री टियर सिस्टम था, वह समाप्त नहीं किया है. आपने जो केडर्स हैं, केडर सिस्टम आज भी चल रहा है और लगातार उसको मजबूत करते चले जा रहे हैं. किसानों को जो ऋण मिलता है, पहले नाबार्ड देता है अपेक्स बैंक को, फिर अपेक्स बैंक जिला बैंक को, फिर सोसायटी को और फिर किसान को चार जगह ऋण पहुंचता है और धीरे धीरे ब्याज बढ़ते बढ़ते नाबार्ड साढ़े चार परसेंट पर ऋण देता है. फिर अपेक्स बैंक एक डेढ़ परसेंट लेता है. फिर जिला बैंक दो परसेंट लेता है. फिर सोसायटी दो परसेंट किसान से लेती है. इसलिये किसान को 11-12 परसेंट ब्याज पर ऋण मिलता है. यह कहते हैं

कि हम जीरो परसेंट पर ऋण दे रहे हैं. अब जीरो परसेंट पर आप किसको दे रहे हैं. जीरो परसेंट ब्याज पर आप उनको दे रहे हैं, जो लोग शॉट टर्म लोन लेते हैं. जो केवल खाद बीज हेतु 4 महीने के लिये लेते हैं. लेकिन किसान ट्रेक्टर के लिये, कल्टीवेटर के लिये, थ्रेसर के लिये बड़े बड़े जो ऋण मिलते हैं, उनके लिये आप जीरो परसेंट ब्याज पर ऋण नहीं देते हैं. वह उनको 12-13 परसेंट पर अन्य बैंकों से लेना पड़ रहा है. इसलिये हमारा कहना है कि जो एमओयू आपने साइन किया था, उसका आप पालन करें. केडर समाप्त करें. सोसायटी और बैंक की जो स्वायत्तता है, उसको बनाये रखें.

सभापति महोदय, 57 वां संविधान संशोधन हुआ, भारत सरकार ने किया. इसमें किसी भी बैंक को भंग करने का अधिकार नहीं है और नॉमिनेशन का कोई अधिकार नहीं है, बोर्ड को कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार नहीं है, परंतु आपने लगातार कई बैंकें हैं, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, इन बैंकों में अवैधानिक तरीके से कार्यकाल बढ़ाया है और भिण्ड, पन्ना और अन्य जगह पर आप बनाये हुए हैं. अभी तक अध्यक्ष, संचालक मण्डल बैठे हुए हैं, क्योंकि संचालक मण्डल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पीडीएस में तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है और वह राशि कहां पहुंचा रहे हैं, हर महीने उनका बढ़ जाता है. मैंने मंत्री जी को लिखा, रजिस्ट्रार को लिखा. जवाब आ गया कि राय दे दी गयी है.

शासकीय अधिवक्ता ने राय दे दी कि बढाया जा सकता है. जब प्रावधान ही नहीं है तो आपने संविधान के विपरीत काम किया है. अधिवक्ता की राय थी कि कार्यकाल को बढ़ाने के लिये आपको एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा. लेकिन बिना एक्ट में परिवर्तन किये आप कार्यकाल बढ़ा रहे हैं.

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में 38 भूमि विकास बैंक हैं, सभी बैंकों की वसूली 10-12 वर्षो से करीब 60% की कर रहे हैं. एक तरफ तो आप शपथ लेते हैं संविधान में न्याय की पक्षपात नहीं करूंगा फिर भी आपने कांग्रेस की जो 3-4 बैंके थीं उनके काम करने से (xx). उनको आपने भंग कर दिया, समाप्त कर दिया बाकी बैंकों की कम वसूली थी लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी समर्थक थीं उनको आपने भंग नहीं किया, क्या जनता को लूटने के लिये आपने उनको बैठा रखा है. यही आपका न्याय है ? क्या यही सहकारिता का सिद्धांत है ? इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है.

सभापति महोदय, फर्जी ऋण वितरण भी खूब हो रहा है. भिंड में एक सोसायटी में ऋण वितरण में डेढ़ करोड़ का घोटाला था. भोपाल से जांच के लिये 3-3 ज्वाईंट रजिस्टार को भेजा गया, उन्होंने संचालक मंडल ने रिपोर्ट दी कि संचालक मंडर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, संचालक मंडल को दोषी पाया, ऋण मुक्ति में, ऋण वितरण में, पीडीएस में 2 करोड़ रूपये का घपला किये हुये अधिकारी कर्मचारी को भी लगातार बैठा कर रखा है.हर महीने पीडीएस में उनके द्वारा भ्रष्टाचार कराया जा रहा है. मेरे पास में एक गुमनाम पत्र आया है. भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का पत्र है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा. उस पत्र में लिखा है कि जो एपीएल का गेहूं आता था वह गेहूं पिछले कई वर्षों से सीधे बाजार में जा रहा है, उसमें करोड़ों रूपये का घोटाला प्रतिवर्ष हुआ है. इसलिये आप उनको बनाये रखना चाहते हैं, यदि आप ईमानदार हैं तो आपको क्या लालच है.

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भोपाल में भूमि विकास बैंक द्वारा जमीन के वितरण में जो घोटाला हुआ है दोषी पर कार्यवाही की जायेगी. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आदिवासी ज्वाईंट रजिस्टार है वास्केल, लोकायुक्त द्वारा अनुमति हो गई, चालान प्रस्तुत हो गया, चूंकि वास्केल आदिवासी था इसलिये आपने उसको निलंबित कर दिया और जो दूसरा व्यक्ति जो डिप्टी रजिस्टार है वह भी इसमें लिप्त था उसको आपने निलंबित नहीं किया, उससे आपको क्या मोह है. आप न्याय की कुर्सी पर बैठें हैं तो किसी के साथ में आपको अन्याय नहीं करना चाहिये. यहां आपने एक आदिवासी के साथ में अन्याय किया है. (श्री गोपाल भार्गव द्वारा बैठे बैठे बोलेने पर कि वास्केल को निलंबित नहीं किया है) नहीं किया. तो आपको धन्यवाद.

माननीय सभापति महोदय, न्यायिक विभाग आपने सहकारिता से अलग किया है. न्यायिक विभाग में आपने 1 अतिरिक्त रजिस्टार, 4 संयुक्त रजिस्टार और 6 उप रजिस्टार नियुक्त किये हैं ताकि सहकारिता क्षेत्र को न्याय मिल सके और इन सब पर विभाग का करीब 1 करोड़ रूपये सालाना खर्चा हो रहा है. लेकिन देखने में यह आया है कि जिनके पक्ष में आप न्याय नहीं कराना चाहते हैं उनको तो भेज देते हैं बाकी अधिकारियों से वहीं के वहीं फैसला करवा लेते हैं, आप सभी को न्यायिक विभाग में क्यों नहीं भेजते हैं, या तो प्रकरण वहां भेजें या फिर इस न्यायिक विभाग को बंद कर दें क्योंकि 1 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष इस पर

खर्चा हो रहा है. सारे विवादित मामले न्यायिक विभाग में पहुंचना चाहिये डिप्टी रजिस्टार के पास में नहीं पहुंचना चाहिये यह हमारा आपसे कहना है. इस हेतु आप निर्देश जारी करेंगे.

सभापति महोदय, तिलहन संघ में तत्कालीन रजिस्टार धर्माधिकारी जी थे इनके पास में रजिस्टार का पद और सचिव का चार्ज भी था उन्होंने लगभग 100 करोड़ रूपये की ब्जाज की हानि अपेक्स बैंक को पहुंचाई . इस मामले की जांच हुई, जांच रिपोर्ट आ गई, उनको दोषी पाया गया तो शासन इनके विरूद्ध भी कार्यवाही करे यह आपसे अनुरोध है.

सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार के समय में मंत्रि -मंडल में एक निर्णय हुआ था ICDP(Integrated Conservation and Development Project) से जो ऋण मिलता है वह बहुत मंहगा मिलता है जबकि अपेक्स बैंक सस्ते में ऋण दे सकती है, ICDP 12% से 13% में अगर ऋण चूक जाये तो दंड ब्याज मिलाकर के 14% ऋण लेती है . इसलिये इस ICDP योजना का चलाने की आवश्यकता नहीं है.

सभापति महोदय, इंदौर क्लॉथ मार्केटिंग हाउसिंग सोसायटी का गठन हुआ. 3.11 हेक्टेयर जमीन 1996 में इस सोसायटी ने क्लॉथ मार्केटिंग हाउसिंग सोसायटी के रहवासियों के मकान बनाने के लिये जो जमीन अभी 2013 में ली उसकी उस समय कीमत थी 31.50 लाख और उसी जमीन को अभी एक साल पहले 33 लाख में बेच दी जबकि इस समय उस जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपया है. इसकी जांच हुई. जांच के बाद कार्रवाई करने के लिए, जो अधिकारी दोषी है, उसी को दे दी. कलेक्टर ने लिखा कि कार्रवाई करो. जिस अधिकारी ने इसमें भ्रष्टाचार किया था, उसी अधिकारी को जांच में कार्रवाई करने के लिए भेज दिया. उस अधिकारी ने एफआईआर में अपना नाम छोड़ दिया और बाकी सबके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी. हमारा अनुरोध है कि जो घपलेबाज लोग हैं उनके नाम भी एफआईआर में दर्ज कराकर सजा दिलायें.

सभापति महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं. माननीय मंत्रीजी अपने उत्तर में बतायें कि तेरहवें वित्त आयोग में जो राशि ग्राम पंचायतों के विकास के

लिए मिली थी उसका उपयोग आपने चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायकों के क्षेत्रों में 50-50,60-60 लाख रुपये की स्वीकृति दी. पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के संचालनालय से पत्र गया कि यह सूची संलग्न है इसके अनुसार स्वीकृति दी जाती है. तत्काल काम प्रारंभ करें. सारे काम मिट्टी-तालाब के थे. आचार संहिता के 15 दिन पहले वह काम हो नहीं पाये. फर्जी बिल बन गये और करीब 60-70 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ाने वाले कार्यकर्ताओं तक पहुंचाये. यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है. भारत सरकार के द्वारा दी गई राशि की हेराफेरी है. मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राशि मंत्रीजी आपकी नहीं है यह जनता का पैसा है. आपने चुनाव के पहले एक दिन में 2700 करोड़ रुपये के शिलान्यास कर डाले. पूरे वित्त आयोग का 2700 करोड़ रुपया आपने ले लिया. स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया. अकेले मुख्यमंत्रीजी के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की सीसी रोड बनवा दी. जो नैसर्गिक न्याय है कि जनसंख्या के हिसाब से सबके यहां पैसा पहुंचना चाहिए था. आपने पद का दुरुपयोग किया है.

सभापति महोदय, कई पंचायतों में आपने मनरेगा में सीए ऑडिट का ठेका दे दिया. ऑडिट का ठेका 30 करोड़ रुपये का और 15 करोड़ रुपये एडवांस में दे दिये. अंधा बांटे रेवड़ी, चिन्ह-चिन्ह के दे. इस प्रकार के काम का ओपन टेंडर करना चाहिए था. बिना अनुमति के आपने 15 करोड़ रुपये एडवांस में दे दिये, जब देवपुत्र पत्रिका में छपा तो फिर आपको वापस करना पड़ा. इसी प्रकार भिण्ड जिले में कलेक्टर ने तीन साल पहले इंटीग्रेटेड वॉटर मेनेजमेंट कमेटी बनायी. इसमें करीब डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला है. हमने विधानसभा प्रश्न भी लगाये. आप उसकी तत्काल जांच करायें.

सभापति महोदय, अंतिम बात कहना चाहता हूं. मुरैना में ग्राम पंचायत घोसपुर है. तत्कालीन मंत्रीजी ने विधानसभा में आश्वासन दिया और उसका ट्रांसफर किया. घोसपुर में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति सरपंच चुना गया. पूरे 5 साल निकल चुके लेकिन आज तक सचिव ने उसको केश बुक नहीं देखने दी चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं है. केवल उसके नाम की उसने सील बनवा ली है. सरपंच घोषणा पत्र लिये घूम रहा है कि हम सरपंच हैं. आज तक उस सरपंच को काम नहीं करने दिया. आपने सचिव का स्थानांतर किया लेकिन उसके बाद भी सचिव वहीं पर है. पूरे 5 साल निकल गये. यह प्रजातंत्र की हत्या नहीं है? एक निर्वाचित सरपंच के साथ अन्याय नहीं है? इस प्रकार के काम करने वाले सचिव पर कठोर कार्रवाई होना

चाहिए. इसी प्रकार मुरैना की एक और पंचायत है पिपरई. पिपरई पंचायत के सचिव ने सरपंच के बिना हस्ताक्षर कराये बैंक से 9 लाख रुपया निकाल लिये. सरपंच ने शिकायत की तो सरपंच की पिटाई कर दी. यह सचिवों के हाल हैं. आप ये दोनों मुद्दे दिखायें. इसमें सचाई है, वास्तविकता है और जिन सचिवों ने इस तरह के काम किये हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें. उसका स्थानांतर करने के बाद आदेश का पालन नहीं करा पाये हैं तो यह सरकार की अक्षमता है.

सभापति महोदय, लहार की गाथा पंचायत में भी सरपंच शौचालय और आवास के पूरे पैसे खा गये. आज तक पैसा नहीं मिला. इसकी भी शिकायत की, विधानसभा प्रश्न भी लगाये और आपने आश्वासन दिया था कि जांच करके कार्रवाई करेंगे उस पर कार्रवाई करें. धन्यवाद.

श्री गिरीश गौतम (देवतालाब) – माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान की मांग संख्या 17 30 34 59 62 74 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कटौती प्रस्तावों के विरोध में खड़ा हुआ हूं.

सभापति महोदय, सहकारी संस्थाएं आपसी सहायता पर आधारित तमाम सहकारी संस्थाएं पूरे क्षेत्र के अंदर, सुदूर गांव के अंदर अंचलों तक काम करती हैं. प्रदेश में निश्चित तौर पर गांवों में रहने वाली जनसंख्या ज्यादा है कमजोर वर्ग के लोग हैं. उनके उत्थान के लिए यह समिति काम करती हैं. यह किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का काम, फसल को समर्थन मूल्य पर किसान की उपज को संग्रहण करने का काम, किसानों को कृषि से संबंधित आदान सामग्री जैसे खाद्य बीज आदि के वितरण काम में लगी हुई है. सहकारी संस्थाएं, डेयरी, बुनकर, मत्स्य पालन, वनोपज, बीज उत्पादन, उपभोक्ता आवास के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं. प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यह कहा कि किसानी को लाभ का धंधा बनाया जायेगा. उस समय सबसे बड़ा काम यह करना पड़ा कि जो 2003 के पहले किसानों से 16 और 17 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता था उसको बार बार घटाकर के अंत में शून्य प्रतिशत किया गया है. उसका परिणाम यह निकला है कि प्रदेश में बम्पर उत्पादन खेती में शुरू हुआ है. इस वर्ष ही आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदा आयी है उसके बाद में भी फसलों का नुकसान होने के बाद में भी, जो हमने गेहूं का उपार्जन किया है, वह 72 लाख मैट्रिक टन समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया है. इससे यह पता चलता है कि जो सरकार की तरफ से शून्य प्रतिशत पर ब्याज देना शुरू किया गया है उसके परिणाम के तहत किसान यह काम कर पाये हैं. इसीलिए विभाग द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना जारी रखी जा रही है. इसलिए मैं बजट के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं.

माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन, समर्थन एवं खाद्यान्न, लघु वनोपज का संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि सहकारी संस्थाओं की उपस्थिति का अनुभव प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है. बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बीज समितियों के द्वारा उल्लेखनीय काम किया जा रहा है. बीज समितियों के द्वारा 2004 के बाद से लगातार कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जा रहा है. बीज संघ के द्वारा बीज समितियों के माध्यम से 2012-13 में 12.72 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन

किया गयाहै. जिससे प्रदेश में बीज की उपलब्धता बढ़ी है. इस वर्ष बरसात से सोयाबीन की उत्पादकता का कार्यक्रम प्रभावित होने के बाद में भी 1.86 लाख क्विंटल सोयाबीन का बीज बीज संघ के द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया गया है. सोयाबीन के अतिरिक्त उड़द मूंग तिल मक्का धान के बीज उत्पादन में बीज समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसलिए विभाग में फिर से अपने बजट में बीज संघ को सहायता देने के लिए 5.50 करोड़ की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है. इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं.

माननीय सभापति महोदय, बिना किसी त्रुटि के पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कार्य करने का बहुत अधिक महत्व है. सहकारी संस्थाएं ग्रामीण अंचलों में किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान, शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के कार्य में संलग्न हैं उक्त स्थिति में अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इन संस्थाओं के कार्य का कम्प्यूटरीकरण हो और इसीलिए इस दिशा में काम किया जा रहा है और इसलिए भी मैं इस बजट का समर्थन करता हूं.

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दृष्टिपत्र 2018 कृषि आदानों के ऋण विपणन अन्य कृषि सुविधाओं के लिए प्राथमिक कृषि सोसायटी सहकारी कृषक सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है. इससे एक ही स्थान पर उनकी आवश्यकताओं से संबंधित समस्त सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी. माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश की सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को खासकर किसानों की उन्नति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रदेश के 6 जिले क्रमश: छतरपुर, दमोह, दतिया, सागर, पन्ना, टीकमगढ़ में प्राथमिक सामान्य सुविधाओं के लिए 43 केन्द्र बनाये जा रहे हैं.27 स्थानों पर निर्माण काम पूरा हो चुका है, 16 स्थानों पर निर्माण काम जारी है प्रत्येक सामान्य सुविधा केन्द्र में 2 हजार 3 हजार मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम, विपणन, दुकानें, सूचना, सायबर कैफे, बीज प्रसंस्करण इकाई भारी वाहन वर्कशाप, जलपान गृह, किसान आराम गृह, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि कार्यशाला डिस्प्ले सेण्टर बचत बैंक आदि के लिए अधोसंरचना विकसित की गई है. ग्राम स्तर पर ही कृषि एवं कृषि की अनुषंगित गतिविधियों का संचालन

हो सकेगा तो इससे यह पता चलता है कि यह जो बजट मांगा है यह जनहितैषी योजना एवं कार्यक्रम का जीवंत उदाहरण है इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करताहूं.

सभापति महोदय, प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के रासायनिक उर्वरकों के वितरण में लगातार बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2003 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो रासायनिक उर्वरकों का 971 लाख मीट्रिक टन का वितरण किया गया था, जो वर्ष 2013-14 में 3 गुना बढ़ गया है. इससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है. किसानों की आय भी बढ़ी है.

डॉ. गोविन्द सिंह - सभापति महोदय, परम्परा यह है कि पूरा भाषण नहीं पढ़ सकते.

सभापति महोदय - वे पढ़ नहीं रहे हैं. बीच में संख्या दे रहे हैं

डॉ. गोविन्द सिंह - वे सीनियर एमएलए हैं, कोई नये एमएलए नहीं हैं.

श्री गिरीश गौतम - सभापति महोदय, केवल आंकड़ें देखकर बता रहे हैं. मैं पढ़ नहीं रहा हूं. वर्ष 2012-13 के दरम्यान यह 24.59 लाख मीट्रिक टन, यह तो आंकड़ा है. इस बजट का मैं समर्थन करता हूं. आंकड़ें तो आपको भी दिखाना पड़ेंगे. सभापति महोदय, यह वर्ष 2003 में प्रदेश में 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक थे. 28 बैंक बैंकिंग रेग्यूलेशन 1949 की धारा 11 (1) का पालन नहीं कर पा रही थीं. वर्तमान में हमारी सभी 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक धारा 11 (1) का अनुपालन कर रहे हैं. रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त हो गया है. तमाम सारी जो बातें हुई हैं, इस सरकार में हुई हैं. सरकार ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, समाज के जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए काम किया है, इसलिए मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं. आंख मूंद कर समर्थन के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं. जैसे आप खड़े होते हैं तो किस बात के लिए खड़े होते हैं कि हमको विरोध ही करना है.

सभापति महोदय, किसानों को सहकारी बैंक से अल्पावधि फसल ऋण का वितरण 1213 करोड़ रुपए का था.

डॉ. गोविन्द सिंह - यह कौन-सा आंकड़ा है?

श्री गिरीश गौतम - आंकड़ा है, मैं यह दे रहा हूं. सभापति महोदय, सहकारी केन्द्रीय जमा वर्ष 2013-14 में 11891 करोड़ रुपए अब पहुंच गई है. इस तरह से मैं इसका समर्थन करता हूं. मैं इसी से साथ

सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक विशेष ध्यान रखेंगे. जो लीड संस्थाओं का काम वर्ष 2003 के पहले किया करते थे, लीड संस्थाओं के माध्यम से जो बंटता था, उसको बंद करने का हमारी सरकार ने काम किया है. उसका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है कि सीधे समितियां अनाज उठा लें और ले जाकर उसका वितरण करें. बीच की जो लीड संस्थाएं हैं उनको खत्म करने का काम करना चाहिए. सामाजिक न्याय विभाग के बारे में भी जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं. आप देखेंगे कि आपके जमाने में नहीं रहा है, मंदबुद्धि बहुविकलांगता हित सहायता अनुदान, इसमें बीपीएल की शर्त हटा दी गई है. निःशक्तजनों की जो पेंशन थी, उसको 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है. इस तरह से सामाजिक हित के और गरीबों के हित के जो काम सरकार ने किये हैं, यह इस विभाग के द्वारा किये गये हैं, इसलिए इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं.

सभापति महोदय, यह जो विकलांगता है, इसमें केवल मंदबुद्धि और बहुविकलांगता हित सहायता अनुदान के लिए बीपीएल की शर्त हटाई गई है, यह तो वाकई में तारीफ करने के योग्य है. परन्तु माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाय जो विकलांग हैं परन्तु गरीबी की रेखा में नहीं हैं. जैसे कोई पूरी तरह से दोनों आंख से अंधा है, परन्तु उसकी शर्त यह है कि उसको भी बीपीएल में होना जरूरी है, तभी उसको अनुदान मिलेगा क्योंकि मंदबुद्धि और बहुविकलांगता की श्रेणी में वह नहीं आता है तो मेरा आग्रह यह है कि इस शर्त को भी हटाएंगे. ऐसे विकलांग जैसे किसी को बचपन से पेरालिसिस है या इस तरह से कोई उसको रोग हो गया, जिसके कारण वह चलने फिरने लायक नहीं है तो बीपीएल की शर्त उसमें भी हटाने की आवश्यकता है.

सभापति महोदय, दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि जो विधवा हैं उनके लिए पेंशन में बीपीएल की शर्त है. उसको भी हटाने की आवश्यकता है.

हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने प्रदेश की भलाई के लिए बहुत काम किए हैं. तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं ,उसमें अभी निराश्रित पेंशन को आधार बनाया जाता है. जिसका कोई न हो, लड़के न हों, बच्चे न हों तभी उसको माना जाता है या बी.पी.एल. की शर्त रहती है. इसमें भी मेरा निवेदन है कि दोनों शर्तों को हटाने की आवश्यकता है. एक तो

जो बी.पी.एल. का होना जरूरी है वह भी हटा लें और दूसरा ये कि उसके बच्चे यदि हैं तो उस शर्त को भी हटाने की आवश्यकता है. मेरा सुझाव यह है कि जो व्यक्ति 65 साल से ऊपर का हो गया है जो किसी तरह की पेंशन नहीं पाता है, जो सरकार कर्मचारी होकर रिटायर नहीं हुआ है. उनको सबको पेंशन देने का प्रस्ताव बना कर के काम करने की आवश्यकता है. मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको भी शामिल करने का काम करें. (व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष द्वारा भगवा तौलिया ओढ़ कर सदन में प्रवेश किया गया)

एक माननीय सदस्य—माननीय प्रतिपक्ष के नेता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सांकेतिक रूप से वे हमारी पार्टी में आने का संकेत सदन में दे रहे हैं.

श्री मुकेश नायक—माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि अगर व्यापम के आरोप अगर सिद्ध हो गये तो वे सन्यास ले लेंगे. व्यापम के आरोप,पी.एस.सी. के आरोप सिद्ध हो चुके हैं और इसलिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता ये जो तौलिया पहने हुए हैं ये मुख्यमंत्री जी के लिए है (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपनी भांजी को गलत तरीके से पी.एस.सी. में सिलेक्ट करवाया ये सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया है और सरकार जब स्वीकार कर चुकी है तो वे ये ले जाएं और अब वे सन्यासी हो जायें और ये कमण्डल भी उनको दे दिया जाय, ये उनके लिए व्यवस्था है. ये ले जाओ उनके पास. (व्यवधान)

(श्री बाला बच्चन जी कमण्डल,घंटी और भगवा वस्त्र को सदन के पटल पर रख कर अपने आसन पर चले गये)

सभापति महोदय—ये सब सदन में नहीं करेंगे. गौतम जी आप चर्चा चालू रखें. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—(व्यवधान) सभापति महोदय, हमने मंत्री का उत्तर पढ़ा. उसको पढ़ने के बाद हम ये लेकर आए हैं. (व्यवधान) हमने दो दिन इंतजार किया, सरकार का उत्तर आने के बाद. मंत्री का उत्तर पढ़ने के बाद. उसके बाद हम ये लेकर आए हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—सभापति जी जनता ने इनको तीन बार सन्यास दे दिया. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—सभापति जी, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि यदि एक भी आरोप सिद्ध हो जाय तो मैं सन्यास ले लूंगा. उनकी भांजी का गलत सिलेक्शन हुआ ये सरकार ने भी स्वीकार किया. (व्यवधान) इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुख्यमंत्री जी से कहिये कि वे सन्यास लें. उनके लिए हम ये कपड़े ले आए हैं और पूरी व्यवस्था कर दी है.

सभापति महोदय—इस समय ये सब करना उचित नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे—सभापति जी, हमारी आपसे प्रार्थना है , आप बहुत सज्जन आदमी हैं अब आप उनको ये पहुंचा दे.. (व्यवधान)

सभापति महोदय—देखिये आप एक जिम्मेदार पद पर हैं. ये उचित नहीं है. (व्यवधान)कटारे जी ये उचित नहीं है, मांग संख्या का अभी जवाब आ रहा है.

श्री सत्यदेव कटारे—सभापति जी अब तो सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं बचा है कि मुख्यमंत्री जी सन्यास लें. आपके मंत्री ने स्वीकार किया है कि ऋतु चौहान के दस्तावेजों में त्रुटि थी. (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा- (व्यवधान) आपकी बात आपके दल के लोग स्वीकार नहीं करते.

श्री सत्यदेव कटारे—आप दल की चिन्ता छोड़ो अपनी चिन्ता करो, अपनी. सभापति जी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि एक भी आरोप सिद्ध हो जाय, आरोप सिद्ध हो गए. सदन में मंत्री ने उत्तर दिया. सरकार ने सदन में उत्तर दिया (व्यवधान) हमने नहीं दिया.आपका मंत्री उत्तर दे रहा है. आप कहां थे. दस्तावेज गलत थे, मुख्यमंत्री जी की भांजी चयनित हो गई. ऐसा क्यों हुआ? (व्यवधान)..

12.45 बजे {उपाध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए}

श्री सत्यदेव कटारे—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में और सदन के बाहर भी कहा था कि एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो सरकार का उत्तर आने के बाद आरोप सिद्ध हो गया. सरकार के उत्तर तक हमने प्रतीक्षा की, दो दिन तक हम कुछ नहीं बोले, दो दिन बाद हमने देखा कि सरकार का उत्तर आ गया, हमने पढ़ लिया, मंत्री का उत्तर पढ़ने के बाद हम सदन में आए. सदन में यह बात आ चुकी है.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्रा)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें. मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से इन वस्तुओं का इस सदन में प्रदर्शन करना उचित है. सदन की चलती हुई कार्यवाही में, बजट की चर्चा में इस तरह से इन वस्तुओं का प्रदर्शन करने की क्या इन्होंने अनुमति ली? और लाए हैं तो किस नियम और किस प्रक्रिया से लाए है? मैं आपसे यह भी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से लाने का अधिकार है?

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी मैं व्यवस्था दूंगा.

एक माननीय सदस्य—यह नौटंकी कर रहे हैं. पेपर में नाप छपने के लिए यह ऐसा कर रहे हैं (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—समाचार पत्रों में स्थान पाने के लिए नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन की परंपराओं का इस तरह से माखौल उड़ाया जायगा, यह बहुत चिंता की बात है. सवाल नरोत्तम मिश्रा का नहीं है. सवाल सदन का मर्यादाओं का पालन करने का है, नहीं तो सदन कैसे चलेगा? आप व्यवस्था दीजिए. यह निंदा की बात है. इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्रीजी बैठ जाएं, इस पर हम व्यवस्था देंगे. पहले विचार कर लेने दीजिए.

श्री सत्यदेव कटारे—उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी सुन लीजिए.

उपाध्यक्ष महोदय—संक्षेप में आप अपनी बात कहें.

श्री सत्यदेव कटारे—उपाध्यक्ष महोदय, हमने सदन में आरोप लगाए थे और कुछ दस्तावेज रखे थे. जब सरकार ने उत्तर दिया, सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य जी ने उत्तर दिया तो उन्होंने उन गल्तियों को स्वीकार किया, हमने दो दिन तक इंतेजार किया, मंत्री के उत्तर की जब प्रतिलिपि बुलवा ली, मंत्री का उत्तर पढ़कर जब मैंने समाधान कर लिया कि हमारे लगाए आरोपों को मंत्री जी ने स्वीकार किया है और सरकार,मुख्यमंत्री जी घेरे में हैं, अपनी भांजी को गलत तरीके से चयन करवाने के लिए, यह सरकार ने स्वीकार किया है. सरकार के उत्तर में है.

उपाध्यक्ष महोदय—यह विषय अब नहीं आएगा.

श्री सत्यदेव कटारे—चूंकि उन्होंने घोषणा की थी कि एक भी आरोप सिद्ध हो जाएगा तो वह सन्यास ले लेंगे. अब वह तो सदन छोड़कर भाग गए.

उपाध्यक्ष महोदय—बजट पर चर्चा चल रही थी, यह गलत है.

श्री सत्यदेव कटारे—सरकार के उत्तर से वह बात सिद्ध हो गई है, इसलिए हम इसे लेकर आए हैं. उपाध्यक्ष महोदय, जब मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं....

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दीजिए.

उपाध्यक्ष महोदय—मैं व्यवस्था दूंगा.

एक माननीय सदस्य—इतने वरिष्ठ होने के बाद नेता प्रतिपक्ष कानून का उल्लंघन करते हैं, अपनी मर्यादाओं में नहीं रहते. (व्यवधान)

श्री शंकरलाल तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि चर्चा चल रही है बजट पर और चर्चा चलाई जाए.

उपाध्यक्ष महोदय—तिवारी जी सबसे उत्तम सुझाव आपका है.

श्री शंकरलाल तिवारी—यह कमंडल और वस्त्र (xx) को भेजा जाय और बताया जाय कि मध्यप्रदेश में उनकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र का मजाक किस तरह उड़ा रहा है. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—यह गलत है, देखिए संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े हुए हैं, वह व्यवस्था चाहते हैं.

श्री सत्यदेव कटारे—उपाध्यक्ष महोदय, तिवारी जी को माफी मांगनी चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं. आपकी बात मैंने सुनी है, उनकी भी बात सुन लेने दें. एक मिनट भार्गव जी को बात करने दें.(व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे-- तिवारी जी माफी मांगे. उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी सुन लीजिए. मैं नियम बता देता हूँ जिस नियम के तहत 1997 में यह सारे सदस्य लोग जो इसमें से थे, यहां तबादलों की सूची लेकर के आये थे, उसी नियम के तहत् हम ले के आये हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—मेरी बात सुन लीजिए. पहली बात पहले हो जाने दीजिए, संसदीय कार्यमंत्री जी ने व्यवस्था मांगी है.

श्री गोपाल भार्गव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें.

उपाध्यक्ष महोदय-- उसके पहले आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री गोपाल भार्गव—जी.

उपाध्यक्ष महोदय-- उनकी बात से जोड़कर?

श्री गोपाल भार्गव-- जोड़कर. उपाध्यक्ष जी, प्रदेश के लाखों, करोड़ों बदहालों,मुफलिसों,गरीबों और बेसहारा विकलांग लोगों की मांगों पर चर्चा हो रही है.गौतम जी चर्चा कर रहे थे. नेता प्रतिपक्ष जी हैं, नियम और प्रक्रिया और जो हमारी आचरण की संहिता है किसी वाह्य वस्तु का इस सदन के अन्दर प्रदर्शन अपराध है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ..(व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा,आप किसी दिन चाकू ले आओगे.

श्री सत्यदेव कटारे-- हमें फांसी लगा दो, हम तैयार हैं..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय-- आपने बात कह ली है, अब आप बैठ जाएं.

श्री गोपाल भार्गव-- किसी दिन आप पिस्टल ले आओगे, किसी दिन चाकू ले आएंगे, किसी दिन इस तरह से अस्त्र शस्त्र ले आएंगे.उपाध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था आपको देना होगी यदि सदन का संचालन करना है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—कृपा कर बैठ जाएं. एक बात पर व्यवस्था आ जाने दीजिए. संसदीय कार्यमंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है. उस पर व्यवस्था आ जाने दीजिए. भार्गव साहब ने भी यह बात उठायी है, व्यवस्था आ जाने दीजिए.

श्री रामनिवास रावत- उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी व्यवस्था का प्रश्न है.

उपाध्यक्ष महोदय—उसके बाद न आयेगा? यह व्यवस्था पर व्यवस्था, व्यवस्था पर व्यवस्था चलती रहेगी, ऐसा कैसे होगा.

श्री सत्यदेव कटारे—उपाध्यक्ष महोदय, दोनों की व्यवस्था एक साथ दे देना.

उपाध्यक्ष महोदय—हम दे देंगे अलग से उनकी भी व्यवस्था. अच्छा क्या है आपका व्यवस्था का प्रश्न? रावत जी मुख्य सचेतक है उनको अपनी बात कह लेने दीजिए और माननीय सदस्य बैठ जाएं. आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री रामनिवास रावत-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात जब सदन में आती है तो लोग अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है. 1997 में जब कांग्रेस की सरकार थी . आप लोगों ने इतनी लम्बी सूची ट्रांसफर्स की कम से कम 500 मीटर,...

उपाध्यक्ष महोदय—इस विषय से क्या रिलेटेड है?

श्री रामनिवास रावत-- इस विषय से यह रिलेटेड है कि इनका प्रदर्शन, मुख्यमंत्री ने यहां यह बात उठायी थी कि कोई बात सिद्ध हो जाती है तो मैं सन्यास ले लूंगा. उसके प्रतीकस्वरुप है और इस बात पर सत्तापक्ष के सदस्य जिन्होंने इस सदन के सदस्य नहीं है उस तरह का आरोप लगाया है, आचरण किया है,इसकी हम निन्दा करते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- यह व्यवस्था की बात नहीं हुई . अब आप बैठ जाएं.(व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—सुन ली उपाध्यक्ष जी, आप व्यवस्था दे दें.

उपाध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाएं. वही बात दोहरायी जा रही है.वही बात कटारे साहब ने कही, वही बात आप दोहरा रहे हैं (व्यवधान)

वन मंत्री(डॉ. गौरीशंकर शेजवार)- उपाध्यक्ष महोदय, एक उद्धरण दिया गया है, उसी के संबंध में बताना चाहता हूँ,उससे बिलकुल जुड़ा हुआ मामला है. रावत जी आपने कहा कि विधानसभा में एक लम्बी सूची प्रदर्शित की गयी थी. वह जो सूची थी वह सरकार ने गलत तरीके से तबादले किये थे उसकी सूची थी. यदि हम उसी विषय का अनुकरण करना चाहते हैं तो मैं उसमें सहमत हूँ . वह सूची मैंने और अन्य कुछ सदस्यों ने प्रदर्शित की थी और उस सूची को विशेषाधिकार भंग समिति को सौंपा गया था और मेरे ऊपर सदन की अवमानना और विशेषाधिकार का मामला चला था.

उपाध्यक्ष महोदय—डाक्टर साहब, उनका व्यवस्था का प्रश्न था. आप भी व्यवस्था कोई चाहते हैं?

डॉ. गौरीशंकर शेजवार-- मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं था.आपने जो उदाहरण दिया था.मेरा यह कहना है कि यह जो कमंडल और यह जो इन्होंने किया है इस पर भी विशेषाधिकार भंग की समिति को यह जानना चाहिए और इनके खिलाफ अवमानना का चलना चाहिए. यह उदाहरण आपने दिया, मैंने उदाहरण नहीं दिया (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉ.साहब बैठ जाए. देखिये, व्यवस्था एक हो जाने दीजिए.एक समाधान हो जाने दीजिए . वैसे तो बजट पर चर्चा हो रही है , किसी नियम के तहत् ये मामले उठाये जा रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं , यह नियम के तहत् नहीं है,यह मात्र व्यवधान है.

श्री सत्यदेव कटारे—(xxx) (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय-- इसको कार्यवाही से निकाल दें. मामले पर संसदीय कार्यमंत्री जी ने व्यवस्था मांगी है.

श्री सत्यदेव कटारे—वित्त मंत्री जी ने बजट में ये चीजें सस्ती कर दी हैं इसलिए लाये हैं. (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था दें.

उपाध्यक्ष महोदय—इस पर मेरी यह व्यवस्था है कि किसी बाहरी वस्तु को लाने के लिए स्पीए स्पीकर के परमीशन की आवश्यकता है और अगर नहीं लेते तो वह उचित नहीं है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—उपाध्यक्ष जी, मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है.

श्री सत्यदेव कटारे—पहले इनके सदस्य ने बड़ी तारीफ की थी कि गेरुआ वस्त्र कटारे जी ने डाल दिया है वे भाजपाई हो गए हैं (व्यवधान)

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—यह वस्तुएँ नहीं है, यह कमण्डल किसी के सिर पर मारा जा सकता है, वह घायल हो सकता है , वह मर सकता है ,यह घातक चीजों में आता है, यह चीजें आप किसकी अनुमति से लाये हैं .

उपाध्यक्ष महोदय—आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर सदन का विशेषाधाकिर भंग करने का मामला चलना चाहिए (व्यवधान) यह मैं मौखिक रुप से प्रस्तुत करता हूँ और यह आपसे मांग करता हूँ कि विशेषाधिकार समिति को यह सौंपा जाए. (व्यवधान)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- आप भ्रष्टाचार करिये, गलत नियुक्तियां करिये और बात उठ जाए.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—(x x x)

उपाध्यक्ष महोदय—यह कार्यवाही से बाहर निकाल दीजिए. ..(व्यवधान)..

विधानसभा की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित .

(12.59 बजे से 2.30 बजे तक अन्तराल)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

2.35 बजे विधानसभा पुनः समवेत हुई
(उपाध्यक्ष महोदय(डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए)

श्री गिरीश गौतम-- माननीय उपाध्यक्ष जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के बारे में थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहता हूँ. इस विभाग से बहुत सारी योजनाएँ पंचायत के माध्यम से ग्राम के विकास के लिए बनायी गयी हैं, जबर्दस्त योजनाएं है, उनका क्रियान्वयन भी ठीक ढंग से हो रहा है . मैं एक दो योजनाओं के संबंध में जरुर निवेदन करना चाहता हूँ. एक तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के भीतर से केवल मुरम तक का काम किया जाता है और बाद में उसमें कोई दूसरा काम नहीं होता है तो इसमें मेरा आग्रह यह है कि इस पूरी सड़क को डामरीकरण तक ले जाएं, डब्ल्यूबीएम करें तब जाकर के वाकई में गांव के भीतर अच्छी सड़क हम दे पायेंगे. दूसरा उसमें यह आग्रह है कि जो सड़क मुरम तक डालते हैं उसके किनारे नाली नहीं बनाते हैं और उस सड़क के भीतर से नालियों का कोई प्रावधान भी नहीं रहता है तो नालियों का भी निर्माण हो जिससे पानी के भराव की जो स्थिति होती है और गांव के भीतर उस सड़क को लोग काट देते हैं तो कम से कम नाली का निर्माण रहेगा तो लोग सड़क को काटेंगे नहीं, तो इसमें एक तो नाली का निर्माण हो जाए. एक निवेदन यह करना चाहता हूँ कि यह मुख्यमंत्री आवास योजना जो है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवासि मि मशन है इसके माध्यम से , इसमें तो बीपीएल भी हटा लिया है, यह वाकई में बहुत बड़ा काम है जिससे तमाम् उन गरीबों को भी जो बीपीएल के भीतर नहीं हैं, उनको भी आवास योजना का लाभ मिल सकता है परन्तु इसको भी थोड़ा सा सरल बनाने की आवश्यकता है. इसमें दो तीन दिक्कतें आ रही हैं. एक दिक्कत तो यह आ रही है कि इसमें आवास के लिए हितग्राही से बहुत सारे डाक्यूमेंट कलेक्ट कराये जाते हैं जैसे बी-1, खसरा,नक्शा, ऋणपुस्तिका, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिचय-पत्र, बैंक खाता प्रमाण पत्र, भू-धारक प्रमाण पत्र और फिर इसमें बैंक वाले उनसे कहते हैं कि रजिस्ट्रार से मार्टगेज या रजिस्ट्रेशन कराइये. रजिस्ट्रेशन में पैसा लगता है और ये सारे प्रमाण पत्र इकट्ठा करने में भी पैसा लगता है. जब बाद बैंक के भीतर में ये सारे कागजात जाते हैं तो कई बार बैंक इसको मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, सह-खातेदार हैं तो सह-खातेदार होने के नाते उनका बैंक लोन, एडवांस नहीं करते, न उनको देते हैं तो मेरा निवेदन है कि इसका सरलीकरण करें और ज्यादा बेहतर व्यवस्था यह होगी कि आपने एमओयू

नेशनलाइज्ड बैंक से करके रखा है उसमें आपने सहकारी बैंकों से भी किया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भी किया हैं तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर यह होगा कि सहकारी बैंकों के माध्यम से ही इसमें बैंक के लोन का जो सिस्टम है क्योंकि वे आपके दबाव में रहेंगे और बैंक वाले ज्यादा से ज्यादा पैसा ग्राम वालों को दे सकेंगे.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सुझाव है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण से जो सड़क है, मेरे क्षेत्र की है, उसके संबंध में थोड़ी सी मांग कर देना चाहता हूँ, यह कटरा से मऊगंज सड़क है, पूरी तरह से खराब है. पहले पीडब्ल्यूडी की थी. अब आजकल इस सड़क को आपने ले लिया है तो इस सड़क को तत्काल बनाने की व्यवस्था करें. कई सड़कों में दो विभागों का पैसा मंजूर हो जाता है, मेरे क्षेत्र में भी कांटी से भोलारा रोड है, इसका पहले पीडब्ल्यूडी से बजट सेंक्शन हुआ, उसका आधा काम, मिट्टीकरण तक का काम भी हो गया. अब आपने शायद इसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भीतर से ले लिया है. अब दोनों विभागों के विवाद के कारण वह सड़क रुकी हुई है तो इसको आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से डी-नोटीफाइड करें. पीडब्ल्यूडी का काम है उसको चलते रहने देना चाहिए. मेरा एक आग्रह और है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से आपने गांव की सड़कें बनायी हैं, यह जो फोरलेन का काम चल रहा है इनके ठेकेदारों द्वारा उन सड़कों को ओव्हरलोड ट्रक से या डम्पर से या ज्यादा भारी वाहनों से लाकर के पूरी सड़क को चौपट कर दिया गया है. जो सड़कें हमने ग्राम के लोगों की सुविधा के लिए तैयार की थी उनकी मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है. ऐसा बताया जरुर जाता है कि कोई एग्रीमेंट उनसे हैं पर वे सड़कों का निर्माण नहीं करते, बनाते नहीं हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी है, इस विभाग की जिम्मेदारी है उस पर भी विचार करें और देखें कि यदि सड़क का नुकसान उन्होंने किया है तो सड़क की भरपाई भी उनको करने की आवश्यकता है, यह मेरे सुझाव हैं.अंत में मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विभाग का जिस तरह से संचालन किया है,वाकई में पूरे मध्यप्रदेश के भीतर पंचायत विभाग से और सहकारी विभाग से प्रदेश का भला करने का काम किया है .अंत में एक छोटी सी मांग करते हुए कि एक पन्नी सहकारी समिति मर्यादित है, मेरे क्षेत्र के भीतर ही है इसमें 2005 में 1 करोड़ 3 लाख का घपले का मामला पैदा हुआ था जिस पर से राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में अपराध क्रमांक 8/5 पर 409,420,467,468,471,120(बी) भादवि 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार मुकदमा भी कायम हुआ था परन्तु आज तक उसमें कार्यवाही नहीं हुई है. जो संचालक मण्डल 2005 में थे, अभी

भी निरन्तर वे काम कर रहे हैं. इस पर भी विचार करें और इस पर रोक लगावे. उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए इसका समर्थन करता हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रतिपक्ष ने टोकाटाकी नहीं की उसके लिए भी उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ और उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहता हूं.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर)- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की हुई मांग संख्याओं का विरोध करते हुए कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ. माननीय मंत्री जी का विभाग सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रदेश की 73-74 प्रतिशत जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और हम उम्मीद करते थे कि अच्छा काम हो,प्रयास भी करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार की वैतरणी भी यहीं से प्रारम्भ होती है,वह तो भ्रष्टाचार की सरिता यहीं से चारो ओर बहती है. मैं सहकारिता के बारे में बात करना चाहूंगा, वैसे काफी बातें की जा चुकी हैं. आपके जो बाद में नये जिले बने हैं उनमें अभी जिला सहकारी बैंक का दर्जा नहीं दिया गया है .हम चाहते हैं, वहां की व्यवस्था बड़ी बेकार हो गई है तो वहां जिला सहकारी बैंक, जो नये जिले बने हैं, उनको बनवाने का आप प्रयास करें . आप जवाब में कहेंगे कि रिजर्व बैंक से अनुमति मिलने के बाद, यह आपको प्रयास करना है, रिजर्व बैंक से आपको अनुमति लाना है,मेरा निवेदन है कि इसको करने की आप पहल करें. जहां तक प्राथमिक सहकारी समितियां हमारी जितनी भी हैं. आपने गेहूं खरीदी, गेहूं उपार्जन का काम कराया और निश्चित रुप से आपके जो आंकड़े आए, उपार्जन अधिक हुआ आपका लेकिन जब गोदामों के लिए गया तो मेरे अकेले जिले में 500 या 100 क्विंटल के आसपास गेहूं शार्ट निकला. इतने क्विंटल गेहूं का भुगतान किसने लिया, किसने खरीदा, किसके नाम चढ़ा. मेरे यहां सोसायटी के प्रबंधकों पर कार्यवाही भी हुई है, नोटिस भी दिये गये हैं और इस बार भी कम हुआ है. गेहूं खरीदी में जबर्दस्त अनियमितताएँ हुई हैं. कर्ज माफी में भी काफी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन ओर करना चाहूंगा कि पिछले रबी के सीजन में काफी ओले पड़े, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि ओलाप्रभावित किसानों को जिनकी ओलावृष्टि फसल नष्ट हो गई है उनके कर्जों को हम दीर्घावधि ऋण में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद उन्हें खाद बीज के लिए रेग्यूलर ऋण देंगे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. मेरे यहां तो यह स्थिति है कि जिन सोसाइटियों में किसानों ने 50-60 प्रतिशत अपना कर्ज वापस भी कर दिया है. उनको भी केसीसीआर के माध्यम से बैंकें ऋण प्रदान नहीं कर रही हैं. मैंने कल ही बात की थी . मेरे सारे किसान परेशान है कि ऋण लौटाने के बाद भी उन्हें ऋण प्रदाय नहीं किया जा रहा है और मेरे यहां एक बरगमा सोसायटी है, उसमें पूरा का पूरा प्रबंधक मंडल , संचालक मंडल भंग कर दिया गया है . वहां न तो किसी काश्तकार को खाद दिया जा रहा है, न ऋण दिया जा रहा है. पूरे किसान परेशान हैं. एक तरफ पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है दूसरी तरफ आपके बैंकों के माध्यम से लोगों को केसीसीआर का लोन नहीं दिया जा रहा है और बीज अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है ,बीज उत्पादक संघ मर्यादित बीज नहीं पहुंचा पाया है . अब बीज का किस से क्या सिस्टम है? किसानों को महंगे दामों पर बाजार से बीज खरीदना पड़ रहा है और वह भी मानक स्तर का नहीं है. आपके भूमि विकास बैंक , कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बिल्कुल मृत्यु शैय्या पर लेटे हुए हैं . आप इन्हें बंद करना चाहते हैं या प्रारंभ करना चाहते हैं यह स्पष्ट करें. यह भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है और पिछले जो भ्रष्टाचार हैं उनको आप देख नहीं पा रहे हैं.

कर्ज माफी में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके संबंध में कई बार यहाँ चर्चा आई और आपने बड़ी दमदारी से कहा कि हम कार्यवाही करेंगे लेकिन किसानों का जो पैसा कर्ज माफी में जाना था वह आपके अधिकारियों की जेबों में चला गया लेकिन आपने उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्यवाही नहीं की. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सहकारी सैक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मेरे यहाँ कैलारस में सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस मर्यादित है , वह पहले चालू था लेकिन अब बंद हो गया है उसके कारण मेरे यहाँ के जो गन्ना उत्पादक थे और जो गन्ना की खेती थी वह समाप्त प्रायः हो गई है . तो ऐसी चीजों को आप बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं यह आपके आने के बाद ही बंद हुआ है. ऐसी क्या दिक्कतें हैं, आप उनको कहीं से भी आर्थिक मदद दिला दें लोगों ने वहाँ आंदोलन भी किया है यदि उनको मदद हो जाएगी तो निश्चित रुप से उस शक्कर कारखाने को पुनः स्थापित करने में सहायता मिल जाएगी एवं वहाँ के किसानों को इससे लाभ होगा. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय आपके पास हैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अन्य सदस्यों ने भी इसके संबंध में बात की है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इन सभी में आपने बीपीएल का प्रतिबंध लगा दिया है अब जो महिलायें विधवा हो गई हैं या जो बालक-बालिकायें निःशक्त हैं , जो चल फिर नहीं सकते हैं उन पर बीपीएल का प्रतिबंध आप क्यों लगा रहे हैं. आप भी जानते हैं कि इनकी जिम्मेदारी इनके परिवार के लोग भी ठीक ढंग से पूर्ण रूप से नहीं लेते हैं औऱ यह लोग समाज में उपेक्षित होकर परेशान होते रहते हैं. कम से कम इन विधवाओं और निःशक्तजनों के मामले में तो आप बीपीएल का प्रोविजन हटा दें और आम आदमी बीमा योजना जो आपने चलाई है यह योजना काफी चली है . लेकिन आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है.आपने आम आदमी बीमा योजना, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों और भूमिहीन कृषक मजूदरों के लिए चलाई है लेकिन भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को आज तक आपने चिन्हित किया है, क्या इसकी कोई परिभाषा है?

उपाध्यक्ष महोदय—रावत जी, और कितना समय लेंगे आपको 5 मिनट हो गये हैं.

श्री रामनिवास रावत--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा विभाग है और मंत्री एक हैं और उसके पास विभाग ज्यादा है.

उपाध्यक्ष महोदय--- आज 5 विभागों की मांगों पर आज की कार्यसूची में चर्चा है.

श्री रामनिवास रावत--- यह बात हम प्रारंभ से उठा रहे हैं कि सत्र बड़ा होना चाहिए और सभी सदस्यों को समय मिलना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- वह अलग विषय है उसको किसी और मौके पर उठाइए.

श्री रामनिवास रावत-- मैं तो सुझाव ही दे रहा हूं मैं तो भाषण भी नहीं दे रहा हूं.

उपाध्यक्ष महोदय--- आप सुझाव दे दीजिये वैसे महत्पूर्ण बातें तो आपने कह ही दी हैं . प्रदेश स्तर की बातें कह दी हैं अब क्षेत्र की बातें कर लें.

परिवहन मंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह)--- रावत जी, आपके बारे में विचार कर लेंगे आप इस तरफ आ जाइए तो एक विभाग कर लेंगे.

श्री रामनिवास रावत--- अगले पांच साल बाद हम उस तरफ पहुंच जाएंगे चिंता नहीं करें.

एक माननीय सदस्य-- ऐसा सोचते सोचते पन्द्रह साल हो गये.

श्री रामनिवास रावत-- ऐसा नहीं है हमारा भी समय आएगा, यह तो चलता रहता है.

संसदीय कार्यमंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्रा)--- जब आए थे तो बड़े जवान थे, पांच साल बाद लकड़ियाँ टेककर आओगे .

श्री रामनिवास रावत--- हम भी लंबे समय तक रहे थे. उसके बाद आप आए हो. बल्कि लकड़ी टेक –टेक कर जाने में ज्यादा आनंद मिलता है

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- मध्यप्रदेश की राजनीति में लगातार तीसरी बार कांग्रेस कभी नहीं आई है.

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव)-- रावत जी, जिस ज्योतिषी ने आपको यह बताया है वह निर्मल बाबा टाइप के होंगे.

उपाध्यक्ष महोदय--- रामनिवास जी , आप इनके चक्कर में मत पड़ो समय आपका जाया हो रहा है.

वनमंत्री(डॉ. गौरीशंकर शेजवार)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो बहस है वह विषय पर आए औऱ विषय यह है कि आपके पास जितने सदस्य हैं उतना ही समय मिलेगा आप थोड़ी सी मेहनत और करते,थोड़ा अच्छे से चलते , कुछ काम करे होते तो यह 40-42 की संख्या नहीं रहती और आज तो जितनी संख्या है उतने ही समय में आपको काम चलाना पड़ेगा रामनिवास जी. यदि ज्यादा बोलना चाहते हैं तो अपने सदस्यों से प्रार्थना करें कि उनका समय वह आपको दे दें.

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉ. साहब यह क्या आप व्यवस्था दे रहे हैं?

श्री रामनिवास रावत--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है तो संक्षिप्त में अपनी बात कह लेता हूं. माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास में अगर कहे तो राज्य सरकार का कोई सैपरेट बजट इसमें नहीं दिया जाता है. जितना भी पैसा आप देते हो कंपोनेंट के माध्यम से देते हों क्योंकि केन्द्र सरकार से सारा का सारा पैसा सभी योजनाओं के लिए आता है. माननीय मंत्री जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ग्रामीण

विकास में जो स्थितियाँ हैं, जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उसको रोकने के लिए आपने प्रयास नहीं किया. आप कहोगे कि मेरे पास कोई साधन ही नहीं है, मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, मेरे पास कोई स्टाफ ही नहीं है क्योंकि जिला पंचायत सीईओ जीएडी से जाते हैं, आपके कलेक्टर भी जीएडी के रहते हैं और आपके पास जो शिकायतें आती हैं, आपके विभाग की आती हैं, आप जाँच करके सिद्ध भी कर दो लेकिन कुछ होता नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप मुद्दे पर आ जाएँ.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक जानकारी में दिया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत यह 2013 की बात है. अब तो संख्या बढ़ गई होगी. 15 कलेक्टर, 18 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और 176 सीईओ, जनपद के खिलाफ जाँच हुई और इनमें से 85 प्रकरणों की जाँच में अधिकारी प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए. अब उनके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की है. आपने फिर दिखवाया है कि अनुशंसा के बाद क्या हुआ, नहीं दिखवाया, आपका भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है, लगातार बढ़ रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताएँगे.

श्री रामनिवास रावत-- उपाध्यक्ष महोदय, कई बातें हैं. कम से कम आप अपने विभाग के बजट पर तो अपना नियंत्रण रखिए. आपको परफार्मेंस गारंटी के अन्तर्गत 13 वें वित्त आयोग से 700 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ. आपको पंचायतों, जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों को देना था. लेकिन उसका उपयोग आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, अपनी घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं. हाईकोर्ट में कोई याचिका लगाई है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आपको जवाब देना होगा कि आपने किस आधार पर यह व्यय कर दिया. जबकि 13 वें वित्त आयोग की राशि केवल पंचायतों के माध्यम से ही उनको आवंटित किया जाना था.

उपाध्यक्ष महोदय-- कोई बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हो तो दे दीजिए.

श्री रामनिवास रावत-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन जरूर करूँगा. जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है, इसमें आपने अभी तक राजस्व ग्राम लिए हैं, राजस्व मंत्री जी नहीं हैं उन्होंने छोटे छोटे मजरे टोलों को तो राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा कर दी लेकिन घोषणाओं का क्रियान्वयन कैसे होता है आपको

भी पता है. मैं आप से ही अनुरोध करूँगा कि आप दो सौ या तीन सौ की आबादी पर जो मजरे टोले हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री सड़क योजना से जोड़ने में अगर आप सम्मिलित कर लेंगे, यह निर्देश जारी कर देंगे तो यह छोटे छोटे मजरे टोले भी इससे जुड़ जाएँगे और मुख्यमंत्री आवास योजना को आपके दल के सदस्य भी जानते हैं हमारे दल के सदस्य भी जानते हैं और पूरा सदन जानता है कि आवास का ऋण प्राप्त करने से पहले ऋण प्राप्तकर्ता को 10 से 15 हजार रुपये तक खर्च हो जाते हैं और सभी जानते हैं. कम से कम इसको बचाने का प्रयास किसी न किसी तरह से करो, यह मैं आरोप नहीं लगा रहा, सभी की जानकारी में है. उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- रावत जी, आपको भी धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया(मंदसौर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी द्वारा जो विभागीय अनुदान मांगें प्रस्तुत की हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह पंक्तियाँ याद आ रही हैं—

आओ जलाएँ दीप वहाँ, जहाँ अभी भी अँधियारा है.

उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वह सपना कि जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा है उस अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति की सुध ली जाए, उसकी चिन्ता की जाए और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो अंत्योदय मेले लग रहे हैं, जो गरीब सम्मेलन हो रहे हैं, स्पर्श अभियान के अन्तर्गत बहु विकलांगों का जो ध्यान रखा जा रहा है, मंद बुद्धि के बच्चों की पेंशन बढ़ाई जा रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना, ऐसे अनेक काम जो सरकार के विवेक के आधार पर निकले हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर एक परमेनेंट टेंट लगा हुआ है, उस परमेनेंट टेंट में अब तक तीन दर्जन से अधिक पंचायतें और महापंचायतें हो चुकी हैं, वह उसी सामाजिक न्याय की परिभाषा में है, उनको देख करके, उनको सुन करके, उनको परख करके, उसमें से कुछ निकल करके आ रहा है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय गोपाल भार्गव साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी

निजी सोच और निजी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके निर्वाचन क्षेत्र में 2001 से लेकर अब तक 14000 कन्याओं का विवाह करवाया. जो सरकार काम कर रही है .....

उपाध्यक्ष महोदय-- यह बड़ा प्रशंसनीय कार्य है. (मेजों की थपथपाहट)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- प्रशंसनीय काम है. हम इसका स्वागत करते हैं.

श्री रामनिवास रावत-- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो हमें भी आपत्ति नहीं है. हम भी स्वागत करते हैं, मैं ला नहीं पाया, जितनी भी कन्याओं को जेवर दिया जाता है कृपया टंच करवा कर दें तो ज्यादा ठीक है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—रावत जी, आसंदी से माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने प्रशंसा की है हम सबको मिलकर इसकी प्रशंसा करना चाहिये, यह अच्छा काम है. जो कमियां हैं उसकी तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है उसके लिये धन्यवाद.

श्री गोपाल भार्गव—जो इसमें गड़बड़ी करेगा उसे ऐसा असाध्य रोग होगा जो जिंदगी भर ठीक नहीं होगा.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में मुझे भी काम करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिल रहा है, मैं अपेक्स में संचालक के रुप में हूँ.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पं.अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार व्यावसायिक बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड की संरचना की थी. व्यावसायिक बैंकों से हमने किसान क्रेडिट कार्ड को छीनकर पैक्स के माध्यम से डीसीसी के माध्यम से अपेक्स के माध्यम तक लाये हैं यह बड़ा काम है. जीरो प्रतिशत कर्ज का लाभ मध्यप्रदेश की जनता को मिल रहा है आज व्यावसायिक बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड को लोग भूल गये हैं और हमारी सहकारी संस्थाओं पर अति विश्वास के साथ अल्पकालीन ऋण में उस 18 प्रतिशत के कर्जों को कम करते करते हम खाद और बीज की व्यवस्था तक पहुंच गये हैं. मध्यप्रदेश में इसी बजट में 34 लाख किसान लाभान्वित होंगे इसमें 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मैं खुद मेरे एक गांव की सोसायटी का ऋणी कृषक हूं, कांग्रेस के जमाने में अल्पकालीन ऋणों, खाद व बीज के लिये मात्र 10 हजार रुपये की लिमिट हुआ करती थी आज वह बढ़ते-बढ़ते 3 लाख रुपये तक हो गई है. हमने इतने लिमिट के रास्ते खोले हैं जिसके कारण किसानों के छोटे-मोटे काम भी हो रहे हैं. किसान खाद-बीज के काम भी कर

रहा है और शेष बची रकम से घर का संचालन भी कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई करवा रहा है और समय आने पर विवाह भी करवा रहा है और बिना ब्याज के पैसा वापिस लौटा रहा है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोसायटियों के ऊपर जो काम का बोझ बढ़ा है. सहकारिता मंत्री के ऊपर यह चुनौती है कि पैक्स पर गेहूं का उपार्जन भी करना है और गेहूं गरीबों को बांटना भी है. किसानों से 15 रुपये किलो गेहूं खरीदकर 1 रुपये किलो में उसी संस्था के माध्यम से देना है. यह अलग विषय है कि दो साल पहले भारत सरकार से हमको उस गेहूं को खरीदने के लिये बारदाना नहीं मिला, हमसे कहा गया कि आप जानो आपका काम जाने बारदाना देने के लिये हमारे पास व्यवस्था नहीं है. उस लड़ाई को लड़कर हम आगे बढ़े हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंच-परमेश्वर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मील का पत्थर साबित हुई है. मैं दूसरी बार विधायक बनकर आया हूँ लेकिन यहां पर अनेक वरिष्ठ विधायक बैठे हैं. अब ग्रामीण अंचलों में सीमेंट, कांक्रीट सी सी रोड और नालियों के लिये जितना काम इस पंच परमेश्वर योजना के अन्तर्गत, कनवरशन के अन्तर्गत हुआ है. आज इस काम को लेकर सांसदों और विधायकों के पास बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंच और सरपंचों का वेतन व मानदेय देकर सरकार ने उन्हें लबरेज किया है, मासिक पारिश्रमिक उनको दिया है. पंचायतों की जो बैठकें होती हैं उसमें किसी जमाने में नगर पालिका में हमें 15-20 रुपये मिला करते थे आज पंचायतों की बैठकों में सरपंच और पंचों को जाने पर 60 रुपये की राशि ग्राम पंचायतों में दी जा रही है जो कि एक बड़ा काम है. कल ही माननीय मुख्यमंत्रीजी ने केन्द्रीय मंत्री से मिलकर 60:40 का जो अनुपात था विशेषकर खेत-सड़क योजना के अन्तर्गत और कनवरशन के अन्तर्गत उसे 50:50 किये जाने का अनुरोध किया है. मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि इसमें सांसदों और विधायकों की निधि को सम्मिलित कर दें तो और अधिक काम की गुंजाइश हो जायेगी. बगैर भेदभाव के मुख्यमंत्री आवास योजना में निर्माण हो रहा है. किसी जमाने में इंदिरा आवास कुटीरें एक पंचायत को एक साल में मात्र दो मिलती थीं पांच वर्ष में उस सरपंच को 10 से ज्यादा इंदिरा आवास नहीं मिलते थे. आज जितने आवासहीन लोग हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है. यह जिम्मेदारी व्यावसायिक बैंकों के साथ-साथ डीसीसी बैंक को मिली है अपेक्स को मिली है इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आवास कुटीरें बनती दिखाई दे रही हैं. किसानों को हम अल्पकालीन ऋण के लिये जीरो प्रतिशत पर कर्ज दे रहे हैं वहीं इसी सरकार ने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में माननीय गोपाल भार्गव जी ने मत्स्य सोसायटी को भी जीरो प्रतिशत पर कर्ज देने का अनुकरणीय काम किया है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,ये जो छोटे छोटे ग्राम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के बीच में छूट गये हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिये एक अलग से व्यवस्था करें कि महत्वपूर्ण सड़कों से जुड़ जायें, दो गांव जुड़ गये बीच का एककिलोमीटर का टुकड़ा छूट गया। वह न तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में आ रहा है न मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में आ रहा है, पीडब्लूडी के अंतर्गत आ रहा है। इसका भी आप चिन्ता के साथ निपटारा करें। जैसा कि रावत जी ने कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत भूमि विकास बैंक लड़खड़ा गया है, इसके सारे अधिकारी/कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटक रही है। कल उन अधिकारी/कर्मचारियों का क्या अभी दो दिन पहले ही मैंने गोपाल भार्गव जी से कहा था कि एलडीबी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी योग्यता के आधार पर अगर यहां पर शीर्ष स्थान पर बैठे हैं तो उनका अपैक्स बैंक में मर्ज कर दिया जाए प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाए। मंदसौर में भूमि बैंक के अधिकारी / कर्मचारी कल सड़क पर आ जायेंगे, उनको जिला सहकारी बैंक में स्थापित किया जा सकता है। पैक्स में छोटे अस्थायी कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, तो ऐसे छोटे मंझोले कर्मचारी जो एलडीबी से संबंधित हैं, उनको सबको सहकारिता के क्षेत्र में डाल दिया जाए, जिससे टैक्स में पूर्ति हो जाएगी, डीसीसी में भी पूर्ति हो जायेगी, अपैक्स में भी पूर्ति हो जायेगी। हम सब यह जानते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से कर्मचारियों का अभाव है वहां पर सेवानिवृत्ति होती जा रही है और कर्मचारियों की कमी के कारण कहीं न कहीं सिस्टम में थोड़ी कमी आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक सुझाव है कि मंत्री जी इस पर गौर करें और जिला सहकारी केन्द्र में अपैक्स पैक्स में जो कर्मचारियों की कमी है। उस कमी को एलडीबी के कर्मचारियों को मर्ज करते हुए उनको समाहित करने का कष्ट करें। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय:- आप तो बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बोल लेते हैं। माननीय विक्रम वर्मा जी का जो रिकार्ड है, एक मिनिट में कितने शब्द कहने का, आप उसके काफी निकट हैं ।

श्री गोविन्द सिंह पटेल:-उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं, पंचायत

एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

पहले मैं सामाजिक न्याय से अपनी बात शुरू करता हूं, यह जो विभाग सम्माननीय गोपाल भार्गव जी के पास है वह विभाग किसानों, गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति जनताति से भी जुड़ा है।लगभग 80 प्रतिशत प्रदेश की जो आबादी है उसकी भलाई के लिये काम करने वाला विभाग है। पहले मैं सामाजिक न्याय विभाग से बहुत योजनाएं चल रही है जो जनता से सीधी जुड़ी हुई है, उनके हित के लिये काम कर रही है। 2003 में मात्र 6 योजनाएं चलती थी उनसे 7 लाख, 25 हजार हितग्राहियों को फायदा हुआ। लेकिन इस वर्ष 2013-14 में 33 योजनाएं चल रही हैं , इसमें 45 लाख लोगों को इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। कुछ याजना है जो सामाजिक न्याय विभाग से चल रही है। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। निशक्तजनों को सहायता करने की योजना बनायी है।

एकि क्ति न :शक्तजन सहायता योजना बनाई है जिसमें 14515 चिन्हांकित किये हैं. इनको रोजगार देना है जिसमें से दो हजार लोगों को रोजगार दे दिया गया है भविष्य में बाकी के लोगों को रोजगार दिया जाएगा. प्राथमिक माध्यमिक के विकलांग बच्चों को 50 रुपये महीना छात्रवृत्ति, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को 100 रुपये महीना और स्नातक स्तर के बच्चों को 200 रुपये महीना छात्रवृत्ति का प्रावधान है. इसमें 11.90 लाख का प्रावधान इस बजट में किया है. बहुविकलांगों को सर्टिफिकेट बनने के बाद 500 रुपये पेंशन की राशि दी जाती है. जो उपेक्षित हैं या मजबूर हैं उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है. बहुत से लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं. कई किस्म की पेंशनें सामाजिक न्याय विभाग से दी जा रही हैं. विधवाओं को पहले 200 रुपये पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है. 150 रुपये विकलांग या परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन मिलती है. 60 वर्ष से ऊपर वालों को 200 रुपये मिलती है. 65 वर्ष से ऊपर वालों को 275 रुपये और 80 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको 500 रुपये पेंशन मिलती है. यह सामाजिक न्याय विभाग पेंशनरों को राशि दे रहा है. मजदूर सुरक्षा कार्डधारी व्यक्ति की यदि मौत हो जाती है तो 2 हजार रुपये तुरंत पंचायत के द्वारा एक दिन के अंदर तात्कालिक सहायता के रूप में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिया जाता है. परिवार सहायता योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया या कमाऊ व्यक्ति यदि उसकी उम्र 60 वर्ष से कम है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है उसकी विधवा को या उसके नाबालिग बच्चे को पहले जो 10 हजार रुपये परिवार सहायता राशि दी जाती थी उसको अप्रैल,2013 से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया है. क्योंकि आज के समय में 10 हजार कम थी. कन्यादान योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की पसंद की और हमारे माननीय मंत्री जी भी अपने यहां पहले भी बहुत जोर-शोर से करते थे तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से 2 लाख 50 हजार बच्चियों की शादी इस वर्ष हुई है. इसमें पहले 6 हजार रुपये एक जोड़े के लिये दिये जाते थे लेकिन यह प्रावधान बढ़ते-बढ़ते 25 हजार रुपये का प्रावधान हो गया है और एक गरीब परिवार के लिये

बच्ची की शादी बड़ा बोझ होती थी. इस योजना के द्वारा उन गरीबों को सहारा मिला है. इसमें 16 हजार रुपये का दहेज दिया जाता है. 3 हजार व्यवस्था के लिये दिये जाते हैं और 6 हजार की एफ.डी. बच्ची के नाम पर की जाती है. अब इसमें 1 जुलाई से संशोधन हुआ है. जो 16 हजार दहेज के लिये दिये जाते हैं उसमें 6 हजार उस बच्ची को एडवांस में दिये जाएंगे ताकि उससे वह अपने कपड़े इत्यादि खरीद सके तो यह महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है. कन्या अभिभावक पेंशन योजना, जिनकी यदि कन्याएं ही कन्याएं हैं बेटा नहीं हैं ऐसे व्यक्तियों को 60 साल की उम्र के बाद पति या पत्नि दोनों में से एक को 500 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलेगी जो उनके जीवन में मददगार साबित होगी.

अब मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर बोलना चाहता हूं. इस विभाग में बहुत से विकास कार्य हुए हैं. ग्रामीण क्षेत्र में एक पंच परमेश्वर योजना है. पहले फुटकर-फुटकर विकास के लिये पैसे दिये जाते थे उससे विकास कार्य नहीं हो पाते थे लेकिन जब से पंच परमेश्वर योजना लागू हुई है उससे पंचायतों में सीमेंट सड़क या नाली बनने का काम बहुत अच्छी गति से हुआ है और जो अच्छा काम करने वाली पंचायतें हैं मैंने देखा है वहां एक सड़क कच्ची नहीं बची है**.** पूरे गांव को सीमेंटीकृत कर दिया गया है**.** तो उसमें **2** हजार की पापुलेशन पर **5** हजार रुपये दिये जाते हैं और **5** हजार तक की जहां जनसंख्या है वहां उस पंचायत को **5** लाख रुपये मिलते हैं और **10** हजार की जनसंख्या पर **10** लाख मिलता है और **10** हजार से ऊपर की जनसंख्या वाली पंचायतों को **15** लाख रुपये हर वर्ष मिलते हैं और कनवर्जन का करके लगभग 25-30 लाख रूपये का काम पंचायतें पंच परमेश्वर द्वारा करवा रही हैं खेत सड़क योजना, सुदूर सड़क योजना इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरूआत की है, यह मील का पत्थर परियोजना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव के रास्ते, गोहे, या मेढ़ हैं जिनकी आज की स्थिति में अतिक्रमण की चपेट में थी या वह रास्ते चलने लायक नहीं थे इससे किसानों को फसल ढोने में दिक्कत होती थी, लेकिन इस योजना के द्वारा लगभग एक-एक, दो-दो सड़कें हर पंचायत ने बनायी हैं और बहुत अच्छे काम हुए हैं. एक विषय जो मुख्यमंत्री आवास योजना भी बहुत बड़ी अनूठी पहल सरकार की और हमारे पंचायत मंत्री की है कि पहले इंदिरा आवास के द्वारा एक-दो कुटीर किसी गांव को मिलते थे जो कि वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा सूची पूरी नहीं होती थी, लेकिन इस मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा हर पंचायत में 10-20 आवास तो लगभग हर वर्ष बढ़ रहे हैं और गरीबों का सपना है आवास, आज के युग में एक लकड़ी मकान बनाने के लिये मिलती ही नहीं है लोहा-सीमेन्ट-रेत गरीबों की खरीद के बाहर हैं, इसीलिये मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा गरीबों के लिये जो मकान बनने का सपना है वह हमारे विभाग के द्वारा पूरा हो रहा है. एक दो सुझाव देना चाहता

हूं एक विभिन्न किस्म की पेंशन योजना है उनमें बीपीएल का बंधन आवश्यक हो गया है और अभी तो कुछ एक एक ब्लाक में लगभग दो-दो-ढाई-ढाई हजार नाम इसीलिये कटे हैं, क्योंकि उनका बीपीएल में नाम नहीं था मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिहीन एवं 1 से ढाई हैक्टेयर का किसान तक को वह पटवारी से लिखवा लें उसको जो भी पेंशन की श्रेणी में वह आता है उसको पेंशन जरूर दें, क्योंकि ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनका बीपीएल में नाम नहीं है और वह पेंशन से वंचित रह जाते हैं. दूसरा मुख्यमंत्री आवास में पहले बैंक के द्वारा 60 हजार मिलते थे अब उनको 1 लाख 20 हजार रूपये दिये जाते हैं उसमें 30 हजार रूपये का अनुदान, 10 हजार बैंक के द्वारा, 10 हजार रूपये हितग्राही अपने लगाता था, लेकिन अब 20 हजार रूपये हितग्राही लगाता है, 50 हजार रूपये बैंक देती है, 50 हजार रूपये अनुदान मिलता है तो उसमें मेरा सुझाव है कि बैंक ऋण स्वीकृत करने में दिक्कतें पैदा करती हैं तो उसमें कम से कम जो अनुदान है उसको बढ़ा दिया जाय और बैंक का लोन स्वैच्छिक कर दें यदि वह लेना चाहें ले लें और न लेना चाहें तो न लें, क्योंकि कई गरीब लोग बैंक का लोन चुका नहीं पाते हैं और बैंक भी उस रूचि से काम करती ही नहीं है उसमें एक प्राथमिकता सूची बना दी जाय पहले जो आवासहीन हैं वह या जिनके टूटे-फूटे मकान हैं उनकी एक प्राथमिकता सूची बन जाय, उसमें चार लोग आवश्यक हैं सरपंच, सचिव, एडीओ एवं बैंक का मैनेजर उसमें जो ज्यादा चलते-फिरते लोग हैं वह अपने लोन स्वीकृत करा लेते हैं और जो गरीब लोग हैं उससे वंचित रह जाते हैं हम जिस गांव में जाते हैं जिनके घर टूटे हैं उनके घर आज भी टूटे हैं इसीलिये प्राथमिकता सूची बनाकर सबसे पहले गरीब परिवार को सहायता मिले आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री बाला बच्चन (राजपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 17,30,34,59,62 एवं 74 का विरोध करता हूं, कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. मैंने जयंत मलैया वित्तमंत्री जी का भाषण पढ़ा है उसके क्लॉज 81 से लेकर 87 में उल्लेख किया गया है, उसके लास्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष इस विभाग से संबंधित 11 हजार 1 सौ 2 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है उसके छः-सात क्लॉज मैंने पूरे पढ़े हैं किसमें क्या उल्लेख किया गया है उसको ढंग से पढ़ा है इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रशासकीय प्रतिवेदन को भी पढ़ा है. मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नजर प्रदेश की पंक्ति के अंतिम ग्राम-पंचायत तक और वहां

के व्यक्तियों तक नहीं पहुंची है और कैसे मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं. मेरा अपना जिला जो ट्रायवल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है माननीय मंत्री जी, आप सुनें, आप सुलझे हुए मंत्री हैं, बराबर हाउस अटेंड करते हैं, हमको सुनते हैं, लाबी में भी टाइम देते हैं, सारी चीजें होती हैं लेकिन पता नहीं क्यों उस पर इम्प्लीमेंटेंशन क्यों नहीं हो पाता, उसका एक्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाता ? वह तो आप और सरकार और आपका तंत्र ही जाने. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 7 जनपद में से 3 जनपद के सीईओ मेरे यहां पर नहीं हैं. मेरी अपनी खुद राजपुर विधान सभा का ठीकरी जनपद का सीईओ और बड़वानी जिला मुख्यालय का सीईओ पिछले एक वर्ष से नहीं है. वहीं एक निवाली जो विकासखंड लगता है, उसमें 6 महीने से सीईओ नहीं है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--बाला भैय्या, आजकल 10 जनपद के क्या हाल हैं ?

श्री बाला बच्चन--आप बोले थे, तो मैंने आपको टोका नहीं था. 10 जनपद का फिर टाइम आना है. आप सुनें मेरी बात को मंत्री जी, सदन को भी मुझे इसमें सपोर्ट करना चाहिये. आप क्या योजनाओं को फलीभूत कराओगे, क्या इम्प्लीमेंटेंशन कराओगे, क्या एक्जीक्यूशन कराओगे ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सीईओ मेरे यहां राजपुर में प्रभारी सीईओ रहा है आज वह डही में है. सबइंजीनियर को कितने वर्षों से सीईओ बनाकर रखा है आपके विभाग ने? सबइंजीनियर को छोड़िये आप.

श्री गोपाल भार्गव--यह ट्रायवल वाले हैं, ट्रायवल की डिमांड पर आप बताना.

श्री बाला बच्चन--हां, लेकिन यह इससे संबंधित है, उस पर भी हम बतायेंगे. दूसरा मंत्री जी, अभी सुनें आप, आपके इसमें पूरा खुलासा करूंगा मैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबइंजीनियर को आपने इन्चार्ज सीईओ बनाया, वहां तक तो ठीक है परंतु आपने एक अध्यापक को भी बना दिया है, वह मेघनगर में सीईओ बना हुआ है.

श्री गोपाल भार्गव--मैं फिर कह रहा हूं यदि आर.डी. के अंतर्गत जो भी ब्लाक आते हैं, यदि उसमें ऐसी व्यवस्था हो...

श्री बाला बच्चन--आप मुझे सुन लीजिये, जब आप बोलेंगे, तब जवाब दीजियेगा क्योंकि मेरा टाइम चला जायेगा. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें व्यवस्था दें. हम आपको वह दिखायेंगे आइना कि आप

क्या देखते हैं या फिर आप देखते हैं, तो क्या तंत्र सपोर्ट नहीं करता, वह चीजें मैं बता रहा हूं आपको. आपने एक अध्यापक को इन्चार्ज सीईओ मेघनगर में बनाकर रखा है, आप बोलोगे, तो उसकी वह रिकमंड का भी मैं खुलासा करूंगा कि किसकी रिकमंड से सीईओ बनाया गया है. टीचर और सबइंजीनियर क्या एक्जीक्यूशन करायेंगे हमारी योजनाओं का ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे और मैं बताना चाहता हूं, आपने चलिये ट्रायवल से संबंधित अभी बात की है, 89 जनपद पंचायतें ट्रायवल के अंतर्गत आती हैं उसमें आपने मनरेगा परिषद में डिसीशन किया था, माननीय मंत्री जी, मनरेगा परिषद में आपने डिसीशन किया था कि आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित 89 जनपद रूरल डवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत कर दी जायेंगी और इस मसले को लेकर कुछ लोग हाई कोर्ट में अपील किये हैं, जनहित याचिका लगाई है और उसकी हियरिंग अभी 23 जून को थी. आपके विभाग की तरफ से कोई जवाब वहां प्रस्तुत नहीं किया गया है, जब आप ठीक ढंग से अपने ही विभाग को नहीं चला पा रहे हैं, तो आप आदिम जाति कल्याण विभाग की जनपद को और उनका भी एक्जीक्यूशन का काम लेना चाहते हो, तो आप इस पर विचार करें माननीय मंत्री जी और मैं यह चाहूंगा कि आप इसमें कसावट करें और आप ठीक ढंग से योजनाओं को फलीभूत करवायें. क्या जरूरत है आप टीचर को, आप सबइंजीनियरों को जनपद का सीईओ बना रहे हैं इन्चार्ज के रूप में ? क्या आपके पास क्लास टू वर्ग के अधिकारी नहीं हैं ? इसके पहले बी.डी.ओ. के रूप में व्यवस्थायें हुआ करती थीं, वह उनके पास सीईओ के चार्ज हुआ करते थे, वह सीईओ का काम देखते थे और एक्सपीरियेन्स्ड भी थे वह लोग और उनको तजुर्बा भी है कि किस तरह से ग्राम पंचायतों की योजनाओं को फलीभूत कराया जाता है और जनपद का किस तरह से सिस्टम चलाया जाता है, वह सारी चीजें जानते हैं.

श्री गोपाल भार्गव--उपाध्यक्ष जी, मैं इसका भी जवाब दूंगा लेकिन गलतबयानी कर रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूं...

उपाध्यक्ष महोदय--आप अपने जवाब में बता दीजियेगा.

श्री गोपाल भार्गव--मेरे विभाग के अंतर्गत जो भी विकास खंड आते हैं, उसमें एक भी ऐसा प्रभार हो, तो बता दें मैं अभी गल्ति मानने के लिये तैयार हूं.

एक माननीय सदस्य--मंत्री जी, डही का जो उल्लेख किया, वाकई में है. पी.डब्लू.डी. का सबइंजीनियर वहां पोस्टेड है.

श्री गोपाल भार्गव--आप समझने की कोशिश करें. वह खुद कह रहे हैं 89 ब्लाक जो हैं उनकी सारी...

श्री बाला बच्चन--नहीं नहीं, आपने किया है तो देखो, मैंने पहले ही बोला है कि आप एक सुलझे हुए जिम्मेदार मंत्री हैं.

उपाध्यक्ष महोदय--नहीं, सामूहिक जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं.

श्री बाला बच्चन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2008 से 13 की विधान सभा की पिछली टर्म में काफी प्रश्न लगाये थे, किससे ? भ्रष्टाचार से संबंधित. मेरे यहां सड़क बनी नहीं, घाट कटा नहीं, पुल बने नहीं, जीएसबी मार्ग बने नहीं और राशियां निकाली जा चुकी हैं. कई बार इस संबंध में प्रश्न था. लेकिन प्रश्नों के जवाब को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जब सत्र शुरु होता है, तो तंत्र का पूरा दिमाग और उनकी कलम इस बात की ओर लगी रहती है कि विधायकों के जवाबों को किस तरह से हम मेनुपुलेट करें . विधायकों के प्रश्नों के उत्तरों को मेनुपलेट करके दिये जाते हैं और वह मंत्रियों के द्वारा यहां पढ़े जाते हैं, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं. क्या विधायकों का विश्वास सदन में बच जायेगा. पिछली बार की शायद वर्ष 2010 प्राक्कलन समिति , जिसके सभापति केदारनाथ शुक्ला जी थे. मैंने जितने प्रश्न लगाये थे, मेरे जो आरोप थे, वह विजिट करने जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहुंची और वहां से लौटकर आने के बाद 7 से 8 एमएलए गये थे, सभी दल के एमएलए थे. वहां से लौटकर आने के बाद उन्होंने यह रिपोर्ट दी है. वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन को पटल पर रखा है और उसमें यह प्रतिवेदित किया है कि विधायक बाला बच्चन ने जितने चाहे सड़कों, पुल,जीएसबी मार्ग, घाट कटिंग के मामले हो, सारे आरोप सही हैं. यह वर्ष 2011-12 का प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन निकलवा कर उसके पेज नंबर 60,62 और 74 आप देखिये. सरकार के पास देखने का समय नहीं है. अब धीरे धीरे हम लोगों का विश्वास कम होने लग गया है. अब ऐसे में कैसे काम होगा.

श्री गोपाल भार्गव -- पूरा जिला तो सस्पेंड कर दिया है, अब फुर्सत नहीं है क्या.

श्री बाला बच्चन -- उपाध्यक्ष महोदय, आप बताइये. पूरा जिला सस्पेंड कर दिया है. अब सरकार पूरी कटघरे में खड़ी है कि नहीं भ्रष्टाचार के आरोप में. भ्रष्टाचार की शिकायतें विधान सभा में आती हैं. उसके लिये आपने लोकपाल बना रखा है. उसका प्रचार प्रसार कितने लोगों को पता है. अगर लोकपाल बना हुआ है, तो आप उसके अंतर्गत क्यों नहीं इसकी जांच कराकर जो काम हुए ही नहीं और अधिकारी राशियां खा गये हैं. आप उनको पनिशमेंट के बतौर क्या देते हैं सिर्फ सस्पेंशन. वह तो मस्ती मारते हैं. आधी सेलरी मिलती है और जो करप्शन की राशि है, उससे फर्स्ट क्लास जीवन जीते हैं. मंत्री जी, इस पर विचार करना पड़ेगा. नहीं तो मैं समझता हूं कि ठीक है, यह कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता पक्ष, विपक्ष यह सब चलता चलाता रहेगा. लेकिन प्रदेश में एक मेसेज तो गलत जा ही रहा है. हम सब विधायकों में भी यह धारणा बनती जा रही है कि क्या मतलब अब विधानसभा में कोई बात उठाने की. परसों मेर प्रश्न था 7 या 8 नंबर पर. पूरी तरह से उसको घुमा दिया गया. तीन बार राशि निकल चुकी है. सड़क नहीं बनी है. मैंने यह बोला भी था कि चौथी बार मैं इस सदन का सदस्य हूं. मैं अगर बात उठा रहा हूं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिये. तो प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के बाद भी अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है. न कोई सस्पेंशन, न कोई पनिशमेंट. तो मैं समझता हूं कि यह पुनरावृत्ति होती रहेगी और भ्रष्टाचार बढ़ता जायेगा. हम सब कहीं न कहीं किसी दिन फिर हमसे कभी आने वाली जनरेशन यह पूछेगी कि उस टर्म की विधान सभा के एमएलएज़ और मिनस्टिर, चीफ मिनिस्टर, आप और हम सब क्या करते रहे. उपाध्यक्ष महोदय, इस पर रोक लगनी चाहिये.

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) -- उपाध्यक्ष महोदय, यह सदविचार जब आप मंत्री थे, तब आ जाते, तो प्रदेश का बहुत अच्छा होता. यह अच्छे विचार आज आपके मन में आ रहे हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- बाला जी, आज के इस भाषण में सत्यदेव कटारे जी से ज्यादा अच्छा आपका आज परफारमेंस चल रहा है. आप लगे रहो.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- वैसे नेता प्रतिपक्ष आपको ही बनाना चाहिये.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- उपाध्यक्ष महोदय, व्यापम घोटाले के कारण जो मुख्यमंत्री जी को बदलने की बात है , पहले वह बदल दें. फिर नेता प्रतिपक्ष की बात करें.

उपाध्यक्ष महोदय -- इस पर व्यापम कहां से आ गया.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- उपाधय्क्ष महोदय, वह नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोल रहे थे, इसलिये मुझे मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलना पड़ा.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- हमने तो अच्छे भाषण की तारीफ की. बाला जी अच्छा बोल रहे हैं. अच्छी डिबेट कर रहे हैं. अच्छे मुद्दे ला रहे हैं. इनकी हमने तारीफ की.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- इनकी तारीफ का मतलब हम समझ रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय -- कृपया आप लोग बैठ जायें. बाला जी, कृपया शीघ्र समाप्त करें.

श्री बाला बच्चन -- उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का साफ उद्देश्य है कि चुने हुए जो जन प्रतिनिधि आते हैं, उनको प्रशिक्षण, मार्गदर्शन देना. इन संस्थाओं के दायित्व, कर्तव्य के बारे में उनको ठीक ढंग से बताना और त्रिस्तरीय पंचायतराज को ठीक ढंग से व्यवस्थित तरीके से प्रदेश में स्थापित करना. आप प्रशिक्षण में क्या कर रहे हैं , क्या दे रहे हैं. हर वर्ष हमेशा महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर द्वरा चुनिंदा एनजीओ को प्रशिक्षण कार्य दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है. इसके अलावा आपके पास पचमढ़ी में भी है. आपने इसके सब सेंटर भी खोल रखे हैं. यह सीधा सीधा मेरा इसमें कहना है कि वहां के एनजीओ को किसी तरीके से डायरेक्ट इन डायरेक्ट रुप में फायदा पहुंचाने के हिसाब से है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन बिंदू पर और बात करना चाहता हूं. माननीय मंत्री जी, मनरेगा की जो कॉउंसिल होती है उस काउंसिल के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं , आप बतायें कि कब बैठक उन्होंने की , हमेशा उन्होंने इसको अनदेखा किया है. मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के पहले सभी प्रभारी मंत्रियों को पत्र लिखा है और पत्र में यह निर्देशित किया है कि मैंने जहां जहां घोषणा की है, 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत मंत्रीगण उन घोषणाओं को पूरा करें. क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है. तीन स्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत चुने गये जनप्रतिनिधियों का भी यह अपमान है और संविधान का भी उल्लंघन है क्योंकि यह अधिकार पंचायतों का है, वह नहीं किया जाना चाहिये था.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 40-40 लाख रूपये,13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो राशि आती है उसके तहत दिये गये थे क्या यह भेदभाव नहीं है. उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात कर रहा हूं .

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- बाला भाई वह पत्र सभी को सरक्यूलेट हुआ था. पूरे प्रदेश के सभी विधायकों को वह चिट्ठी दी गई थी.

श्री बाला बच्चन-- हम लोगों को न राशि मिली न वह चिट्ठी सरक्यूलेट हुई है. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री सड़क योजना , मुख्यमंत्री आवास योजना की बात आपने बजट में की है उस पर मैं कहना चाह रहा हूं.

डॉ. कैलाश जॉटव-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जिस तरह से दलीय स्थिति के अनुसार समय दिया गया है उस पर भी विचार किया जाये क्योंकि नये सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता.

उपाध्यक्ष महोदय-- मिलेगा, कुछ निर्णय आप आसंदी पर भी छोड़ दें.

श्री बाला बच्चन -- मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत पिछले वर्ष 2013-14 में आपने 3 लाख 25 हजार आवासों का उल्लेख किया है. उससे आपने 2653 करोड़ का बैंक से ऋण दिलवाया , इसका उल्लेख किया है लेकिन सरकार ने उस पर कितना अनुदान दिया है, अनुदान के रूप में आपने क्या दिया है इसका उल्लेख आपने नहीं किया है . इस वर्ष आप कह रहे हैं कि इंदिरा आवास के लिये 800 करोड़ का प्राविजन है लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मात्र 60 करोड़ रूपये है तो ऐसे ही मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है. आपने सड़क योजना तो बना ली लेकिन सड़क बनती जा रही है और खतम होती जा रही है उसको बनाने का उस सड़क को प्रेस करने के लिये जो रोलर होना चाहिये वह कुछ भी नहीं है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेशन नहीं मिल रही है, बहुत सारी बातें थी. कपिल धारा कुओं के बारे में बोलना था, फलोद्यान के बारे में बोलना था, और बहुत सारी चीजें मेरे पास में थी चूंकि समय का अभाव है इसलिये अंतिम बात कहते हुये अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मैंने जितने भी सुझाव दिये हैं उसमें आप कसावट लायें और तीन स्तरीय पंचायती राज जिस कॉन्सेप्ट और जिस विचारधारा के साथ बनाया गया है उसको ठीक ढंग से लागू करे और सरकार की जो योजनायें हैं प्रदेश के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक वह पहुंचाये तब ऐसा माना जायेगा कि आप और आपका विभाग ठीक ढंग से काम कर रहा है. मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी ही व्यवस्था करेंगे , रिक्त जो पद हैं उन पर भी आप भर्ती करें, बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी बहुत गंभीर थे, कई बार उन्होंने उठकर के उल्लेख भी किया है.

श्री दुर्गालाल विजय(श्योपुर) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं. मैं सहकारिता के बारे में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में सहकारी संस्थाओं में और को-आपरेटिव्ह बैंक में लाभ की स्थिति बनी है. मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले समय में जो बैंकों की हालत थी उसमें सुधार करने का कार्य मध्यप्रदेश की सरकार ने माननीय मंत्री जी ने किया है इसके लिये वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं. 2003 के पहले जो को-आपरेटिव्ह बैंक की परिस्थितियां थीं. सहकारी संस्थाओं की जो हालत थी उनके कारण से बैंकों का संचालन भी बहुत कठिन हो गया था. लगभग 28 बैंके 2003 मे ऐसी थीं जो बैंकिग रेग्यूलेश एक्ट का पालन ही नहीं कर पा रही थीं जिसके कारण उस समय बैंकों को जो रिजर्व बैंक की तरफ से और अन्य सहायताये प्राप्त होती थी उस पर रोक लगा दी गई थी. बहुत बड़े भ्रष्टाचार के कारण बैंकों से बहुत सारा पैसा कर्ज के नाम पर निकल गया था उस व्यवस्था को ठीक करने के लिये , एक चुनौतीपूर्ण कार्य मध्यप्रदेश की सरकार को प्राप्त हुआ जिसे माननीय मंत्री जी ने मध्यप्रदेश की सरकार ने बहुत ठीक तरीके से किया.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में 38 जिला सहकारी बैंक वार्षिक लाभ से संचालित है. 2003 में बैंकों ने जो अल्पावधि ऋण दिये थे वह केवल 1273 करोड़ रुपया था. वर्ष 2012-13 और 2013-14 की स्थिति देखें तो अल्पावधि ऋण की सीमा 12473 करोड़ रुपये हो गई है. पहले बैंकों की जमा राशि नगण्य थी. आज बैंकों के पास 11891 करोड़ रुपये की जमा राशि है. मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत सारी व्यवस्थाओं में आपने सुधार किया जिनकी बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी. आपने रासायनिक खाद के क्षेत्र में विशेष प्रबंध किये हैं. सरकार ने लोगों को समय से पहले खाद उपलब्ध कराने का काम किया गया है. उसके कारण किसानों को जब भी खाद की आवश्यकता होती है उनको लंबे समय तक लाईन में नहीं लगना पड़ता है. बिना ब्याज के रासायनिक खाद उपलब्ध कराकर उनके घरों और खेतों में भण्डारण कराने का जो काम किया है उसका लाभ हमारे किसानों को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हुआ है.

उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में 53 प्रतिशत रासायनिक खाद देने की भागीदारी हमारी सहकारी संस्थाओं की है. मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आज खाद को क्रय करने के लिए मध्यप्रदेश के सहकारिता विभाग और सहकारी संस्थाओं पर बड़ा भरोसा जताया है. सहकारी संस्थाओं की वितरण में भागीदारी लगभग 74 प्रतिशत हो गई है. यह सहकारी संस्थाओं के लिए बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जो संकल्प है, उनका जो विचार है कि खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए उन्होंने बिना ब्याज के ऋण देने का प्रावधान किया है, उसके कारण किसान लाभान्वित तो हुए ही हैं और सहकारी संस्थाओं के माध्यम सोसायटियों में किसानों को बिना ब्याज के फसल ऋण भी उपलब्ध हुआ है. किसान यदि अपनी उपज का संग्रहण करता है तो उसके लिए भी और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का काम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया है जो बहुत प्रशसंनीय है.

समय 0333 बजे सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

माननीय सभापति महोदय, खाद बीज और खेती के काम में आने वाली वस्तुओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से बीज समिति और अन्य समितियों ने भी बेहतर कार्य किया है जिसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं.

सभापति महोदय, कार्य की शीघ्र पूर्ण करने की दृष्टि से विभिन्न बैंकों ने वर्तमान समय में जो IT का काम चल रहा है, उसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण और नेट के माध्यम से देश के किसी भी स्थान से धनराशि उपलब्ध कराकर लेने की जो व्यवस्था की थी उसमें हमारे सहकारी बैंक और सोसायटी पीछे थी. मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे सहकारी बैंक और सोसायटी को भी ई-बैंकिंग से जोड़ने का जो काम किया है उसके कारण आज किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है.

सभापति महोदय, प्रदेश में गेहूं का विपुल उत्पादन हुआ उसका पैसा सीधे किसान के खाते में जाने का काम अगर हुआ तो इस कारण हुआ कि हमारी प्रदेश सरकार ने,हमारे मंत्रीजी ने हमारी सोसायटी में और बैंकों में इस तरह के प्रबंध कराये.

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इतना ही नहीं आज सहकारी संस्थाओं के क्षेत्र में लगातार काम की वृद्धि हो रही है उसका कारण केवल यह है कि किसानों ने सहकारिता के क्षेत्र में सोसायटियों पर बड़ा भरोसा किया है.

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए हैं जिनका उल्लेख अभी हुआ है चाहे वह मुख्यमंत्री आवास योजना का हो, चाहे वह मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात हो अथवा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले कार्य हों, इन सभी के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर कार्य करने की कोशिश की है. मैं इस समय माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहताहूं कि हमारा श्योपुर 1998 में जिला बना था सहकारी बैंक मुरैना में है, मुरैना की दूरी श्योपुर से 230 किलोमीटरहै. जिला बनाने का कारण भी भौगोलिक कारण था आज जो भी परिस्थिति सहकारी बैंक की है वह वहां से ही संचालित है.

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूरा हमारा श्योपुर जिला खेती किसानी से संबंधित है सहकारिता के माध्यम से अपने सभी काम करते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो या किसान अल्पावधि ऋण के माध्यम से हो या रासायनिक खाद लेने की बात हो उन सभी को सहकारी बैंक की आवश्यकता होती है. मैं यहां परयह भी आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि मुरैना से संचालित होने के कारण कई मामलों में श्योपुर के साथ में पक्षपात भी हो जाता है. आज हमारे क्षेत्र के किसानों ने केसीसी कार्ड का जितना पैसा था वह जमा करा दिया है लेकिन अभी तक श्योपुर के किसानों को अपनी खेती किसानी करने के लिए खाद बीज लेने के लिए वह पैसा दिया नहीं जा रहा है उसका नियंत्रण चूंकि मुरैना में है तो यहां श्योपुर से पृथक से नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्योपुर में पृथक बैंक की स्थापना के लिए जो भी वैधानिक दृष्टि से कार्य करने की आवश्यकता है उसे आप करेंगे.

सभापति महोदय मैं यहां पर एक बात का और निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा और बेहतर काम आपने किया है लेकिन हमारे श्योपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो सड़कें प्रारम्भ की गई थी . यह सड़कों का काम प्राथमिक चरण में कई वर्ष हो गये जो 2010 से प्रारम्भ की

गई थी वह आगे नहीं बढ़ पायी है आप कृपया करके इस कार्य को आगे बढ़ायें . मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना

चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं ने बड़ी मेहनत करके संचालक मंडल ने गेहूं के क्रय करने का काम किया है, उपार्जन का काम किया है बहुत बेहतर तरीके से यह काम किया है. लेकिन इसके अंदर सोसायटियों ने जो गेहूं नागरिक आपूर्ति निगम को दिया वह वहां पर मंडी समिति में जहां पर उनका केन्द्र था वहां पर उनके ठेकेदार के द्वारा लोड कराया गया उससे प्राप्ति भी ली है लेकिन मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सोसायटी ने तो उनको पूरा गेहूं दे दिया, ट्रांसपोर्टर ने जो बीच में गड़बड़ की है, उसके कारण से पूरा भार सोसायटी के ऊपर आ रहा है संचालक मण्डल के ऊपर आ रहा है. जबकि यह नागरिक आपूर्ति निगम के ऊपर जाना चाहिए था जिनके अनुबंधधारी ठेकेदार हैं और उन्होंने जो भी गड़बड़ की है उसकी सोसायटियों से वसूली करने की जो कार्यवाही चल रही है उसे रोका जाना चाहिए नहीं तो सोसायटी समाप्त हो जायेगी. इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. आपने समय दिया धन्यवाद्.

श्री बहादुर सिंह चौहान (महिदपुर) - सभापति महोदय, मैं मांग संख्याओं का समर्थन करते हुए कटौती प्रस्ताव के विरोध में समय-सीमा में अपनी बात कहना चाहूंगा. सभापति महोदय, जिन विभागों पर यह चर्चा चल रही है, ये विभाग बहुत बड़े हैं. सहकारिता और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये दो विभाग सीधे-सीधे गांवों से जुड़े हुए हैं. हिन्दुस्तान की आत्मा गांव में बसती है. 70 से 75 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं. सभापति महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव वालों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजनाएं उस समय उन्होंने प्रारंभ की हैं.

सभापति महोदय, जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई, वहां से लेकर 5 मई, 2014 तक इस पूरे मध्यप्रदेश में 12233 सड़कों का निर्माण इस विभाग के द्वारा किया गया है. 12233 सड़कों की लम्बाई 55692 कि.मी. प्रदेश में है. इनकी लागत 13690 करोड़ रुपए है. हम गांव वालों को कभी सड़कें देखने को नहीं मिलती थीं. अब गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ गये हैं. हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि विधायक जी यह गांव तो इस तरफ से जुड़ गया है और उस तरफ से भी जोड़ दो, हमने कहा कि किसी भी गांव को एक तरफ से जोड़ा जा सकता है, गांव वालों की यह मांग आने लगी. मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं और विभाग के अधिकारीगण भी

हैं. 15 जून, 2014 को मेरे विधान सभा क्षेत्र में केन्द्रीय मंत्री श्री थावर सिंह जी गेहलोत के मुख्य आतिथ्य में एमपीआरडीसी का 15 कि.मी. का रोड 34 करोड़ रुपए की लागत का भूमि पूजन किया गया. 15 कि.मी. रोड का जो मूल्य है वह 34 करोड़ रुपए है, 34 करोड़ रुपए में 15 का भाग दें तो लगभग 2.26 लाख रुपए प्रति कि.मी. एमपीआरडीसी के नॉर्म्स हैं. मैं महत्वपूर्ण सुझाव अधिकारियों को और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इसलिए देना चाहता हूं कि जो सड़क बनाते हैं फिर 3 साल में वह टूट जाती है. फिर सड़क बनाते हैं, फिर टूट जाती है. मेरा आग्रह है कि इतने बड़े क्षेत्र में इतनी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से प्रदेश में बनाई गई हैं. एमपीआरडीसी के जो नॉर्म्स हैं, जो भी ठेकेदार काम करने के लिए आता है, वह अपना पूंजीनिवेश करता है और वह धन कमाने के लिए आता है. कोई फकीर नहीं कि ऐसे ही सड़कें बनाकर चला जाय तो जब कम नॉर्म्स की सड़कें होती हैं और उसमें से वह पैसा निकालता है तो जिस गुणवत्ता की सड़कें बनना चाहिए, वैसी सड़कें बनती नहीं हैं. 2-3 साल में अधिक वर्षा होने से हैवी ट्रैफिक होने से वे सड़कें टूट जाती हैं. 13690 करोड़ रुपए की सड़कें पूरे मध्यप्रदेश में बनाई गईं तो चूंकि मध्यप्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एमआरडीसी के नॉर्म्स 2 करोड़ रुपए से अधिक हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नॉर्म्स 1 करोड़, डेढ़ करोड़ को बनाए ताकि वे सड़कें 15 से 20 साल तक नहीं टूटें, यह मैं निवदेन करना चाहता हूं. वर्ष 2003 में इस सदन में मैं विधायक बनकर आया था. तब जो सड़कें बनी थीं, वे सब टूट गईं. फिर उन सड़कों के लिए अधिकारियों से मिलना, फिर उसके डीपीआर बनना और यही काम चलता रहता है. सभापति जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है, शायद मेरे सुझाव को सरकार और माननीय मंत्री जी ध्यान से लेंगे.

सभापति महोदय, दूसरा कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके तहत 208 पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैसे से बनाए गए हैं. मैंने पढ़ा है कि एक पुल 400 मीटर का इस विभाग के द्वारा बनाया गया है और एक मीटर में गुना करें 3.28 का तो लगभग 1213 फीट लम्बा इस विभाग के द्वारा पुल बनाया जा रहा है. बहुत पैसा है तो बन रहा है. जब हम 2003-04 में विधायक बन कर आए थे उस समय कोई बात हम कहते कि यह भवन हमने बनाया, यह सड़क भारतीय जनता पार्टी ने

बनाई, ये साईकिलें भारतीय जनता पार्टी ने दी, ये किताबें भारतीय जनता पार्टी ने दीं. तब विपक्ष के बन्धु कहते थे कि ये तो केन्द्र का पैसा है. आपकी उस केन्द्र -केन्द्र की आवाज से उस सरकार को नजर लगी तो केन्द्र में मात्र 44 सीटें रह गईं. प्रतिपक्ष के नेता बनने के लायक नहीं हैं.

(व्यवधान)

सभापति महोदय—कृपया समाप्त करें. अपने क्षेत्र की कोई बात हो तो आप सुझाव दे दें.

श्री बहादुर सिंह चौहान- माननीय सभापति महोदय, मुझे सहकारिता पर कहना है. 2003 के पहले हम किसान थे और जब सोसायटी में हमारी ऋण पुस्तिका को लेकर लोन लेने के लिए जाते थे तो 16 से 17 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से हमको पैसा मिलता था और सभापति जी आज जीरो प्रतिशत ब्याज पर हमको पैसा मिलता है. मैने स्वयं सोसायटी से ऋण ले रखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 में जब हम विधायक थे तो विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिर्फ एक काम में लगे रहते थे, रबी फसल में. चक्का जाम होता था, ट्रक लुटते थे. खाद के लिए पूरे मध्य प्रदेश में लूटमार मची रहती थी, खाद की काला बाजारी होती थी. आज खाद, वर्षा होने के पहले सोसायटीज में बिना ब्याज के हमारी सरकार ने रख दी है. ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है. माननीय सभापति जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं किसान को असली बीज, असली दवाई, असली खाद यदि समय पर मिलता रहे तो मध्यप्रदेश का गेहूं का जो उपार्जन है वह इससे डेढ़ गुना अधिक हो जाएगा. इस बात हर हमें ध्यान देना चाहिए. पहले क्या होता था क्या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता. माननीय सभापति दी, मेरे क्षेत्र में घट्टिया विधान सभा लगती है. घटिया विधान सभा से झारडा तक. लगभग 42 किलोमीटर सड़क है. जगोटी होते हुए,खेडा खजूरिया होते हुए,धनोड़िया होते हुए नागपुरा तक, लगभग 38 से 42 किलोमीटर की यह दूरी होगी और इसका अधिकांश क्षेत्र प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है. मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरी विधान सभा के इस रोड़ को आप जोड़ेंगे तो लगभग 50 से 70 गांव इससे लाभान्वित होंगे. माननीय सभापति जी, एक महत्वपूर्ण सुझाव और दे दूं. जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके सेवकों को जो राशि मिलती है सात हजार, पांच हजार, आठ हजार और वे जो काम करते हैं , आप देख लें इस मध्यप्रदेश का 72 लाख मैट्रिक टन , उन संस्थाओं में सात हजार वेतन लेने वाले लोगों ने इस

मध्यप्रदेश का खरीदा है और अगर हमारी सरकार इस गेहूं का उपार्जन नहीं करती तो ये गेहूं बाजार में 1000 से 1100 रूपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकता और किसान को जो लाभ हुआ वह नहीं होता. गेहूं उपार्जन की योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री हरदीप सिंह डंग (सुवासरा)—माननीय सभापति जी, महात्मा गांधी ने जो ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था, उसे कांग्रेस की जो सरकार राज्य में थी, पंचायती राज के माध्यम से जो फैसले भोपाल में हुआ करते थे, वही फैसले ग्रामसभा के माध्यम से ग्राम चौपालों में होने लगे थे. विभाग के मंत्री जी तो अभी हैं नहीं.

सभापति महोदय—आदरणीय शेजवार जी नोट कर रहे हैं.

श्री हरदीप सिंह डंग—मेरा निवेदन है कि जो भी योजनाएं केन्द्र सरकार से या राज्य सरकार से आती हैं, उसका संचालन ग्रामीण क्षेग क्षेत्र में ग्राम पंचायतें करती हैं और यह जिस माध्यम से योजनाओं को संचालित करती हैं, वह दो माध्यम हैं. एक तो ग्रामसभा और दूसरी पंचायत की मीटिंग. ग्रामसभा उसको बोलते हैं कि जब बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं, तब ग्रामसभा का उपयोग होता है, परंतु देखने में आया है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, क्या वहां पर ग्राम सभाएं ईमानदारी से हो रही हैं. ग्राम सभाओं की पूर्ति घर में बैठकर निर्णय लिये जाते हैं और पंचायतों में बैठकर कभी भी पंचायतों में पंचों को शामिल नहीं किया जाता है. वह मंत्री और सरपंच बैठकर जो तय कर लेते हैं, वह पूरी पंचायत का निर्णय होता है और आज मध्यप्रदेश में जितनी भी पंचायतें हैं, अगर उनकी सही तरीके से जांच की जाए तो भाजपा के विधायक भी जाएं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या उनके यहां ईमानदारी से ग्राम सभाएं होती हैं? ग्राम सभाओं में महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं. मुख्यमंत्री आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना, शौचालय बनाना, कपिलधारा के कुएं, विधवा पेन्शन, विकलांग पेन्शन, वृद्धा पेन्शन, नलजल योजना, सफाई के काम और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, पंच परमेश्वर की योजनाएं जो पूरे क्षेत्र को चमन करती है, लेकिन उसके निर्णय कौन लेता है, वहां पर सरपंच और सचिव लेते हैं. उसमें न पंचों का कोई अधिकार है न ही ग्राम सभा का और ग्राम सभा वह होती है, अगर एक बार केन्सिल हो जाए तो दस परसेन्ट फिर उपस्थित होकर सेकंड बैठक का कानून बन सकता है. लेकिन आज तक कोई ग्रामसभा

मध्यप्रदेश में नहीं हो रही है, सिर्फ कागजों में हो रही है. यह बहुत बड़ा दुख की बात है . घर में बैठकर साइन करा लिए जाते हैं, उसकी खानापूर्ति जरूर हो रही है. मुख्यमंत्री आवास की यह जो बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं. यहां भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं. मैं अपना और आपका दोनों का दुख जानता हूं. महात्मा गांधी आवास योजना में आवास पात्र लोगों को नहीं मिल रहे हैं. क्योंकि जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो लोन लेने में सक्षम हैं, जो रूपए दे सकते हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है और गरीब व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा है. इन्दिरा आवास की प्रतीक्षा सूची 8-10 साल पहले तैयार की थी. अभी यशपाल जी न कहा था कि भरपूर इन्दिरा आवास आ रहे हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—इन्दिरा आवास भरपूर नहीं मुख्यमंत्री आवास भरपूर आ रहे रहैं.

सभापति महोदय—अब आप अपने सुझाव दे दें.

श्री हरदीप सिंह डंग—सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मात्र दो इन्दिरा आवास मिलते हैं और जब वहां वेटिंग लिस्ट समाप्त हो गई है, तो वहां पर फिर किस आधार पर इन्दिरा आवास की मांग की जाती है. यह आज तक समझ में नहीं आया. जहां प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है, वहां इन्दिरा आवास का कोई सिस्टम नहीं है, जिसको चाहा उसको दे दिया. आज सबसे बड़ी बात है कि जहां पर सरपंच चुनाव लड़ता है और उसी गांव का सचिव भी होता है. अगर सचिव और सरपंच एक गांव के होते हैं, तो कंपटीशन यह रहता है कि कहीं न कहीं सचिव भी राजनीति करने लगते हैं. जब सचिव और सरपंच में आपस का तालमेल नहीं बैठता है तो उसका नुकसान वहां की जनता को भुगतना पड़ता है. किसी के इन्दिरा आवास पास नहीं होते हैं, किसी के कूपन नहीं बन पाते हैं और बहुत सी योजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जहां पर स्थानीय सचिव है तो उसको पड़ोस की पंचायत में स्थानांतरित कर दिया जायगा तो आपस में जो वाद विवाद हैं, वह खत्म हो सकते हैं.

सभापति महोदय-- अब कृपया अपने सुझाव देकर समाप्त करें.

श्री हरदीप सिंह डंग—सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि ग्रामसभा के सदस्यों को हमने ट्रेनिंग दी है औऱ इनकी संख्या बताई है 3,23,453. यह लोग ग्रामसभा के प्रशिक्षण इनके अनुसार ले चुके हैं जबकि किसी भी गांव में चले जाओ तो कोई भी ग्रामसभा वाला यह नहीं कहता कि हम ट्रेनिंग पर गये हैं औऱ

इन्होंने कहा है कि सरपंच पद पर चुनकर आई महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है और उनकी ट्रेनिंग के जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं वह है 1,37,878. आज आप किसी भी पंचायत में महिलाओं से पूछ लो कि आप कहीं गई हैं, तो वह कहेगी मैं तो पंचायत में भी नहीं गई. मेरा निवेदन है कि आने वाले दिनों में जो भी निर्णय लिये जायें वह ग्रामसभा के माध्यम से लिये जायें और ग्रामसभा की ताकत को पहचाने तो यह जनता के हित में होगा और एक बात और है कि जो मुरमीकरण होता है, वह विधायकों के द्वारा नहीं होता लेकिन बहुत से गांवों में ऐसी सड़कें होती हैं जो कि मुरम डालकर ठीक हो सकती हैं इसलिए मुरमीकरण के पावर विधायकों को दिये जायें और सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जो स्कूलों में वाल बाउंड्री बनना चाहिए लेकिन उसमें बजट नहीं आ पा रहा है तो उसको मनरेगा प्लस विधायक निधि मिलाकर स्कूलों की वाल बाउंड्री बनाने का प्रावधान रखे यह मेरा निवेदन है. बातें बहुत सी हैं पर समय कम है. आपने बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद.जयहिंद, जयभारत.

डॉ. कैलाश जाटव(गोटेगांव)-- माननीय सभापति महोदय,मैं मांग संख्या 17,30,34,59,62,74 के समर्थन में और कटौती प्रस्तावों के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. 1 नवंबर 1956 को मध्यप्रदेश के गठन के पश्चात प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में एकरुपता लाने की दृष्टि से वर्ष 1962 में मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1962 बनाया गया . प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त व कारगर बनाने की दृष्टि से समय समय पर आवश्यक संशोधन कर वर्ष 1981 एवं वर्ष 1990 में नये पंचायत अधिनियम बनाये गये, भारत के संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1993 क(1) , सन 1984 दिनाँक 25 जनवरी 1994 को लागू किया. राज्य सरकार द्वारा 2009-2010 में पंचायतराज संस्थाओं के चतुर्थ सामान्य निवार्चन शांति पूर्ण ढंग से कराये गये. जिससे प्रदेश की 50 जिला पंचायतों...

सभापति महोदय--- अब आप अपने क्षेत्र के संबंध में सुझाव दे दें.

डॉ. कैलाश जाटव--- सभापति महोदय, 313 जनपद पंचायतों एवं 23012 ग्राम पंचायतों में 3,97,000 पदाधिकारी निर्वाचित हुए, गत वर्षों में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह पंचायत के माध्यम से गरीबों तक पहुंचने का काम किया गया, वह सपना माननीय गोपाल भार्गवजी द्वारा

ईमानदारी से पूरा किया जा रहा है. मैं इसी में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कुछ थोड़ी-बहुत समस्यायें हैं. जिसका अगर अधिकारियों ठीक से ध्यान रखा जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छे से हो सकता है. हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम वर्ष 2013-14 में चल रहा है उसमें 1 लाख प्राथमिक शालाओं में संचालित किया जा रहा है. यह समुदाय द्वारा किया जाता है लेकिन ग्राम बेदु में समुदाय द्वारा संचालित नहीं इसको यदि विशेष रूप से करवा देंगे तो मंत्री महोदय की बड़ी कृपा होगी. माननीय सभापति महोदय, विकासखंड के अंतर्गत स्कूलों में गैस कनेक्शन की व्यवस्था दी गई है लेकिन वर्तमान में हमारे विधानसभा क्षेत्र में गैस कनेक्शन न होने की वजह से भोजन बनाने में काफी दिक्कत होती है अगर यह सुविधा मिलेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा. स्वच्छता की दृष्टि से शाला स्तर पर राशि का प्रबंधन समिति को प्रदाय किया गया है इस राशि में साबुन,टायलेट, बाल्टी इत्यादि की व्यवस्था की गई है लेकिन वर्तमान समय में 75 परसेंट स्कूल ऐसे पाये गये थे जो स्कूल चलो अभियान के तहत आए थे, जिसमें अधिकांश में दरवाजे नहीं थे अगर वह ठीक हो जाएंगे तो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी . हमारे यहाँ कई स्कूलों में भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है अगर वह बनाने के लिए एक कमरे की व्यवस्था हो जाएगी तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा.

मुख्यमंत्री आवास में हमारे यहाँ प्रतीक्षा सूची काफी लंबी है. इस पर भी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह विषय भी ठीक हो जाएगा. निर्मल ग्राम के अन्तर्गत जो भी हमारे यहाँ अभी स्वच्छता अभियान के तहत लेट्रिन बनाई जा रही हैं उसमें काफी अनियमितताएँ हैं. अगर इसकी तरफ भी ध्यान देंगे तो काफी अच्छा होगा. ई-पंचायत में आपने हमारे यहाँ पंचायत में कंप्यूटर सिस्टम वगैरह दिए हैं लेकिन अधिकांश पंचायतों में कंप्यूटर सिस्टम अभी तक चालू नहीं हो पाए हैं. इस पर भी अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो यह बहुत अच्छा होगा.मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और प्रधानमंत्री सड़कों पर भारी वाहनों का प्रवेश निरंतर जारी है जिसकी वजह से पूरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कें उखड़ चुकी हैं. इससे आने वाले समय में ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होने वाली है. इस व्यवस्था को भी थोड़ा ठीक करेंगे तो यह भी ठीक हो जाएगा. खेत सड़क योजना की तरह, मनरेगा के अन्तर्गत गुणवत्ता का अगर ध्यान रखा जाएगा तो यह बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी. हमारे यहाँ 149 पंचायतों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बस्तियाँ पाई जाती हैं. जिसमें नलजल योजना, सीसी रोड, नाली, शौचालय, अनुसूचित जाति बस्तियों तक अभी तक कम मात्रा में पहुँच पाया है. अगर यह पहुँचेगा तो बहुत अच्छा रहेगा.

सभापति महोदय, एक पेंशन की बात जो आती है, कई बार कार्डधारी जो बीपीएल लोग हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस किसान के पास में बंजर जमीन है अगर वह बंजर जमीन होने के बाद उसके ऊपर उत्पादन नहीं कर पा रहा है तो वह भी बीपीएल के उसमें नहीं आता है तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ऐसे किसान जिनकी बंजर जमीन है लेकिन रिकार्ड में अधिक मात्रा में चढ़ी है, अगर उनकी बंजर भूमि को जमीन न मानते हुए उनको बीपीएल में जोड़ा जाएगा तो ऐसे कई किसानों को फायदा मिलेगा. सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद.

कुंवर सिंह टेकाम(धौहनी)-- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 17, 30, 34, 59, 62 एवं 74 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ. सभापति महोदय, मध्यप्रदेश के इतिहास में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से जो नई ऊँचाइयों तक जो अभी तक इस प्रदेश को जो लाभ मिला है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. अभी पूर्व वक्ताओं के माध्यम से पूरी बातें आ गई हैं. मेरा सुझाव यह है कि हम ट्रायबल क्षेत्र से आते हैं, ट्रायबल क्षेत्र में मूलभूत की सुविधाएँ तो

बहुत हुई हैं लेकिन अभी भी वहाँ बहुत काम करने की आवश्यकता है इसलिए पंचायत विभाग के माध्यम से भी जो भी काम किए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा उसका प्रबंधन, उसकी गुणवत्ता और उसकी मॉनिटरिंग यदि सही ढंग से हो जिससे आम गरीबों को उसका लाभ मिले. जैसे कपिल धारा कुँए, कपिल धारा कुँओं के माध्यम से पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था की गई है. उसमें सही ढंग से कूप बनें, उसकी बंधाई हो जाए, उसकी गहराई ठीक से हो, इसकी आवश्यकता है. अभी माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कपिल धारा कूप वालों को जो डीजल पंप देने का सराहनीय काम किया है वह बहुत प्रशंसनीय है. उससे आम जो आदिवासी जनता है वह अपने कपिल धारा कूपों से अपने खेतों की सिंचाई कर पा रही है. पहले के जमाने में सिंचाई की कोई इस तरह की मूलभूत जो सुविधा थी, वह नहीं थी, जिसके कारण आदिवासी केवल मोटे अनाज का उत्पादन करते थे लेकिन आज के जमाने में उनको सिंचाई की जहाँ बेहतर सुविधा मिल रही है, उससे धान और गेहूँ की भी फसलें वे लेने लगे हैं इसलिए कपिल धारा को और मजबूती प्रदान करना है तथा और ऐसे जो किसान हैं जिनको अभी कपिल धारा कूप की आवश्यकता है.उनको कपिलधारा की स्वीकृति मिले और उनको डीजल पंप भी मिले. पंचायत में जो समग्र स्वच्छता अभियान है इसमें 13 हजार रुपये की राशि दी जाती है लेकिन मुझे लगता है यह राशि थोड़ी कम है 13 हजार रुपये में बढ़िया शौचालय का निर्माण नहीं हो पाता है इसकी राशि बढ़ा देंगे तो बड़ी कृपा होगी जिससे की स्थायी ढंग से लोग शौचालय का ढांचा बना सकें.

सभापति महोदय, सुदूर ग्राम सड़क संपर्क योजना चालू की गई है इससे गांवों के अन्दर सड़क बनने की जो कल्पनायें थीं वे साकार होने लगी हैं इसमें यह दिक्कत आती है कि कुछ पट्टे की जमीन है, कुछ शासन की जमीन है. इन सड़कों की चौड़ाई 9 मीटर रखी गई है इसमें कभी-कभी पट्टे की जमीन बराबर मात्रा में नहीं मिल पाती है जिसके कारण यह सड़क बनाने में असुविधा होती है. माननीय मंत्रीजी यह देख लें कि इसका कैसे सरलीकरण किया जा सकता है.

सभापति महोदय, पंचायत विभाग के माध्यम से जो स्टाप डेम बने हैं इनके गेट का संधारण पंचायत विभाग को करना चाहिये लेकिन वह नहीं कर पा रहा है इसका संधारण किसके माध्यम से हो

इसकी जवाबदारी किसकी हो यह मंत्रीजी दिखवा लें जिससे कि स्टाप डेम का गेट सही समय पर बंद हो. पानी का भराव सही समय पर हो तो जल स्तर भी बढ़ेगा और सिंचाई की भी भरपूर व्यवस्था हो सकेगी.

सभापति महोदय, पंचायत कर्मियों को आपने पंचायत सहायक बना दिया है उनको अच्छा वेतनमान आप दे रहे हैं जो कि प्रशंसनीय कार्य है इसके लिये हम आपको बहुत-बहुत साधुवाद देते हैं लेकिन उनमें जो अपने गृह ग्राम में हैं उनकी शिकायतें आ रही हैं, इनकी जो स्थानान्तरण नीति है उसमें बदलाव करके जिनकी शिकायतें हैं उनको गृह ग्राम से बाहर कर देंगे तो मुझे लगता है कि पंचायत का कार्य और बेहतर हो सकेगा.

सभापति महोदय, सब इंजीनियरों को 10-10, 20-20 पंचायतों की मानिटरिंग का काम सौंप दिया गया है इतना काम सौंप देने से वे बराबर मानिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं. सब इंजीनियरों की भर्ती की जाये जिससे काम को सही ढंग से मानीटर किया जा सके. हम लोग जब समीक्षा बैठक करते हैं तो यह पाते हैं कि अधूरे कामों की संख्या बहुत अधिक है, छोटे-छोटे कामों के कारण अधूरे कामों में उनकी गिनती हो रही है इसलिये अधूरे कामों को शीघ्र पूर्ण करके उन्हें पूर्णता प्रदान करें. मुझे लगता है कि पंचायत विभाग जिस तेजी और तन्मयता से काम कर रहा है उसे देखते हुए यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वह दिन दूर नहीं है जब हम गांव और शहर का स्तर बराबर लाने में कामयाब हो पायेंगे. मैं, अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्रीजी और पंचायत मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं.

सभापति महोदय, हमारे यहां जिला पंचायत सीईओ के पद खाली है और जनपद पंचायत, देवसर का पद खाली है. मंत्री जी सीईओ की शीघ्र पदस्थापना करने की कृपा करें. इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. आपने बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

4:07 बजे

{उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए}

कुं. विक्रम सिंह (राजनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधे अपनी बात पर आना चाहता हूँ. मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ. मेरे विधान सभा क्षेत्र में खजुराहो चटकरा से जैसे ही निकलते हैं वहां गढ़ापुरा पहुंच मार्ग है यह मार्ग बहुत ही बुरी हालत में है. इसी तरह खजुराहो से बमनोरा मार्ग बहुत बुरी हालत में है इन दोनों मार्गों के साथ टहनगा से पीरा तक का जो मार्ग है वह बिलकुल है ही नहीं. आजादी से लेकर अभी तक लखरावन पहुंच मार्ग कोटा होते हुए अभी तक नहीं बन पाया है, मैंने सदन में कई बार इस बात का जिक्र भी किया है.

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकारें और आगे आने वाले समय में इन सड़कों को डेव्हलप किया जायेगा। विकासखण्ड लवकुश नगर में गुड़ा ग्राम पंचायत से लेकर पूर्वा बम्होरी तक ये सड़क भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जुड़वाने की महती कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि और मंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह से पिछले पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से इन्होंने संरक्षण किया है, जिस तरह से कामों को प्रभावित होने से बचाया है और भ्रष्टाचार होने सेबचाने के लिये इन्होंने सीईओ तक को सस्पेंड किया इनका उस बात के लिये शुक्रगुजार हूं और मंत्री जी ने अभी हाल ही में जो बजट पेश किया है उस बजट में राजनगर की भी थोड़ी सी व्यवस्था कर दें, यह ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, लखनावन के बाद अटकुंवा से लक्षमणपुरा होते हुए एक मार्ग यह लवकुश नगर जनपद में आता है, इसको भी माननीय मंत्री जी देखें। एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर कपिलधारा कूप निर्माण में भारी व्यापमं जैसा घोटाला हुआ है। इसमें जो राशि हितग्राही को मिलना चाहिये, वह हितग्राही को काम लगाने के समय पहली किश्त जारी होती है। परन्तु वह राशि हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके अभाव में हमारे क्षेत्र के जिन लोगों ने उन कूपों में काम किया है, मेहनत करी है उनकी मजदूरी आज तक नहीं मिल पायी है।

ऐसी 13-14 पंचायतें है मैं उनका वर्णन न करके सीधे माननीय मंत्री जी को सीधे पत्र दे दूंगा । मेरा एक और निवेदन है कि अपने राजनगर जनपद अंतर्गत ऐसी कोई भी पिछले पांच सालों में पहले के पांच सालों में और अभी तक खेल के मैदानों का जो प्रावधान है उसके लिये मंत्री जी से जरूर कहना चाहूंगा कि एक खेल

का मैदान विक्रमपुर में और एक खेल का मैदान ललपुर में ये दोनों जगह खेल के मैदान बनवाये जाएं । विक्रमपुर राजनगर जनपद में है और ललपुर भी राजनगर जनपद में है। यहां पर अगर खेल के मैदान विकसित हो जायेंगे, वहां पर शासकीय जमीन काफी है, वह वन विभाग से बाहर है तो वन विभाग से उसमें कोई अड़चन भी नहीं आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद्।

श्री मानवेन्द्र सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हर ग्राम पंचायत में स्कूल के पास अगर खेल के मैदान की व्यवस्था करवायी जाए तो अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय:- आपका प्रस्ताव अच्छा है।

श्री जालम सिंह पटैल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 17, 30, 34,61, 62 ,64 के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात करना चाहता हूं। मध्यप्रदेश की सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव जी ने पिछले 10 वर्षों में सर्वजन सुखान और सर्वजन हिताय के उद्देश्य को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है। हम सभी जानते हैं कि यह देश गांवों का देश है और यहां कि जो आबादी है, वह गांव में बसती है। आजादी के लगभग 67 वर्ष हो चुके हैं।

इन 10 वर्षों में जो गांवों के लिये विकास हुआ है. इसके पहले की तस्वीर देखें चाहे वह ग्रामीण विकास की बात हो, चाहे सहकारिता के क्षेत्र की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात करें यह विभाग दूर के इलाकों में रहने वालों के लिये संचालित है और इन 10 वर्षों में जिस गति से काम हुआ है चाहे सड़कों की बात करें. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मैं मानता हूं कि पंडित अटलबिहारी बाजपेयी अगर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो गांवों की सड़कों की अवधारणा ही नहीं होती. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो बचे हुए गांव हैं. 500 से आबादी के नीचे के जो गांव हैं. आदिवासी, अनुसूचित जाति,जनजाति क्षेत्र के 250 की आबादी के गांव हैं वहां मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव सड़कें भी बन रही हैं. अभी खेत सड़क योजना के माध्यम से किसानों के लिये सड़कें बनाई जा रही हैं. जिसके माध्यम से गांव का व्यक्ति पलायन न करे. अब गांव का व्यक्ति पलायन नहीं कर रहा है. आपने देखा होगा कि शहरों में जिस गति से कालोनियां बन रही हैं लोग बच्चों को पढ़ाने के लिये मकान खरीदने के लिये विचार करते थे वर्तमान में देखें तो उसमें बहुत कमी आई है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिये जो सामाजिक न्याय द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं संचालित हैं. हम पेंशन की बात करें या अन्य जो भी राशि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों मिलती है हितग्राहियों को मिलती है वह सीधे खाते में जाती है. इससे पहले चाहे किसी भी प्रकार का पैसा हो बिचौलिये के माध्यम से जाता था. अब सीधा हितग्राही के खाते में पैसा जा रहा है उसका सीधा लाभ हितग्राही को मिल रहा है. मुख्यमंत्री सड़क योजना में पूरे प्रदेश में अगर डामर की सड़कें बन जाती हैं तो वह भी मील का पत्थर साबित होंगी. जो हमारे गांव में पीने के पानी के जल

स्त्रोत हैं. कुंआ है, पोखर हैं या नदियां हैं, तालाब हैं, उनको स्वच्छ रखने का काम पंचायत विभाग कर सकता है क्योंकि पंचायत विभाग सबसे अच्छी ऐजेंसी है. निर्माण ऐजेंसी की बात करें तो पंचायत व्यवस्था को चलाने का काम सबसे अच्छा कर सकती है तो वह पंचायत कर सकती है. उसके लिये माननीय मंत्री जी ने काम किया है. जैसा अन्य वक्ताओं ने भी कहा.

उपाध्यक्ष महोदय,मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं. उन समस्याओं पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे. जो हमारे पंचायत विभाग द्वारा बड़े बाजार गांवों में लगते हैं उसके लिये 50 हजार रुपये हाट बाजार के नाम पर दिये जाते हैं. मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन पंचायतों में 50-50 हजार रुपये की घोषणा की गई थी और पैसा पहुंच भी गया है. कुछ और भी पंचायतें हैं उनके लिये मैं उनसे आग्रह करता हूं. एक मलाहपिपरिया है जो गोटेगांव विधान सभा क्षेत्र में आता है. वहां बड़ा बाजार लगता है. धमना है, निवारी है, उमरिया(चिनकी), केरपानी है. यह बड़े-बड़े हाट बाजार हैं. इन हाट बाजारों के लिये अनुदान देंगे. हमारे नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में जनपद जिला पंचायत का 7 एकड़ का बहुत बड़ा ग्राउण्ड बीच शहर में है. माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से भी उस संबंध में मेरी चर्चा हुई. उस मैदान पर अगर दुकानें निकलती हैं तो 15 से 20 लाख रुपये में वे बिक जाएंगी और उसके ऊपर अगर दो मंजिल भवन बन जाता है तो जो सरकारी कार्यालय नगर में व पूरे जिले में संचालित हैं वह उसमें संचालित हो सकते हैं. उसकी अनुमति देने की कृपा करें. बरमानघाट जो ब्रह्मा जी की तपोस्थली है, नर्मदा जी के किनारे है. मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं वे वहां कई बार गये भी हैं वहां सागर,दमोह,छिन्दवाड़ा,जबलपुर और अन्य जिलों के लोग स्नान करने आते हैं. वहां शौचालय की व्यवस्था की आवश्यक्ता है. वहां 100 की क्षमता वाला सुलभ काम्पलेक्स बनता है तो वहां अच्छी व्यवस्था हो जाएगी. वहां लगभग 1 हजार लोगों के रूकने के लिये धर्मशाला बनेगी तो हमारे यहां पर जो श्रद्धालू आते हैं उनको उसका लाभ होगा. प्रधानमंत्री सड़क योजना में कुछ गांव बचे हुए हैं उसके टेन्डर एवं स्वीकृति होना है उनमें गडरियाखेड़ा,अगरघई, गुडवारा, झखराई, झिल्पीढान,कुरेला,कुढ़ी, रेहली, सगोनी, चौधरी, मुख्यमंत्री सड़क में भी कुछ गांव रह गये हैं मलकुही, हाड़ीकाट, थापा, महगुंवा आपने समय दिया धन्यवाद.

श्रीमती शीला त्यागी (मनगवां)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 17,30,34,59,62 एवं 74 का विरोध करता हूं, कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. वार्षिक बजट की मांग संख्या 17 में सहकारिता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया

है और अक्सर मेरे मनगवां विधान सभा में तथा पूरे प्रदेश में इसकी शिकायतें हमेशा आती रहती हैं और भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती रहती है कि जो सभी एलडीएम, सेल्समेन, मैनेजर ए.पी.एल, बी.पी.एल की जो खाद्यान्न हैं शक्कर व केरोसिन उसको ब्लेक में बेच देते हैं यह सभी माननीय सदस्यगण पेपर के माध्यम से जानते हैं और इनके द्वारा भी यह मुद्दे सदन में उठाये जाते रहे हैं और साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जिन हितग्राहियों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें काला-बाजारी हो जाती है यह जो गरीबों का खादान्न होता है ए.पी.एल.बी.पी.एल का यह शासन की जितनी भी सहकारी उचित मूल्य की दुकाने हैं, सही समय पर नहीं खुलती हैं अगर खुलती भी हैं वहां के कोटेदार होते हैं उसका सही संचालन नहीं करते हैं मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं कि संवैधानिक तरीके से जो एस.सी.एस.टी. एवं ओबीसी के लिये जो दुकाने हैं उनके लिये भी आरक्षित की जायं. दूसरी बात ग्रामीण विकास के संबंध में कहना चाहती हूं कि मेरा देश गांव में बसता है और देश की सम्पूर्ण आबादी 75 प्रतिशत से भी अधिक गांवों में निवास करती है. ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं वह जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण विकास के लिये बजट में जो कटौती का प्रावधान करती हूं और यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे मनगवां विधान सभा में बहुत से ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी सड़क योजना हो, कुछ गांवों में आजादी के 60 साल बीत जाने के बाद भी वहां पर सड़कें नहीं हैं अगर हैं भी तो वह अधूरी पड़ी हुई हैं मनवगां विधान सभा में पेयजल की समस्या है और यह एक ऐसी ऐतिहासिक सीट है जहां पर कम से कम रीवा जिले के अधिकांश विधायक पूर्व के विधान सभा अध्यक्ष महोदय भी इसी विधान सभा में कई बार नेतृत्व कर चुके हैं माननीय गिरीश गौतम जी भी वहीं से चुनकर के आये हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठजन उस विधान सभा से आये हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वहां पर आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की बस्तियों में बिजली के खम्बे तो गढ़े हैं, लेकिन उसमें तार नहीं खींचे गये हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—अब समाप्त करें आप बिजली विभाग पर क्यों बोल रही हैं.

श्रीमती शीला त्यागी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार चुनकर आयी हूं मुझे अपनी बात कहने दीजिये हमारे मनगवां विधान सभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो बस्तियां हैं वहां पर

शराब की दुकानों का तो क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है, लेकिन खादान्न की जितनी वस्तुओं की जो दुकाने हैं उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. यह भी कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्यादान योजना के तहत जो भी कन्याओं को दिया जाता है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है. माननीय मुख्यमंत्री एवं सरकार की जो मंशा है कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति हो, वह लाभांवित हो और वह समानता की श्रेणी में आये और उसका विकास हो, लेकिन सरकार की मंशा एवं आपके धर्मग्रंथों के अनुसार जो मैंने पढ़ा एवं सुना है और आप लोगों के साथ छः महीने से आपके सानिध्य में मैंने देखा है कि भगवान ने भी 12 वां अवतार लेकर अंतिम व्यक्ति की जो पीड़ा थी उसको देखने के लिये 12 वां अवतार लिया था और अंतिम व्यक्ति की जो पीड़ा थी उसको स्वयं देखने के लिये, उस दर्द को महसूस करने के लिये 12 अवतार लिया था, इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह गुजारिश करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रीगण कम से कम वहां उन बस्तियों में जा कर खुद महसूस करें और देखें कि किस प्रकार से हमारे समाज का सबसे ज्यादा दबा और कुचला व्यक्ति आज भी पीड़ित है और उनको सरकार की योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद.

श्री कमलेश्वर पटेल (सिंहावल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सत्ता पक्ष के कई साथियों ने बहुत कसीदें सरकार के पक्ष में बढ़ा-चढ़ा कर बहुत अच्छे से प्रस्तुति की परंतु सच बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिये और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार की चाहे वह परम सम्मानीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की चाहे बात करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की, तो सही योजना थी हमें उसकी भूरि भूरि प्रशन्सा करना चाहिये और हम करते हैं. कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं करती या हमारे दल ने ऐसा नहीं सिखाया, तो दोनों तरफ की बातें होनी चाहिये. जो अच्छी योजनायें हैं, उनकी प्रशन्सा होनी चाहिये, उनकी प्रशन्सा हम करते हैं पर ऐसा नहीं है कि **10** साल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना को आगे संचालित करने के लिये केन्द्र सरकार ने कोई पैसा ही नहीं दिया. माननीय मंत्री जी जब बात रखेंगे, तो उसमें केन्द्रीय अनुदान कितना मिला, कितना प्रदेश सरकार का है वह बजट में आलरेडी मेंशन है, तो जब

हमारे सत्ता पक्ष के भी विधायक साथी जब बोलते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिये कि संयुक्त रूप से ही चाहे वह प्रदेश सरकार हो, केन्द्र सरकार हो, एक संवैधानिक व्यवस्था उसके तहत् ही चलती है.

श्री प्रदीप अग्रवाल--मेरे क्षेत्र में पिछले दस वर्षों से काम रूका हुआ है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का.

श्री कमलेश्वर पटेल--प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का अगर काम रूका हुआ है, तो यह माननीय मंत्री महोदय जब बात करेंगे, तो वह उल्लेख करेंगे क्यों रूका हुआ है, कोई ना कोई कमजोरी प्रदेश सरकार की रही होगी पर फंडिंग में केन्द्र सरकार ने जितना इस बीच में **10** साल में पैसा दिया है**...**

उपाध्यक्ष महोदय--मुद्दे पर आ जायें.

श्री जालम सिंह पटेल**--3** साल तक प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पैसा नहीं आता, इसी कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाते.

उपाध्यक्ष महोदय--जालम सिंह जी, अब आप कह चुके हैं अपना भाषण.

श्री कमलेश्वर पटेल--जितना पैसा इस बीच में केन्द्र सरकार ने मनरेगा में या अन्य योजनाओं में जो दिया है, वह पैसा पहले नहीं मिलता था, तो यह कहना कि सारा केन्द्र सरकार, पिछली केन्द्र सरकार ने कुछ किया ही नहीं, प्रदेश सरकार ने ही मनरेगा योजना की भूरि-भूरि प्रशन्सा भी की है और एक तरफ भारी भ्रष्टाचार भी हुआ है.

उपाध्यक्ष महोदय--कमलेश्वर जी, क्षेत्र पर आ जायें.

श्री कमलेश्वर पटेल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्र पर ही आ रहा हूं.मनरेगा भी जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी जुड़ी हुई है सारे क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा के तहत् जितना हमारे सीधी जिले में, सिंगरौली जिले में भ्रष्टाचार हुआ है और उच्च स्तरीय जांच भी हुई थी और माननीय मंत्री जी ने सब जगह बहुत सहृदयता दिखाई और माननीय मंत्री जी को हम बहुत दिनों से जानते भी हैं, बहुत ही संघर्षशील नेता हैं और कई सालों से मंत्री भी हैं, संवेदनशील भी हैं परंतु हमारे यहां जो भ्रष्टाचार हुआ, उस पर जो कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये थी, आज भी वही प्रक्रिया चल रही है, उसी तरह के काम चल रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हुई. हमारा निवेदन है कि जो जांच हुई थी, उस

पर कार्यवाही होना चाहिये और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ प्रदेश सरकार ने मनरेगा की भारी प्रशन्सा भी की, उसके तहत् विकास के काम भी गांवों में हुए हैं, यह सारे साथियों ने यहां पर सदन में भी चर्चा में यह बात स्वीकार की, अभी यह भी चर्चा है कि मनरेगा का नाम बदलने का भी चल रहा है, योजना केन्द्र सरकार बंद करने भी जा रही है, तो हम सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करेंगे...

उपाध्यक्ष महोदय--आपको बोलने का अवसर मिला है, तो अपने क्षेत्र की जो कुछ समस्यायें हैं, उनके बारे में जिक्र कर लें, कुछ प्रस्ताव दें क्योंकि समय सीमित है.

श्री कमलेश्वर पटेल--हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या तो अन्त्योदय मेला है, यह भी पंचायत ग्रामीण विकास के तहत् ही आता है. अंत्योदय मेला जब-जब लगा, तो अन्त्योदय मेले में अभी तो 2-3 महीने से नहीं लगा, पर अंत्योदय मेले में जितने भी आवेदन मिले, उन आवेदनों पर कुछ नहीं हुआ. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिये जितने भी आवेदन दिये गये, या वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ने के लिये जो भी आवेदन मिले, उन पर जो कार्यवाही होनी चाहिये, लोक सेवा गारंटी योजना के तहत् गरीब लोग जो कोई भी आवेदन देते हैं, तो सीधे-सीधे लिखकर आ जाता है 15 दिन में, महीने भर में कि आपका अपात्र है, आपका नहीं हो सकता एक फार्मेट में है, तो लोक सेवा गारंटी योजना सरकार ने लागू की, बहुत ही अच्छी योजना है, उस पर जो योजना लागू करने के पीछे मन्शा थी, उस तरह का काम नहीं हो रहा यह भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये. सहकारिता विभाग में हमारे यहां जो भी सोसायटी, बैंक हैं. जब किसान वहां बिक्री करने जाता है, अपना धान,गेहूं जो भी उपज करता है अन्नदाता. वह जब बेचकर आता है, तो 7 दिन के बाद उसको अपना जो भी उपार्जन है, उसकी राशि मिलने का प्रावधान है, पर वह दो दो - तीन तीन महीने चक्कर लगाता रहता है. उसको समय पर भुगतान नहीं होता है. किसी की बच्ची की शादी है, कोई बीमार है. इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये कि वह राशि उसको समय पर मिले और अगर 15 दिन के अन्दर नहीं मिल रही है तो यह भी प्रावधान होना चाहिये कि उसको बैंक, सोसायटी से ब्याज देने की भी व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि किसान का अगर तीन महीना पैसा पड़ा है. अगर वह व्यापारी को भी बेचता है, तो उसको उसी दिन पैसा

मिलता है और वह बैंक में जमा करता है तो उसको ब्याज भी मिलता है. पर यहां सोसायटी में उसको ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है. मंत्री जी, बजट में इसका प्रावधान करेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि बीआरसी और डीपीसी में भी शिक्षकों को भर्ती कर लिया है. इससे एक तरफ शिक्षा पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी व्यवधान हो रहा है . दूसरा इनकी रुचि दूसरे कामों में ज्यादा है. तो जो विभाग से संबंधित हो, विभाग के लोगों को ही बीआरसी और डीपीसी बनायें. तो काम भी प्रभावित नहीं होगा और अच्छे रुप से, सुचारे रुप से काम चलेगा. यह भी हमारा एक निवेदन है. इंदिरा आवास की दूसरी किश्त हमारे जिले में कई जगह नहीं मिली है. यह हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी शिकायत है. तो दूसरी किश्त का प्रावधान जल्दी हो जाय. यह विगत वर्षों का है. इस वर्ष का नहीं है. यह पिछले वर्ष का है, वर्ष 2012-13 का. हमारे यहां एक सुपेला से राम नगर रोड का निर्माण होना है, वह काफी जर्जर है. अगर वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क यजना में जोड़ लेते हैं, तो बड़ी कृपा होगी. उपाध्यक्ष महोदय, बोलना तो बहुत कुछ है.

उपाध्यक्ष महोदय -- आपके सुझाव पर मंत्री जी ने कलम उठा ली है, वह लिख रहे हैं. कृपया समाप्त करें.

श्री कमलेश्वर पटेल -- उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय पर भी बोलना था. न्याय दिलाने के लिये बहुत सारे आयोग तो गठित किये गये हैं. चाहे वह घुमक्कड़ आयोग हो, चाहे और आयोग हों, पर उनसे किसी तरह से न्याय नहीं मिला है. सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिये. वृद्धा पेंशन बहुत कम दी जा रही है. उसका समय पर भुगतान नहीं होता, उसकी भी राशि अगर सरकार 500 रुपये कर दे, तो हम समझते हैं कि उचित होगा. आज के महंगाई के दौर में 300 रुपये बहुत कम है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिये. उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद.

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (दिमनी)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का विरोध और कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. उपध्यक्ष महदोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से अनेक हितकारी, कल्याणकारी योजनायें संचालित हैं. मेरा निवेदन है कि सभी योजनाओं की जानकारी विधायकों को मिलनी चाहिये. मेरे विधान सभा क्षेत्र दिमनी विकास में

अत्यन्त पिछड़ा है. वहां मुख्यमंत्री सड़क योजना के कार्यों की गति बहुत धीमी है. खेत सड़क योजना के कार्य अभी अस्वीकृत हैं. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रकरण भारी संख्या में बैंकों में लम्बित हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास का दिमनी विधान सभा के लिये बजट बहुत कम है. नल जल योजना पंचायत संचालित करती है, क्योंकि बजट के अभाव में वे सब योजनायें बंद पड़ी हैं. योजनाओं के संचालन हेतु माननीय विधायकों से सलाह मश्विरा किया जावे और प्रस्ताव भी मांगे जायें. मेरे क्षेत्र की ग्राम पंचायत जीगनी में वृद्धावस्था आश्रम खला जावे. अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य बस्तियों में सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जावे. मनरेगा अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाय. मनरेगा अन्तर्गत संचालित उपयोजनाओं की प्रगति बहुत धीमी है. विक्लांगों का शासकीय नौकरी में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाये. विकलांगों को दी जाने वाली राहत राशि भी बढ़ाई जाय.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार खतम नहीं होगा तब तक पंचायतों का विकास नहीं हो सकता है, पंचायतों में कोई काम नहीं हो सकता है. मैं जब से भोपाल में आया हूं कई दलाल मेरे पास में आ चुके है और बोलते हैं कि टेंकर खरीदने का कितना प्रतिशत लेंगे, खेती के औजार की सप्लाई कर देंगे क्या परसेंट लेंगे. इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी प्रदेश में बंद नहीं होगी, तब तक ग्राम पंचायतों की चाहे कितनी बैठकें हों, कभी भी काम पूरा नहीं होगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में उपस्थित नहीं है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता था कि आप प्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाना चाह रहे हैं, तो सोने की चिड़िया प्रदेश को मत बनाओ चांदी और तांबे की बनवा दो. मंत्री जी से भी यही अनुरोध है कि आप भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी बंद करवा दो प्रदेश अपने आप ही स्वर्णित प्रदेश बन जायेगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप मंत्री जी को स्पेसिफिक जो शिकायतें आपके क्षेत्र की हों आप उनको लिखकर के दे दें.

श्री बलबीर सिंह दण्डोतिया-- ठीक है. उपाध्यक्ष जी आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया उसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम तो नहीं है लेकिन में 2 सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं , क्या मैं दे सकता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपके दल की तरफ से आपका नाम आना चाहिये था, नहीं आया, कृपया बैठ जायें.

श्री रामप्यारे कुलस्ते(निवास) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 17, 30, 34, 59, 62, 74 का समर्थन करता हूं कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, भारत देश की आत्मा गांव में बसती है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का प्रदेश का विकास असंभव है. इसलिये मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 10 सालों में गांव के विकास, तरक्की और वहां रहने वाले लोगों की सुख सुविधाओं के बारे में जो काम किये हैं , निश्चित रूप से वह अभूतपूर्व हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय विभाग की बात करना चाहता हूं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित योजनायें हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई हैं. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अभिभावक योजना, अंत्योदय मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना . उपाध्यक्ष महोदय, अंत्योदय मेला एक ऐसा आयोजन है . वास्तव में जरूरत मंद लोगों के लिये ऐसे मेले का आयोजन किया जाना आवश्यक था. मध्यप्रदेश सरकार की जो हितग्राहीमूलक योजनाये हैं उनका सीधा लाभ हितग्राहियों को मिले इस हेतु मेले का आयोजन किया जाता है . ऐसा आयोजन मध्यप्रदेश की सरकार ने पहली बार किया इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में मध्यप्रदेश की अधिकांश आबादी खेती किसानी पर आधारित है . मजदूरों के बारे में अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था. मजदूर खेती किसानी पर निर्भर तो हैं परंतु जिन मजदूरों के पास खेती किसानी के नाम पर एक इंच जमीन भी नहीं है ऐसे लोगों को चिह्नित करके मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना से जोड़ा गया और उनकी जो जरुरत की चीजें हैं. व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको भी देने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में

जोड़ा गया. मैं समझता हूं मजदूरों के लिए एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है. मध्यप्रदेश सरकार का एक साहसिक प्रयास है.

उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधीजी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना का साकार करते हुए जितने भी काम सरकार ने किये हैं चाहे सहकारिता के क्षेत्र में, चाहे राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से जो काम किये गये हैं वह सराहनीय है. आजीविका मिशन के तहत रोजगार मेलों का आयोजन हुआ. मैं यह बताना चाहता हूं कि मंडला जिले में हम लोगों ने प्रत्येक विकास खंड में रोजगार मेलों का आयोजन किया. पढ़े-लिखे लोगों को बड़ी-बड़ी कंपनियों को बुलाकर लोगों को उनकी पसंद और रुचि के अनुसार जो भी हितग्राही काम करना चाहता है उनको रोजगार देने का काम किया गया. कोई अगर प्रशिक्षण लेना चाहता है, कोई अच्छा काम करना चाहता है तो ऐसे लोगों को प्रदेश सरकार की ओर से, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ट्रेनिंग देने का काम किया है. ग्रामीण विकास में जितने काम किये गये हैं उसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं. मैं सुझाव भी देना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की जो बात आती है. हमको केन्द्र से पैसा न मिलने के कारण और बीच में डामरीकृत सड़क बनाने बंद हो जाने के कारण मेरे क्षेत्र में तीन चार सड़कें सिंगारपुर से औढ़ारी, उदयपुर से बेरपानी, मोहगांव से जवैधा और बम्हनी से अभदरा ऐसी हैं जो ग्रेवल के रुप में अभी भी यथावत है उनको डामरीकृत कराया जाये. दूसरा, गड़रा से भजिया जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क पर पुल न बनने के कारण अभी भी आवागमन की सुविधा अवरुद्ध है. कृपा कर वहां पर यदि पुल बना दिया जाता है तो निश्चित रुप से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ ग्रामवासियों को मिलेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 400 मीटर तक के पुल बनवायें हैं मेहरबानी करके इस पुल को भी बनवा देंगे तो हमारे ग्रामवासियों को आने-जाने में निश्चित रुप से अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकेगा. मैं धन्यवाद देते हुए मंत्रीजी से पुनः आग्रह करता हूं कि वह मेरी बातों पर ध्यान देकर अधूरे कार्यों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे. धन्यवाद.

श्रीमती चन्दा गौर(खरगापुर)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत मांगों का विरोध करते हुए अपनी बात रख रही हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा भारी अनियमितताओं की बात चल रही है. मैं अपने विधानसभा क्षेत्र खरगापुर की बात करते हुए अपने मन की पीड़ा बता रही हूं. वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में राशि बढ़ाये जाने का बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, महिला जन प्रतिनिधि होने के कारण जब भी अपने क्षेत्र में जाती हूं तो महिलाओं का जनसमूह महंगाई के इस दौर में राशि बढ़ाये जाने की बात रखती हैं. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं कि इन जन कल्याणकारी योजनाओं में राशि बढ़ाये जाने का प्रावधान करने जरुर करना चाहिए.

श्रीमती ऊषा चौधरी (रैगांव) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 3, 23, 17 और 67 पर चर्चा करना चाहती हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरे सतना जिले में प्रशासन व्यवस्था पुलिस विभाग बहुत ही नगण्य है.

उपाध्यक्ष महोदय – अभी पुलिस विभाग पर चर्चा नहीं हो रही है पुलिस विभाग पर चर्चा कल हो चुकी है.

श्रीमती ऊषा चौधरी – कल मेरा नाम नहीं आया था. मैं एक सुझाव के रूप में कहना चाहती हूं. मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम छिंदा और पड़रिया से चार बच्चे गायब हो गये हैं . उनका अपहरण हो गया है आज तक उनका अता पता नहीं है. पुलिस विभाग उनका पता लगाने में असमर्थ रहा है. इसलिए मैं चाहती हूं कि स्टाफ वहां पर बढ़ा दिया जाय क्योंकि वहां परइस समय चोरी भी बहुत हो रही है और चड्डी बनियान गिरोह इस समय बहुत हावी है. इन अपहृत बच्चों का पता लगाने के लिए मैं कहती हूं कि इसकी सीबीआई जांच करा ली जाय. क्योंकि वह गरीब परिवार के बच्चे हैं. मजदूरों के बच्चे हैं 16 जून 2008 को दो बच्चे गायब हुए हैं और 18 जुलाई 2013 को दो बच्चे गायब हुए हैं. आज तक उनका कोई अता पता नहीं है उनकी हड्डियां भी नहीं मिली है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत के बारे में कहना चाहती हूं कि यह जो ब्लाक से पर्ची बांटने का काम है इस पर्ची बांटने में भारी अनियमितता हो रही है गरीब जनता को राशन नहीं मिल पा रहा है मेरे गांव गुनवा, पवइया में नैना और रौन में तीन चार माह से खाद्यान्न नहीं मिला है. इस भीषण खेती की बर्बादी में लोगों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं है इस स्थिति में सहकारिता विभाग भी अपना कार्य करने में असमर्थ है. गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है कृपया इनकी भी जांच करायी जाय. क्योंकि जांच भी कई बार हो चुकी है लेकिन वह जांच जो है वह वहां तक जाकर वहीं पर समाप्त हो जाती है. यहां से जांच दल भेजकर गांवों में जांच करायी जाय ताकि अनियमितताओं का पता चल सके.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं जल संसाधान के बारे में एक बात कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में एक बांध बनवा दिया जाय. 1986-87 में एक बांध बनवाया गया था.

उपाध्यक्ष महोदय – अभी आप पंचायत विभाग परबात करें जल संसाधन का समय निकल गया है आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें वह सरल हैं आपकी बात पर विचार करेंगे.

श्री मुरलीधर पाटीदार (सुसनेर) - उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं और माननीय पंचायत मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय अटल जी की सरकार में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए सोचा गया था, उसमें दो महत्वपूर्ण योजनाएं किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थीं. निश्चित तौर पर आज हर गांव का व्यक्ति अगर सड़क नहीं भी बनी है तो भी यह तो अधिकारपूर्वक कह ही देता है कि हमारे यहां सड़क नहीं है, सड़क बनवाओ. जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम रहा है. मध्यप्रदेश की सरकार उस पर गंभीरता से काम कर रही है. इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाईं, समाज के किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा है. लेकिन एक योजना का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं. प्रसूति सहायता के अंतर्गत महिला को 6 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और उसके पति को 15 दिन का अवकाश मिलता है और साथ ही मजदूरी के साथ 1000 रुपए अतिरिक्त दिये जाते हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है. लाड़ली लक्ष्मी योजना और गरीब मां-बाप की बच्चियों की शादी की जो योजना है, इस साल आपने अभियान चलाया है कि जहां-जहां भी ओलापीड़ित हैं, जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान हुआ है, उन परिवार की बच्चियों की शादी का खर्च माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है. मैं इन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायत मंत्री जी को साधुवाद देता हूं. उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. साथ ही विनम्र निवेदन पंचायत मंत्री जी से करना चाहता हूं कि आगर को 51 वां जिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है. इसके लिए उन्हें बधाई. अभी उसमें जिला योजना मंडल का गठन नहीं हुआ है, इसके कारण जिले की कई योजनाएं संपादित

नहीं हो पा रही हैं. मेरा विनम्र आग्रह है कि जिला योजना मंडल का गठन शीघ्र हो, जिला पंचायत सीईओ की वहां पर जल्दी से जल्दी पदस्थापना हो.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो कोई 70 साल, 80 साल की वृद्ध महिला आ जाती है और कहती है कि मुझे 10 महीने से पेंशन नहीं मिली, मेरी पेंशन कोई खा गया. वास्तव में कोई खाता नहीं है. लेकिन पोस्ट ऑफिस के कारण वह पेंशन इतनी डिले हो जाती है कि वह यह मान लेती है कि उसकी पेंशन किसी दूसरे ने ले ली. मेरा विनम्र आग्रह है कि यह जो पेंशन की वितरण प्रणाली है उसमें पारदर्शिता आए और समय-सीमा उसमें तय रहे कि इतने दिन में वह पेंशन मिल ही जाएगी तो उससे बिना वजह गलतफहमी पैदा नहीं होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के अंतर्गत मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कई जगह सहकारिता समितियों में पद खाली पड़े हुए हैं. उसके कारण वही चपरासी वहां का काम करता है और उसमें कहीं न कहीं शिकायत आती है. मेरी विधान सभा के दो गांव नरखेड़ा ब्लाक का बोरखेड़ी और डेहरिया सोयत, जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद भी ये गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ला नहीं आ पाए . जब मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की तो उनका यह कहना था कि कनेक्टिविटी रोड में वर्ष 2000 में नहीं आए, जबकि इस पर पुनः विचार होना चाहिए. यहां पर रोड बनाना बहुत जरूरी है. पंचायत कर्मी जो कांग्रेस की सरकार ने बनाये थे, जिनकी बहुत ही दुर्दशा थी, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत सचिव सम्मान के साथ नाम दिया, उनका वेतन भी बढ़ाया. मेरा आग्रह है कि कुछ सुविधाएं जैसे बीमा और सेवा शर्तों का लाभ उन्हें अगर सरकार देगी तो निश्चित तौर पर अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे. मेरी पंचायत के अंतर्गत पचलाना, भैसोदा, बड़ागांव, मोढ़ी, डेहरिया, बड़ा डेहरिया, पालड़ा, करजूमोना यहां पर हाट बाजार की योजना लागू है. लेकिन अभी तक इन बड़े गांवों में इसका लाभ नहीं मिल पाया है. मेरा आग्रह है कि यहां पर हाट बाजार की व्यवस्था की जाय. एक आग्रह के बारे में कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य जब भी अलग-अलग मिलते हैं, बात करते हैं, जिसकी चर्चा अभी तक नहीं आई, अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, मेरा आग्रह है कि पंचायतों का परिसीमन कई सालों से नहीं हो पाया है. मेरे यहां पंचायत एक है और सासंद भी दो और विधायक भी उसके दो हैं तो पंचायतों का परिसीमन एक बार हो जाय तो अति उत्तम रहेगा. अन्त्योदय मेले ब्लॉक स्तर पर भी होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र

के दुखी लोगों को जिला स्तर तक नहीं जाना पड़ेगा, यह मेरा आग्रह है. आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

श्री सचिन यादव (कसरावद)- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या के विरोध में और कटौती प्रस्तावों के समर्थन में अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं. उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं. आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं. उपाध्यक्ष जी, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं. इनका सीधा संबंध सामान्य और किसान वर्ग से है. उपाध्यक्ष जी, यह कृत्य सर्वविदित है कि सहकारी आंदोलन में पिछले वर्षों में किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और बुनकरों के लिए काफी काम सहकारिता के क्षेत्र में हुआ है. उनके आर्थिक उत्थान के लिए भी काम हुआ है. उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुझे सदन को यह बताते हुए काफी गर्व महसूस होता है कि मध्यप्रदेश में जो सहकारिता आन्दोलन है ,प्रदेश में जो सहकारिता आन्दोलन खड़ा हुआ है, जो संस्थाएं खड़ी हुई हैं उनको खड़ा करने में मेरे स्वर्गीय पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने अपने जीवनकाल में सहकारिता के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम किये हैं. उन्होंने सहकारिता के माध्यम से कई सहकारी संस्थाओं को खड़ा करने का काम किया है. उपाध्यक्ष जी, मुझे सदन में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में सहाकारिता क्षेत्र का जो परिदृष्य है , सहकारिता का आन्दोलन ये बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय—सचिन जी अपने क्षेत्र के कुछ सुझाव हों तो वे दें.

श्री सचिन यादव—उपाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी सरकार के मंत्री हैं उसी तरह से विपक्ष की तरफ से मुझे भी सहकारिता में शेडो-केबिनेट दिया गया है. इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं. मुझे पहली बार इस विषय पर बोलने का मौका दिया गया है इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा समय दिया जाय.

श्री गोपाल भार्गव—उपाध्यक्ष जी, ये डॉक्टर गोविन्द सिंह जी इनके शेडो केबीनेट का हक छीन कर सबसे पहले उन्होंने वक्त लिया. उपाध्यक्ष महोदय, सचिन यादव जी नये सदस्य हैं. मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो लोग पहली बार आए हैं ,उनका ये अधिकार है.

उपाध्यक्ष महोदय- अभी डॉक्टर साहब सदन में नहीं हैं, वे होते तो ज्यादा बेहतर होता कि आप इस बात को कहते.

श्री गोपाल भार्गव –ये उनके दल के अंदर का मामला है, मैं उसको नहीं कह सकता.

उपाध्यक्ष महोदय—मंत्री जी आपकी बात रिकार्ड में आ गई है.

श्री सचिन यादव—माननीय उपाध्यक्ष जी, ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछले वर्ष में सहकारिता संस्थओं की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और वे जीवित रहने के लिए भारी संकट से जूझ रहीं हैं. मुझे सदन को बताते हुए काफी दुख हो रहा है. कई सारी संस्थाएं जैसे की मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बुनकर संघ, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण विकास बैंक ,इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. आखिर सहकारी संस्थाओं का यह दौर कहां जाकर रूकेगा? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर मैं इस सदन का और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रेदश राज्य राज्य सहकारी ग्रामीण विकास बैंक की हालत , उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी बदतर है कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी नहीं कर पा रही हैं. मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं को इतनी मुश्किल से खड़ा किया गया था उनका पुनः उद्धार करने की दिशा में क्या किया जा सकता है इस ओर मंत्री जी ध्यान दें.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय कुल मिलाकर सहकारिता में नेतृत्व का संकट है. और नौकरशाहों की सोच का संकट है. जिनकी नजर में सामान्य आदमी के अधिकारों को बनाए रखना सबसे निचली प्राथमिकता पर आता है. वैसे भी भाजपा की सहकारिता से कोई प्रतिबद्धता नहीं है और न ही सहकारिता आंदोलन में इनका कोई विश्वास है. क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इनकी सरकार ने एक भी ऐसी सहकारी संस्था का गठन नहीं किया, बल्कि जो सहकारी संस्थाएं चल रही हैं, उनको समापन की ओर ले जाने का काम यह सरकार कर रही है.

उपाध्यक्ष महोदय—आज की कार्यसूची के पद 5 के उप पद 2 तक चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की)

श्री सचिन यादव—माननीय उपाध्यक्ष जी मुझे यह डर है कि भाजपा के शासनकाल में सहकारी आंदोलन की कथा न लिख दी जाय. इस आंदोलन को अगर यह समाप्त होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों का, उपभोक्ताओं का, बुनकरों का और समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग का होगा और इसका फायदा अगर किसी को पहुंचेगा तो व्यापारियों को, साहूकारों को और मध्यस्थता करने वाले लोगों को पहुंचेगा. इसके पीछे जिस राजनीतिक सोच का संरक्षण है, उससे आप भलीभांति परिचित हैं. जमीनी स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की भी स्थिति बहुत खराब है. कर्मचारियों के अभाव में बहीखाते नहीं लिखे जा रहे हैं, उनका मिलान नहीं हो पा रहा है. एक समिति प्रबंधक के पास चार चार समितियों का प्रभार दिया गया है. अब आप सोच सकते हैं कि इनकी दुर्गति क्या होने वाली है. उपाध्यक्ष महोदय, यही हालत जिला सहकारिता बैंकों की भी है, वहां पर भारी आर्थिक अकुशलता है, वित्तीय अनुशासनहीनता है और कुशासन है, इस पर तत्काल चिंतन आरंभ करने की आवश्यकता है.

उपाध्यक्ष महोदय—सचिन जी अब आप समाप्त करें.

श्री सचिन यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ व्यवहारिक दिक्कतों का सामना मुझे नहीं बल्कि सदन में हमारे जितने गणमान्य सदस्य उपस्थित हैं, सभी को करना पड़ता है. कई वर्षों से कच्चे आवासों की सूची का सर्वे नहीं हुआ है और कच्चे आवास की सूची का सर्वे न होने के कारण कई परिवारों को इन्दिरा आवास जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि परिवार बड़े हैं और उनका विभाजन हुआ है, इसलिए तत्काल प्रभाव से आप कच्चे आवासों की जो सूची है, उसका सर्वे कराने का काम दोबारा कराने की कृपा करें. उपाध्यक्ष महोदय, एक आखरी सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से है कि इसी प्रकार गरीबी रेखा का जो कूपन है, उस कूपन में भी चूंकि परिवार बड़े हैं और परिवारों का विभाजन हुआ है और गरीबी रेखा का कूपन नहीं होने के कारण बहुत से लोगों को सरकार की योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है, इसलिए इसको भी तुरंत गरीबी रेखा का सर्वे कराने का काम मंत्री जी करवाएं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री कमल मर्सकोले(बरघाट)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. पंचायत एक ऐसा शब्द है, जिसका महत्व आज से नहीं बल्कि पुरातन काल से चला आ रहा है और पुरातन काल में गांवों के आपसी वाद विवाद और झगड़े पांच पंचों की समिति बनाकर निपटा दिया करते थे लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में यह व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त होती गईं और जिनका स्थान सरकारी स्तर पर रह गया था. इसमें जनता की भागीदारी नहीं थी, आजादी के बाद जब नया संविधान बना और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को उसकी स्थापना पर बल दिया गया. पंचायती राज की कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की थी. भारत की आत्मा गांवों में बसती है. गांव की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, उनके विकास की योजनाएं, गांव में रहने वाले बुद्धिजीवी और सामाजिक न्याय का मशाल थामने वाले पंचों के द्वारा बनाई जाए. स्थानीय प्रशासन में स्वराज्य में लोक शक्ति जागृत हो, गरीब, मजदूर, किसानों की झोपड़ियां जगमगाने लगें और अनाज पैदा करने वाले किसान का, गरीबों का शोषण न हो और स्थानीय प्रशासन के लिए ग्रामवासी उस पंचायत क्षेत्र से ऐसा प्रतिनिधित्व विकसित हो जो दायित्व संभालने के लिए सक्षम हो.

उपाध्यक्ष महोदय—आप अपने क्षेत्र के सुझाव दें. यह सब कैसे संभव हो इस संबंध में सुझाव दें.

श्री कमल मर्सकोल—यह कल्पना महात्मगा गांधी जी ने की थी और आज निश्चित रूप से उसी कल्पना को साकार करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उसको मूर्त रूप दे रहे हैं. उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि गांव का अर्द्ध शिक्षित और शिक्षित व्यक्ति है, उसको यह जवाबदारी मिलेगी तो निश्चित रूप से गांव के विकास के लिए सरकारों से प्राप्त धनराशि का सदुपयोग गांव के विकास में हो सकेगा.

उपाध्यक्ष महोदय—कमल जी आप अपने सुझाव दें, आपके क्षेत्र के सुझाव दें. समय की सीमा है.

श्री कमल मर्सकोले—उपाध्यक्ष महोदय, मै आग्रह आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र की बुनियाद आम सहमति, जन सहभागिता और पारदर्शिता पर निर्भर करती है. ग्राम पंचायत की जो महत्वपूर्ण इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक होती है, वह ग्राम सभा होती है. आज ग्राम सभा को निश्चित रूप से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. उसको मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है, ग्राम सभा में जनता

का निर्णय सर्वोपरि होता है और यदि ग्राम सभा मजबूत होगी तो निश्चित रूप से वहां की जनता जनार्दन अपने महत्वपूर्ण सुझाव विकास के लिए दे सकेगी. इसलिए ग्राम सभा को सशक्त और मजबूत करने की आवश्यकता है. उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार की महत्वाकांक्षी जो कपिल धारा योजना है, यह योजना एस.सी.,एस.टी. और सीमांत कृषकों के लिए है, उनके खेतों में निशुल्क कूप निर्माण हो जाएं लेकिन एन.आर.जी. में जो 60:40 का रेशो है, इस अनुपात की वजह से और मूल्यांकन नहीं आने की वजह से यह योजना प्रभावित हो रही है. इसमें मेरा आपसे आग्रह है कि नियम को शिथिल करके या एक अभियान चलाकर के कपिलधारा योजना पूर्ण करें. एक और सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी से है.

उपाध्यक्ष महोदय—आखरी सुझाव देकर खत्म करें.

श्री कमल मर्सकोले--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना में जो ड्राइंग व नक्शा है उसमें रेत, ईंट और सीमेंट से पक्का मकान बनाने का प्रावधान है लेकिन सिवनी के बरघाट और बालाघाट में जो मिट्टी है वह इतनी मजबूत है कि अगर उसकी दीवार बिना छत के वर्षों खड़ी रह सकती है . मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि उसमें मिट्टी के मकान बनाने का इसमें प्रावधान यदि कर दें तो हमारे यहाँ मिट्टी के मकान बन सकते हैं और को-ऑपरेटिव से संबंधित एक और मामला है इसमें समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की जो खरीदी होती है इसमें जो परिवहन ठेकेदार या कांट्रेक्टर होता है उसमें ट्रक भरवाई के पैसे का भुगतान सोसायटी के माध्यम से होता है और उसमें तुलवाई का पैसा किसानों को नहीं मिलता है . मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर ठोस कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे. धन्यवाद.

श्री सोहनलाल बाल्मीक(परासिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और इस सदन में आपके माध्यम से मंत्री जी का मैं ध्यानाकर्षण चाहता हूं . जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए अनेक योजनायें प्रारंभ की गई है और निश्चित रूप से मैं यह समझता हूं कि अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है . मेरा एक सुझाव है कि मध्यप्रदेश सरकार के

द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं चाहे वह वृद्धा पेंशन योजना हो , चाहे परित्यक्ता पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो और लाड़ली लक्ष्मी योजना हो, मेरा एक सुझाव है अगर आप उचित समझें तो एक हाई कमेटी बनाकर इस बात पर जरूर विचार करियेगा कि आपने महिलाओं के लिए बहुत योजनायें चलाई हैं उसमें से एक समाज की एक बच्ची जरूर छूट रही है . मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है, जो चालीस या पैंतालीस वर्ष से ऊपर हो जाती हैं उनको सामाजिक, पारिवारिक दृष्टि से बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है , उनका समाज में कोई अपना स्थान नहीं हो पाता है मेरा आग्रह है कि इन बच्चियों के लिए भी कभी न कभी आप पेंशन की योजना आप बनाये या इनके लिए कोई न कोई व्यवस्था बनाई जाए क्योंकि इनका समाज और परिवार से तिरस्कार हो रहा है . इनके लिए आप जरूर व्यवस्था करिये.

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव)--- हमने इनके लिए भी कर दिया है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा पर हमारे विद्वान सदस्यों डॉ. गोविंद सिंह, श्री गिरीश गौतम, श्री रामनिवास रावत, श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, श्री गोविंद पटेल, श्री बाला बच्चन, श्री दुर्गालाल विजय, श्री बहादुर सिंह चौहान, श्री हरदीप सिंह डंग, श्री कैलाश जाटव, श्री कुंवर सिंह टेकाम, कुंवर विक्रम सिंह, श्री जालमसिंह पटेल , श्रीमती शीला त्यागी, श्री कमलेश्वर पटेल, श्री बलबीर सिंह दंडौतिया, श्री रामप्यारे कुलस्ते, श्रीमती चंदा गौर, श्रीमती ऊषा चौधरी , श्री मुरलीधर पाटीदार, श्री सचिन यादव, श्री कमल मर्सकोले और श्री सोहनलाल बाल्मीक जी ने अपने सुझाव और अमूल्य विचार यहाँ पर रखे . उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग चाहे सहकारिता हो, ग्रामीण विकास हो, सामाजिक न्याय विभाग हो या पंचायत हो , इसमें से सभी विभाग राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आबादी जो गांवों में रहती है खास तौर से जो गरीब वर्ग है , मजदूर वर्ग है, कृषक वर्ग है, निर्धन वर्ग है निराश्रित है, निःशक्त है, लाचार है, बेबस है, उस सब के लिए काम करने वाला यह विभाग है . उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि मैं रामराज्य ले आया हूं

लेकिन मैं इस बात को पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ यह अवश्य करूँगा कि वर्तमान में हम पहले से बहुत बेहतर स्थिति में आ गए. उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई सचिन यादव जी अभी सहकारिता के बारे में बात

कर रहे थे. मैं सहकारिता से बात शुरू करूँगा. चूँकि विभाग ऐसे हैं कि लगभग एक ही प्रकार से सभी विभागों की कार्य पद्धति और सभी विभागों से लोग जुड़े हुए हैं, एक ही तरह के विभाग हैं. एक तरफ जहाँ सहकारिता विभाग अपनी अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच में, ओला, पाला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इस सब के बीच में काम करता है क्योंकि किसानों की संस्था है. लाखों किसानों के हित इससे जुड़े हुए हैं. इस सबके बावजूद भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका यह विभागा निभाता रहा है.इस विभाग से जुड़ी हुई संस्थाएँ और उनके माध्यम से, जैसे फसल ऋण है, खाद बीज का वितरण है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन है, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी है, सदस्यों को भूखंड उपलब्ध करवाने से लेकर और जैसा अभी कहा मत्स्य उद्योग में, मत्स्य संघ जो है वह पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है. इसी तरह से बुनकर, वनोपज के संग्रहण आदि क्षेत्रों में यह काम करता है.

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले वर्षों में 38000 सहकारी समितियाँ इसके अन्तर्गत पंजीबद्ध हुई हैं. उपाध्यक्ष महोदय, स्वसहायता समूहों के माध्यम से और अन्य माध्यम से इसके अन्दर लोक कल्याण के काम किए जा रहे हैं. मैं एक कंपरेटिव बात करना चाहता हूँ. भाई सचिन यादव जी भी बैठे हैं. ठीक है, सुभाष जी ने भी काम किया है, सहकारिता के क्षेत्र में मैं किसी के योगदान को नकार नहीं सकता, यह बात सही है लेकिन आज हमें ऐसी निराशा की बात करने की आवश्यकता नहीं है कि सहकारी संस्थाएँ बन्द हो रही हैं. मुझे स्मरण है कि 10 वर्ष पहले भी मेरे पास इस विभाग का प्रभार था, उस समय जो कंज्यूमर्स फेडरेशन की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर्स फेडरेशन में वेतन नहीं मिलता था. पिछली सरकार जब 2003 के बाद गई तो 2004 में जब मुझे प्रभार मिला तो मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कंज्यूमर्स फेडरेशन में वेतन व्यवस्था नहीं होती थी. मेरे बंगले पर महिलाएँ आ जाती थीं कि हमको 2-3 महीने का वेतन नहीं मिला है. मैंने लघु उद्योग निगम से बहुत से आयटम्स लेकर कंज्यूमर्स फेडरेशन के लिए वहाँ पर दिलवाए और मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले 10 वर्ष में कंज्यूमर्स फेडरेशन का जो व्यवसाय है वह सौ गुना हो गया. (मेजों की थपथपाहट) मैं यह कह सकता हूँ कि हर चीज की एक परिस्थिति होती है कंज्यूमर्स फेडरेशन का काम बढ़ा, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हाउसिंग फेडरेशन मृतप्रायः स्थिति में हो गया. आज मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 400 करोड़ रुपये के काम कंज्यूमर्स फेडरेशन के पास में हैं और आपने जैसा कहा

कि गृह निर्माण सहकारी संघ, अब बड़े बड़े बिल्डर्स आ गए, कॉलोनाइजर्स आ गए, फिर जो शासकीय भूमि हम गृह निर्माण समितियों के लिए उपलब्ध करवाते थे वह आजकल नहीं होती इस कारण से कोऑपरेटिव के क्षेत्र में गृह निर्माण समितियों का काम कम हुआ है. लेकिन आवास संघ पहले से अब बहुत बेहतर स्थिति में है. डॉक्टर साहब जब आप अध्यक्ष होंगे उस समय का आप पूरा का पूरा फायनेंशियल स्टेटमेंट देख लेना और अभी का आप देख लेना तो काफी उसमें बेहतरी आई है. रही बात कृषि ग्रामीण विकास बैंक की, यह बात सही है कि कृषि ग्रामीण विकास बैंक हमारे यहाँ कुँआ खोदने के लिए, पंप के लिए, ट्रेक्टर के लिए, फायनेंसिंग करती है. अब तीन लाख से ज्यादा कुँए हम कपिल धारा से खुदवा चुके. दो लाख से लेकर तीन और साढ़े तीन लाख रुपये हम मुफ्त में एक प्रकार से किसान के लिए देते हैं. उपाध्यक्ष महोदय, पंप के लिए भी फायनेंस करते थे. सभी को मालूम है कि पंप के लिए, अब सरकार बीस हजार रुपये तक की राशि का, चाहे डीजल का खरीदना हो, चाहे विद्युत चलित मोटर खरीदना हो, बीस हजार रुपये तक की मुफ्त में दे रही. आजकल सेल्फ फायनेंसिंग इतना हो रहा है कि घर बैठे ट्रेक्टर दे देते हैं तो इसकी उपयोगिता समय के हिसाब से कम है और इस कारण से एलडीबी के सामने से, बहुत से सदस्यों ने कहा कि कृषि ग्रामीण विकास बैंक का क्या होगा. मैं आज सदन के माध्यम से निश्चिंत करना चाहता हूँ कि राज्य का कोई भी उपक्रम, कोई भी सहकारी संस्था हो, किसी के भी हित प्रभावित नहीं होंगे, सारे हितों का संरक्षण हम करेंगे. जहां पर भी हो सकेगा हम उनका संविलियन, डेपुटेशन या जहां उपयोगिता होगी और जितनी योग्यता होगी उसके अनुसार करेंगे, इसके लिए अभी कमेटी गठित होना है. गोविन्द सिंह जी नाबार्ड का कह रहे थे, हमने देखा कि काफी बड़ी राशि का ऋण कृषि ग्रामीण विकास बैंक को वसूल करना है यदि तत्काल उसे बंद कर देते तो फिर ऋणों की वसूली नहीं हो पाती इस कारण उसका निर्णय अभी रुका हुआ है. यह व्यावहारिक कठिनाइयां हैं. मैं बहुत ही पारदर्शिता और ईमानदारी से साथ बताना चाहता हूँ कि राज्य में ऐसी कोई स्थिति नहीं है. वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद से निरन्तर सहकारी समितियों की लिक्विडिटी बढ़ी है, उनका वित्त पोषण हुआ है. हमें कहते हुए खुशी है कि 10 सालों में अपेक्स बैंक में व सारी संस्थाओं में बेहतरी आयी है.

उपाध्यक्ष महोदय, सचिन जी के पिताजी अपेक्स बैंक में चेयरमेन थे. उस समय जो कारोबार 2 हजार करोड़ रुपये का था वह आज बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपया हो गया है. इस साल हम लोग तमाम प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद भी मध्यप्रदेश के किसानों के लिये 15 हजार करोड़ रुपये की फायनेंसिंग कर रहे हैं. इसलिये मैं कहता हूँ कि सहकारिता के क्षेत्र में निराशा की कोई बात नहीं है. मुझे स्मरण है कि कैलारस की शुगर मिल के लिये हमने सरकार व मंडी बोर्ड से अलग से राशि उपलब्ध करवायी थी, उसे रिवाइवल करके चलाने की कोशिश की थी. हमारा यह प्रयास है कि दुग्ध संघों को भी हम संभागीय स्तर पर शुरु करें. आज राज्य में पांच दुग्ध संघ काम कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रयास है कि सागर दुग्ध संघ के अलावा और दुग्ध संघ गठित हों, ज्यादा से ज्यादा हम दूध का उत्पादन करें. कृषक खेती पर आधारित होता ही है लेकिन साथ ही वह अन्य सहायक काम हैं, सहायक उद्योग हैं उनको करें ताकि उनकी बारह महीने की, तीस दिन की, प्रतिदिन की आय में वृद्धि हो सके.

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में कोई निराशाजनक स्थिति नहीं है बल्कि हम उत्साह के साथ, बेहतरी के साथ नये लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं. वर्ष 2003-04 में प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 19 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये थे. वर्तमान में इस साल तक इनकी संख्या बढ़कर 48 लाख 53 हजार हो गई है. इस वर्ष हमने 1 लाख 19 हजार लोगों के और ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड बनाये हैं यह इसी वर्ष का लक्ष्य है. फसल के ऋणों में पहले 15, 16 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता था लेकिन अब सभी को मालूम है कि पहले 5 प्रतिशत फिर 3 प्रतिशत और उसके बाद हम जीरो प्रतिशत पर किसानों को ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं. हिन्दुस्तान में मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों के लिये उसकी आवश्यकता के अनुसार हम ऋण उपलब्ध करवाते हैं. यदि सहकारी संस्थाओं में कहीं घाटे की स्थिति आती है तो राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के बजट से उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है ताकि वे सहकारी संस्थायें भी दिवालिया न हो जायें. उनका वित्तीय घाटा पूरा करने का काम राज्य सरकार करती है.

उपाध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा हुई थी कि शार्ट टर्म लोन को मिड टर्म और लांग टर्म लोन में कनवर्ट करने का काम नहीं किया गया है, हमें बता दें कि कहां नहीं हुआ है हम उसे करेंगे. माननीय सदस्य कह रहे

थे कि सहकारिता के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश का जो सीड कार्पोरेशन है, इसका मैं आज भी इसका पदेन अध्यक्ष हूं, यह किसानों के लिये बीज की आपूर्ति करने में उतना समर्थ नहीं था इस कारण मैंने 9 वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश में किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त हो .उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के किसानों के लिये अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त हो इसके लिये मैंने शीड फेडरेशन का गठन किया और शीड फेडरेशन में जितनी भी सहकारी संस्थाएं थी उनको सदस्य बनाकर किस तरह से उनको लाभ दिया जा सकता है और वह एक छाते के नीचे आकर काम करें और राज्य में सरकार के सहयोग से किसानों के लिये बेहतर से बेहतर काम करें। आज मध्यप्रदेश में वह फीड शेडरेशन जो मेरी वजह से शुरू हुआ था और शून्य बजट से शुरू हुआ था, एक रूपये की भी शासकीय सहायता नहीं ली थी, हमरे एक छोटा सा पौधा लगाया था और आज वह एक वटवृक्ष बनकर खड़ा हुआ है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी बीज प्रदाय करने में है तो वह फीड फेडरेशन की है। उपाध्यक्ष महोदय बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में चर्चा करूंगा तो बहुत समय हो जायेगा। एक और पाईंट था गेंहू उपार्जन का उस पर भी चर्चा हुई , यह इतना बड़ा काम है कि हजारों समितियों के द्वारा और हजारों संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कहीं कहीं खामी आती है लेकिन हम आज दावे के साथ में कह सकते हैं कि इतना बड़ा काम जिसके माध्यम से लाखों टन प्रीक्योरमेंट किया जाए शायद हिन्दुस्तान के अंदर तो ऐसी कोई संस्थाएं नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सहकारी समितियों ने समर्थन मूल्य इस वर्ष लगभग 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया और कृषकों को राशि रूपये 1080 करोड़ का बोनस वितरित किया गया। मैं मानकर चलता हूं कि इससे बड़ी बात किसी राज्य में नहीं हुई होगी। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 201314 में 2 लाख 87 हजार किसानों से 15 लाख 70 हजार मीट्रिक टन धान का समर्थन मूल्य गेंहू के अतिरिक्त है। इस कारण से मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। इसके बारे में निराशा की कोई बात नहीं है । हमारा प्रयास यह है कि धीरे धीरे सहकारी संस्थाओं का और उन्नतीकरण करें और बैंक थोड़ी सी कमजोर स्थिति में हैं एनपीए बढ़ गया है उनके लिये हमारी कोशिश है कि रिकवरी हो एन पी ए कम हो और वह सभी बैंकों के साथ में आयें ताकि वो किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। मैं सहकारिता की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए ग्रामीण विकास विभाग

के बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं । इसमें मनरेगा की बहुत सी शिकायत आयी है। मैंने हमेशा देखा है कि मनरेगा चर्चा का विषय रहा है। होना भी चाहिये क्योंकि यहां पर एक करोड़ जॉब कार्ड धारी हैं। लगभग जहां पर 40 लाख लोग काम पर लगे हुए हैं, लगातार काम करते हों उस योजना में निश्चित रूप से जहां 52 हजार गांव, 23 हजार पंचायतें हो जब योजनाएं चलती हों, लेकिन आप योजना के शुरू के वर्षों में देख लें और इन वर्षों में देख लें जमीन और आसमान में जितना अंतर है हमने इतना कसने की कोशिश की है। हमने उसके फंड ट्रासंफर के लिये सीधे एकांऊट में पैसा जायेगा इसकी पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब योजना शुरू हुई थी तब पहले कोई योजना ही नहीं थी सब कुछ ओपन था। अब तो हमने इलेक्ट्रानिक फंड सिस्टम शुरू कर दिया है। आप यहां एन्ट्री करें आप यहां एमआय एस करें हम सीधे आपके एकाऊंट में पैसा ट्रासंफर करेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसी बड़ी योजना जिसकी प्रशंसा देश भर के लोगों ने की, भारत सरकार ने की, दूसरे राज्यों की सरकारें और उनके अधिकारी हमारे यहां इस योजना के क्रियान्वयन को देखने आते हैं। इसलिये कहना चाहता हूं कि इसमें निराशा की बात नहीं है। निश्चित रूप से कहीं कोई शिकायत हो, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमने लोकपाल का गठन कर दिया है लोकपाल की नियुक्ति कर दी है। उसमें एक एक, दो दो सेशन जजों की वहां पर लोकपाल के रूप में कार्यरत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय:- आप कितना समय और लेंगे। आज और मांग भी लेना है समय का ध्यान रखें।

श्री गोपाल भार्गव :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू किया है। सदस्य चाहें शिकायत पर कार्यवाही नहीं होती है तो आप लोकपाल में शिकायत करें। मुझे आप शिकायत दें मैं भी लोकपाल को भेजूंगा। इससे बेहतर और पारदर्शी व्यवस्था क्या कर सकते हैं। मनरेगा के अंतर्गत जहां ई.एफ.एम.एस.सिस्टम है यह शुरू हुआ और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस वर्ष हमारा 4 हजार करोड़ रुपये का बजट मनरेगा का है. मैं मानकर चलता हूं कि इससे बहुत बड़ी संख्या में हमारी स्थाई संरचनाएं भी तैयार होंगी. कपिलधारा कुंओं के बारे में कहा. हो सकता है कहीं कोई कमी हो हो सकता है किसी श्रमिक के पैसे नहीं मिले हों. हमारा प्रयास होगा कि उसकी राशि समय-सीमा में मिल जाए. कभी-कभी भारत सरकार से हमें राशि मिलने में देर होती है समस्या आती है कभी-कभी 2-3 महिने तक लग जाते हैं हमें अपनी लोकल मदों से राशि का

पुनर्विनियोजन करकर वहां पर राशि उपलब्धकरवाते हैं और जब हमें वहां से राशि मिलती है तो हम उन मदों में फिर से समायोजित करते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कहीं राशि शेष है और काम हुआ है उसके बारे में जानकारी दे दें मैं निश्चित रूप से उसे करूंगा. हमारे साथी भाई बाला बच्चन जी कह रहे थे कि एक सड़क के लिये तीन बार पैसा निकल गया. मैंने कहा है कि हम जांच करवाएंगे. हमारी छुपाने की कोई मंशा नहीं है. किसी को बचाने की कोई मंशा नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदय – आपने कहा कि वीडियो रिकार्डिंग करवाएंगे.

श्री गोपाल भार्गव - जी उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा क्योंकि शिकायतें सैकड़ों की संख्या में आती हैं. यदि मैं सारी जगह निरीक्षण करने जाऊंगा और मुझे ही यदि निर्णय करने गया तो फिर हो सकता है कि मेरे ऊपर अपील कौन सुनेगा और इस कारण से ह म अपने वरिष्ठ अधिकारियों का उपयोग करके और उनके द्वारा जांच करवाकर आपको हमसमय-सीमा में अवगत करवाएंगे. यह भी गलत बात है कि तीन-तीन बार पैसा निकला, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी अनुमति किसी के लिये नहीं होगी. बहुत सी बातें आवास मिशन, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कही गईं.

श्री बाला बच्चन - उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रूव्ड हो चुके हैं. मैंने प्राक्कलन समिति का हवाला देते हुए उल्लेख किया था कि वह तो हो चुका है. प्राक्कलन समिति ने भी पटल पर रिपोर्ट रखी थी. वह तो प्रूव्ड है.

श्री गोपाल भार्गव - जी उपाध्यक्ष महोदय, जिस इस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट का यह कह रहे हैं और हमारी जो जांचे हुई हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में बड़वानी जिले में मनरेगा के अंतर्गत कार्यवाहियां हुई हैं. मैं मानता हूं कि शायद किसी जिले में इतनी कार्यवाहियां नहीं हुई होंगी और योजना के अंतर्गत राज्य में जब से यह योजना शुरू हुई है. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, आई.ए.एस. अधिकारियों के ऊपर, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. के ऊपर, जनपद पंचायत के सी.ई.ओं के ऊपर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों, असिस्टेंट इंजीनियरों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में कार्यवाहियां हुई हैं. किसी की लघु शास्ती, किसी की दीर्घ शास्ती, किसी को सेवा से अलग किया गया. किसी का निलंबन हुआ. बहुत बड़ी संख्या में कार्यवाहियां हुई हैं. उस कारण से मुझे लगता हैकि यदि चार हजार करोड़ का काम होता है और उसमें चार करोड़ की यदि शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर भी हम कार्यवाही करते हैं. मैं मानकर चलता हूं कि ऐसी निराशा की

स्थिति नहीं है. इसका जो उजला पक्ष है इसका जो बेहतर पक्ष है पहलू है उसको देखना चाहिये उसकी प्रशंसा करनी चाहिये. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आज पूरे हिन्दुस्तान में हम अव्वल हैं. मध्यप्रदेश में हमने जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई हैं उन सड़कों की उल्लेखनीय स्थिति है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक 55692 कि.मी. मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का काम हो चुका है जिसमें से 12233 सड़कों का निर्माण करवाया गया. इसकी लंबाई 55692 कि.मी. है. इसके साथ-साथ वृहद पुलों, आजकल हम चार सौ मीटर लंबे पुल बना रहे हैं क्योंकि पहले सड़क बन जाती थी पुल रह जाते थे पहले छोटे पुल बनते थे छोटे पुल की अनुमति मिलती थी बड़े पुल की नहीं लेकिन अब चार सौ मीटर तक के पुलों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत हुआ है और 43 पुलों की स्वीकृति हो गई है निर्माणाधीन हैं. हमने देखा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हमारे सारे गांव नहीं आ पाते और हम चाहते थे कि मध्यप्रदेश के सारे के सारे जो 52 हजार राजस्व ग्राम है पक्के सड़क मार्गों से जुड़ जाएं.

हमने 19 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के अंतर्गत बनाने का लक्ष्य रखा था और उसके विरूद्ध अभी तक 9 हजार 109 गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं इसमें राज्य सरकार का 343 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था और इसमें से लगभग 1809 करोड़ रूपये की राशि करके हमने इसका 60 प्रतिशत कार्य निपटा दिया है इसमें यथाशीघ्र कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके काम हम पूर्ण कर लें. जहां तक सड़कों का सवाल है उसके बाद आवास, रोटी, कपड़ा एवं मकान लोगों की आवश्यकता है. आवास के लिये आप सभी लोग जानते हैं आईएव्हाई की जो इंदिरा आवास योजना है इसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत बहुत कम कुटीर दिये हैं, जहां बिहार, आन्ध्र के लिये 6-6 लाख कुटीरें मिलती थीं आन्ध्र सम्पनता के मामले में बेहतर राज्य है, लेकिन उसके लिये 6 लाख कुटीरे और मध्यप्रदेश के 52 हजार गांवों के लिये कुल 75 हजार कुटीरे हमने पिछली भारत की सरकार थी उसको बार बार निवेदन किया, लेकिन हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई तो हमने अपने साधनों एवं संसाधनों से तथा अपनी कार्य-योजना बनाकर मुख्यमंत्री आवास मिशन शुरू किया इसमें पहले कम राशि थी 70 हजार उसको बढ़ाकर के 1 लाख 20 हजार किया और मुझे कहते हुए खुशी है कि 3 लाख आवासों की स्वीकृति हो गई है उसमें से आधे से ज्यादा बन चुके हैं पहले आईएव्हाई में कुछ गड़बड़ हो जाती थी इसमें जितने भी आवास बने हैं उनके ऋण की जो

राशि है जो बैंक से लेते हैं उसमें से अधिकांश गरीब वर्ग की किस्तें समय पर जमा हो रही हैं, इससे बड़ी गरीब ईमानदार का सबूत क्या हो सकता है और योजना की सफलता का सबूत नहीं हो सकता और हमें इसमें निरंतर आगे बढ़ने में हौंसला मिलता है. उसमें एनपीए नहीं है इसमें किसी प्रकार की बहुत ज्यादा वसूली की समस्या नहीं है. हमारी महिलाएं शौच के लिये खुले मैदानों में जाती थीं, यह शर्मनाक बात है देश की आजादी को 67 साल हो गये हैं और आज भी यदि शौच के लिये मैदान में खुले में जायं, कभी कभी इसमें घटनाएं भी हो जाती हैं आपने अखबारों एवं टेलीवेजन में सुना होगा इसी की व्यवस्था करते हुए आज राज्य में मर्यादा अभियान चला रहे हैं इस अभियान के माध्यम से हम बहुत बड़ी संख्या में खास तौर से उन ग्रामों में जहां पर पेयजल की सुविधा है, नल-जल योजना है लगभग 6 हजार से ज्यादा गांवों में शत-प्रतिशत घरों में शौचालय बनाने का काम उसमें बाद जो शेष गांव रह जायेंगे उनमें भी शौचालय बनाने का काम होगा. हमारा यह विश्वास है कि हम 2013-14 में 5 लाख 15 हजार व्यक्तिगत शौचालय निर्मित हुए हैं जिनमें 2 लाख 79 हजार बीपीएल और 2 लाख 35 हजार एपीएल पारिवारिक शौचालय हैं. हमारा लक्ष्य है कि इस अभियान को हम जन अभियान बनायें इस अभियान के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागृति पैदा करके उनके घरों में शौचालय बनाने का काम करें. हमारी 2068 ग्रामीण पंचायतें निर्मल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं आगे जाकर 2014-15 में हम मध्यप्रदेश में 10 लाख परिवारों के लिये शौचालय बनाने का काम करेंगे ताकि यह सामाजिक कलंक है इससे मुक्ति मिले. पंचायती राज के बारे में बहुत सी बातें की गई हैं सचिव के बारे में निश्चित रूप से मैं जानता हूं उनकी नियुक्ति कैसे हुई थी यह सभी लोगों को मालूम है. 1995 में पंचायतकर्मी के रूप में नियुक्ति 500 रूपये महीने के रूप में हुई पंचायत ने प्रस्ताव कर लिया कौन है, कौन नहीं है कोई आयु अथवा शैक्षणिक योग्यता नहीं, किसी प्रकार की कोई काम्पीटीशन नहीं, कोई टेस्ट नहीं कुछ भी नहीं, पंचायत ने प्रस्ताव कर दिया 500 रूपये में पंचायतकर्मी नियुक्त अब उनको निकाल भी नहीं सकते हैं हमने उनका जिला केडर बनाया है. आपके भर्ती किये हुए हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल--हम तो जैसा आप लोग निर्देश देते हैं, वैसा पालन करते हैं.

श्री गोपाल भ्रा भार्गव --उपाध्यक्ष महोदय, हमने उनका जिला कैडर बनाया, हमने उनकी ट्रांसफर की पालिसी बनाई क्योंकि वह पंचायती कर्मचारी हैं, पंचायत ही उनको नियुक्त करती है, पंचायत ही उनको

सेवा से अलग कर सकती है, हम तो सिर्फ उनको री-नोटिफाई कर सकते हैं या फिर उनको पावर लैस कर सकते हैं, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, हमने प्रयास यह किया है कि हम और ज्यादा व्यवस्थित स्थानान्तरण की नीति बना चुके हैं, ताकि सचिवों के प्रति सदस्यों की जो शिकायत है, वह शिकायत पूरी तरह से इस वर्ष दूर हो जाये हम इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करने वाले हैं (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट की गई). उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायत का सवाल है, पंचायती राज संस्था में पंच परमेश्वर योजना मेरे ख्याल से शायद हिन्दुस्तान के अंदर ऐसी योजना नहीं है और हमें विश्वास है कि आगे आने वाले 2 वर्षों में हम मध्यप्रदेश के पूरे 52 हजार गांवों में आंतरिक सी.सी. रोड बनाने का शत-प्रतिशत काम मय नालियों के कर देंगे (मेजों की थपथपाहट). उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से हमारी विधान सभा के सदस्य हैं, जब गांव में जाते हैं तो अधिकांश लोग कहते हैं कि सी .सी. रोड के लिये लाख-2 लाख रूपये मिल जाये. विधायक के लिये 60-70 लाख रूपये विधायक निधि में यह संभव नहीं है, 250 गांव, 300 गांव दूर-दूर मजरे-टोले सारी चीजें हैं और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने सारी राशियों का समायोजन कर लिया है 5 लाख, 8 लाख,10 लाख और 15 लाख रूपये की राशि और कन्वरजेंस यदि चाहें तो राशि डेढ़ गुनी भी हो सकती है सी.सी. रोड बनायें और यह चौथा साल है, जिसमें हम 14-14 अरब रूपया हर साल उपलब्ध करवा रहे हैं (मेज की थपथपाहट) 14 अरब रूपया गांव की स्वच्छता के लिये प्रति वर्ष पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत तीन वर्ष में14-28-42 अरब रूपया हम अभी तक दे चुके हैं ग्राम पंचायतों के लिये 23 हजार पंचायतों के लिये गांव में स्वच्छता के लिये अब बारिश आ रही है (श्री कैलाश विजय वर्गीय द्वारा मेज की थपथपाहट की गई)...

उपाध्यक्ष महोदय--आज कैलाश जी विशेष रूप से प्रसन्न हैं.

श्री गोपाल भार्गव--प्रसन्न होना भी चाहिये उपाध्यक्ष जी.

उपाध्यक्ष महोदय--मैं विशेष रूप से कैलाश जी का जिक्र कर रहा हूं.

श्री गोपाल भार्गव--स्वच्छता का स्वास्थ्य से बहुत ही गहरा संबंध हैं, सड़कें यदि कीचड़ भरी नहीं होंगी, नालियां होंगी..

श्री कैलाश विजय वर्गीय--वास्तव में उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुखी हूं. मेरी ब्राजील टीम हार गई रात को, इसलिये मैं आज बड़े गम में हूं.

उपाध्यक्ष महोदय--आपकी मेज थपथपाने की ताल तो नहीं बता रही है, वह बड़ी सधी हुई है.

श्री गोपाल भार्गव--वैसे ब्राजील में फुटबाल जन्मजात खेल है, अच्छी बात है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कैलाश जी से कहना चाहता हूं कि इस राजनीति और खेल में किसी बात का रंज नहीं मनाना चाहिये क्योंकि पता नहीं कौन कहां गिर पड़े इसका कोई भरोसा नहीं रहता, कौन कहां स्लिप हो जाये.

उपाध्यक्ष महोदय--जी, जी राजनीति में और खेल में दोनों में ऐसा होता है और इसीलिये तो डाक्टर गोविन्द सिंह जी प्रसन्न हैं.

श्री कैलाश विजय वर्गीय--गम भी नहीं मनाना चाहिये और अधिक प्रसन्न भी नहीं होना चाहिये.

उपाध्यक्ष महोदय--ठीक बात है, सहमत हैं.

श्री गोपाल भार्गव--उपाध्यक्ष महोदय, पंच परमेश्वर योजना ग्राम पंचायतों के लिये जनपदों के लिये पुरस्कार की योजना जो बेहतर से बेहतर काम करेंगी उनके लिये पुरस्कार. जिला पंचायतों के लिये पुरस्कार. पहले कोई राशि जनपद और जिला पंचायतों के लिये नहीं होती थी परंतु अब हमने 25 लाख रूपया प्रति वर्ष जनपदों को और हमने 1 करोड़ रूपया जिला पंचायतों को उपलब्ध कराने का काम किया है, ताकि पंचायत स्तर पर विकास के काम हो सकें और यदि कोई काम छूट जाये, तो जनपद सदस्यों का भी महत्व बना रहे, जिला पंचायत सदस्यों का भी महत्व बना रहे. सारे अब आई.ए.पी. के भी हैं, बी.आर.जी.एफ. के भी हैं और भी काम हैं जो रूरल डवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत लंबी चर्चा इसके बारे में नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं यह कह सकता हूं कि मध्यप्रदेश के गांव विकास की दौड़ में देश में अव्वल स्थान पर आने वाले हैं, बहुत से हमारे आ चुके हैं , बहुत से निर्मल हो चुके हैं, बहुत में हमारी सी.सी. रोड बन चुकी हैं, कपिल धारा के लाखों कुंए खुद चुके हैं. अभी मवेशियों के लिये शैड के लिये हमारी उपयोजना है, बहुत लोकप्रिय हुई है काफी काम हो रहा है इस कारण से सारी योजनाओं के लिये मैं कहना चाहता हूं और अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो कर्मचारी ठीकठाक काम करते हैं, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो विभिन्न हमारी योजनायें चलती हैं और कार्यक्रम चलते हैं , उन पर

जो संविदा में कर्मचारी नियुक्त हैं और अधिकारी नियुक्त हैं, उन कर्मचारियों-अधिकारियों के लिये मंहगाई भत्ते में हम आज 10 परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं और यह पूर्ववर्ती प्रभाव से 1-4-2014 से लागू होगी उन कर्मचारियों के लिये जिन्होंने बेहतर काम किया है. उपाध्यक्ष महोदय, एक नई योजना हम शुरू कर रहे हैं वह है मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना. हमारे गांव में अभी भी बहुत से बेहतर तालाबों की आवश्यकता है, अच्छे शानदार तालाब बनें. उनकी पिचिंग हो, बाकायदा उनके घाट बने. घाट के साथ में एकाध चबूतरा बने. एकाध कपड़े बदलने के लिये छोटा सा कक्ष बने. मैं अपना जो पूरा विचार है, मैंने अपने अधिकारियों के साथ चर्चा की है और इस वर्ष हम यह मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना लागू करेंगे. दूसरी बात, गांव देहात में शादी ब्याह के लिये कम्युनिटी हाल भवन नहीं है. कहीं कोई दिक्कत होती है, तो अभी जो बड़े बड़े गांव हैं, जहां बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पहले उनके लिये फिर छोटे से कम आबादी के गांव के लिये करेंगे. तो हम यह ग्राम सामुदायिक भवन योजना भी शुरु कर रहे हैं. इसमें हम 10 लाख रुपये प्रति भवन के लिये देंगे. एक ग्राम समृद्धि भवन योजना है. कई बार लोगों को भुगतान में दिक्कत होती है, जब राशि को निकालने जाते हैं, तो लोगों को 10-20 किलोमीटर तक जाना, भटकना पड़ता है. विलम्ब होता है. किसी को बीमारी होती है, किसी के यहां शादी ब्याह होता है. किसी के सामाजिक कार्य कुछ भी होते हैं. ऐसे लोगों के लिये निकटवर्ती स्थान पर यह बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो. तो पांच किलोमीटर के दायरे में बैंक या पोस्ट आफिस जहां नहीं हैं और यदि बैंक कोई शाखा खोलता है तो 10 लाख रुपये तक की लागत से पंचायत द्वारा उसके लिये हम भवन उपलब्ध करवायेंगे. वह बैंक अपनी शाखा वहां खोले. वहां पर अपना जो कुछ भी एटीएम वगैरह लगाना हो, वह लगाये. इसके लिये सुदूर अंचल में जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. यह ग्राम समृद्धि भवन गांव की समृद्धि में एक बहुत बड़ा कारक बनेंगे. बहुत सी बातें हैं. इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं. हमारे समाज कल्याण की जैसे कन्यादान योजना है. आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की हिन्दुस्तान में सराहना हो रही है. पहले ढाई हजार, फिर पांच हजार, फिर साढ़े सात हजार, फिर पन्द्रह हजार, लेकिन महंगाई को देखते हुए अब हमने 25 हजार रुपये की राशि का प्रावधान उसके लिये किया है. माननीय सदस्य कह रहे थे कि कई सब स्टेण्डर्ड कुछ लोहे, गिलेट का दे

दिया. मैं कहना चाहता हूं कि हमने इस सब से बचाने के लिये अब नगद राशि पहले हमने जो फिक्स्ड डिपॉजिट है बैंक में, उसके लिये प्रावधान किया था कि हम..

उपाध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, मैं स्वयं एक कार्यक्रम में गया था और वहां ऐसी शिकायत मिली तो मैंने वहां पर एक सुनार को बुलवाकर उसकी जांच कराई. उसमें वास्तव में गिलेट निकली. यह काफी अखबारों में भी आया था. सतना जिले के अमरपाटन में हुआ था यह कन्यादान विवाह में.

श्री गोपाल भार्गव -- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि कन्या के हाथ में वह पैसा मिले. उसको जो खरीदना हो खरीदे. जो लेना हो ले. एक तो हम दीर्घकालिक 5 साल की एक फिक्स्ड डिपाजिट बना रहे हैं. दूसरा हम कन्या के लिये तत्काल चेक देंगे. वह तुरन्त ले सकती है 6 हजार का. वह उसके उपयोग में आ जायेगा. जो व्यवस्थाओं को 3 हजार रुपये का खर्च है, वह सिर्फ आयोजक के हाथ में रहेगा. बाकी किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा. हम इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है, तिरस्कृत वर्ग है, कुंठित वर्ग है, वह है किन्नर. ऐसे लोगों के लिये जो आज भी समाज में स्वीकार्य नहीं है. लेकिन आज भी उनकी उपयोगिता है. हम ऐसे सारे लोगों को मध्यप्रदेश में समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये एक किन्नर कल्याण बोर्ड का आज गठन करेंगे और उनके कल्याण के लिये जो भी योजनायें होंगी, उनके पुनर्वास, रोजगार, आवास के लिये..

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- मंत्री जी, आपने कहा कि उनकी उपयोगिता है, तो उनकी उपयोगिता क्या क्या है, उसको भी थोड़ा सा बतायें. ..(हंसी)..

उपाध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, सागर का महापौर का चुनाव शायद स्मरण कर रहे हैं.

श्री गोपाल भार्गव -- उपाध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं कि वह कितना लोकप्रिय होता है. विधायक, मेयर भी. बड़े बड़े पदों पर जब यहां ..

उपाध्यक्ष महोदय -- जी हां. शहडोल जिले से विधायक रह चुके हैं.

श्री गोपाल भार्गव -- हां. ऐसे लोग समाज की मुख्यधारा से कटे रहें और राज्य, समाज उनका उपयोग न कर पाये, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके कारण से हम किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन कर रहे हैं. हम ज्यादा से ज्यादा उनकी बेहतरी के लिये काम करेंगे. धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 17, 30, 34, 59, 62 एवं 74 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाये.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत

अब मैं, मांगों पर मत लूंगा. प्रश्न यह है कि

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को

अनुदान संख्या - 17	सहकारिता के लिए सात सौ बारह करोड़, चालीस लाख, पच्चीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 30	ग्रामीण विकास के लिए दो हजार एक सौ अड़सठ करोड़, सतासी लाख, पाँच हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 34	सामाजिक न्याय के लिए दो सौ तेईस करोड़, सतानवे लाख, छिहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए इकत्तीस करोड़, नब्बे लाख, रुपये,
अनुदान संख्या - 62	पंचायत के लिए एक सौ इकहत्तर करोड़, तेरह लाख, तिरसठ हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए बारह हजार छः सौ इकतालीस करोड़, बासठ लाख, पैंतीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

मांग संख्या –10	वन
मांग संख्या –71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नालॉजी).

अनुदानों की मांग के बारे में प्रस्ताव

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को

अनुदान संख्या - 10	वन के लिए दो हजार, दो सौ तीन करोड़, छत्तीस लाख रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नालॉजी) के लिए पाँच करोड़, पचास लाख रुपये तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

डॉ. गोविंद सिंह -- मंत्री तो शेर हैं लेकिन बजट चूहे का है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अभी तो बजट देखा नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव -- डॉ.साहब आप गरीबों को पाल रहे हैं यह डॉ. साहब शेरों को पाल रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जायें.

अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या – 10	वन क्रमांक
श्री कमलेश्वर पटेल	3
श्री आरिफ अकील	4
श्रीमती झूमा सोलंकी	7
श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	8
श्री लाखन सिंह यादव	9
श्री बाला बच्चन	10
कुंवर विक्रम सिंह	12
डॉ. रामकिशोर दोगने	13

मांग संख्या – 71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नालॉजी)
श्री बाला बच्चन	2
श्री आरिफ अकील	3

उपाध्यक्ष महोदय-- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये.

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

डॉ.गोविंद सिंह -- उपाध्यक्ष महोदय, कल के लिये इस चर्चा को रख लें.

उपाध्यक्ष महोदय-- सदन से अनुमति लेकर ही चर्चा हो रही है. लेना भी जरूरी है क्योंकि सारे विभाग की मांगों पर फिर चर्चा नहीं हो पायेगी.

माननीय वन मंत्री जी की अनुदान मांग संख्य 10 एवं 71 पर चर्चा हेतु कार्य मंत्रणा समिति ने 1 घंटे का समय निर्धारित किया है. तदनुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित है-

भारतीय जनता पार्टी	43 मिनिट
इंडियन नेश्नल कांग्रेस	14 मिनिट
बहुजन समाज पार्टी	02 मिनिट
निर्दलीय	01 मिनिट.

श्री उमंग सिंघार(गंधवानी)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत मांगों का विरोध करता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सोचना है कि वन विभाग का उद्देश्य वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन पर कार्य करना है न कि स्थापना और खरीदी पर खर्च करना है. यह बात सच है कि वन अधिकार अधिनियम 2005 में जो पूर्व के पट्टाधारी थे जो काबिज थे उनमें 4 लाख लोगों के आवेदन प्राप्त हुए लेकिन सिर्फ 90 हजार लोगों को मिले उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं. क्या कारण है कि केन्द्र सरकार से अधिनियम के पास होने के बाद भी सरकार जो आवेदन प्राप्त हुए उनका निराकरण नहीं कर पायी.

उपाध्यक्ष महोदय, वन भूमि पट्टे का सरकार ने अधिकार तो दे दिया कि उसमें कुंआ स्वीकृत कर सकते हैं लेकिन ...

उपाध्यक्ष महोदय-- उमंग जी आप समय का ध्यान रखेंगे. आपके दल को केवल 14 मिनट दिये गये हैं. एक घंटे की चर्चा है.

श्री उमंग सिंघार-- 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा. उपाध्यक्ष महोदय, वन भूमि पट्टे पर कुंआ स्वीकृति के आदेश मिल जाते हैं लेकिन बोरिंग, नलकूप खनन के आज भी आदेश नहीं मिलते. मैं चाहूंगा कि जिस वन भूमि पर बोरिंग हो सकता है उसकी भी स्वीकृति मिलना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय, छतरपुर में रियो टिंटो हीरे की कंपनी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के पत्र क्र. एफ 8/418/06/10/11258 दिनांक 27.01.2007 द्वारा पुनर्वेक्षण अनुमति दी गई थी लेकिन विभाग के 1 से 9 तक के जो नियम हैं उसका पालन नहीं किया गया फिर भी अनुमति दी गई.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम लिखवाने वाले हैं. 22 जुलाई को वे 1 करोड़ 11 लाख पौधों का रोपण करने वाले हैं. इसके लिए उन्होंने कलेक्टरों को आदेश दिये हैं. सब जगह 2-2 लोग नियुक्त किये गये हैं. लेकिन उसमें जो जमीन का चयन किया जा रहा है उनमें निस्तारी प्रयोजनों की जमीनें हैं, सामुदायिक जमीनें हैं, जो वर्षों से भूमिहीनों के कब्जे में हैं, उन जमीनों पर जिला प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर 1.11 करोड़ वृक्षारोपण की तैयारी की जा रही है. यह प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं है? गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए जो वर्षों से काबिज हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है. मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्रीजी इसमें अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण को रखते हुए निर्णय लें. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि शहडोल के तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक ने एक ही दिन में 50 लाख पौधे लगवाये थे लेकिन जब उसकी जांच हुई तो सारे पौधे मर चुके थे. आज तक उस जांच को सार्वजनिक नहीं किया गया. इतने सालों में जो वन विभाग द्वारा पौधे लग रहे हैं वह जीवित है या नहीं इसको तो विभाग देख नहीं रहा है और हम गिनीज बुक में रिकार्ड बनाने में लगे हैं. मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस बात का विशेष रुप से ध्यान रखें.

उपाध्यक्ष महोदय, अभी लगभग 25 हजार रुपये का एक पीडीए के हिसाब से 15 करोड़ रुपये के पीडीए खरीदे गये थे. वे पीडीए आईएफएस के बच्चों के काम आ रहे हैं. उसमें बैटरी नहीं लेकिन पहले यह काम वायरलैस पर होता था, पुलिस विभागअभी भी वायरलैस पर चल रहा है, उसकी वायरलैस की रिकार्डिंग हो जाती है लेकिन पीडीए खरीदे गये. क्यों खरीदे गये हैं यह आज बर्बादी की कगार पर हैं उसके

लिए 40 करोड़ रूपये का केन्द्र सरकार से नोटिस प्राप्त हुआ है. अभी तक वायरलैस के संबंध में कुछ जवाब नहीं आया है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने पिछले कई दिनों में 20 – 20 दिन के दौरे किये हैं, सर्किलों में गये लेकिन क्या साथ में गये अफसरों से रिपोर्ट मांगी, उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई, क्या उससे विभाग को लाभ हुआ. क्या माननीय मंत्री जी ने इसकी कभी समीक्षा की है. इस बात पर इनको गौर करना होगा. विभाग में रोस्टरबना हुआ हैं कि डीएफओ सीसीएफ सीएफ सभी के लिए लेकिन रोस्टर का पालन नहीं होता है जंगल में कोई नहीं जाता है.जब रोस्टर का पालन नहीं होगा तो कैसे वन विभाग हमारे जंगलों को बचा पायेगा वन्य प्राणियों को बचा पायेगा. इस बात पर हमें गौर करना चाहिए. यह भी सच है कि 2010 में बांधवगढ़ में एक बाघिन का एक्सीडेंट जिप्सी से हो गया था. आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कियागया है. एसटीएफ ने जांच की तत्कालीन मंत्री थे उनके सुपुत्र का नाम आया , वर्तमान सांसद हैं उनके सुपुत्र का नाम आया लेकिन जो तत्कालीन वहां के डायरेक्टर थे आज उनका प्रमोशन हो गया है और उनको यहां पर बैठा दिया गया है आज भी वह फाइल लेकर बैठे हैं. जिस प्रकार हम वन्य प्राणियों की रक्षा की बात करते हैं. एक तरफ हम वन्यप्राणियों की गुहार कर रहे हैं. एक तरफ जिनके नाम आ रहे हैं तो उनको आज इस प्रदेश में सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है.. इस बात पर माननीय मंत्री जी को गौर करना चाहिए. आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद्.

श्री मानवेन्द्र सिंह (महाराजपुर) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय वन मंत्री जी के प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं. वन विभाग में गत वर्षों में काफी वन और वन जीवों के संरक्षण के लिए सूचना एवं संचार की जो व्यवस्था की गई है, वह बहुत ही सराहनीय है कई जगह पर वन जीवों की हत्या होती थी और वनों में आग लगती थी तो उसकी सूचना विभाग को बहुत देर से मिल पाती थी, इन कारणों से वनों का, वन्य जीवों का काफी नुकसान होता था. इसके लिए काफी व्यवस्था की गई है सूचना एवं प्रोद्योगिकी के माध्यम से वन अधिकारियों को इसकी सूचना अधिकारियों कोतत्काल मिलेगी जिससे वह समय पर इन जीवों की रक्षा करने में और वनों में जो आग लगती है उस पर समय पर नियंत्रण पा सकेंगे. उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर आर्मी के सेंटर हैं वहां के लिए भी मंत्री जी ने एक प्रस्ताव दिया है कि वहां के

आस पास के जंगलों को जो रिटायर आर्मी के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका सहयोग लेकर वहां के वन जीवों और वनों की रक्षा करने का एक मंत्री के द्वारा एक अद्भुत प्रयास किया जा रहा है उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को नीलगाय से बहुत असुविधा होती है जिसके लिए वन विभाग के ऊपर काफी आक्षेप लगतेहैं इसकेलिए मंत्री जी के द्वारा एक योजना बनाई जा रही है कि नीलगायों को पकड़कर जहां पर सेंचुरी क्षेत्र हैं वहां पर इनको छोड़ा जाय जिससे कि वहां पर जो अन्य जानवरहैं जैसे पेंथर हैं शेर हैं उनका भोजन भी वह है तोएक तरह से यह बेलेंस करने का भी काम होगा.

उपाध्यक्ष महोदय – हमें लगताहै किआपने और नातीराजा ने नीलगाय को और जंगली सूअर कोआपस में बांट लिया है.

श्री मानवेन्द्र सिंह - नहीं, नहीं. उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है. नीलगाय की भी व्यवस्था माननीय मंत्री जी द्वारा की जा रही है कि उनकी भी हत्या न हो और उनकी व्यवस्था भी हो. किसानों की भी व्यवस्था हो. वन क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, जिससे कि डिजिटल नक्शों के रूप में पूरे प्रदेश के नक्शे उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई गई है. इसमें राजस्व और वन विभाग का एक मतभेद जो हमेशा चलता है, उसका निराकरण भी माननीय मंत्री जी द्वारा कराये जाने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत सराहनीय है. मैं अंत में आपसे छतरपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वन के सेटलमेंट के मामले जिसमें धारा 4 से 19 की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि पहले यह अधिकार पहले वन विभाग के अंतर्गत थे, आजकल एसडीएम के अंतर्गत हैं. लेकिन इससे राजस्व और वन विभाग में छतरपुर जिले में काफी दिक्कत आ रही है. मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें कुछ न कुछ व्यवस्था की जाय. उपाध्यक्ष महोदय, बालू भी वन विभाग में काफी रहती है, उसके लिए भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्व, पुलिस, वन और खनिज विभाग, इन चारों विभागों में आपस में झगड़ा रहता है, इनके लिए भी कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था रहे कि लोगों को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यों में मदद मिले, कुछ न कुछ सरल तरीके से व्यवस्था की जाय. आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

कुंवर विक्रम सिंह (राजनगर) - उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं मांग संख्या 10 का विरोध करते हुए कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं एक बात वन विभाग और राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, उसके बारे में कहना चाहूंगा. एसडीएम को पावर दिया गया कि वन और राजस्व की भूमि का सीमांकन करवाएं और सीमांकन में राजस्व और वन की भूमि पृथक-पृथक की जाय. परन्तु यह कहीं हो नहीं पा रहा है. खासतौर से छतरपुर जिले में यह बड़ी ज्वलंत समस्या बनी हुई है क्योंकि छतरपुर जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है, केन घड़ियाल सेंचूरी भी है और यहां पर कई लोग जो खेती करते हैं, उनको अपनी जमीन पर जुताई, बुवाई करने के लिए वंचित किया जा रहा है. मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है कि इस मामले में जरा नजर डाले, गौर फरमाएं और इस व्यवस्था को दुरुस्थ कराएं. धारा 4 से 19 में जो परिवर्तन होना है, इसको सुनिश्चित कराएं. केन घड़ियाल सेंचूरी से लगे हुए जो गांव हैं वे मेरी विधान सभा क्षेत्र से लगे हुए गांव हैं. वहां पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे खेतों में जुताई, बुवाई करने से किसानों को वंचित करते हैं. यहां तक कि अगर किसी का एक बैंत अटक गया, फावड़े के लिए या बेलचे के लिए तो बैंत तक नहीं ला सकते हैं. कितनी जटिल समस्या वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों के लिए की जा रही है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घटते हुए वनों का क्षेत्रफल एक बड़ी चिन्ता का विषय बन गया है. मैने अपने बचपन से देखा और आज जहां तक अपने क्षेत्र की बात करूं या पूरे जिले की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि 10 प्रतिशत भी वन क्षेत्र बचा है. सारे जंगली जानवरों के हेबीटेट थे,जो फ्लोरा एंड फौना थीं वे सब खत्म हो चुकी हैं और मुश्किल से 4 या 5 प्रतिशत वन पूरे छतरपुर जिले में बचा है बाकी सारा वन क्षेत्र कटाई की भेंट चढ़ चुका है और वृक्षों की तस्करी चरम पर पहुंच चुकी है. मेरे विधान सभा क्षेत्र से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान लगा हुआ है,मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी उसका अंशभाग आता है. पाटन पंचायत, राजगढ़ पंचायत, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती हैं. मेरे जिले की पलकुंवा पंचायत है . पलकुंवा के लोगबाग आज तैयार हैं कि यदि उनको मुआवजा दे दिया जाय ,क्योंकि यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में हैं ,ऐसे कई और गांव हैं ,माननीय मुख्यमंत्री जी से आज मेरी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने मुझसे सवाल किया कि

क्या ये लोग गांव खाली करने के लिए तैयार हैं? मैने कहां कि बिलकुल तैयार हैं , गांव के सरपंच और गांव के कई लोग यहां पर आए हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को वहां से विस्थापित किया जाय. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूलभूत सुविधा के लिए अगर थोड़ी सी भी सूखी पड़ी हुई लकड़ी अपने खेत से ला रहा है , कोई अगर गट्ठा लेकर आ रहा है तो उसको भी वन विभाग द्वारा छुड़ा ली जाती है. पिछली विधान सभा, 2008 के समय में तो कई बार ऐसे अवसर आए जब वन विभाग वालों नें महिलाओं तक को परेशान किया.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात करना चाहता हूं . रोज रूजवा यानि नीलगाय और जंगली सुअर. उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि कृषि को लाभ का धन्धा बनाया जाय परन्तु इन सुअर और नीलगाय की वजह से ये लाभ का धन्धा नहीं बन पा रहा है. किसान अपनी बीज तक खेत से वापिस नहीं ला पा रहे हैं. उपाध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी कई बार कहा कि इनको मारने के विधिवत परमिट जारी किये जाएं . उससे राजस्व भी इकट्ठा होगा जिससे और विकास कार्यों के लिए पैसा आ सकेगा. उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, माननीय वन मंत्री जी मेरे स्मरण में एक बात आ गई ,सुअरों की जहां तक बात है, आप पूछ लीजिए , उपाध्यक्ष महोदय मौजूद हैं. उपाध्यक्ष महोदय के बंगले पर जो गार्ड लगा हुआ था उसको जंगली सुअर ने घायल कर दिया और पालतु कुत्ता मार दिया. यहां तक सुअरों का आतंक बढ़ गया है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक चीज बताऊं, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं उचेहरा सतना जिले में है उचेहरा में बहुत सुअर हैं , सतना जिले में खरमखेड़ा है, वहां पर भी सुअर हैं.

एक माननीय सदस्य – ये तो मेरे क्षेत्र का गांव है.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें.

कुंवर विक्रम सिंह--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में जो डीएफओ है वासु कनौजिया, उनके द्वारा ऐसे कृत्य किये जा रहे हैं जिनसे जनाक्रोश पैदा हो रहा है. चंदला विधानसभा क्षेत्र में सिद्धपुर गांव है वहाँ पर कम से कम एक सैकड़ा से ऊपर घर , मकान और टपरे जमींदोज कर दिये गये जबकि वन अधिकार पट्टों के लिए सरकार ने घोषणा की थी. माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने

वाले उदबोधन में कहा . माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग एवं उसके कर्मचारियों द्वारा जो ज्यादतियाँ लोगों के साथ में की जा रही हैं. उन पर अंकुश लगाया जाये यह मेरा आपसे निवेदन है. आपने मुझे बोलने के लिए का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- उपाध्यक्ष जी, नातीराजा जी का निशाना बहुत अच्छा है, इनके क्षेत्र के लोग बहुत तारीफ करते हैं.

श्री शंकरलाल तिवारी--- ढूंढ-ढूंढकर सुअर मार दिये हैं अब सुअर है ही कहाँ.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- नातीराजा की बंदूकें चुनाव आचार संहिता के बाद बाहर नहीं निकली हैं क्या ?

कुंवर विक्रम सिंह--- बन्दूकें तो बाहर हैं.

श्री शंकरलाल तिवारी--- उचेहरा के जंगल तक के सुअर नहीं छोड़े हैं महाराज.

उपाध्यक्ष महोदय-- यह इतना लोकप्रिय विषय कैसे हो गया ? सब चर्चा कर रहे हैं.

श्री दुर्गालाल विजय(श्योपुर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वनों का संरक्षण मानव जाति ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है. मध्यप्रदेश सरकार ने और वन विभाग ने वनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयत्न किये हैं और उसके परिणाम भी सामने आए हैं लेकिन इसके बाद भी वनों की कटाई कही न कहीं, किसी न किसी रूप में होती है जिसका नुकसान हम सबको होता है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वनों की कटाई के दो कारण हैं . एक तो आपराधिक दृष्टि से जिन लोगों ने इसको धंधा बना लिया है, वह वनों की कटाई का काम करते हैं. वन विभाग की ओर से उनके ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास तो किया गया है लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब उन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाता इसके कारण जंगल की कटाई हो जाती है . दूसरा जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, किसान हैं वह अपनी आवश्यकता के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं इसके कारण से भी वनों की कटाई होती है. मेरा मंत्री जी से निवेदन है और प्रयास भी हुए हैं कि रोजगार की दृष्टि से वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ,जंगल की दृष्टि से, वन की दृष्टि से ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे तो वनों की कटाई का यह काम रुकेगा और लोगों को उससे रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वनों की

कटाई का मामला तो है लेकिन इसके साथ साथ हमारी सरकार ने वन संरक्षण की दृष्टि से जो दूसरा काम किया है वह सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य है . किसानों को खेतों में वृक्ष लगाने की दृष्टि से प्रेरित करने का कार्य किया गया है और इसमें वन विभाग की ओर से पौधे उपलब्ध कराये गये हैं और उनको प्रेरित करके गांव में औऱ किसानों के खेतों में वृक्षारोपण का कार्य हुआ है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और जब यह कार्य आगे बढ़ेगा औऱ इसमें यदि विभाग की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से अधिक वृक्ष लगने के कारण से हमारा वृक्षारोपण होगा और वनों की स्थिति और ज्यादा सुदृढ़ हो सकेगी. उपाध्यक्ष महोदय, खास करके वन के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ. मेरे क्षेत्र में सहरिया आदिवासी लोगों की संख्या बहुतायत है, अत्यन्त पिछड़ा वनवासी है और वे जंगल में ही रहते हैं उन लोगों के लिए वैसे तो वन समितियाँ बनाकर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है और उसके आधार पर वे वनों के प्रति जागरूक होकर के और वृक्षों को...

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप एक मिनट में समाप्त करें.

श्री दुर्गालाल विजय-- उपाधय्क्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की 2-3 बातें कहकर समाप्त करता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, उन सहरिया आदिवासियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, वनों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है. उनको रोजगार देकर के और ठीक तरीके से, वैसे वे तेन्दूपत्ता, गोंद, चील्ड और इस सबके उसमें लगते हैं और सरकार ने उसके लिए ठीक से अर्थव्यवस्था भी की है और उनको अच्छा रोजगार भी प्राप्त हो रहा है. इसे और बढ़ाने के लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ. मैं निवेदन यह करना चाहता था कि हमारे श्योपुर जिले में, मैं तो कहूँगा कि श्योपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे चंबल क्षेत्र के अन्दर एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना ग्रामवासियों को करना पड़ रहा है और वह घड़ियाल अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है उस घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना में कुछ ऐसा प्रतिबंध कर दिया गया है, ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं, जिसके कारण से नदी के किनारे रहने वाले एक किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई काम किसान नहीं कर सकता. उपाध्यक्ष महोदय, अब दिक्कत यह आ रही है कि नदी में लोग जाते हैं अपने घरेलू कामकाज के लिए रेत पत्थर भी लाने की बात होती है, उस पर पूरी तरह से सख्ती है. वन

विभाग का अमला अगर ईमानदारी से काम करता है तो ठीक तरीके से काम भी हो जाता है लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसको व्यावसायिक दृष्टि से कार्य प्रारंभ कर दिया है और मेरे श्योपुर क्षेत्र में अभ्यारण्य के जो अनुविभागीय अधिकारी हैं उन्होंने नदी की रेत को बेचना प्रारंभ करा दिया है. कई स्थानों पर रेत का संग्रहण कराते हैं और उसका विक्रय कराते हैं. भोलेभाले किसान जो कभी कभी अपने खेत से ही अपने काम से रेत लाते हैं उनको रोक करके, उनके ट्रेक्टर 6-6, 8-8 महीने तक जप्त कर लिए जाते हैं, माननीय मंत्री जी, इस विषय पर मेरा निवेदन है कि गौर करेंगे और इसमें...

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप समाप्त करें. अब आप कुछ विषय रामनिवास जी के लिए भी छोड़ दें.

श्री दुर्गालाल विजय-- जी हाँ मैं छोड़ देता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि श्योपुर जिले में जो कूनोपालपुर अभ्यारण्य की स्थापना के लिए प्रयास हो रहा है, आपने जो प्रतिवेदन दिया है इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें निर्देश दिए हैं, एक याचिका लगी थी, उन्होंने कहा कि जल्दी सिंहों को यहाँ पर लाकर के पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है. इसके बाद एक कमेटी भी बनी और कमेटी ने दो बार बैठक भी की है. हम और हमारा पूरा क्षेत्र, मैं तो कहता हूँ पूरा प्रदेश चाहता है कि इतना अच्छा अभ्यारण्य जो बनने वाला है उस पर कुछ शीघ्रता के साथ काम करके माननीय मंत्री जी और वन विभाग का पूरा अमला, इसको अगर शीघ्र प्रारंभ करेंगे तो विश्व के नक्शे पर एक बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र श्योपुर जिले के अन्तर्गत होगा. एक और समस्या है...

उपाध्यक्ष महोदय-- बहुत सारी हो गईं. अब सिंहों के लिए तो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में आप हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के पास दिल्ली जाना पड़ेगा तभी आ पाएँगे.

श्री दुर्गालाल विजय-- जी हाँ. उपाध्यक्ष महोदय, वन भूमि का और जो राजस्व भूमि का विवाद चल रहा है, वह श्योपुर जिले में अधिक है. कई बार प्रयास करने के बाद भी, मेरे क्षेत्र में लाड़पुरा गाँव, फतेहपुर, नयागाँव, ढोंढपुर, जानपुरा, वहाँ के किसान लगातार परेशान हैं. उनको राजस्व भूमि के पट्टे प्राप्त हुए हैं उन पर वे 40-40 वर्षों से खेती कर रहे हैं उसके अन्दर यह विवाद की स्थिति जो उत्पन्न हुई है...

उपाध्यक्ष महोदय-- अब कृपया समाप्त करें.

श्री दुर्गालाल विजय-- हमारे जिले में सर्वाधिक मध्यप्रदेश में औषधि पौधे हैं, वृक्ष हैं, मंत्री जी से यही प्रार्थना है कि यह औषधियाँ श्योपुर के लोगों के लिए रोजगार का एक अच्छा साधन बन सके. उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री वैल सिंह भूरिया (सरदारपुर)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं मांग संख्या 10 और 71 का समर्थन करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय, जब हिन्दुस्तान में सम्माननीय अटल बिहारी जी की सरकार थी उस समय उन्होंने आदिवासी भाइयों के लिये एक कानून बनाया था उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई उस कानून को कांग्रेस की सोनिया गांधी सरकार ने दबा दिया था. मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 6 जनवरी 2006 को प्रदेश के आदिवासी जनप्रतिनिधियों को बुलाकर एक आदिवासी महापंचायत की इस पंचायत में वन अधिकार अधिनियम 2006 बनाया गया. प्रदेश के दीन दुखियों को इस वन अधिकार अधिनियम का लाभ मिला इस प्रकार लाखों आदिवासियों की आंखों के आंसुओं को पोंछा गया. उन्हें वन अधिकार पत्रक वितरित किये गये. मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी को सभी आदिवासी भाइयों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र में 19 वन ग्राम समितियां व एक इको विकास समिति है यह समितियां वर्षों से बनी हैं और चली आ रही हैं इनको भंग कर नई समितियां गठित की जायें. सुदूर ग्राम वन क्षेत्र में वहां के विकास कार्यों के लिये ग्रामीणों को तालाब निर्माण, सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण व स्टाप डेम निर्माण की मंजूरी दी जाये. रोजगार के लिये जलाऊ चारागाह, जलाऊ रोपण, बांस रोपण, मिश्रित रोपण एवं सागवान रोपण के कार्य कराये जायें तथा बिगड़े वनों का सुधार कार्य कराया जाये. जलाउ एवं निस्तार बांस बल्ली हेतु जलाऊ प्रजाति का रोपण किया जाये. माछलिया घाट एवं पहाड़ी वाले क्षेत्रों में वन विहीन पहाड़ियों को हरा-भरा करने के लिये कोई एक योजना तैयार कराई जाये. माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सरदारपुर में भ्रमण हुआ था उस समय भी उन्हें ज्ञापन दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्रीजी ने हमें आश्वस्त किया था. मेरे सरदारपुर विधानसभा के 14 ग्राम पंचायतों में खरमो अभ्यरण का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय दिग्विजय सिंह सरकार में कुछ बटकुकड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया थे। हमारी आदिवासी भाषा में बटकुकड़े कहते हैं और

दरबारों की भाषा में जंगली मुर्गा भी कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ 10-20 पक्षी आ जाने से पूरे 14 ग्राम पंचायतों में किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गयी औरउनकी खरीदी और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माननीय वन मंत्री जी को पिछली बार भी पत्र लिखा था और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सरदारपुर विधान सभा में खरमो अभ्यरण के अंतर्गत 14 ग्राम पंचायतों में से तत्काल प्रतिबंध हटाया जाए और खरीदी और बिक्री के ऊपर जो रोक लगी है उसको बहाल कराया जाए। यह बहुत बड़ी समस्या है इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत गुमानपुरा में कोड़ी से बाटन वाड़ी पांच किलोमीटर सड़क बनायी जाए ताकि वहां पर पूरा आदिवासी क्षेत्र लगता है, वहां के आदिवासी लोग आज भी वहां की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की भाजपा सरकार में धार जिले में जो गैस कनेक्शन आदिवासी भाईयों को दिये गये थे, वह कांग्रेस की सरकार में आदिवासियों की बजाए दूसरे लोगों को दिये गये उसकी जांच कर पुन: आदिवासी भाईयों को गैस कनेक्शन दिया जाए। वन भूमि के ऊपर जिन आदिवासी भाईयों का कब्जा है और कब्जा नहीं मिला वह दावा आपत्ति लगा रहे हैं । उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है उनकी सुनवाई की जाए और उनको वन भूमि से पृथक नहीं किया जाए, आपने बोलने का जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री रूस्तम सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 10 और 71 के समर्थन में अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूं । मध्यप्रदेश का वन विभाग पूरे देश में अपना एक स्थान रखता हूं। मुझे जानकारी है मध्यप्रदेश का जंगल पूरे देश में जाना जाता है और माना भी जाता है। मध्यप्रदेश का सागौन पूरे देश में इसकी मांग है और यह कहा जाता है। विशेषकर बैतूल, होशंगाबाद, टिमरनी और हरदा की सागौन मिलती है तो लोग तीन गुना में खरीदते हैं। दिल्ली में इसकी मांग इतनी है कि यह उस मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। यह सम्मान मध्यप्रदेश को वन विभाग की और से मिला हुआ है। यह सब जो हो रहा है वह वन विभाग की सतर्कता की वजह से , यह यहां पर पैदा होता है ऐसा नहीं है। यहां पर अच्छा पैदा होता है और उसे बनाया जाता है, एक टाईम होता है, एक एज होती है, उसके बाद उसकी कटाई होती है। उसका संरक्षण होता है । तब उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है। तब यह कार्य हो रहे हैं। यह सम्मान की बात है कि बहुत

अनुभवी और बहुत वरिष्ठ हमारे मंत्री जी है उनके पास वन विभाग का काम है, यह और बेहतर होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय:- आपने वरिष्ठ मंत्री जी को जंगल भिजवा दिया।

श्री रूस्तम सिंह:- उपाध्यक्ष मैं सीधे सीधे अपने चंबल संभाग और मुरैना का विषय उठाना चाहता हूं। दुर्गालाल जी ने शेर की बात उठायी है लेकिन एक बहुत महत्वपूण मुद्दा है।

श्री गौरीशंकर शेजवार:- उपाध्यक्ष महोदय,थोड़ी बहुत तारीफ मंत्री और विभाग की होती है तो आप धीरे से कह देते हैं कि आप अपने क्षेत्र की मांगों के बारे में बोलिये । आजाकल तारीफ बड़े मुश्किल से सुनने को मिलती है। हम लोगों का स्वभाव भी है तारीफ सुनने का, मेरे ख्याल से आपके भी होंगे,तो कहीं न कहीं आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एकाध से तारीफ करवा दें और एकाध से बुराई करवा दें।

उपाध्यक्ष महोदय – मै ध्यान रखूंगा. अब कैलाश जी तो बोल नहीं सकते हैं इसमें. वह बोलते तो बहुत तारीफ आपकी करते.

श्री रुस्तम सिंह – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चंबल क्षेत्र जिसमें श्योपुर,मुरैना,भिण्ड में लगभग 150-200 कि.मी. चंबल नदी बहती है और यह पूरा का पूरा क्षेत्र घड़ियाल के लिये आरक्षित है और यह नोटिफाईड है, सेंचुरी है, बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छा घड़ियालों का संरक्षण होरहा है. उत्पत्ति भी हो रही है लेकिन मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि वन विभाग ने भी लिखा हुआ है. पूरी रेत चंबल में इकट्ठी हो रही है और यह बाढ़ का सबब बन रही है और यह चंबल नदी की दिशा बदलने का काम कर रही है. इससे रेत के अंबार लग गये हैं रेत का उठाव नहीं है. जो लोग आसपास रहते हैं ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें पूरा क्षेत्र उद्वेलित हुआ है. कानून-व्यवस्था की समस्या बनी है और मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे यहां का जो मुरैना का वन विभाग है. वह पूरा का पूरा इसी बात पर लगा रहता है. चंबल,चंबल, चंबल की रेत, चंबल के ट्रेक्टर निकल गये. रात-दिन उसी में लगा रहता है तो माननीय मंत्री जी ऐसा नीतिगत निर्णय कराएं क्योंकि इसमें दिल्ली का भी भाग आता है कि घड़ियालों का संरक्षण जो होता है उसमें कहीं-कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं, कहीं-कहीं वन विभाग के भी निर्देश हैं तो घड़ियालों का पूरी तरह संरक्षण रहे लेकिन रेत का उठाव नहीं होगा तो आने वाले समय में जो समस्याएं आने वाली होंगी उस पर विचार किया जाए ताकि समय रहते कुछ निदान हो जाए. इसका नीतिगत निर्णय

लेकर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे अधिक धनराशि का लाभ शासन को भी मिले और इतनी महंगी रेत 150-150 कि.मी. दूर से मुरैना में आ रही है और मुरैना के आसपास श्योपुर के आसपास और श्योपुर को 150 कि.मी. दूर सिंध नदी से रेत मिले यह न तो व्यवहारिक है और न ही सही है तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चारों तरफ वहां रेत भरी पड़ी है घड़ियालों का संरक्षण हो यह हम चाहते हैं लेकिन घड़ियालों के संरक्षण के साथ-साथ वन विभाग ने जो दस घाटों के लिये रिकमंड किया हुआ है तो वह घड़ियालों के संरक्षण के साथ-साथ किया जा सकता है. वैसे मैं मंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि चंबल से एक कि.मी. दूर जो लोगों की खुद की भूमि है. भूमिस्वामी स्वत्व की जमीन है उस पर अगर रेत है क्योंकि उसमें भी 100-100 फीट गहराई तक रेत भरी हुई है. तो वह उसको उठा सकते हैं. उनको टेम्परेरी परमिट दिये जाएंगे उनको रसीदें दी जाएंगी. यह व्यवस्था की है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन साथ-साथ ऐसी नीति बननी चाहिये ताकि शासन का भी लाभ हो नदी में रेत जो भरी है और घड़ियालों का संरक्षण भी बना रहे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की तारीफ कर देता लेकिन इस विभाग को चलाने की उनकी इच्छा नहीं है अगर अच्छे से चलाते तो तारीफ भी करते. मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का विरोध करते हुए क्कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं . वन के बारे में काफी बात कही गई हैं मैं इतना ही कहूंगा कि मध्यप्रदेश में काफी बड़ा भू-भाग वनों से आच्छादित है

6.35 बजे {माननीय अध्यक्ष (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

श्री रामनिवास रावत (जारी)—मेरे विधान सभा क्षेत्र का 65 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है, केवल 35 प्रतिशत क्षेत्र में आबादी है उसमें वनग्रामों की संख्या भी काफी अधिक है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे कुछ सुझाव देना चाहूंगा वन अधिकार अधिनियम के तहत जो वनभूमि पर काबिज लोग हैं उनमें कुछ लोगों को पट्टे प्रदान कर दिये गये उसमें बहुत सारे लोग रह गये हैं

जिन्होंने दावे किये हैं, लेकिन उनको पट्टे प्रदान नहीं किये गये हैं. काफी वनवासी आदिवासी भी ऐसे लोग हैं

अभी बताया कि राजस्व विभाग का एवं वन विभाग का सीमा विवाद

श्री राम निवास रावत--मेरे क्षेत्र में वनवासी भी बहुत हैं. तेंदू पत्ता संग्राहकों को अभी तक बोनस नहीं मिला है, इसकी भी आप चिन्ता कर लें. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां कूनो सेंचुरी अभ्यारण्य बनाया गया है, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का है इसमें 24 गांवों का विस्थापन हुआ है केन्द्र सरकार से 20-25 करोड़ रूपये मिले, विस्थापन किया गया और 1545 परिवार विस्थापित हुए और इसका पूरा डेवलपमेंट गुजरात से सफेद शेरों को लाने के लिये किया गया. मैं समझता हूं कि पूरा जंगल काफी घना हो गया है, शेरों के लिये बनकर तैयार है, अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आप तो चिंतित थे नहीं, कुछ एन.जी.ओ. गये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कुछ एरिया बढ़ाने की बात कही, तो आपने एरिया बढ़ाने की भी कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है, लेकिन दुर्भाग्य कि ना तो आपने बजट में प्रस्ताव किया, आप सोच रहे हैं कि केन्द्र पैसा देगा, तभी हम शेर लायेंगे, अरे, आपके प्रदेश में सफेद शेर आने हैं आपका प्रदेश पूरे विश्व के पटल पर आ जायेगा. अब ग्रामीण विकास से संबंधित जो वन्य ग्राम हैं, उनकी व्यवस्था जरूर करें और आपने जो नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्रों में तो 5 हेक्टेयर तक की अनुमति देने का प्रावधान कर दिया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी 5 हेक्टेयर तक की अनुमति देने का प्रावधान करें, जिससे हम स्कूल, सीमेंट कांक्रीट और वन्य ग्रामों में जो लोग रहते हैं, एक व्यथा और रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हो कि एक-एक टपरिया बनाकर हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और जैसे ही बच्चे बड़े हुए, अलग होते हैं उन्हें अलग टपरिया, अलग झोंपड़ी, अलग मकान बनाने की आवश्यकता होती है. मुख्मंत्री आवास भी मेरे क्षेत्र में चूंकि वन्य ग्राम है, उनको आवासीय पट्टे नहीं दिये जाते इसलिये वह मुख्यमंत्री आवास का भी लाभ नहीं ले पाते और यदि इन्दिरा आवास अगर स्वीकृत भी कर दिये जायें, तो आपके वन विभाग के लोग उन्हें पत्थर नहीं लेने देते, तो इन चीजों से कोई जंगल थोड़ी मिटता है, आपके अधिकारी सतर्क हों, आप सर्वे करवा लें कि आपने कितने पेड़ लगाये, उनमें से कितने बचे, उसी से आपको आइडिया हो जायेगा कि जंगलों की क्या स्थिति है आपके अधिकारी-कर्मचारियों की क्या स्थिति है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी है मैं निवेदन करना चाहूंगा घड़ियाल अभ्यारण्य के साथ-साथ काफी लोग रहते हैं, मैं समझता हूं केन्द्र सरकार ने एक बार प्रस्ताव भी मांगे थे कि ऐसे क्षेत्रों को आप डिलीट कराना चाहते हो, जहां सार्वजनिक उपयोग की इस तरह की रेत

उत्खनन् वगैरह काम करना चाहते हो, तो आप प्रस्ताव भेजें परंतु आपने प्रस्ताव नहीं भेजा, शायद अभी मैं माननीय मंत्री जी से चर्चा कर रहा था, तो कह रहे थे कि इस तर की मीटिंग की गई है क्योंकि वहां लोग पास में रहते हैं, मकान बनाने के लिये लायेंगे और आपका अमला ज्यादति उन पर करता है, जो पैसे नहीं देते. बड़े ही व्यापक पैमाने पर यह बिल्कुल सत्य है कि बिना फारेस्ट अमले या बिना प्रशासकीय अमले की सहमति के यह काम नहीं हो पा रहा है. पुलिस के भी थाने बंधे हुए हैं एक ट्रेक्टर पर और फारेस्ट वालों के भी बंधे हुए हैं. या तो ऐसी व्यवस्था बनायें कि व्यक्ति भी परेशान न हो, आम नागरिक भी परेशान न हो और यह व्यवस्था भी ठीक से हो सके.

अध्यक्ष महोदय--अब समाप्त करें बहुत समय हो गया है.

श्री रामनिवास रावत--अब मैं माननीय मंत्री जी से बायोडायवर्शन बायोटैक्नोलाजी के बारे में भी कहना चाहूगा कि इसको भी आप विकसित करा के आगे ले जाने का काम करें तो बड़ी कृपा होगी, यह भी बहुत ही आवश्यक है. अन्त में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि वन लघु वनोपज संघ प्रसंस्करण भी आपके वन विभाग के अंतर्गत आता है और उस पर अलग से चर्चा नहीं हो सकती. केन्द्र से काफी 5 करोड़ की इसको आर्थिक सहायता मिली आधुनिकतम प्रयोगशाला बनाने के लिये, लेकिन आपने आयुष विभाग के डाक्टरों की पद स्थापना आज तक नहीं की है जिससे आप बना तो रहे हो और जो दवाइयां आप बना रहे हो, कोई टैक्निकल एक्सपर्ट नहीं है. जो बना रहे हो, उन्हें आप हास्पिटलों में भेज रहे हो, अरे, यह वनोपज का काम है, इसके लिये आप कम से कम ग्रामीणों के पास पहुंचायें. अंतिम बात यह है कि वन्य ग्राम में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग लकड़ियां ढो कर लाते हैं, उन पर भी आपके वन विभाग के अधिकारी, वन विभाग के फारेस्ट गार्ड परेशान करते हैं, उन्हें परेशान ना किया जाये. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया, इसके लिये मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी सभी बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे और मैं उनकी तारीफ भी करूंगा.

श्री कुंवर सिंह टेकाम (धौहनी) -- अध्यक्ष महोदय, जब से मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकारी बनी है, तब से यह कहावत जो है, पहले जो चलती थी, मैंने बचपन में सुना था कि जंगल गये जंगलिहा पकड़े खेत गये पटवारी. यह जो धारणा बदली है. इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को और वन मंत्री जी को जाता है, सरकार को जाता है. मैं सरकार की प्रशंसा करते हुए बहुत बहुत बधाई देते हुए

अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं. जल, जंगल, जमीन और जावनर के बारे में तो विचार होता है, लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार ने जन भागीदारी को वन प्रबंधन में जोड़कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है, यह प्रसंसनीय है. जिसके चलते हमारे वनों की सुरक्षा चाहे आग, कटाई से हो और बहुत तेजी से इनमें सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है. इसलिये वनों का विस्तार निरन्तर हो रहा है, इसके लिये सरकार प्रशंसा की पात्र है. इतना ही नहीं, इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किये हैं. वनों को लगाने का काम, जन भागीदारी समिति के माध्यम से वन विकास निगम के माध्यम से तो किया ही है. बांस के लिये बांस वर्ष मनाने का जो काम किया है, उसमें हमारे गरीब आदिवासी भाइयों को भी जोड़ा है. बांस की जो उनकी बिक्री होती है, उसका शत प्रतिशत लाभ देने का काम सरकार ने किया है, इसकी प्रशंसा करने में किसी को कहीं हिचक नहीं होनी चाहिये. इसलिये हम सरकार की प्रसंसा करते हैं. लघु वनोपज के मामले में जो आदिवासियों का लम्बे वर्षों से शोषण होता था. चाहे महुआ का फूल का हो, चाहे साल बीज का हो, चाहे गोंद का हो, चाहे आचार गुठली का हो, चाहे हर्रा का हो, चाहे तेंदूपत्ते के संग्रहण के मामले में हो. आपने इनका जो समर्थन मूल्य घोषित किया है, उससे आम जनता, आम गरीब , खास कर आदिवासी वर्ग बहुत लाभान्वित हुआ है. मेरा इसमें कुछ सुझाव है. ..

अध्यक्ष महोदय -- अब आप सीधे सुझाव दीजिये.

श्री कुंवर सिंह टेकाम -- जी. आपने जो लघु वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, आज आदिवासियों को उसका भरपूर मूल्य मिल रहा है. लेकिन अभी ऐसे कुछ नीम बीज, महुआ गुठली, करंज बीज और लाख की सरकारी खरीद नहीं हुई है. इसके बारे में जब पता किया, तो पता चला कि यह जो समर्थन मूल्य है, उससे ज्यादा मूल्य में बाजार में बिका. इस नाते सरकारी खरीद नहीं हो पाई. तो मैं चाहूंगा कि इनके समर्थन मूल्य का पुनः रिव्यू हो और नये रेट निर्धारित किये जायें, जिससे और भी लाभ हमारे आदिवासियों को मिले. तेंदूपत्ता का बोनस देने की जो शुरुआत हुई थी, पहले इसका बोनस कम मिलता था. हम लोगों के यहां वर्ष 2004-05 के पहले, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया हुआ करता था. वह अब हजारों में है. इसलिये सरकार उनकी जो भागीदारी की बात कर रही है, संयुक्त प्रबंधन के अंतर्गत उनकी सहभागिता बनाई है, वह काफी अच्छी बनाई है. अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां संजय टाइगर प्रोजेक्ट है. वहां 42 गांवों का विस्थापन का काम चल रहा है, लेकिन उनके लिये जो मुआवजा की राशि है, वह 10 लाख है और यह 10 लाख 2008 से पहले का निर्धारण किया हुआ है. यदि यह राशि बढ़ाने का सरकार विचार करे, तो उन गरीब आदिवासियों को, जो 42 गांव से विस्थापित होंगे, उनको लाभ मिलेगा. मंत्री जी, वहां जो पहुंचविहीन गांव हैं, वहां पर सड़कों का निर्माण पुल पुलियों के

साथ करवायेंगे, इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने बोलने के लिये समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री विजयपाल सिंह(सोहागपुर) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं. मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में 2 टाइगर छोड़ दिये हैं इसलिये मैं मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में 2 टाइगर छोडे उसके लिये धन्यवाद.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (पुष्पराजगढ़)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी समाज से आदिवासी वन क्षेत्र अमरकंटक की तराई से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं. आपका विशेष संरक्षण चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया 2 मिनिट में अपनी बात को समाप्त करें. समय का अभाव है. बिना भूमिका के बोलें.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी वेदना और पीड़ा को समझें. जिस तरीके से आदिवासी समाज का जंगल में सदियों से निवास कर रहा है. जंगल पहाडों ने रहकर के वहां के वन संपदा को आदिवासियों ने संजोकर के रखा है. आदिवासियों ने कभी भी जंगल को काटने का प्रयास नहीं किया. आज देखने में आ रहा है कि जब कभी भी जंगल और वन के ऊपर बात होती है तो आदिवासी समाज के ऊपर ऊंगली उठती है, आज भी आप जाकर के देख लें उनके गांव में जहां पर आदिवासी समाज के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनकी झोपड़ी में अगर आप जायेंगे एक भी सागौन, साल, शीशम के बैठने के लिये पटा, पीढा,मचिया भी नहीं मिलेगी, उन्होंने वन संपदा का नहीं बनाया है. वे पेड-पौधों को बच्चों की तरह मानते हैं, पेड पौधों को संजोकर रखते हैं. उसका दुरूपयोग करने की बात तो आदिवासी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है. लेकिन आज उसका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है. ईमारती लकड़ियां जंगल से गायब हो गई है, वन्य प्राणी जंगल से गायब होते जा रहे हैं. पशु पक्षी गायब होते जा रहे हैं. जब वन और जंगल की बात होती है तो इस प्रजातंत्र के मंदिर में इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये मात्र 1 घंटे का समय दिया जाता है , हम लोगों को 1 मिनिट. जबकि इस विभाग का मानव जीवन से जीवंत संबंध है . जल, जंगल और कृषि का आपस में गहरा संबंध है. आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से वनों से अवैध कटाई हो रही है, विभाग द्वारा समुचित नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है उससे वन

क्षेत्र काफी तेज गति से कम हुये हैं. वन क्षेत्र कम होने के कारण हमारे पर्यावरण पर इसका गहरा असर आया है. इसके गंभीर परिणाम भी हमें भुगतने के लिये तैयार रहना होगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ते औद्योगीकरण, बढते हुये उद्योग धंधों के कारण भी वनों का क्षेत्रफल कम हुआ है और पर्यावरण में असंतुल हुआ है. बड़े बड़े पेड़ पौधे बिना स्वीकृति के और बिना अनुमति के काटे जा रहे हैं. आदिवासी समाज जंगल में निवास करके भूमि का संजोकर रखता है और जब अपने लिये वह समाज पट्टे की बात करता है तो कह दिया जाता है कि आपको यह हक नहीं है.

अध्यक्ष महोदय--कृपया समाप्त करें.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को -- समाप्त ही कर रहा हूं. अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आदिवासी समाज को पट्टा देने की बात आती है तो कहा जाता है आपको हक नहीं है , आपका नाम नहीं है, मैं वन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह नाम चढाने वाला व्यक्ति कौन है जो उन आदिवासियों के नाम वहां पर दर्ज करे.

अध्यक्ष महोदय, 2006 में वन अधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार के द्वारा पास किया गया. और आदरणीय सोनिया गांधी जी की पहल पर यूपीए सरकार की पहल से जब आदिवासियों को पट्टा देने की बात होती है तो लोगों को चीन्ह चीन्ह कर पट्टा दिया जाता है पट्टा देने में भी प्रदेश सरकार आदिवासियों के साथ में भेदभाव कर रही है. अध्यक्ष महोदय, वे वनवासी जो मूलत: वहां पर निवास कर रहे हैं, वन मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां के ग्राम वासियों को पट्टा दिये जाने के निर्देश दें . ताकि वे सुगमता के साथ में अपना जीवन यापन कर सकें. जो आदिवासी जंगल और पहाड़ों में निवास कर रहे हैं, वहां जो वन ग्राम हैं वहां पर विद्युतिकरण की अनुमति नहीं है और बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाने के लिये अनुमति दी जा रही है. सड़क पुल पुलिया बनाने की बात की जाती है तो अनुमति नहीं दी जाती है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा वन मंत्री जी से कहना है कि वन विभाग का पूरा अमला निर्माण कार्यों में ज्यादा रूची ले रहा है. उनको तालाब बनाने के लिये, हैंड पंप खोदने के लिये, सामुदायिक भवन और सड़क निर्माण वन भूमि , रपटा, पुल पुलिया , इत्यादि में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जबकि उनका मूल

काम वनों को संरक्षित करने का है. यह गंभीर चिंता का विषय है और इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि हमको वन को संरक्षित करना है तो वन विभाग के अमले को उनके मूल काम में लगाना होगा.

अध्यक्ष महोदयए वर्ष २०१२.१३ में पूरे प्रदेश में ६ करोड़ ३८ लाख रुपये खर्च करके ५ करोड़ पौधे लगाये गयेण इसी तरह वर्ष २०१३.१४ में हरियाली महोत्सव के माध्यम से ७ करोड़ ९५ लाख पौधे लगाये गयेण मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पौधे वर्तमान में जीवित है या नहींण

अध्यक्ष महोदय.. कृपया समाप्त करेंण समय की कमी हैण

श्री फुन्देलाल मार्को.. अध्यक्षजी मैं सुझाव देना चाहता हूंण

अध्यक्ष महोदय.. आप सुझाव लिखकर दे देंण

श्री फुन्देलाल मार्को.. अध्यक्ष महोदयए १७ लाख पौधों के रोपण से संबंधित बात कह रहा हूंण वन वृत्त शहडोल में पिछले वर्ष १७ लाख पौधे एक साथ लगाये गयेण

अध्यक्ष महोदय.. श्रीमती झूमा सोलंकी अपनी बात शुरु कर दीजिएण आपकी बात हो गई हैण बैठियेण

श्री फुन्देलाल मार्को.. मैं अपने सुझाव रख ही नहीं पायाण

अध्यक्ष महोदय.. आप मंत्रीजी को सुझाव लिख कर दे देंण आपको सुझाव प्रारंभ में देना थाण कृपया सदन चलाने में सहयोग करेंण

श्रीमती झूमा सोलंकी;भीकनगांवद्ध.. अध्यक्षजीए मैं सदन में पहली बार अपनी बात रख रही हूंण मांग संख्या १० पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रख रही हूंण मैं सुझाव दे रही हूंण मेरा क्षेत्र भीकनगांव विधानसभा है जहां पर झिरन्या तहसील का आधा हिस्से में वनग्राम आते हैंण उन वनग्रामों में शत.प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैंण आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि वहां पर कुछ ही लोगों को पट्टे दिये गये हैंण ज्यादातर आदिवासी भाई छूट गये हैंण पट्टों के अभाव में उन्हें किसी तरह की कोई सहुलियत नहीं मिलती जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हैण मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को अवगत कराना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी उनके पट्टे दिये जायें और उन्हें वितरित भी कराया जायेण सहायक आयुक्त के माध्यम से पट्टे बनाये जाते हैं जो कभी १० बनते हैं तो कभी ५० बनते हैं और

उतने हितग्राहियों को बुलाकर वितरित करते हैं॰ चूंकि वहां पर शत.प्रतिशत आदिवासी भाई हैं तो सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था होना चाहिए॰

अध्यक्ष महोदयए इन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाये ताकि वहां का सुनिश्चित विकास हो सके॰ राजस्व ग्राम के अभाव में वहां पर सड़केंएतालाब और निर्माण कार्य करने में कठिनाई होती है इसलिए उनको राजस्व ग्राम घोषित किया जाये ताकि वहां का विकास हो॰

अध्यक्ष महोदयए हम २१ वीं सदी की बात करते हैं॰ मोबाईल सेवाओं से हम देश.विदेश में बात करते हैं किन्तु हमारा वह क्षेत्र छूटा है॰ वहां पर टावर नहीं लगे॰ उसके लिए अनुमति जरुरी है॰ वन विभाग के डीएफओ से अनुमति की बात आती है तो वह 'हां' तो कहते हैं लेकिन अनुमति नहीं देते हैं. मेरा निवेदन है कि इसका ध्यान रखा जाये. जो भी निर्माण संबंधी कार्य हो उसके लिए अनुमति में कोई देरी नहीं हो. उसकी अनुमति दी जाये ताकि सारे विकास के कार्य हो सकें. धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया – माननीयअध्यक्ष महोदय भोजन की व्यवस्था डॉ शेजवार जी की तरफ से कहां पर होगी....(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – उन माननीय सदस्य को बोलने दें.

श्री आशीष शर्मा (खातेगांव) – माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद्. मैं यहां पर मांगों का समर्थन करताहूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. वन प्रकृति का श्रंगार होते हैं . हमारे मध्यप्रदेश का गौरव है कि हमारे मध्यप्रदेश के पास में सबसे समृद्ध वन है. मैं देवास जिले से आता हूं वहां पर भी वनों की सघनता है. हमारे खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में खिवनी अभ्यारण्य करके स्थान है. वहां पर बड़ी संख्या में वन्य प्राणी हैं तेंदूआ, चीतल, नीलगाय, मोर और भी बहुत से वन्य प्राणियों की प्रजाति वहां पर निवास करती हैं. उस अभ्यारण्य में एक खिवनी नाम का वन ग्राम भी है वहां का विस्थापन का प्रस्ताव विभाग के पास में लंबित है. मैं मांग करता हूं कि वहां पर जो आदिवासी निवास करते हैं उनको 15 लाख रूपये प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा दिया जाय ताकि उनका विस्थापन सुनिश्चित हो सके. दूसके उस खिवनी अभ्यारण्य में अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ी समस्या है. मैं विभाग से मांग करना चाहता हूं कि वहां पर अगर तार फेंसिंग की व्यवस्था की जाय तो वहां पर वन्यप्राणियों के संरक्षण केलिए भी अच्छा काम होगा और अतिक्रमण पर रोक लगेगी. हमारे यहां पर बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवार निवास करतेहैं. उनको प्रतिवर्ष अपने बर्तनों के निर्माण के लिए जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होती है विभाग ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे वहां पर उन लोगों को बर्तन बनाने के लिए जलाऊ लकड़ी उपलब्ध हो सके, वह भी उचित दर पर. हमारे यहां पर काला मृग पाया जाता है जिसे मध्यप्रदेश में एक दुर्लभ प्रजाति के रूप में देखा जाता है. इस वर्ष की गर्मियों में बहुत सारे हिरणों की मृत्यु लू के कारण और जल के अभाव के कारण हो गई है. उनके संरक्षण के लिए भी कुछ विशेष प्रयास किये जाय, जिससे काला मृग और हिरणों की प्रजाति को सुरक्षित रखा जा सके, साथ ही खिवनी अभ्यारण्य में पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं वहां पर अगर वन्य प्राणियों का उचित संरक्षण किया जायेगा तो मुझे विश्वास है कि दूर दूर से पर्यटक वहां की प्रजातियों को देखने के लिए आ सकेंगे. हमारे विधान सभा क्षेत्र में बिजवाड़ रेंज है वहां पर टाइगर पाया जाता है उस रेंज में हाल ही में टाइगर को देखा गया है इस बात की

भी पुष्टि है कि वहां पर बड़ी मात्रा में टाइगर होसकते हैं. इसलिए टाइगर के संरक्षण के लिए भी वहां पर कार्ययोजना बनाने की आवश्यकताहै.

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहनाचाहता हूं कि हमारे यहां पर खिवनी अभ्यारण्य में प्राचीन देव स्थान भी है और झरने भी बड़ी संख्या में हैं . यदि खिवनी अभ्यारण्य का विकास ईको पर्यटन के रूप में किया जाय तो वहां पर पर्यटन के माध्यम से आय का प्रचूर साधन विकसित हो सकताहै. वन मंत्री जी ने इस बजट में किसान लक्ष्मी योजना प्रारम्भ की है इस योजना से निजी किसान हैं उनके खेतों परबड़ी संख्या में वृक्षारोपण होगा मैंचाहता हूं किइसमें यह सुनिश्चित किया जाय कि जिस किसान के खेत में यह पौधारोपण हो रहाहै वह उसकी वृद्धि को सुनिश्चित करे और उस पेड़ की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे इसके लिए भी विभाग कोई कार्ययोजना प्रस्तुत करे जिससे वृक्षारोपण निजी क्षेत्र में बढ़ सके. जिन किसानों ने अपने खेत में निजी वन खड़े हैं उनको कटवाने के लिए मालिक मकबूजा प्रकरण में लकड़ियां कटवायी हैं बहुत दिनों से उनके भुगतान लंबित हैं. कई किसान मेरे पास में भी व्यक्तिगत रूप से समस्या को लेकर के आये थे इसलिए हमारे खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में ऐसे जितने भी प्रकरणों में भुगतान शेष है उस भुगतान को किया जाय. माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन बार बोलने के प्रयास करने के बाद में आज बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं.

श्री ओमकार सिंह मरकाम (डिण्डोरी) - अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं. माननीय मंत्री जी को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं. मेरे क्षेत्र में बहुत घनी मात्रा में जंगल है. सरई के जंगल और विभिन्न औषधियुक्त पेड़-पौधे पाये जाते हैं. वहां पर शेर, चीता, रीछ और तमाम प्रकार के जानवर भी पाये जाते हैं. परन्तु गर्मी के दिन में वे जानवर पीने के पानी तलाश में उस जगह जाते हैं, जहां पर पानी रहता है तो वहां पर शिकारी बैठे रहते हैं और उनका शिकार कर ले जाते हैं. वन विभाग के द्वारा कहीं पर भी जल संरक्षण के लिए या उन जानवरों की आवश्यकता अनुरूप जल कैसे उनको मिल सके, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है.

मेरा पहला सुझाव माननीय मंत्री जी से है कि जंगल में अधिक मात्रा में जल संवर्धन करके और जल स्रोतों के लिए कार्य करके, जानवरों को गर्मी के दिन में अन्य स्थानों पर भी जल मिल सके ताकि जहां निश्चित जगह में वे इकट्ठा होते रहते हैं और वहां शिकारी आसानी से उनको मार लेते हैं, ऐसी समस्याओं से निजात मिल सके. अमरकंटक में टिकरमअमरखंडी है, वहां पर प्रतिवर्ष बंदर पानी के अभाव में मर जाते हैं.

मेरा सुझाव है कि जैसे अमरकंटक से जबलपुर के मार्ग में बंदर रास्ते में भी आ जाते हैं और वे एक्सीडेंट में मर जाते हैं. मैंने अधिकारियों से निवेदन किया है कि बंदरों के लिए पानी की व्यवस्था और गाड़ियों से बंदर कई प्रकार के फल और खाने की चीजें लेते हैं, उनके लिए एक जगह सुनिश्चित कर दिया जाय. अगर यदि यह कर देंगे तो बंदरों की अचानक गाड़ियों से जो मौत हो जाती है, उनसे उन्हें बचाया जा सकता है. वन विभाग के लोग जंगल में आग लगने पर जो लापरवाही बरतते हैं, उसमें मैं समझता हूं कि हमारे जिले में हजारों एकड़ जंगल आग की चपेट में आ जाते हैं, वह बचाने के लिए आपको विशेष रूप से प्रयास करने की जरूरत है. वनग्रामों में जो लोग बसे हैं, उनके लिए बड़ा संकट है कि उन ग्रामों से इमारती लकड़ी काटकर बाहर बेच दी जाती है. वहां के लोगों के लिए इमारती लकड़ी का खुल्लो जो कि गोल होता है और छोटा सा रहता है, जिसको घुन लग जाती है, वह सिर्फ उपलब्ध रहता है. इमारती लकड़ी की डिण्डोरी में जो कस्बे वाले ग्राम हैं वहां भी जरूरत रहती है. परन्तु जिले में एक जगह लकड़ी काटकर स्टोर कर लेते हैं, वहां से लकड़ी नीलाम कर दी जाती है और बाहर के जो ठेकेदार वे लकड़ी को क्रय करके ले जाते हैं. जबकि जिले के लोगों की जरूरत के लिए वहां के लोग रात-दिन प्रयास करते हैं, फिर उन पर चोरी के प्रकरण दर्ज किये जाते हैं. दोहरी उनके ऊपर मार पड़ती है. मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जम्मू-कश्मीर में सेव फल फलता है तो उनको सस्ते दामों पर वहां मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है. परन्तु हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास में इमारती लकड़ी है, उसको वहां से काट लिया जाता है और बाहर के ठेकेदार उसको ले जाते हैं. परन्तु वह लकड़ी वहां के लोगों को नहीं मिलती है. मैंने वहां पर स्वयं निवेदन किया कि जिस दर पर आप ठेकेदारों को लकड़ी देते हैं, उसी दर पर जिले के लोगों को लकड़ी दी जाय. अगर वहां के लोगों को आप लकड़ी देंगे तो जो रात में चोरियों की घटना होती है, वह बिल्कुल बंद हो जाएगी. जो वहां की लकड़ी है उससे चार गुना ज्यादा मूल्य का प्रयास रात में लकड़ी लाने में लगता है. मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जितनी इमारती लकड़ी वहां से निकालते हैं, सबसे पहले वहां वनग्राम में बसे लोगों को उसी दर में दें, जिस दर में आप बाकी जगह विक्रय करते हैं. एक बार आप यह प्रयोग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा. वहां यह बहुत बड़ी समस्या है. वन विभाग के लोग वहां अनावश्यक रूप से वनग्राम वालों को परेशान करते हैं. मेरा निवेदन है कि वनग्रामों में जो लोग निवासरत् हैं उन लोगों के पास वन विभाग ने

आज तक कभी भी इमारती लकड़ी का पौधारोपण नहीं कराया. अपनी फेंसिंग लगा लेंगे. परन्तु जो लोग वहां पर रहते हैं अगर उनके पास इमारती लकड़ी का पौधारोपण करा दें तो 5-10 साल में वह लकड़ी बड़ी हो जाएगी और उनकी जरूरत के लिए स्वयं लकड़ी निकल आएगी. उनकी जो मेढ़ हैं, उन पर यदि पौधारोपण करा दिया जाय और जो फलदार वृक्ष हैं जैसे नींबू, कटहल, आम, जामुन हैं, यदि ये फलदार वृक्ष वनग्राम के लोगों के पास में लगा देते हैं तो वहां पर पेड़ भी अच्छे तैयार होंगे और उनसे जो लाभ मिलेगा, फल आने के बाद जो विक्रय होगा, उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी संपन्न होगी. मेरा यह भी सुझाव है कि वनग्राम में जितने भी घर निवासरत् हैं, उनको अनिवार्य रूप से वन विभाग के माध्यम से अच्छे क्वालिटी की इमारती लकड़ी मिल सके और ऐसे पौधे जिनसे फल मिल सके, जिससे मार्केट में उनको अच्छा पैसा मिले.

ऐसे प्रयास यदि आप वनग्राम के लोगों के लिए करेंगे तो उनको जीवनयापन करने के लिए बहुत बड़ा सहारा मिलेगा. अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं –समनापुर से अमरकंटक. ये जो हमने अंदर मार्ग निकाला है जिसमें वन विभाग के माध्यम से हमारे मध्यप्रदेश की परिधि में जो आता है उसमें तो हमने आईएबीसी रोड़ बना दिया है पर छत्तीसगढ़ की सीमा वाले, वो वहां पर अनुमति नहीं दे रहे हैं. दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर की जो उनकी परिधि में हमारे एरिया में आता है वह अनुमति नहीं दे रहे हैं और जो हमने रोड़ बनाई है उसमें आकर के वहां के अधिकारी पूरी तरह से अपने जंगल को देख रहे हैं , उसमें हमने 16 करोड़ की भी स्वीकृति दी थी , चौरादादर से अमरकंटक के बीच में.माननीय मंत्री जी, 12 किलोमीटर वे हमारी सड़क में आते हैं पर तीन किलोमीटर की अनुमति नहीं दी है. स्वीकृत होकर पड़ा हुआ है, राशि हमारे पास पड़ी हुई है. मेरा निवेदन यह है कि या तो वे हमारे यहां निर्माण करके वे अपनी तरफ से दें और अगर नहीं देते हैं तो 12 किलोमीटर जो हमारा जंगल है हमारे वहां के लोग चाह रहे है कि वे अगर अनुमति नहीं दे रहे हैं तो जो हमारी सड़क में भी वे यहां पर उपयोग करने आते हैं. यह उनकी नीति बिलकुल ठीक नहीं है. उसमें उनके जंगल की भी सुरक्षा होगी. मेरा मंत्री जी से निवेदन है, छत्तीसगढ़ में आपकी ही सरकार है . मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि वनग्रामों के अंदर जो पट्टा वितरण कार्य है जिसमें वन अधिकार कमेटी जो बनाई गई है न उसके अध्यक्ष का पता है और आपके माध्यम से जो दावे फार्म की प्रक्रिया पूरी करनी थी उसमें वन्या प्रकाशन आपके मध्यप्रदेश से गया वह कहीं नहीं गया और न कहीं दिखा

है और वन्या प्रकाशन के माध्यम से जो जानकारी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई है. इसलिए आज भी मेरे क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा जनजाति के लोग वनग्रामों के अंदर निवासरत हैं. आज भी वहां के 25 से 30 प्रतिशत लोगों को पट्टा मिला है बाकी लोगों को नहीं मिला है. अभी हमारे वहां माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जी का थारपत्रा में विजिट था. उनके सामने हजारों का तादाद में ग्राम के लोगों ने आवेदन दिये. मै निवेदन करता हूं कि पट्टा वितरण के कार्य हेतु भोपाल से आप एक कमेटी बना कर भेजें यही मैं कहना चाहता हूं. अध्यक्ष जी आपने जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर(खरगापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश सहित मेरे खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में अदिवासियों के परिवार वनभूमि पर लंबे समय से काबिज होकर अपना जीवनयापन करते थे. अध्यक्ष जी,उस क्षेत्र के लोगों के सामने समस्याओं का अंबार आ गया है. टीकमगढ़ जिले में वन विभाग की उदासीनता एवं लचार व्यवस्था के चलते वन समितियों के अध्यक्ष, 100 से 200 एकड़ भूमि पर काबिज होकर फसल पैदा कर रहे हैं. यह मामला ग्राम सरी विकासखंड पलेरा का है जो प्रकाश में आया है. इस तरह के कई मामले जिले में हैं. वन समितियों के अध्यक्ष वन भूमि पर काबिज हैं और सरी वन समिति तथा वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी गरीब आदिवासियों को वनभूमि से बेदखल करने की कार्यवाही करते हैं. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी. यह एक जांच का विषय भी है, गरीब आदिवासियों के हक को न छीना जाय एवं पूरे प्रदेश में वनभूमि पर काबिज आदिवासी परिवारों को पट्टे दिये जाने का प्रावधान किया जाय. आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्रीमती शीला त्यागी(मनगवां)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 10 एवं 71 का विरोध करती हूं और कटौती प्रस्तावों का समर्थन करती हूं. वन विभाग के आरक्षित क्षेत्रों में जहाँ फारेस्ट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा मिलीभगत के कारण जंगलों का बड़े पैमाने पर सफाया हो रहा है वहीं वन विभाग के तेंदूपत्ता के तोड़ने वाले मजदूरों की मजदूरी की व्यवस्था है, बोनस की व्यवस्था है लेकिन जब वह वन में तेंदूपत्ता तोड़ने जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की और पीने की पानी की व्यवस्था का कोई

प्रावधान बजट में नहीं है. माननीय अध्यक्ष , मेरे रीवा जिले के मनगवां, त्यौंथर, सिरमौर , मऊगंज में नीलगाय, जिसे हम बघेली भाषा में रोज भी कहते हैं, उसका बड़ा आंतक व प्रकोप है. इसके पहले भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैंने यह बात रखी थी कि हमारे रीवा जिले का जो तराई अंचल है खासकर मेरी मनगवां विधानसभा क्षेत्र में 60-70 ऐसे गांव हैं , जो नीलगाय के आंतक से हमेशा प्रभावित रहते हैं और इसके लिए हमने बार-बार शासन व प्रशासन को अवगत कराया है . माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आज मंत्री जी को इस बात से अवगत कराना चाहती हूं कि जब मैं क्षेत्र में जाती हूं तो लोग मुझसे यही कहते हैं कि हमको पानी व बिजली नहीं चाहिए बस हमारे खेतों की सुरक्षा चाहिए और वन विभाग के द्वारा आज तक कोई भी प्रबंध इस दिशा में नहीं किया गया है . मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमारे गरीब किसानों की जो कृषि भूमि है वह मानसून का जुआ है, इसके बाद जंगली जानवरों खासकर नीलगाय के द्वारा जो आंतक फैला हुआ है , वह फसल पूरी तरह से चट कर जाती हैं इसके बाद किसानों के पास हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं रह जाता है .

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव और देना चाहती हूं कि वन विभाग में जानवरों के पेयजल के लिए और नये वृक्षारोपण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. खासकर हमारे मनगवां विधानसभा से जो लगे हुए क्षेत्र हैं, सुहागी का पठार है, नईगढ़ी वाला जो बेल्ट है वहाँ पर वृक्षारोपण की कोई व्यवस्था नहीं है. आज तक रीवा जिले में जो भी वृक्षारोपण के कार्य वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा हुए हैं वह सिर्फ पन्नों में हैं वहाँ पर हकीकत में कुछ नहीं है. चूंकि मैं पहली बार जीतकर आई हूं. मुझमें काम करने का जुनून और जज्बा है. जो मैंने आज तक सुना और जाना है, हमारे जितने माननीय सदस्यगण हैं, इन सभी के क्षेत्र में समस्यायें हैं. लेकिन खासकर रीवा जिले के तराई अंचल में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है और गरीब तबके के लोग जो छोटी –मोटी सूखी लकड़ियाँ गिर जाती हैं वह ले जाते हैं तो वन विभाग द्वारा रोका जाता है लेकिन जो अवैध कटाई हो जाती है उसको नहीं रोका जाता है . मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि गरीबों को ना सताया जाये बल्कि जो वन

माफियों के द्वारा जो अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा जंगलों का सफाया हो रहा है , जो इमारती लकड़ी का सत्यानाश कर रहे हैं और जो नये पौधों को काट रहे हैं , यह वह लोग हैं जो समाज में अपना बड़ा वरिष्ठ स्थान रखते है और इन भ्रष्टाचारी लोगों के लिए कोई न कोई प्रावधान किया जाना चाहिए, सख्त नियम बनाये जाना चाहिए और मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति वनों पर निर्भर है, हमारा जीवन वनों पर निर्भर है और यदि हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं और पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो जो नियम बनाये गये हैं उन नियमों का सख्ती से पालन करें और तब ही हमारी आने वाली पीढ़ी हमको याद करेगी अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी . आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री आर.डी.प्रजापति(चंदला)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 10 और 71 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं. मैं आपका संरक्षण चाहता हूं . मैं इसी विषय पर सदन में चुनकर आया हूं. अध्यक्ष महोदय, मैं केवल समस्या के बारे में बता देना चाहता हूं. हमारी सरकार ने जो काम किया है उसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में 15 से 20 हजार की जनसंख्या रोजों की है और 70 से 80 परसेंट लोग केवल इसी के कारण पलायन करते हैं और जो मैं चुनाव जीतकर आया हूं कि मैं इसका निराकरण कराऊँगा . मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 15 सालों का वहाँ का इतिहास देख लीजिये

पेपर देख लीजिए. 15 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ चूँकि मैं कृषि से पास हूँ, एमएससी एजी हूँ इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिस तरह से मानव की जनसंख्या बढ़ती है उससे चौगुनी जनसंख्या इन नील गायों की बढ़ती है. एक नील गाय एक साल में चार बच्चे पैदा करती है. अगर एक हजार नील गाय हैं तो एक साल में चार हजार नील गाय बढ़ती हैं. मेरे यहाँ पलायन सबसे ज्यादा होता है तो केवल नील गाय से होता है. अगर नील गाय की समस्या हल हो जाए तो किसानी रहेगी, अगर नील गाय की संख्या में रुकावट नहीं होती है, उनको कहीं नहीं भेजा जाता है, उनके लिए कोई उपाय नहीं किए जाते हैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सर्वे करवा लीजिए, पूरा का पूरा क्षेत्र 10 साल के अन्दर एक भी आदमी नहीं रहेगा, पूरा पलायन कर जाएगा. अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन है कि फसल तो पूरी नष्ट हो रही है, किसान

पलायन कर रहे हैं लेकिन एक हमारे फॉरेस्ट की अधिकारी हैं बासु कनोजिया जी, उनका किसानों में इतना आतंक है कि उनके पूरे के पूरे घर नष्ट कर रही हैं. बगैर सूचना दिए, इतना आतंक, और उन गरीबों का जिनके पास जमीन नहीं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं, जो 50-50 साल से रह रहे हैं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें. आतंक की बात हो गई...(व्यवधान)..जो आप नील गाय वाली बात रखना चाहते थे वह आ गई है.

श्री आर.डी.प्रजापति-- मेरा निवेदन है कि नील गायों से छुटकारा मिल जाए और उस मेडम से छुटकारा मिल जाए. बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री जालम सिंह पटेल(नरसिंहपुर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 10 और 71 का समर्थन करता हूँ और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूँ. जैसी कि यहाँ चर्चा चल रही है जल, जंगल, जमीन, जानवर, जो हमारी अवधारणा है आदिवासी वन्य जीव-जीव का आधार, आधार है, आहार नहीं और यहाँ भी अभी यह बात चल रही थी कि जानवर है, हमारा ईको सिस्टम है, ईको सिस्टम अगर खत्म हो जाएगा तो हम ही सिर्फ बचेंगे और बहुत सारी विसंगतियाँ होंगी. मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष आदरणीय गडकरी जी ने एक किसान मेला लगाया था. वहाँ गया था वहाँ देखा था कि सोलर लाइट से डीसी करंट की एक तारवाड़ी बन रही है. जिसमें जानवर मरता नहीं है, उसको सामान्य सा करंट लगता है और वह वहाँ से वापस हो जाता है. मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उस पर जरूर विचार करें और संयुक्त रूप से विचार करें यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा. इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक निवेदन करूँगा कि सभी सदस्यों ने बढ़ती हुई नील गायों के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है. एक वर्ष में नील गाय दो बार बच्चे पैदा करती है. नील गायों से कैसे मुक्ति दिला सकते हैं....

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी बताएँगे. आप सभी सदस्यों की बातें आ गई हैं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अध्यक्ष महोदय, आपके सीधेपन के कारण इस सदन के सभी सदस्यों का बहुत नुकसान हो रहा है.रोहाणी जी जब अध्यक्ष थे, जब वन मंत्री अगर बजट रख रहे हैं तो सब सदस्यों के

पास शहद पहुँचता था, वन औषधि पहुँचती थी, आप कुछ चमकाते नहीं हैं और यह मंत्री उसका लाभ उठा रहे हैं और सब सदस्यों का नुकसान हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय-- वे नील गाय पहुँचा देंगे.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अध्यक्ष जी, मैं सीरियसली कह रहा हूँ. यह परंपरा रही है.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय मंत्री जी कल जवाब देना चाहते थे, कल पहुँचाने की और भोजन की भी बात कर रहे थे, अनुमति हो जाए तो कल....

अध्यक्ष महोदय-- जवाब आज ले लें बाकी बातें कल कर लेंगे...(व्यवधान)..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- काल करे सो आज कर....(व्यवधान)..

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अध्यक्ष जी, जो सदन की परंपरा है उसका निर्वहन हो.

वन मंत्री (डॉ.गौरीशंकर शेजवार)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी पर विराजमान हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद. उपाध्यक्ष जी सदन में हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद. वन विभाग की मांगों पर जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है....

माननीय श्री उमंग सिंगार जी, माननीय मानवेन्द्र सिंह जी, माननीय विक्रम सिंह नातीराजा, माननीय श्री दुर्गालाल विजय, माननीय कैलाश जाटव जी जो अनुपस्थित रहे, माननीय वैल सिंह भूरिया जी, माननीय रुस्तम सिंह जी, माननीय श्री रामनिवास रावत जी, माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी, माननीय फुन्देलाल मार्को जी, माननीय चन्द्रशेखर देशमुख जी, माननीया श्रीमती झूमा सोलंकी जी, माननीय आशीष शर्मा जी, माननीय ओमकार सिंह मरकाम जी, माननीया श्रीमती चन्द्रा गौर जी, माननीय श्रीमती शीला त्यागी जी, माननीय प्रजापति जी और माननीय जालम सिंह जी.

अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ. साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जी का भी आभार मानता हूँ जिन्होंने एक अच्छी बात कही बाकी सबने सारगर्भित सुझाव दिये. सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि भाषण करने के बाद जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अच्छे और लंबे भाषण किये वे सभी सदन में मौजूद हैं.सदन में सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि मांगों पर जब चर्चा

होती है तो भाषण करने के बाद बहुत लोग चले जाते हैं लेकिन इस बात के लिये आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहां उपस्थित हैं.

अध्यक्ष महोदय, कैलाश जी की बात पर यदि मैं तत्काल जवाब नहीं दूंगा तो वह बात रह जायेगी. वन विभाग में हमारा जो लघु वनोपज संघ है और यहां जो विन्ध्या हर्बल है उनकी तरफ से माननीय सदस्यों को शहद, चिरोंजी और कैलाश जी ने जो लिस्ट दी है उसमें से जो भी उपलब्ध होगा देंगे. हम क्या करते हैं, हमारी लघु उपज संघ क्या काम करती है यह जो छोटी सी भेंट हम आपको देंगे उसके माध्यम से आपको बता सकेंगे. एक हिसाब से हमारा स्वार्थ इसमें यह है कि अपना प्रचार-प्रसार और हमारी उपलब्धियां उस भेंट के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं.

अध्यक्ष महोदय, कैलाश जी शेर-शेर की बात करते हैं और इन्होंने मुझसे भी कहा कि शेजवार जी आप तो शेर हैं तो मैंने कहा कि भई शेर तो हूं लेकिन पिंजरे का हूं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—शेर जंगल में रहे या पिंजरे में रहे शेर तो शेर ही होता है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं निश्चित रुप से विभाग उन पर विचार करेगा. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मध्यप्रदेश में कुल वन क्षेत्र राज्य के भू-भाग का 31 प्रतिशत है. देश में यदि हम इसका आंकलन करें तो देश में जितना वन क्षेत्र है उसका 12 प्रतिशत मध्यप्रदेश में है. वर्ष 2013-14 में विभाग का जो वर्किंग प्लान है उसके अन्तर्गत वन संरक्षण, पुनरउत्पादन और पुनरस्थापना का काम वन विभाग करता है और इस साल 3 लाख 61 हजार 28 हेक्टेयर क्षेत्र में यह काम कराया गया है. जो चालू वर्ष है इसमें हम

अध्यक्ष महोदय, यह जो चालू वर्ष है इसमें हम 3 लाख, 70 हजार हैक्टेयर में यह सब कार्य करेंगे और इसकी और इसकी अच्छे से मानीटरिंग करेंगे। हरियाली महोत्सव के बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें कोई कहीं कोई प्रतिर्स्पधा नहीं है कि हम गिनीज बुक आफॅ वर्ल्ड रिकार्ड में हम अपना नाम लिखायें। लेकिन हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो और ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण का संरक्षण कर सकें और प्रदूषण को हम समाप्त कर सकें। यहां वह प्रदूषण नहीं है जो आपने फैलाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य एक ही दिन में एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसमें यह आरोप लगाया कि जो हम जमीन का

चयन कर रहे हैं वह कहीं निस्तारी जमीन है या वो जमीन है जिस पर लोग खेती किसानों करते हैं, यह बात सत्य नहीं है। इसमें हमने केवल उस जमीन का चयन किया है जो जमीन खाली है। हमारे शासकीय संस्थान के आसपास की जो जमीन है , इनमें वृक्षारोपण करेंगे और जो हमारे महाविद्यालय हैं, स्कूल हैं इनके आसपास वृक्षारोपण करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि लोग कम से कम उनके संरक्षण के विचार करें और उन पौधों की देखरेख करें और आवश्यकता पड़ने पर यदि पानी की आवश्यकता है तो पानी भी दें।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमने हरियाली महोत्सव ज्यादा दिन तक मनाया था और इसमें हमने 7 करोड़, 96 लाख पौधारोपण किया था और इन पौधों का हमने वितरण किया था और इसके परीणाम अच्छे हैं और ज्यादा पौधे अभी जीवित हैं और जो उसका मानदण्ड है जितने प्रतिशत पौधों को हम जीवित रखना चाहते हैं या सामान्य रूप से जलवायु केआधार पर जो पौधे नष्ट हो जाते हैं। उसके हिसाब से निश्चित रूप से जीवित पौधों की संख्या अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, निजी राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण और वृक्ष आच्छादित करने के क्षेत्र को वैज्ञानिक ढ़ग से उसका प्रबंधन कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में बांस वनों का विकास जनआंदोलन के रूप में हम करना चाहते हैं और इस कार्यवाही के लिये जो बांस वन है उनके लिये जो वन प्रबंधन समितियां हैं उनके माध्यम से यह सब काम हम करवा रहे हैं इसके लिये मध्यप्रदेश बांस मिशन एक सोसायिटी इसमें बनायी हैं, मध्यप्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का भी गठन किया है। बांस बहुत आवश्यक है और इससे कमजोर वर्ग के जो गरीब लोग हैं वह इससे जुड़े हुए हैं। उनको पर्याप्त मात्रा में बांस नहीं मिल पाता, सरकार की यह पहल है कि जितनी उनको बांस की आवश्यकता है निश्चित रूप से हम उनको बांस की पूर्ति करें। हमने ये जो दो समितियां बनायी हैं इसमें अलग से जो अधिकारी और नीचे तक इस काम को पहुंचा रहे हैं तो कुछ सालों के बाद जितनी बांस की आवश्यकता है निश्चित रूप से हम उसको पूरा कर पायेंगे। जहां हमने एक तरफ यहां जो कार्यक्रम चलायें हैं, इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये एक बहुत बड़े अमले की आवश्यकता है । विभाग में हम कई बार प्रमोशन और नियुक्तियों के मामले में कहीं न कहीं विभाग पीछे रह जाते हैं जब तक विभाग में काम करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे तब तक विभागों में नीतियों का प्रोग्राम का और कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होगा। इसके लिये विभाग में जो रिक्त पद थे, उसके लिये वनकर्मियों की पदोन्नति पर हमने विशेष ध्यान दिया है।

वर्ष 2012 में 1252 तथा वर्ष 2013 में 1765 वन रक्षकों की हमने सीधी भर्ती की है। इसी प्रकार 2012 में 90 तथा वर्ष 2013 में 85 अनुकंपा नियुक्तियों हमने दी हैं।

प्रकरणों में सैद्धांतिक सहमति हमने प्रदान की है. वर्ष 2014 में सहायक ग्रेड-तीन की अनुसूचित जाति,जनजाति के 42 पदों की हमने भर्ती की है.

श्री रामनिवास रावत – भर्ती तो व्यापम से ही की है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – अध्यक्ष महोदय, अब ये नींद में भी ये व्यापम व्यापम चिल्ला रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत – उसमें यह भी जांच के घेरे में है.

डॉ.गौरीशंकरशेजवार – इसका कारण यह नहीं है कि व्यापम में कहीं कोई कमी हुई है बल्कि वास्तविकता यह है कि वह जो मुख्यमंत्री और इनके नेता की नोटशीटें हमने सर्कुलेट की हैं कि दुनियां के नियम शिथिल करके, अरे आप कलेक्टर भी बना देते तो भी आज कम से कम पकड़ाते.

श्री रामनिवास रावत – आपके शासनकाल में भी हुई हैं.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार - अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा वर्ष 2013 में 973 विभिन्न पदों पर कार्यरत् वन कर्मियों की लिपिकीय कर्मचारियों के रूप में पदोन्नती की है. मानचित्रकारों को भी हमने दिया है इसके बाद वन रक्षक के 44 पद भरे हैं. पदों के भरने के बाद जो आधुनिक तकनीक है और सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में संचार प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में वन विभाग अपना राष्ट्रीय स्तर पर हमने पुरस्कार मिले हैं. कई राज्यों के वन कर्मी और अधिकारी हमारे यहां मध्यप्रदेश में आकर सूचना संचार प्रोद्योगिकी का प्रशिक्षण लेकर हमारे यहां से जा रहे हैं. केरल,गुजरात,उत्तर प्रदेश आदि के अधिकारियों को तकनीकी मार्गदर्शन मध्यप्रदेश दे रहा है. यह प्रदेश के लिये बड़े गर्व की बात है. प्रदेश के वनों में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन और अतिक्रमण इसके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार यहां रखे हैं. भारतीय वन अधिनिमय,1927 में 14 संशोधन किये हैं तथा इसका वन संरक्षण की दृष्टि से अधिक प्रभाव पड़ा है और अवैध कटाई,उत्खनन और अतिक्रमण रोकने में हम सफल हुए हैं. जुर्माने की राशि 1 हजार रुपये से बढ़ाकर हमने 15 हजार कम से कम जुर्माना किया है इसके कारण कम से कम चोर सभयभीत हैं और इस काम से दूर जा रहे हैं. जहां संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां हमने 323 वन चौकियां स्थापित की हैं. 387 बेरियर तथा 53

अंतर्राज्यीय बेरियरों की हमने अवैध चोरी और उत्खनन रोकने के लिये स्थापित किये हैं. वन सुरक्षा हेतु मैदानी अमले को हमने हथियारों से सुसज्जित किया है. 12 बोर की 3157 नयी बंदूकें इनको दी हैं. 900 वायनाकुलर दिये हैं. 4266 वायरलेस नये दिये हैं. 5500 मोबाईल सिम दी हैं. 2946 मोबाईल हैंडसेट दिये हैं. 900 पी.डी.ए. दिये हैं. पी.डी.ए. के बारे में कुछ सदस्यों ने कमेंट्स किये हैं. अब मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन आरोप निराधार है. वन क्षेत्रपालों को 136 रिवाल्वर हमने उपलब्ध कराई हैं. इसी प्रखार विभाग में विशेष सशस्त्र बल की 3 कंपनियां हमारे विभाग में गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं. मध्यप्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन के कांसेप्ट को हमने मजबूत किया है और आगे बढ़ाया है. इसमें 9650 ग्राम वन समितियां हैं. 4747 वन सुरक्षा समितियां और 8301 ईको विकास समितियां हैं.

जो बिगड़े एवं निम्न स्तर के वन हैं उस क्षेत्र में ग्राम समितियां काम करती हैं जो सघन वन हैं उनमें वन सुरक्षा समितियां काम करती हैं. ईको विकास समिति जो हमारे अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क हैं इनमें यह समितियां काम करती हैं. मध्यप्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन की दृष्टि से इन समितियों की संख्या 15 हजार 228 है वन समितियों को अलग अलग लाभांश दिया जाता है. पांच वर्ष में समिति को दिया गया कास्ट एवं बांस के लाभांस की जानकारी है मैं इसको संक्षेप करने की दृष्टि से पढ़ देता हूं. 2008-09 में 11 करोड़ 99 हजार यह लाभांश है कास्ट का और बांस से लाभांश है 23 लाख 92 हजार, 2011-12 का आखिरी में पढ़ देता हूं. 2011-12 में 17.98 करोड़ का लाभांश दिया कास्ट से और बांस से 8 करोड़ 76 लाख का लाभांश, 2012-13 में 21 करोड़ 66 लाख का लाभांश कास्ट से मिला और 14 करोड़ 94 लाख का लाभांश जो है बांस से मिला. प्रदेश में वनों में रहने वाले निवासियों का वनोपज पर पहला अधिकार होता है समितियों के बारे में बताना चाहता हूं जो वन समितियां हैं पिछले माह में हमने इनके प्रशिक्षण शिविर करवाये और इन प्रशिक्षिण शिविर में इनको इस बात के लिये बताया गया कि यह बांस आपके हैं, यह सागोन आपके हैं, यह जंगल आपका है इसमें जो उत्पादन होता है, यह सब आपका है इसको हमने प्रमाणित किया कि जो मालिक होता है उसको लाभ का अंश मिलता है, हम तेन्दू-पत्ते, कास्ट और बांस में हम लाभांश दे रहे हैं तो जब आपको लाभ का अंश मिल रहा है इसका मतलब मालिक आप हैं तब तक वन क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति आदिवासी यह महसूस नहीं करेगा कि यह जंगल मेरे हैं तब तक उसकी वह रक्षा नहीं करेगा आज वह

एहसास कर रहा है और महसूस कर रहा है जब मुझे तेन्दू-पत्ते में, कास्ट में, बांस में लाभांश मिल रहा है तो निश्चित रूप से इसका मालिक में हूं इसलिये आज वनों की रक्षा के लिये वह अपने आपको आहूत कर रहा है यह वन विभाग की संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से बहुत बड़ी सफलता है.

अध्यक्ष महोदय, निस्तार के बारे में कई माननीय सदस्यों ने बात हमारे सामने रखी है निस्तार की लकड़ी तथा बांस उपलब्ध करवाना बराबर विभाग की जिम्मेदारी है और उसका आवश्यकता के हिसाब से 100 प्रतिशत तो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास यथासंभव बहुत अच्छा है. हम निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीणों को बांस बल्ली तथा जलाऊ चट्टे प्रदाय किये जाते हैं. 2014 में निस्तार के तहत 60 लाख बांस, 1 लाख 50 हजार नग बल्ली तथा 90 हजार जलाऊ चट्टे ग्रामीण क्षेत्र में हमने उपलब्ध करवाए हैं.

जैसी-जैसी हमारी उपलब्धता बढ़ेगी, हम इसमें प्रयास करेंगे कि निस्तार की व्यवस्था का हम और ज्यादा इंतजाम कर सकें, अध्यक्ष महोदय, वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से राजस्व अर्जन में हमारी उपलब्धि है. माननीय अध्यक्ष महोदय, कर भिन्न राजस्व में वन विभाग का भी एक नाम है. वन विभाग से हमें जो लाभ होता है, वह शासन के राजस्व में जुड़ता है, हमने इसमें वृद्धि की है. 2006-07 तक वार्षिक राजस्व लगभग 500 करोड़ होता था, वही वित्तीय वर्ष 2013-14 में वनों से 1,104 करोड़ 82 लाख रूपये राजस्व में जो आय है, उसमें हमने बढ़ाई है अध्यक्ष महोदय, अब एक जो रोचक विषय है, उस पर आना चाहता हूं.

श्री कैलाश विजय वर्गीय--सर, आपका तो खड़े होना ही रोचक है .

डॉ. गौरीशंकर शैजवार--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां सदन को बताना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में जो भ्रमण के लिये बेहतर सुविधायें हमने उपलब्ध कराई हैं, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और अभ्यारण्य यह अलग-अलग श्रेणी के हमारे पार्क हैं और दुनिया में यह जाने जाते हैं, विश्व स्तर के हमारे नेशनल पार्क यहां पर हैं और टाइगर रिजर्व हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अफ्रीका गये थे, वहां जब उन्होंने वहां अफ्रीका के जो आफिसर्स हैं और अन्य लोग हैं, उन्होंने यहां के पन्ना की, कान्हा की और बांधवगढ़ की प्रशन्सा की, तो निश्चित रूप से हमारे जो नेशनल पार्क हैं, वह दुनिया में अपना स्थान

रखते हैं और विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं. इसमें जो पर्यटक हैं, इनकी संख्या में बहुत बढ़ौतरी हुई है, 1 लाख पर्यटक तो केवल विदेश से आने वाले यहां रिकार्ड किये गये हैं और 5 लाख से बढ़कर संख्या यह पिछले वर्ष की जो है, वह 14 लाख हो गई है अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो हमारे अभ्यारण्य, नेशनल पार्क हैं इनकी व्यवस्था के माध्यम से हम पर्यटकों को आकर्षित कर पा रहे हैं. जो लगभग एक तिहाई माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, अब मैं उस बात पर आता हूं जो वन्य पशु हैं, जैसे नील गाय, जंगली सूअर इनकी बात आई है, तो यह खेतों में जा रहे हैं और नुक्सान कर रहे हैं. जो हमारे कानून और नियम हैं, उनके अनुसार शिकार पर तो प्रतिबंध है ही लेकिन बाकी एक जगह से दूसरी जगह जब हम उनको ट्रांसफर करते हैं, उसमें भी हमें इसमें केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है.

कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा--माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विनती करना चाहता हूं कि अगर इनके रोज की जैसे परमिट नहीं दिये जा सकते मारने के लिये, तो कृपया करके इनके परिवार नियोजन की कोई व्यवस्था करवायें.

डॉ. गौरीशंकर शैजवार--यह जब मानव से नील गाय के प्रजनन शक्ति की और आबादी की तुलना की जा रही थी, तो यह बात मेरे मन में भी आई थी जो माननीय नातीराजा ने कही है, लेकिन पता नहीं कितनी व्यवहारिक है और यदि कहीं व्यवहारिक होती, तो बहुत हर विषय पर अनुसंधान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई वैज्ञानिक अनिवार्य रूप से इस पर अनुसंधान करता और इसका हमें लाभ मिलता. आज की तारीख में तो हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो सलाह दी थी कि जहां-जहां नील गाय की संख्या ज्यादा है, उनको पकड़ कर और जो सघन वन हैं या अभ्यारण्य हैं, उनमें उन्हें ट्रांसफर किया जाये, इस पर हम अनिवार्य रूप से काम करेंगे और लगभग हमने यह तय कर लिया है. दूसरी बात संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जितने भी वन्य पशु हैं, इनके लिये अवरोधक दीवार, फैंसिंग का निर्माण इस कार्य में हम बराबर कर रहे हैं. जितनी संख्या में नील गाय बढ़ रही हैं, उतना इंतजाम नहीं हो पा रहा है. लेकिन हम कोई न कोई रास्ता जरुर इसके लिये निकालेंगे. परमिट की यहां एक बात आई थी, तो परमिट दिये जाते हैं, इसमें कहीं कोई मना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया है, उसका सरलीकरण हम नहीं कर सकते. यह तो जो हमारे अधिनियम हैं, उससे कई बार हम लोग बंधे रहते हैं.

वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि होने पर, घायल होने पर और स्थाई रुप से अपंगता आने पर हमने उनके कम्पनसेशन के लिये, मुआवजे के लिये जो राशि है, उसमें सुधार किया है. किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, तो 1 लाख 50 हजार रुपये हम देते हैं. स्थाई रुप से अपंग हो जाय तो एक लाख देते हैं. घायल मरीज जितने दिन भर्ती रहेगा, यह हमने नया संशोधन किया है, उसके इलाज क पूरी व्यवस्था और पूरा खर्च विभाग उठायेगा और 500 रुपये प्रति दिन उसे कम्पनसेशन देगा. यह अब लागू हो गया है. बहुत लोगों ने जहां जहां घायल लोग हुए हैं, उनको इसका लाभ मिला है. 30 हजार रुपये साधारण चोटें, खरोच आदि जो आती हैं, उनके लिये इसमें हम देते हैं. (श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा बैठे बैठे भाषण पटल पर रखने के लिये कहने पर) अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दें,, तो मैं पटल पर रखने के लिये तैयार हूं, लेकिन मैं संक्षेप करने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने सब को धैर्य से सुना है और सुनने के लिये सब लोग तैयार हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- अध्यक्ष महोदय, कल तक के लिये जारी नही रख सकते.

अध्यक्ष महोदय -- बस समाप्त कर रहे हैं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- अध्यक्ष महोदय, बाकी बचा हुआ पटल पर रखवा दीजिये. गंभीरता से कह रहा हूं. इतना मोटा अभी भाषण लिखा हुआ है. ..(हंसी)..

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, चार पांच पन्ने हैं, आधा आधा तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, 8.00 बज गये हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्तीय वर्ष में रीवा के निकट मुकुन्दपुर में हम सफेद बाघ की सफारी का कार्य लगभग 2-3 महीने में पूरा कर लेंगे. अब बात बाघों की आ रही है. पन्ना में लगभग 30 टाइगर हैं. कान्हा में लगभग 60 हैं. बांधवगढ़ में 59 हैं. पेंच में 56 हैं और सतपुड़ा में 45 हैं और संजय सीधी में 5 हैं. सबसे बड़ी सफलता हमने पन्ना में प्राप्त की है. जहां एक भी शेर नहीं बचा था और हमारे अधिकारियों ने, जो अनुभवी लोग हैं, उन्होंने पूरा प्रयास करके सफलतापूर्वक ..

कुंवर विक्रम सिंह -- सील डायरेक्टर मूर्ति साहब उसमें बधाई के पात्र हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, आपने नाम लिया बहुत अच्छी बात है. लेकिन सामान्य तौर पर कई बार बहुत लोग सहयोगियों से लेकर बड़े अधिकारी और डायरेक्टर तक होते हैं और इसको ना नहीं कहा जा सकता. इसलिये मैंने किसी एक दो व्यक्तियों का नाम यहां नहीं लिया. मैं तो कहूंगा डायरेक्टर भी और जितने लोगों ने इसमें सहयोग किया है, वेटनरी सर्जन से लेकर बहुत लोग हैं, छोटे छोटे कर्मचारी हैं.कई बार तो अपनी जान जोखिम में डालकर नेश्नल पार्क में पार्क की रखवाली करते हैं. जानवरों की रखवाली करते हैं. उन सब को मैं इस काम के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पन्ना में शेरों की संख्या कम समय में और बहुत अच्छी बढ़ोतरी की है. गत वर्ष के आंकलन के अनुसार संख्या हमारी 300 से ऊपर आंकी गयी है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो बायसन है, वह लगभग विलुप्त हो रहे थे, उनकी हमने पुनर्स्थापना की है. कान्हा टाइगर में ब्लैक बग विलुप्त हो रहे थे, उनकी पुर्स्थापना सफलतापूर्वक की है. वन विहार में चीतलों की पुनर्स्थापना की है और एक विशेष बात जो गिद्ध हमारे विलुप्त हो रहे थे..

कुंवर विक्रम सिंह -- अध्यक्ष महोदय, हेबिटैट रिकंस्ट्रक्शन बहुत जरुरी है.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करे बहुत समय हो गया है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार--माननीय अध्यक्ष महोदय, केरवां के समीप गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केन्द्र की स्थापना की है हम उम्मीद करते हैं कि हम गिद्धों की संख्या में भी बढोत्री करेंगे. भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय तथा UNDP द्वारा इंडिया बायोडायवर्सिटी एवार्ड 2014 के लिये कान्हा टाइगर रिजर्व को प्रथम पुरस्कार मिला है, सतपुड़ा टायगर रिजर्व को द्वितीय पुरस्कार मिला है. अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पोर्टब्लेयर अंडमान निकोबार में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किये गये हैं.

अध्यक्ष महोदय, ईको पर्यटन विकास बोर्ड की सबसे पहले स्थापना मध्यप्रदेश में हुई है इसके माध्यम से वनों के प्रति जागरूकता को बढावा देना इसके पीछे हमारा उद्देश्य है और निश्चित रूप से इसको हम सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं. इसकी गुणवत्ता और प्रबंधन कार्य के लिये हमको ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया है.

अध्यक्ष महोदय, वन विकास निगम हमारा एक संस्थान है यह कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है वनों की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिये इसकी स्थापना हुई है 4 लाख 26 हजार हेक्टेयर भूमि निगम को बिगडे वनों की और निम्न स्तर के वनों की प्रदाय की गई थी इसमें से 2 लाख 61 हजार 41 हेक्टेयर निम्न कोटि के वनों को उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित करने में वन विकास निगम सफल रहा है. वन विकास निगम एक व्यापारिक संस्थान है जो लीज रेंट , जो जमीन दी गई है इसका लीज रेंट भी भुगतान करता है. वर्ष 2011 मे 59.19 करोड़ रूपया इन्होंने सरकार को दिया . और 2012-13 में 66.40 करोड़ रूपया इन्होंने सरकार को दिया है. दूसरी तरफ जो इसका लाभांश है, वह लाभांश भी बहुत बड़ी मात्रा में सरकार को यह दे रहे हैं. 25 करोड़ रूपया अभी कुल लाभांश 2008-09 से लेकर के 2012 तक यह दे चुके हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लघु वनोपज संघ है . ऐसा कहीं दुनियां में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई भी संस्थान अपने व्यापार का जो लाभांश है उसमें 1 रूपया अपने पास में रखे और बाकी पूरा का पूरा पैसा वह सबको बांट दे. इसमें तेन्दू पत्ता के श्रमिकों से जो लाभांश मिलता है उस लाभांश में 70 प्रतिशत जो पैसा है वह नगद और संग्राहकों के हाथ में जाता है . और लाभांश के रूप में वह बांट दिया जाता है. 15 प्रतिशत पैसा वनों के सुदृढ़ीकरण के लिये यह पैसा दिया जाता है और 15 प्रतिशत पैसा वहां की अधोसंरचना के विकास के लिये दिया जाता है तो मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ एक अच्छा काम कर रहा है.

अध्यक्ष महोदय, इसमें राष्ट्रीय औषधी पादप बोर्ड भी है. पादप बोर्ड नई दिल्ली से वित्तीय पोषित है.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी कितना समय आप और लेंगे.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- आप कह रहे है तो मैं लगभग समाप्त कर देता हूं. आप कहें तो धन्यवाद तो दे दूं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- बचा हुआ भाषण पटल पर रख दें.

अध्यक्ष महोदय-- बचा हुआ भाषण पटल पर रख सकते हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय संक्षेप कर रहा हूं.माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के विचार और भाषणों से कई बार वन विभाग के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगते हैं और सामान्य तौर पर सहज भाषा में , मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बिना विचार किये कोई भी सदस्य यह कह देता है कि वन विभाग तो विकास में बाधक है. अध्यक्ष जी वन विभाग विकास में बाधक नहीं है.

हम खनिज के लिए जमीन देते हैं. बिजली की लाईन खींचने के लिए जमीन देते हैं. वन विभाग पावर प्लांट की स्थापना के लिए जमीन देता है. खेती के लिए जमीन देते हैं. तालाब बनाने और सिंचाई योजनाओं के लिए जमीन देता है. पीएचई की लाईन डालने के लिए विभाग जमीन देता है. वन विभाग बिगड़ें वनों के सुधार के लिए जमीन तो देता ही देता है, सघन वनों के लिए जमीन देता है. आवश्यकता पड़ जाये तो रिजर्व टाईगर और नेशनल पार्क में जमीन देता है. लेकिन इसे लेने की एक प्रक्रिया है. वन संरक्षण अधिनियम जिसमें एक हेक्टर तक जमीन डीएफओ दे सकते हैं उसके लिए निर्धारित फार्म है. उसे आपको भरना पड़ेगा. जो अर्हताएं हैं उनका पालन और पूर्ति करना पड़ेगी.

अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद क्षेत्र में जमीनों में कुछ रिलेक्सेशन दिया गया है. वहां उसका लाभ मिल रहा है. हम अनुशंसा करते हैं फिर केन्द्र सरकार को जाता है. केन्द्र सरकार से जैसे जैसे हम पूर्ति करते जाते हैं वह जमीन निश्चित रुप से इन सब विकास के कामों के लिए मिलती है. वन विभाग विकास में बाधक नहीं है.

अध्यक्ष महोदय, इस साल हमने वर्कशॉप करवायी. हमारे डीएफओ, सीसीएफ जिला मुख्यालयों पर पहुंच रहे हैं और जितने भी विभाग हैं वन विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, आरईएस और सभी संबंधित विभाग जो विकास के काम में प्रत्यक्ष रुप से मौके पर काम करते हैं इन विभागों के तीन तीन अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर बुलाकर वर्कशॉप करवायी है. शेष जिलों में निरन्तर इस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे. जब कभी भी किसी के लिए आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हमारे यहां पर एक सेल है. अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जायेगी.

श्री उमंग सिंघार-- अध्यक्षजी, मंत्रीजी ने कहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट में जमीन दे सकते हैं तो हम चाहेंगे कि सदस्यों को मालूम पड़े कि ऐसी कौन सी नई पॉलिसी आ गई है. उस पर भी गौर फरमायें.

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण अधिनियम में जब जहां जो जमीन मांगता है हम उसकी अनुशंसा करते हैं. केन्द्र सरकार में उन अर्हताओं की पूर्ति होती है और इसके बाद केन्द्र सरकार से भूमि का आवंटन होता है फिर हम उसका आवंटन करते हैं. कहीं ऐसा नहीं है कि किसी नेशनल पार्क के बगल में पावर प्लांट की स्थापना के लिए भी यदि कोई बात आती है और 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर भी कोई बात आती है तो उसमें भी बराबर जमीन दी जाती है. आपके प्रश्न का मैं पूरा उत्तर दे सकता हूं. मेरे पास उदाहरण भी है लेकिन समय की कमी है. वन विभाग तो उन विभागों में से है जहां पूरे विभागों के विकास का अंत होता और लाईन खींच जाती है कि इससे आगे हम विकास नहीं करेंगे. वन विभाग उससे आगे जंगलों में विकास करता है. (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पन्ना का उदाहरण बताता हूं. स्कूल चलों अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्रीजी ने पन्ना में एक कार्यक्रम किया. हमारे डीएफओ, सीसीएफ ने वहां पारदी जाति के बच्चों के पालकों को मोटीवेट किया और समझाकर हम लायें. हम वहां पर 100 से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं. वन विभाग ने अपना एक छात्रावास स्थापित किया है. जो शिकारी जाति है जिनको वन्य प्राणियों से तकलीफ होती है, जो नष्ट होते हैं ऐसे लोगों को हम रोजगार भी दे रहे हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हम हर जगह होस्टल बनायेंगे. हम कुंआ खुदवाते हैं, हम हैंडपंप लगवाते हैं. हम सड़कें बनवाते हैं. मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वन विभाग विकास में बहुत आगे लेकिन उस क्षेत्र में जहां हमको काम करने का मौका मिलता है, उसमें हम बहुत आगे हैं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन अभी आप शोषण कर रहे हैं. (हंसी)

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, आपको मेरी प्रशंसा करना पड़ेगी. ऐसा पहला मंत्री हूं जिसका विपक्ष सहयोग कर रहा है लेकिन मेरे ही मंत्री मैं इसको व्यवधान नहीं कहूंगा, मुझे सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करो. कभी कोई पुरस्कार वितरण हो तो किसी न किसी रुप में इस बात के लिए देना कि अपनों से तकलीफ उठाकर भी अपने विभाग की बात रखी है ऐसे डॉक्टर शेजवार हम यह पुरस्कार देते हैं. (हंसी) मेरा सदन से अनुरोध है कि मेरे विभागों की मांगों को पारित करने का कष्ट करें. धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय – मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या – 10 एवं 71

पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब मैं मांगों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धन राशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या - 10 वन के लिए दो हजार दो सौ तीन करोड़,
छत्तीस लाख, रूपये, तथा

अनुदान संख्या - 71 जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा
जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालाजी) के लिए
पांच करोड़, पचास लाख, रूपये.

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

अध्यक्ष महदोय – विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 10 जुलाई,2014 के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 8.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 10 जुलाई, 2014 (19 आषाढ़, शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल.
दिनांक : 9 जुलाई, 2014

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.